लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

Preservation Unit
18-8-92
Fumigated
On 15-2-84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 13 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XIII contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 30, सोमवार, 24 अप्रैल, 1972/4 वैशाख, 1894 (शक)

No. 30, Monday, April 24, 1972 / Vaisakha 4, 1894 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTION		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
521. गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों की सप्लाई के लिये रूस से साथ करार	Agreement with USSR for Supply of Deep Sea Fishing Vessels	1—2
522. उर्वरक की खपत की विकास दर में गिरावट	Fall in the Growth Rate of Consumption of Fertilizer	2—7
524. दिल्ली में संसद् सदस्यों को प्लाटों का आवंटन	Allotment of Plots to M. Ps. in Delhi	7—9
525. घासपात हटाने के लिये रोटरी किस्म के रेक का विकास	Development of a Rotary Type Rake for Removal of Weeds	10—11
526. गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों की मांग और उनका आयात	Requirement and Import of Deep Sea Fishing Vessels	11—14
527. आवास और नगरीय विकास निगम द्वारा दिल्ली/नई दिल्ली की आवास योजनाओं के लिये धनराशि का आवंटन	Allocation of Funds for Housing Scheme in Delhi/New Delhi by Housing and Urban Development Corporation ..	14—16
528. दालों के बढ़ रहे मूल्य	Rising Prices of Pulses	16—17
530. भारत सरकार के प्रपत्रों के लिये कागज का मानकीकरण	Standardisation of Paper for Forms of Government of India	18—19
532. भारत सरकार के मुद्रणालयों लागत प्रणाली का पुनः निर्धारण	Re-structuring of the Cost System in Government of India Presses	19—20

---

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

533.	मेडिकल कालेज, कालीकट में व्यावसायिक चिकित्सा एकक (ओक्यूपेशनल थिरेपी यूनिट)	Occupational Therapy Unit in the Medical College, Calicut ..	20
537.	संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति संगठन के क्षेत्रीय निकाय की स्थापना	Establishment of Regional Body of UNESCO ..	20—22

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

523.	केन्द्रीय सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये आवास	Accommodation for Class IV Employees of Central Government ..	22—23
529.	भूमि अर्जन अधिनियम सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन पर निर्णय	Decision of the Report of Committee on Land Acquisition Act ..	23
531.	मद्यपान की आदत के विरुद्ध उपदेश	Teaching against Habit of Drinking ..	23—24
534.	वन विकास निगम की स्थापना	Setting up of Forest Development Corporation ..	24
535.	तकनीकी अध्ययन के लिये योग्यता व साधन क्षमता के आधार पर छात्रवृत्तियां देने की योजना पर पुनर्विचार	Revision of Merit-cum-Means Scholarship for Technical Studies ..	24—25
536.	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा प्रति दिन दूध का संग्रह तथा वितरण और उसमें से निकाली जाने वाली अतिरिक्त चिकनाई का उपयोग	Daily Collection and Distribution of Milk by DMS and Use of Excess Fat therein	25—26
538.	छोटे किसानों को सिंचाई की सुविधाओं, उर्वरकों और कीट-नाशी औषधियों के लिये सहायता देना	Aid to Small Farmers for Irrigation, Fertilisers and Insecticides	26
539.	सरकारी कर्मचारियों को मकान बनाने के लिये ऋण	House Building Advance to Government Employees ..	26—27
540.	भारत और बंगला देश के बीच अन्तर्देशीय जहाजरानी और राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजमार्गों का विकास	Development of Inland Shipping, National and Regional Highways between India and Bangla Desh ..	27

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

3604.	मार्च, 1972 में दिल्ली परिवहन निगम की बसों द्वारा न लगाये गये चक्कर	Number of Trips missed by DTC Buses in March, 1972 ..	27
3605.	राज्य कृषि फार्म निगम द्वारा चलाये जाने वाले फार्म	Farms run by State Agricultural Farm Corporation ..	28
3606.	गौशालाओं और पिंजरापोलों पर व्यय	Expenditure on Goshalas and Pinjrapoles ..	28
3607.	वनस्पति घी के उत्पादन में मूंगफली के तेल के अनुपात में कमी	Decline in Proportion of Ground Nut Oil in Production of Vanaspati Ghee ..	28—29
3608.	केन्द्रीय सड़क समिति का गठन	Constitution of a Central Road Committee ..	29
3609.	बिहार में कत्था फैक्टरी की स्थापना	Establishment of Katha Factory in Bihar ..	29
3610.	केरल राज्य द्वारा आवास के लिये व्यय	Expenditure for Housing by Kerala State ..	29—30
3611.	केरल में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिये स्थान और कर्मचारियों के लिये आवास स्थान	Accommodation for Central Government Offices and Employees in Kerala ..	30
3612.	केरल राज सहायता प्राप्त आवास योजना	Subsidised Housing Schemes in Kerala ..	30—31
3613.	केरल कृषि विश्वविद्यालय और आल यूनियन प्लाट ब्रीडिंग एंड जैनिटिक्स इन्स्टीट्यूट आफ लेनिग्राड के बीच वैज्ञानिकों का आदान प्रदान	Exchange of Scientists between Kerala Agricultural University and All Union Plant Breeding and Genetics Institute of Leningrad ..	31
3614.	अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन	International Sanskrit Conference ..	31—32
3615.	दिल्ली के विद्यालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये सुरक्षित प्रधानाचार्यों के पद	Posts of Principal in Delhi Schools reserved for Scheduled Castes ..	32—33
3616.	दिल्ली में भूमि विकास पर आने वाली लागत	Cost of Development of Land in Delhi ..	33
3617.	डी० आई० जेड० एरिया, नई दिल्ली में टाइप चार के आठ मंजिले क्वार्टरों का निर्माण	Construction of Eight Storeyed Type IV Quarters in DIZ Area, New Delhi ..	33—34

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3618.	डी० आई० जेड० क्षेत्र, नई दिल्ली के सेक्टर 'डी' के क्वार्टरों में स्कूटर गैरेज	Scooter Garages in Sector 'D' DIZ Area Quarters, New Delhi	34
3619.	डी० आई० जेड० एरिया, नई दिल्ली के सेक्टर 'डी' में पानी की खराब टंकिया	Defective Water Tanks in Sector 'D' of DIZ Area, New Delhi	34—35
3620.	डी० आई० जेड० क्षेत्र, के क्वार्टरों के लिये निर्धारित स्टेंडर्ड/पूल किराया	Standard/Pool Rent fixed for DIZ Area Quarters ..	35
3621.	सीढ़ियों में बिजली के खर्च के बिल का डी०आई०जेड०एरिया, नई दिल्ली के क्वार्टरों के निवासियों में बांटा जाना	Division of Stair case Electricity Charges Bill among residents of Quarters in Sector 'D' of DIZ Area New Delhi	35—36
3622.	डेरा इस्माइल खान कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी द्वारा भूमि का विकास	Development of Land by the Dera Ismail Khan Cooperative House Building Society, Delhi	36
3623.	विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली के एक फिजीशियन द्वारा हृदय रोग के रोगियों का अध्ययन	Study of Heart Patients by a Physician of Willingdon Hospital, New Delhi ..	36—37
3625.	मत्स्य सम्पदा के लिये आन्ध्र प्रदेश के तट का सर्वेक्षण	Survey of Coast of Andhra Pradesh for Fishery Wealth	37
3626.	आँध्र प्रदेश में समुद्री मत्स्य उद्योग के विकास पर परियोजना प्रतिवेदन	Project Reports on Development of Marine Fisheries in Andhra Pradesh ..	38
3627.	आन्ध्र प्रदेश की सपलैश टैंक के खरीदने और मछली उत्पादन के लिये जलाशयों और झीलों का विकास करने के लिये केन्द्रीय सहायता दिया जाना	Central Aid to Andhra Pradesh for Purchase of Splash less Tank Van and Development of Reservoirs and Lakes for Fish Production ..	38—39
3628.	उत्तर प्रदेश में किसानों को ऋण सम्बन्धी सुविधाएं देने वाली सहकारी समितियों पर भारी बकाया राशि	Heavy Overdues of Cooperative Societies in U. P. extending Credit Facilities to Farmers	39
3629.	कोलम्बिया के राजदूत और उस के सांस्कृतिक सहचारी द्वारा डा० भगवान दास स्मारक ट्रस्ट को दान	Donation by the Ambassador and Cultural Attache from Colombia to Dr. Bhagwan Das Memorial Trust, New Delhi ..	40

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

3630. छोटे तथा सीमान्त किसानों को दी गई धन राशि	Amount given to Small and Marginal Farmers	40—42
3631. वर्षा से सिंचित फसलों के अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये अन्तर्राष्ट्रीय कृषि केन्द्र स्थापित करना	Setting up of International Agricultural Centre for Research and Training Programmes in Rain Fed Crops	42
3632. क्षेत्र निरीक्षकों द्वारा दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों को तंग करना	Harassment of DMS Staff by Field Inspectors ..	42—43
3633. दिल्ली दुग्ध योजना के डिपो नं० 257 पर बोतलों के ढक्कनों का बदलना	Change of Lid of Bottles at Depot No. 257 of DMS	43
3634. परिवार नियोजन के लिये गर्भपात करना	Introduction of Abortion as Family Planning Device	44
3635. आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सीय प्रणालो के साथ आधुनिक चिकित्सा की शिक्षा को समाप्त करना	Abolishing of Education of a Modern Medicine along with Ayurveda and Unani	44
3636. राज्यों में डाक्टरों में बेरोजगारी	Unemployment among Doctors in States ..	44—45
3637. गुजरात में विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत गृहों का निर्माण	Construction of Houses under various Housing Schemes in Gujarat	45—46
3638. जाति प्रथा को खत्म करने के उपाय	Measures to remove Caste System	46—47
3639. वक्फ जांच समिति की स्थापना	Setting up of Wakf Enquiry Committee ..	47
3640. शिक्षा मंत्रालय में सहायक शिक्षा सलाहकार की पदोन्नति	Promotion of an Assistant Educational Adviser in Ministry of Education	47—48
3641. आन्ध्र प्रदेश में मछुओं को परेशान करना	Harassment to Fishermen of Andhra Pradesh	48
3642. देश में मूर्तियों की चोरी	Thefts of Idols in the country	48—49
3643. उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में सिंचाई सुविधायें	Irrigation Facilities in Border Districts of U. P.	49
3644. अखिल भारतीय प्रकाशक अभिसमय	All India Publishers Convention ..	49—50

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3645.	आई० आई० टी० कानपुर के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Employees of I.I.T. Kanpur	50
3646.	राष्ट्रीय पुस्तक विकास बोर्ड	National Book Development Board ..	50
3647.	कृषक मजदूरों को मकानों के लिये भूमि के कब्जे के वैध अधिकार	Occupation rights to Home Steads of Agricultural Labour ..	51
3648.	तमिलनाडु सरकार द्वारा सम्राट राजा राजा चोला की प्रतिमा स्थापित करना	Installation of Statue of King Raja Raja Chola by Tamil Nadu Government ..	51—52
3650.	मध्य प्रदेश में आदिवासियों के कल्याण के लिये धन का उपयोग	Utilization of Fund for Welfare of Adivasis in M. P. ..	52
3651.	अखिल भारत नेत्र सुधार संघ, नई दिल्ली	Akhil Bharat Netar Sudhar Sangh, New Delhi ..	52—53
3652.	गेहूं तथा चावल के नए जोन बनाना	Creation of new wheat and rice Zones	53
3653.	विक्लांग व्यक्तियों के लिये विशेष रोजगार कार्यालय स्थापित करना	Special Employment Exchanges for Physically Handicapped	53—54
3654.	दिल्ली में 8 वीं और 11 वीं कक्षा के विद्यार्थियों की तैयारी की छुट्टियां देना	Preparatory holidays for students of classes VIII and XI in Delhi	54
3655.	नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में हुई चोरी का सुराग देने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार	Award to persons giving clue to theft in National Museum, New Delhi ..	54—55
3656.	विभिन्न राज्यों को उर्वरकों का कोटा अलाट करने का आधार	Criteria for allotment of quota of Fertilizers to various States	55—56
3657.	रूस से मछुवा नावों का क्रय	Purchase of Fishing Trawlers from USSR	56
3658.	चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में मत्स्य नौकाओं की खरीद	Purchase of Fishing Trawlers in Fourth Five Year Plan	56—57
3659.	किसानों को ऋण सुविधायें	Loan facilities to farmers	57
3660.	मुख्य इंजीनियरों की संयुक्त सचिवों के पदों पर नियुक्ति	Appointment of Chief Engineers as Joint Secretaries ..	57—58
3663.	सड़क परिवहन के विकास के लिए केन्द्रीय रक्षित निधि	Central Reserve Fund for Development of Road Transport ..	58

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

3664. बारानी खेती के विकास के लिये धन का नियतन तथा उपयोग	Allocation and utilisation of funds for development of dry farming	58
3665. वास्तु शिल्पियों द्वारा निजी व्यवसाय	Private practice by Architects ..	58—59
3666. स्वास्थ्य सेवाओं के मुख्य निदेशालय में उप-सहायक महानिदेशक की नियुक्ति	Appointment of Deputy Assistant Director General in DGHS ..	59—60
3667. फार्मेसिस्टों के कर्तव्य	Duties of Pharmacists	60
3668. स्वास्थ्य सेवा योजना में फार्मसिस्ट तथा स्टोर कीपर	Pharmacists and Store keepers in CGHS ..	60—61
3669. दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दिये गये दुग्ध टोकन	Milk tokens issued by Delhi Milk Scheme ..	61—62
3670. भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिल्ली में थोक अनाज की दुकान खोलना	Opening of Wholesale Grain Shop in Delhi by Food Corporation of India	62
3671. चम्पारन, बिहार में चावल अनुसंधान संस्थान की स्थापना	Setting up of Rice Research Institute in Champaran, Bihar	62—63
3672. कृषकों के लिये पंचायत स्तर पर सरकारी मूल्य की दुकान खोलना	Opening of Co-operative Fair Price Shops for farmers at Panchayat level ..	63
3673. बिहार विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा एक दिन की सांकेतिक हड़ताल	One day token strike by teachers of Bihar University ..	63—64
3674. आवासीय पब्लिक स्कूलों में अध्ययन के लिये ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति देना	Merit Scholarship to students of rural areas for study in residential Public schools	64
3675. नेबरहुड स्कूलों की स्थापना	Setting up of neighbourhood schools	65
3676. उत्तर प्रदेश स्थित कोटद्वारा में भारतीय खाद्य निगम द्वारा बाल आहार फैक्टरी स्थापित करना	Setting up of Baby Food Factory by Food Corporation of India at Kotdwar, U. P.	66
3677. स्कूली शिक्षा में सुधार करना	Tonning up of School Education ..	66—67
3678. अखिल भारतीय समन्वित चावल सुधार परियोजना, पत्तम्बी	All India Coordinated Rice Improvement Project, Pattambi ..	67

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

3679. पूंजी निवेश करने से पूर्व वन संसाधनों का अध्ययन करने हेतु यू० एन० डी० पी० सहायता	UNDP Assistance for pre-investment study of Forest Resources ..	67
3680. तुलीकोरीन पत्तन का नाम वी० ओ० चिदम्बरम् पत्तन रखना	Naming of Tuticorin Harbour after V. O. Chidambaram ..	68
3681. राजा राम मोहन राय की 200 वीं वर्ष गांठ के समारोह पर राष्ट्रीय पुस्तकालय आन्दोलन	National Library Movement during Raja Ram Mohan Roy Bi-Centenary ..	68—69
3682. स्कूलों और कालेजों में लगी पाठ्य पुस्तकों में साम्प्रदायिक प्रचार के बारे में शिकायतें	Complaints re : Text Books prescribed for Schools and Colleges having Communal Obvertones ..	69—70
3683. पटना में गंगा नदी पर पुल का निर्माण	Construction of Bridge Across Ganga at Patna ..	71
3684. बिहार में बाढ़ से बह गई स्कूल की इमारतों के निर्माण के लिये सहायता	Assistance for Construction of School Buildings washed away in Bihar	71
3685. बिहार में मार्डन बैकरीज का यूनिट खोलना	Setting up of a Unit of Modern Bakeries in Bihar ..	71—72
3686. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति (संशोधन) विधेयक को पुर:स्थापित करना	Introduction of S. C. and S. T. Orders (Amendment) Bill ..	72
3687. दिल्ली दुग्ध योजना को आयातित दुग्ध चूर्ण और बॅटर आयल का आवंटन	Allotment of Imported Milk Powder and Butter Oil to DMS ..	72—73
3688. फरवरी, 1971 में हुए आठवें डेरी उद्योग सम्मेलन की सिफारिशें	Recommendations of 8th Dairy Industry Conference held in February, 1971 ..	73—74
3689. बच्चों का कुपोषण	Mal Nutrition among Children	74—76
3690 सड़क सुरक्षा तथा ट्रैफिक समिति का प्रतिवेदन	Report of Road Safety and Traffic Committee	76
3691. सरकारी प्रकाशनों की बिक्री के सम्बन्ध में विभागीय समिति का प्रतिवेदन	Department Committee Report on Sale of Government Publications ..	76
3692. परिवार नियोजन से सम्बन्ध सामाजिक वैज्ञानिक का सुझाव	Suggestion by Social Scientists on Family Planning ..	77
3693. भारत के इतिहास का पुनर्लेखन	Re-writing History of India ..	77

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

3694.	डा० जे० बी० चटर्जी के नाम से छात्रवृत्ति अथवा स्मारक पुस्तिका	Scholarship or Memorial Document in the Name of Dr. J. B. Chatterjee	77—78
3695.	संसद् भवन और राष्ट्रपति भवन के रखरखाव और मरम्मत पर होने वाला खर्च	Expenditure on Maintenance and Repairs on Parliament House and Rashtrapati Bhawan ..	78
3696.	गेहूं की खेती	Wheat Cultivation	78
3697.	विदेश गये और वहीं रह गये छात्र	Students went Abroad and Stayed back ..	79
3698.	पीलिया के निदान के नये तरीके	New Methods for Jaundice Cure	79
3699.	डाक्टरों के लिये राष्ट्रीय मंजूरी बोर्ड की नियुक्ति	Setting up of National Wage Board for doctors	80
3700.	पिछड़े समुदायों और गन्दी बस्तियों के निवासियों आदि में जन्म दर	Birth Rates among Backward Communities Slum Dwellers etc. ..	80—81
3701.	दूसरे हुगली पुल का निर्माण करने के बारे में पश्चिम बंगाल से प्राप्त अन्तिम लागत अनुमान	Communication from West Bangal re : Final Estimates of Construction of Second Hooghly Bridge	81
3702.	दिल्ली में उचित मूल्य की दुकानों पर सप्लाई किये जाने वाली राशन की वस्तुएं और चीनी की किस्म	Quality of Rationed Articles and Sugar Supplied at Fair Price Shops in Delhi	81—82
3703.	अच्छी किस्म के बीजों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये कार्यवाही	Steps to increase output of Quality Seeds ..	82—83
3704.	शिक्षा मंत्रालय और विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी	S. C. and S. T. Employees in Education Ministry and Deptt. ..	83
3705.	आन्ध्र प्रदेश के एक जिले में छोटी किसान विकास योजना का विस्तार	Extension of Small Farmers Development Scheme to a District of Andhra Pradesh	83—84
3706.	1972-73 में चीनी का उत्पादन तथा उसकी आवश्यकता	Production and Requirement of Sugar in 1972-73 ..	84
3707.	आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के स्नातक	S. C. and S. T. Graduates in Andhra Pradesh	84
3708.	आदिवासी हरिजन बच्चों की समस्या सम्बन्धी समिति द्वारा की गई सिफारिशें	Recommendations made by Committee on problem of Adivasis and Harijan Children ..	84—85

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

3709. राष्ट्रीय कृषि आयोग का प्रतिवेदन	Report by National Commission on Agriculture	85
3710. बरेली, पीलीभीत और शाहजहाँपुर से होकर गुजरने वाला लेटरल रोड के निर्माण कार्य में प्रगति	Progress in Constrution work on lateral road passing through Bareilly and Shahjahanpur	85—86
3711. इतिहास सम्बन्धी अनुसन्धान करने के लिये परिषद्	Council to Conduct Historical Research ..	86
3712. कानपुर में गन्दी बस्ती सफाई के लिये वित्तीय सहायता	Financial Aid for Slum Clearance in Kanpur	87
3713. शोर का खतरा के बारे में गोष्ठी	Seminar on Hazards of Noise	87
3714. राज्यों में प्राथमिक स्कूलों में निःशुल्क दोपहर का भोजन	Free Mid day Meals in Primary Schools in States ..	87—88
3715. बंगला देश नौवहन निगम से करार	Agreement with Bangla Desh Shipping Corporation	88—89
3716. स्कूली बच्चों की प्रतिशतता में कमी	Drop in the percentage of Schoolgoing Children	89
3717. सरकार द्वारा बुद्धिजीवियों की बैठक बुलाने के विरोध में लेखकों तथा कलाकारों का विरोध	Protest by Writers and Artists against Government Convened meeting of Intellectuals	89—90
3718. राज्यों में अल्प तथा मध्य आय वर्ग के लोगों के लिये रिहायशी प्लाट तथा मकानों की बिक्री	Residential plots/Houses for Sale to Low and Middle Income Groups in States ..	90
3719. बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से समुद्रजनित उत्पादों का निकाला जाना	Exploration of Marine Wealth of Bay of Bengal and Arabian Sea ..	90—91
3720. दिल्ली विद्यालय द्वारा कालेजों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेना	Taking over of Colleges by Delhi University	92
3722. चीनी मिलों की ओर बकाया राशि	Amounts outstanding against Sugar Mills ..	92
3723. गन्ने के उत्पादत में तथा चीनी के मूल्यों में वृद्धि की प्रतिशतता	Percentage of Incrase in Production of Sugarcane and Price of Sugar	93
3724. स्नातकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़ में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये सेवाओं में आरक्षण	Reservation in Services for S. C./S. T. in Post Graduate Institute, Chandigarh ..	93

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

3725. चीनी के मूल्यों में वृद्धि रोकने की योजना	Scheme to check rise in Price of Sugar ..	94
3726. सप्रू हाउस के पुस्तकालय का विभाजन करने के बारे में संसद् सदस्यों के विचार	Views of M. Ps. on Bifurcation of Sapru House Library ..	94
3727. संसद् सदस्यों को अलाट किये गये बंगलों को भारतीय ढंग से बनाना	Indianisation of Bungalows Allotted to Members of Parliament	94
3728. प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्रों के ग्रामीण अस्पतालों तथा डिस्पेंसरियों में औषधियों का उपलब्ध न होना	Nonavailability of Medicines in Rural Hospitals and Dispensaries under Primary Health Centres	94—95
3729. गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के काम का यंत्रीकरण तथा आधुनिकीकरण करने के लिये द्रुत कार्यक्रम	Crash Programme for Mechanisation and Modernisation of Deep Sea Fishing ..	95
3730. पूर्वी तट पर आयातित मत्स्य नौकाओं का प्रयोग	Use of Imported Trawler on East Coast	95—96
3731. उड़ीसा में स्टेडियमों का निर्माण	Construction of Stadiums in Orissa ..	96
3732. मध्य प्रदेश और इसके सीमावर्ती अन्य राज्यों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सड़कों और पुलों का निर्माण करने के बारे में मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव	Proposal from Madhya Pradesh Government regarding Construction of Inter-State Roads and Bridges between Madhya Pradesh and Contiguous States	96—97
3733. राज्य के राजपथों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के बारे में मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव	Proposal from Madhya Pradesh Government to declare State Highways as National Highways	97
3734. चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में दुग्ध सप्लाई की योजना	Milk Supply Scheme during IV Plan	98
3735. तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम में कमी	Short fall in Technical Education Programme	98—99
3736. चेचक के फ्रीज ड्रारड के टीके	Freeze Dried Small Pox Vaccine	99
3737. आवास तथा नगरीय विकास निगम के वित्तीय साधन	Financial Resources of the Housing and Urban Development Corporation	99—100
3738. रीवा जिला (मध्य प्रदेश) में जनजाति विकास खण्डों को केन्द्रीय सहायता	Central Grant to Tribal Development Blocks Rewa District (M. P.)	100
3739. भारत में स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास	History of Freedom Movement of India ..	100—101

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

3740.	डा० भगवान दास स्मारक ट्रस्ट, नई दिल्ली	Dr. Bhagwan Das Memorial Trust New Delhi	101
3741.	बसों की संख्या बढ़ाने के लिये महानगरों को सहायता	Aids to Metropolitan Cities to Augment Fleet of Buses	101
3742.	संसद् सदस्यों की पत्नी और नौकरों को निःशुल्क रेलवे पास	Free Railway Pass to Wives and Servants of M. Ps. ..	101—102
3743.	नये चीनी कारखाने स्थापित करने के लिये लाइसेंस	Licence for Establishment of new Sugar Factories	102
3744.	चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान चीनी कारखानों का विस्तार करने हेतु लाइसेंस देना	Licences for Expansion of Sugar Factories during IV Plan Period	102—103
3745.	दिल्ली दुग्ध योजना के सम्पूर्ण दिवस कार्य करने वाले दुग्ध स्टालों में आपात पूर्व के कार्य के घंटों को लागू करना	Reversion to Pre-Emergency Working Hours for All Day Milk Stalls of DMS ..	103
3746.	चीनी का मासिक कोटा बढ़ाने के लिये तमिलनाडु सरकार के अनुरोध	Request from Tamil Nadu Government to Increase Monthly Quota of Sugar ..	103—104
3747.	मद्रास पत्तन को विकसित करने में विलम्ब	Delay in Developing Madras Port	104—106
3749.	उत्तर प्रदेश में पौष्टिक चारे की कमी के कारण पशुओं की मृत्यु	Death of Cattle due to lack of Nutritous Fodder in U. P. ..	106
3750.	राज्यों में कृषि क्षेत्र के लिये 15 वर्षीय वृहत योजना	15-Year Master Plans for Farm Sector in States ..	106
3751.	पंजाब में तिलहन का मूल्य तथा उसकी वसूली	Price and Procurement of Oilseeds in Punjab	107
3752.	दिल्ली विश्वविद्यालय के पत्राचार पाठ्यक्रम के स्कूल का पुनर्गठन	Reconstitution of School of Correspendence Courses in Delhi University	107
3753.	दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिये पत्राचार पाठ्यकार्यक्रम	Correspondence course in Post Graduate Classes in Delhi University	107—108
3754.	अकामियों की कार्यों की जांच के लिये आयोग	Commission to enquire into Affairs of Akademies	108
3755.	विश्व पुस्तकें मेले के आयोजन पर हुआ व्यय	Expenditure incurred on World Book Fair	108—109

अता० प्र० संख्या
U. S. Q .Nos.

3756. विश्व पुस्तक मेले में प्रदर्शित की गई पुस्तकें	Books displayed at World Book Fair	109
3757. आन्ध्र प्रदेश में पीने के पानी की कमी के बारे में चर्चा	Discussion regarding scarcity of Drinking Water in Andhra Pradesh ..	109—110
3758. नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों पर अवैध अधिकार	Illegal Occupation of Government Quarters in New Delhi	110—111
3759. पटना में केन्द्रीय स्कूल खोलना	Opening of Central School at Patna	111
3760. अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्वस्थता दल के कर्मचारियों से अभ्यावेदन	Representation from All India National Fitness Corps Employees ..	111—112
3761. ट्रैक्टरों का आयात और उनका वितरण	Import and distribution of Tractors	112—113
3762. विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली, में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत आने वाले रोगियों की जांच के लिये पृथक व्यवस्था	Separate Arrangement for Examination of CGHS Patients at Willingdon Hospital, New Delhi ..	113—114
3763. ग्रामीण रोजगार के द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल में रोजगार उपलब्ध कराया जाना	Persons provided with Employment under Crash Programme for Rural Employment in Kerala ..	114
3764. केरल में पत्तनों के विकास के लिये वित्तीय सहायता	Financial Assistance for Development of Ports in Kerala ..	114
3765. राष्ट्रीय स्वास्थता दल के पदों को स्थायी बनाना	Conversion of Posts of National Fitness Corps Organisation into Permanent ones	114—115
3766. उड़ीसा में निम्न एवं मध्यम आय वर्ग आवास योजना के लिये राशियों का आवंटन	Allocation of Funds for Low and Middle Income Groups Housing Scheme in Orissa ..	115
3767. राजस्थान में प्रारम्भ किये गये समाज कल्याण कार्यक्रम	Social Welfare Programme Undertaken in Rajasthan ..	115—116
3768. लखनऊ विश्वविद्यालय में शैक्षिक पद	Academic Posts at Lucknow University ..	116
3769. दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर के दिन के तथा सांयकालीन शिक्षण का एकीकरण	Integration of Morning and Evening Post Graduate Teaching in Delhi University	116—117
3770. नई दिल्ली के सरकारी क्वार्टरों में बिजली के फिटिंग एवं पंखों की व्यवस्था	Provision of Electric Fittings and Fans in Government Quarters in New Delhi ..	117—118

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

3771. सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की भारतीय परिषद् की छात्र-वृत्तियां	Indian Council of Social Science Research Fellowships ..	118—119
3772. सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान की भारतीय परिषद् की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों की समस्याओं सम्बन्धी स्थायी समितियां	Standing Committees of Indian Council of Social Science Research on problem of Scheduled Castes and Scheduled Tribes..	119—121
3773. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की समस्याओं सम्बन्धी अनुसन्धान कार्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को सम्बद्ध करना	Association of S. C. and S. T. persons on Research into problem of S. C. and S. T.	121
3774. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्या सम्बन्धी अनुसन्धान कार्यक्रम	Research Programme on Problems of S. C. and S. T. ..	121—123
3775. आर० के० पुरम, सैक्टर 4, नई दिल्ली में केन्द्रीय स्कूल का भवन	Central School building in Sector IV R. K. Puram, New Delhi ..	123—124
3776. दिल्ली दुग्ध योजना की कन्वेयर वैल्ट का खराब हो जाना और परिणामत: दूध की सप्लाई कमी	Break down in Conveyor Belt of DMS and Consequent reduction in Supply of Milk	124—125
3777. टी०डी०मेडिकल कालेज, अलैप्पी की एम०बी०बी०एस० की डिग्रियां	M. B. B. S. Degrees of T. D. Medical Colleges, Alleppey	125
दिनांक 1-4-71 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3580 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य	Correcting Statement to U. S. Q. No. 3580 dated 1-4-71	125—126
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	126—128
सदस्य द्वारा त्याग पत्र (श्री सिद्धार्थ शंकर राय)	Resignation of Member (Shri Sidharatha Shankar Ray)	128
सदस्य की गिरफ्तारी	Arrest of Member	128
(श्री भोगेन्द्र झा)	(Shri Bhogendra Jha)	128
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	128—129
40 वां और 42 वां प्रतिवेदन	Fortieth and Forty-second Reports	128—129
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	129

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
10 वां प्रतिवेदन	Tenth Report ..	129
अनुदानों की मांगें, 1972-73	Demands for Grants, 1972-73	129—164
गृह मंत्रालय	Ministry of Home Affairs	129—133
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	129—132
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	Ministry of Information and Broadcasting ..	133
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder ..	133—138
श्री रूद्र प्रताप सिंह	Shri Rudra Pratap Singh	139
श्री भान सिंह भौरा	Shri B. S. Bhaura ..	139—140
श्री जे० बी० पटनायक	Shri J. B. Patnaik ..	140—142
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	Dr. Laxmi Narain Pandeya	142—143
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी	Shri Priya Ranjan Das Munsi	143—144
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody	144—145
श्री सुबोध हंसदा	Shri Subodh Hansda	146
श्री सुरेन्द्र महन्ती	Shri Surendra Mohanty	146—148
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	148
श्री के०एस० चावड़ा	Shri K. S. Chavda ..	149—150
श्री अनन्तराव पाटिल	Shri Anantrao Patil	150—151
श्री धर्मवीर सिंह	Shri Dharam Bir Sinha	151—152
श्री था किरुतिनन	Shri Tha Kiruttinan ..	153—154
मुहम्मद जमीलुर्रहमान	Mohammad Jamilurrahman	154
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	154—155
श्री के. बासप्पा	Shri K. Basappa	155
श्री बेकारिया	Shri Vekaria	155—156
श्री सुधाकर पाण्डे	Shri Sudhakar Pandey	156
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga	156
डा० कैलाश	Dr. Kailas ..	156—157
श्रीमती नन्दिनी सत्पथी	Shrimati Nandni Satpathi ..	157—162
विदेश मंत्रालय	Ministry of External Affairs ..	162—163
श्री दशरथ देव	Shri Dasaratha Deb ..	163—164

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 24 अप्रैल, 1972/4 वैशाख, 1894 (शक)
Monday, April 1972 / Vaisakha 4, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKR *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों की सप्लाई के लिये रूस के साथ करार

+
*521. **श्री नवल किशोर शर्मा**
श्री राम कंवर × } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों की सप्लाई के लिये भारत सरकार और रूस के बीच कोई करार हुआ है और यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ।

(ख) इन जहाजों को खरीदने के लिये कुल कितनी विदेशी मुद्रा देनी पड़ेगी ; और

(ग) इन जहाजों से मछली पकड़ने से भारत को अनुमानतः कितनी विदेशी मुद्रा की आय होगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

Shri Nawal Kishore Sharma : Mr. Speaker, Sir, Although the Agriculture Minister has stated that no agreement has been signed with U.S.S.R in this regard, yet the question aries ....(*Interruption*)

Mr. Speaker : Please ask your question.

Shri Nawal Kishore Sharma : May I know the steps Government propose to take to reach the fishing targets of the five year plan and to remove the shortage of deep sea fishing vessels ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न स्पष्ट था कि क्या ऐसे जहाजों का आयात करने के लिये रूस के साथ कोई करार हुआ है और क्या इस उद्देश्य के लिये कोई विदेशी मुद्रा की कोई राशि स्वीकृत की गई है । मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि रूस के साथ ऐसा कोई करार नहीं हुआ है अतः विदेशी

मुद्रा का प्रश्न ही नहीं उठता । यदि आप दूसरा प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उसके लिये अलग से नोटिस दें ।

श्री नवलकिशोर शर्मा : प्रश्न विदेशी मुद्रा से इसलिये सम्बन्धित है कि गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों के अभाव में विदेशी मुद्रा नहीं कमाई जा सकती । इस सम्बन्ध में कृषि मंत्रालय क्या कर रहा है ? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : आपने इन जहाजों की खरीद के लिये विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में प्रश्न किया है । जब जहाज खरीदे ही नहीं जाने हैं तो विदेशी मुद्रा का प्रश्न कहां पैदा होता है ।

श्री नवल किशोर शर्मा : प्रश्न का भाग (ग) विदेशी मुद्रा कमाने के सम्बन्ध में है । जहाजों का आयात करना भी इसी प्रश्न के अन्तर्गत आ जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता ।

उर्वरक की खपत की विकास दर में गिरावट

*522. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 20 मार्च, 1972 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि उर्वरक की खपत की विकास दर जो वर्ष 1967-68 में 40 प्रतिशत थी वर्ष 1970-71 में घट कर 8 प्रतिशत रह गई ;

(ख) क्या इस बीच सामान्य फास्फोरस उर्वरक की खपत भी बढ़ गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) । एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

राज्यों से प्राप्त जानकारी के आधार पर गत पांच वर्षों की अवधि में उर्वरकों की खपत निम्न प्रकार है :–

(लाख मीटरी टन)

वर्ष	एन०	पी०	के०	एन० पी० के०	गत वर्षों की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
1967–68	10.35	3.35	1.70	15.40	40
1968–69	12.08	3.82	1.70	17.60	14
1969–70	13.56	4.16	2.10	19.82	13
1970–71	14.79	5.41	2.36	22.56	14
1971–72	18.12	5.90	3.49	27.51	22

उपरोक्त से स्पष्ट है कि गत वर्षों की तुलना में वर्ष 1970-71 में उर्वरकों की खपत में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है न कि 8 प्रतिशत की। वर्ष 1970-71 की अवधि में फौस्फेटिक उर्वरकों की खपत 5.41 लाख मीटरी टन तक बढ़ गई, जो कि वर्ष 1967-68 की तुलना 3.35 लाख मीटरी टन थी। इस प्रकार इन तीन वर्षों की अवधि में 61 प्रतिशत की वृद्धि हुई। फिर भी अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिये फोस्फेटिक उर्वरकों के उपयोग को और अधिक बढ़ाने की पर्याप्त संभावनायें हैं।

विभिन्न प्रकार के फोस्फेटिक उर्वरकों में सिंगल सुपरफास्फेट ही केवल ऐसा उर्वरक है जिसका प्रयोग इन वर्षों में 7 लाख मीटरी टन के आस-पास रहा। इसका कारण अन्य सस्ते फोस्फेटिक उर्वरकों की उपलब्धि में वृद्धि है।

विकास की गति में भी निम्न कारणों से शिथिलता आ गई है:—

(i) वर्ष 1967-68 की अवधि में उर्वरकों की खपत गत वर्ष की अपेक्षा 4.49 लाख मीटरी टन पोषक तत्व बढ़ गई, जबकि 1970-71 में उससे पिछले वर्ष की तुलना में 2.74 लाख मीटरी टन पोषक तत्वों की वृद्धि हुई थी। वर्ष 1969-70 में खपत का आधार क्योंकि वर्ष 1966-67 के आधार की अपेक्षा लगभग दुगुना था, अत: परिणाम प्रतिशत पूर्णत: प्रतिनिधि नहीं है।

(ii) वर्ष 1960 तथा 1969 की दशाब्दी के मध्य गेहूं की अधिक उत्पादनशील किस्मों से प्राप्त सफलताओं के फलस्वरूप उर्वरकों के प्रयोग में अत्यधिक वृद्धि हुई। धान के क्षेत्र में प्राप्त की गई सफलतायें गेहूं के क्षेत्र में प्राप्त सफलताओं के समान उल्लेखनीय न थी और इससे उर्वरकों के प्रयोग पर पड़ने वाला प्रभाव गेहूं के प्रभाव के समान नाटकीय न था।

(iii) कुछ राज्यों की वितरण प्रणाली में कमियां।

(iv) मध्य प्रदेश, असम, जम्मू तथा कश्मीर और अन्य पर्वतीय राज्यों के दुर्गम तथा पर्वतीय भागों में उर्वरकों के परिवहन में आने वाली कठिनाइयां।

(v) कुछ राज्यों में दुर्बल सहकारिता व्यवस्था।

(vi) समय पर समुचित ऋण की उपलब्धि में कमी।

(viii) विस्तार प्रयत्नों में कमियां।

उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा उठाये गये कदम निम्न प्रकार हैं:—

(i) देश के विभिन्न क्षेत्रों के उपयुक्त धान की अधिक उत्पादनशील उर्वरक प्रभावी नई किस्मों के बीजों के विकास के लिये अनुसंधान कार्य जारी है। हाल ही में ऐसी नौ किस्में निर्मुक्त की गई हैं, जिससे ऐसा लगता है कि हम चावल प्राविधिकी में भी सफलता के कगार पर खड़े हैं। ऐसी आशा है कि इस सफलता के फलस्वरूप चावल उत्पादन तथा चावल उत्पादन क्षेत्रों में उर्वरकों की खपत में भी वृद्धि हो जायेगी।

(ii) उर्वरकों के वितरण के लिये लाइसेंसिंग प्रणाली को उदार बना दिया गया, जिससे खुदरा विक्रय केन्द्रों की संख्या बढ़े और आन्तरिक क्षेत्रों में, जहां कि उर्वरकों का

उपयोग अभी तक पर्याप्त स्तर तक नहीं पहुंच पाया है, कृषकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। राज्य सरकारों से डिपुओं के स्थानों के विषय में विचार करने के लिये तथा उन स्थानों पर जहां कि अभी खुदरा विक्रय केन्द्र नहीं है, खुदरा डिपुओं की स्थापना के उद्देश्य से कदम उठाने के लिये कहा गया है। केन्द्रीय उर्वरक पूल कुछ राज्यों जहां कि वितरण व्यवस्था पूर्णत: ठीक नहीं है उर्वरकों के सुरक्षित भण्डार का संचालन कर रहा है।

(iii) सरकार दुर्गम क्षेत्रों के महत्वपूर्ण केन्द्रों तक जो रेल द्वारा सम्बन्धित नहीं है, सड़क द्वारा उर्वरकों के परिवहन के लिये सहायता देने की व्यवस्था पर विचार कर रही है।

(iv) सरकार ने उत्पादन तथा वितरण ऋण की उपलब्धि बढ़ाने के लिये भी कदम उठाये हैं। राज्य सरकारों को पूल से लिये जाने वाले उर्वरकों के मूल्य के $\frac{1}{6}$ तक अल्पावधि ऋण प्रदान किये जाते हैं। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषकों तथा उर्वरक व्यापारियों को दिये जाने वाले ऋणों के जोखिम की सुरक्षा के लिये एक ऋण गारंटी निगम की भी स्थापना की गई है, जिससे बैंक उन्हें अधिक उदारता पूर्वक ऋण देने के लिये प्रोत्साहित हों।

(v) बहुत से जिलों में राष्ट्रीय प्रदर्शन आयोजित किये जा रहे हैं और उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये सभी क्षेत्रों में कृषकों को प्रशिक्षित करने के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तीव्र किया जा रहा है।

(vi) भारत सरकार ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के शेष दो वर्षों में 70 चुनींदा जिलों में उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक तथा सक्रिय दस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिये मंत्रालय में एक उर्वरक संवर्धन कक्ष स्थापित किया है।

(vii) मृदा परीक्षण कार्यक्रम को सुदृढ़ किया जा रहा है। राज्यों को चल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की आपूर्ति की जा रही है।

श्री अर्जुन सेठी : क्या चौथी योजना के प्रथम तीन वर्षों में नाइट्रोजन फास्फेट तथा पटाश उर्वरकों के उपयोग में बढ़ती हुई असमानता पाई गई है, यदि हां, तो इन उर्वरकों के उचित अनुपात में उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है जिससे हम पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ?

श्री अण्णासाहेब पी०. शिन्दे : यह सच है कि हमारे देश में उर्वरकों की खपत तथा मांग के बीच के अनुपात में कुछ असमानता है। अत: हम सर्वप्रथम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के माध्यम से तथा स्वतन्त्र रूप से और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं तथा राज्य सरकारों के माध्यम से सारे देश में बड़ी संख्या में प्रदर्शन करा रहे हैं। हमारा दूसरा आधार मिट्टी का विश्लेषण है और उसके पश्चात् किसान आते हैं। ये सभी कार्य किये जा रहे हैं। अब उपयोग में वृद्धि हो गयी है और इस वर्ष, हमारा अनुभव है, देश में जगह-जगह पर विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की मांग है, और यह एक प्रोत्साहन का विषय है।

श्री अर्जुन सेठी : क्या नाइट्रोजन आदि के उपयोग में असमानता के साथ-साथ जस्ता, बैरिल

मैंगनीज, तांबा तथा गंधक आदि अणुपोष तत्वों की कमी, विशेषतया गेहूं तथा धान की उत्पादन-शील किस्में उगाई जाती हैं, पाई गई हैं, यदि हाँ, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : हाल ही में यह भी पता चला है कि दो फसली घनी खेती, बहुफसली खेती तथा भूमि के अधिक उपयोग के परिणाम स्वरूप अणुपोष तत्वों की, विशेषकर जस्ते की, कमी हो जाती है । अतः मिट्टी के विश्लेषण से इन कमियों का पता चल जाता है । हमने राज्य सरकारों को परामर्श दिया है कि जिन स्थानों पर घनी खेती की जाती है वहाँ के किसानों को एन० पी० के जैसे सामान्य उर्वरकों के उपयोग के अतिरिक्त विभिन्न अणुपोष तत्वों के उपयोग की शिक्षा दी जानी चाहिये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सर्वप्रथम मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि हमारे यहाँ प्रति किसान उर्वरकों का उपयोग विश्व के देशों की तुलना में सबसे कम है, दूसरे, क्या यह सच नहीं है कि एक ओर तो उर्वरक संयंत्रों को 33 प्रतिशत से भी अधिक कम क्षमता का उपयोग किया जाता है और दूसरी ओर बहुत से उर्वरकों की, विशेषकर बहुत से क्षेत्रों में यूरिया की अत्यन्त कमी है ।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : पता नहीं माननीय सदस्य क्या पूछना चाहते हैं । उन्होंने मूल विषय को छोड़ दिया है । उत्पादन के सम्बन्ध में उन्हें पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय से प्रश्न पूछना चाहिये । मैं आपके प्रश्न के अन्तिम भाग का उत्तर दे सकता हूँ । जहाँ तक उर्वरकों की कमी का सम्बन्ध है, स्वदेशी उत्पादन के उपरान्त जो कमी रह जाती है उसे आयात द्वारा पूरा करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा प्रश्न यह है विश्व की तुलना में हमारे यहाँ उर्वरकों का प्रश्न प्रति किसान उपयोग कितना है । हमारे यहाँ का उपयोग सबसे कम है । इसका उत्तर नहीं दिया गया है आप इसका उत्तर दें ।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : यदि आप उर्वरकों के उपयोग के विषय में पूछ रहे हैं, तो प्रति किसान नहीं, प्रति एकड़ अथवा प्रति हैक्टेयर उर्वरकों के उपयोग के विषय में पूछिये । यह ठीक है कि बहुत से विकसित देशों की तुलना में हमारे यहाँ उर्वरकों का प्रति एकड़ उपयोग कम है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रति किसान का तात्पर्य उर्वरक खाने से है ।

Shri Arvind Netam : May I know whether the fertilizers are being used in the manufacture of country liquor as is done in the Bastar district of Madhya Pradesh and if so, the action being taken by the Government in this regard ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : मेरे ध्यान में ऐसी बात नहीं है, कम से कम एन० पी० के० के सम्बन्ध में ऐसी बात नहीं है । परन्तु यदि कोई विशिष्ट बात सरकार के ध्यान में लायी जाती है तो आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

श्री डी० के० पंडा : क्या यह सच है कि उर्वरकों की भारी मांग अथवा बढ़ती हुई मांग

होते हुये भी अधिक मूल्यों के कारण तथा उड़ीसा और देश के अन्य भागों के पैरी एण्ड कम्पनी जैसे एकाधिकारवादियों के हाथों में वितरण सौंपने के कारण उर्वरकों की कमी है और इसीलिये किसान इनका उपयोग नहीं कर पाते हैं और इसी कारण उत्पादन दर कम हो गई है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : यह कहना ठीक नहीं है कि उर्वरकों के उपयोग में कमी हुई है । वास्तव में ऐसा रहा है कि हम उर्वरकों की खपत में प्रतिवर्ष 25 से 26 प्रतिशत वृद्धि करने का विचार करते हैं । उदाहरणार्थ, इस वर्ष खपत में 22 प्रतिशत वृद्धि हुई है । जब हम यह कहते हैं कि खपत में वृद्धि नहीं हुयी है तो हमारा तात्पर्य यह होता है कि निर्धारित खपत दर में कमी हुई । क्योंकि माननीय सदस्य के राज्य जैसे कुछ राज्यों में उर्वरकों की खपत दर में वृद्धि नहीं हुई है । इसका कारण यह है कि वहाँ विस्तार सेवाओं तथा खाद बीज आदि अन्य वस्तुओं का उपयोग नहीं किया जा रहा है । हमने इस समस्या की ओर राज्य सरकार का ध्यान दिलाया है । वितरण पद्धति पूर्णतया गैर-सरकारी क्षेत्र के हाथ में नहीं है, उर्वरकों को एकत्र करने का कार्य राज्य सरकारों को दिया जाता है और राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाता है कि वे सहकारी समितियों को प्राथमिकता दें । अत: चाहे उर्वरकों का उत्पाद गैर-सरकारी क्षेत्र के उर्वरक उपक्रमों में हो अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में, उनके बेचे जाने का एक निश्चित कार्यक्रम है । हमारे देश में 60 प्रतिशत उर्वरक सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित किये जाते हैं ।

श्री डी० के० पंडा : पैरी एन्ड कम्पनी के द्वारा ही क्यों, सहकारी समितियों द्वारा उत्पादन क्यों नहीं होना चाहिये ?

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यक्रम देने के लिये एक सुझाव है ।

श्री सुबोध हंसदा : गत कुछ वर्षों से सुपर फास्फेट की खपत 7 लाख टन पर ही स्थित है और सस्ते उर्वरक उपलब्ध हो जाना इसका कारण बताया जाता है । सुपर फास्फेट एक उत्तम प्रकार का उर्वरक है । सरकार ने उर्वरकों के मूल्य कम करने के लिये कौन से कदम उठाये हैं ।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य की सूचना ठीक है । सुपर फास्फेट की खपत में वृद्धि नहीं हो रही है । परिस्थिति में विरोधाभास है । डाई एमोनियम फास्फेट की माँग बहुत अधिक है, यह मिश्रित प्रकार का फास्फेट है । परन्तु देश में सुपर फास्फेट क्षमता अप्रयुक्त रह जाती है । अच्छे किस्म के उर्वरकों का उपयोग सामान्य बनता जा रहा है । साथ-साथ हम अपनी क्षमता को अप्रयुक्त रहने देना भी नहीं चाहते । क्षमता में वृद्धि करने के सम्बन्ध में अध्ययन कार्य किया जा रहा है ।

हमारा सामान्य मूल्यांकन यह है कि यद्यपि मूल्य अधिक है तो भी खपत में वृद्धि हो रही है और मूल्य वृद्धि का उर्वरकों की वास्तविक खपत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है ।

श्री चिंतामणिपाणिग्रही : प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में मंत्री महोदय ने उर्वरकों की खपत वृद्धि की धीमी गति को स्वीकार किया है । वर्ष 1970-71 में फिर से यह वृद्धि कम हुई है । खपत में वृद्धि करने के लिये सरकार कौन से प्रयत्न कर रही है ।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : यदि माननीय सदस्य विवरण को ध्यान से पढ़ें तो जहाँ तक फास्फेट का सम्बन्ध है यह प्रकार में उपलब्ध है । पहला है सरकार के सुपर फास्फेट कारखाने

में बनाया जाने वाला सिंगल सुपर फास्फेट । ट्राम्बे जैसे बड़े संयंत्रों में हम डाई-एमोनियम फास्फेट बनाते है, जो बहुत अधिक मिश्रित प्रकार का है । किसानों में यह उर्वरक बहुत प्रसिद्ध हो गया है इसलिये फास्फेट की कुल बिक्री में वृद्धि नहीं हो रही है ।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि मंत्री महोदय अपने उत्तर को ध्यान से देखें । मैंने इसे ध्यान से पढ़ा है । उत्तर खपत वृद्धि की दर में वृद्धि के सम्बन्ध में है जो वृद्धि विवरण, में बताये गये कारणों से कम हुई है । वर्ष 1967-68 में उर्वरकों, की खपत में पहले वर्ष की तुलना में 4.49 लाख टन पोषक पदार्थों की वृद्धि हुई जबकि वर्ष 1970-71 में पहले वर्ष की अपेक्षा 2.74 लाख टन पोषक पदार्थों की खपत की वृद्धि हुई अतः खपत वृद्धि की दर निश्चय रूप से कम हुई है ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री ने बताया है कि अच्छे उर्वरकों के उपयोग के कारण ऐसा हुआ है ।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य विवरण को ध्यान से पढ़ें । अन्तिम वाक्य इसी सम्बन्ध में है ।

अध्यक्ष महोदय : सदन का समय व्यतीत करने के बजाय मैं दोनों से ही विवरण को घर पर पढ़ने का अनुरोध करता हूँ (**व्यवधान**) अगला प्रश्न ।

दिल्ली में संसद सदस्यों को प्लाटों का आवंटन

* 524. **श्री कार्तिक उरांव :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद सदस्यों को कुछ आवासीय प्लाटों का आवेदन किया जाना था और इनमें से 5 प्रतिशत प्लाट अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिये अलग रखने का विचार था ।

(ख) यदि हां, तो इनमें से कितने प्लाट अनुसूचित जातियों के संसद सदस्यों तथा कितने अनुसूचित जनजातियों के संसद सदस्यों को आवंटित किये गये हैं ; और—

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) निम्न तथा मध्यम आय वर्गों के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित रिहायशी प्लाटों का 5 प्रतिशत संसद तथा महानगर परिषद् के वर्तमान सदस्यों, दिल्ली नगर निगम के पार्षदों तथा केन्टोनमेन्ट बोर्ड और नई दिल्ली नगर पालिका के गैर-सरकारी सदस्यों के लिये आरक्षित रखे जाते हैं । यह आरक्षण इस बात का ध्यान किए बिना किया गया है इन वर्गों में आने वाले व्यक्ति अनुसूचित जातियों / जनजातियों के हैं अथवा नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री कार्तिक उरांव : क्या यह सच है कि संसद सदस्यों को कुछ प्लाट आवंटित किये गये है और यदि हां, तो क्या किसी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य को भी कोई प्लाट आवंटित किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : आपके इस प्रश्न का उत्तर मंत्री ने दे दिया है ।

श्री कार्तिक उरांव : संसद सदस्यों को प्लाट आवंटित किये गये हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि किन-किन सदस्यों को प्लाट दिये गये हैं और क्या इस सूची में किसी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य का भी नाम है ।

श्री आई० के० गुजराल : हमें दोनों सदनों के कुल 116 संसद सदस्यों से आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं जिसमें से अभी तक उन सदस्यों को प्लाट आवंटित किये गये हैं अन्य सदस्यों को प्लाट विकसित हो जाने पर निर्धारित प्रतिशतता के अन्दर प्लाट आवंटित किये जायेंगे । मैं अपने माननीय मित्र को यह बताना चाहता हूं कि यद्यपि संसद सदस्य के रूप में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों तथा अन्य सदस्यों के बीच कोई भेद भाव नहीं है । दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्लाटों तथा मकानों के सामान्य आवंटन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये 15 प्रतिशत आरक्षण रखा जाता है ।

श्री प्रियरंजनदास मुंशी : संसद सदस्यों के वर्तमान विशेषाधिकारों को ध्यान में रखते हुये क्या संसद सदस्यों के लिये प्लाटों के आरक्षण का विचार अनिश्चत काल तक के लिये पूर्णतया छोड़ दिया जायगा ।

श्री आई० के० गुजराल : दूसरा निर्णय मैं नहीं कर सकता ।

Shri Hukam Chand Kachwai: Members of Parliament are elected from different states and for some reasons they are not returned the next time. May I know whether the Government have formulated a policy under which Members, residing in other states, and desirous of having their permanent houses here with a view to earning profit to which they are not entitled, are precluded from doing so. Members of Parliament, who reside here, are residing in Government accomodations allotted to them instead of in their own constructed houses which they let out?

श्री आई० के० गुजराल : सदन में विशेषकर पिछली संसद में सदस्यों को और अधिक प्लाट देने के लिये सम्बन्ध में कुछ उत्सुकता दिखाई गई थी और मंत्रिमण्डल ने एक योजना स्वीकृत की थी कि निम्न और मध्यम आय वर्ग में प्लाट के आवंटन के लिए आवेदन पत्र देने वाले संसद सदस्यों को 25 से 200 वर्ग के प्लाट दिये जायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न यह था कि भूमि और निर्मित मकान पा लेने पर क्या सरकार इस ओर ध्यान देगी कि वे किराए पर न दिये जायें ।

श्री आई० के० गुजराल : जहां तक इन प्लाटों का प्रश्न है किसी भी सदस्य ने मकान नहीं बनवाया है ।

Shri Nawal Kishore Sharma : May I know whether they received the application from Tara Housing society for the plots allotted to the members, if so, the action being taken on that?

श्री आई० के० गुजराल : तारा सहकारी समिति इससे प्रथक है । इस समिति को सामूहिक आवास योजना के लिए कालकाजी के पास 5 एकड़ भूमि दी गई है ।

Shri Shiv Chandika : May I know whether three or four years back Housing Ministry had issued a circular to the effect that M.Ps. who wanted to construct houses in Delhi might apply for the allotment of plots? Many Members had applied. It was also stated that those who

wanted to become members of Tara Co-operative House Building society should deposit Rs. 500. In pursuance of that many Members of Parliament deposited Rs. 500 and even Rs. 1000. For 4 years they have been told that they will get plots in Malviya Nagar or in Geater Kailash or some where else. But even today it is not known when and where the plots will be allotted. The second point is whether these Members of Parliament will get the plots at the rates prevailing 4 years back when they had actually applied for, or at the present increased rates ?

Shri I. K. Gujral : Tara co-operative society will get plots near Kalkaji. An area of five acres has been earmarked in Malviya Nagar extension. The Members will be changed the fixed price. There is a big differenee in the fixed and market price, and when they will be allotted they will be greatly benefitted.

Shri S. M. Banerjee : As has been informed just now that nobody has constructed houses on the plots, may I know whether some Ministers and ex-Ministers who are at present Members of Parliament, have got their houses constructed in different localities ?....

Shri B. P. Maurya : I. C. S. officers also.

Shri S. M. Banerjee : They have let them out on a rent of two or two and a half thousand rupees per month while they themselves are residing in Government accommodation. May I know whether an enquiry will be conducted in respect of these Ministers, ex-Ministers and Members of Parliament who have constructed houses and are living in Government accommodation and whether they will be asked to vacate them and live in their owa houses ? After the enquiring is conducted, will the information regarding such M. Ps. will be given ?

श्री आई० के० गुजराल : सरकार ने किसी भी मंत्री अथवा भूतपूर्व मंत्री को कोई प्लाट नहीं दिया है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : उन्होंने ये मकान अपने प्लाटों पर बनाए हैं ।

श्री आई० के० गुजराल : कुछ ऐसे मंत्री हो सकते हैं जिनके मकान दिल्ली अथवा बाहर किसी अन्य जगह हो सकते हैं । स्वभावत: जिनके मकान दिल्ली में हैं उनके सम्बन्ध में कोई अलग नीति नहीं अपनाई जा सकती । यह अपराध नहीं है । मकान बनवाने की हमारी आम नीति है । सामान्यतया मकान जीवन बीमा निगम अथवा किसी अन्य जगह से ऋण लेकर बनाए जाते हैं । जब कोई सरकारी कर्मचारी अथवा मंत्री—इस सम्बन्ध में मेरे पास विस्तृत जानकारी नहीं है—ऋण लेकर मकान बनाता है तो ऋण वापिस करने के समय उसके सन्मुख कठिनाई अवश्य आयेगी यदि हम उससे सरकारी मकान खाली करने को कहते हैं । एक मंत्री की इस संसद द्वारा पास किए गये विधान के आधार पर दिया जाता है, कि एक मंत्री बिना किराए के सज्जित मकान का अधिकारी है । यह उसके मंत्री पद पर रहने तक दिया जाता है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मकानों की कमी है । संसद सदस्यों को बारी की प्रतिक्षा करनी पड़ती है । हजारों श्रेणी 3 और 4 के लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं । Those who have constructed then houses have been given accommodation, not for lefting out to Embassies but to reside. That must not be made a source of income.

अध्यक्ष महोदय : वे इसका उत्तर पहले ही दे चुके हैं ।

Shri B. P. Maurya : May I know whether the hon. Minister is aware of the fact that

Members of Parliament have been allotted plots only in group housing scheme and no where else and that many retired Government employees of the rank of Secretary and Deputy Secretary have got allotted plots measuring one thousand or one and a half thousand square yards and after constructing building on them by taking loan from L. I. C. have given home let them out on a monthly rent of Rs. 3 to 4 thousand and if so, the steps Government propose to take in this regard ?

श्री आई० के० गुजराल : वे ऐसा कहने लगते हैं जैसे मकान बनाना कोई अपराध है ।

श्री बी० पी० मौर्य : मेरा प्रश्न यह नहीं था । कृपया उसका उत्तर दें ।

श्री आई० के० गुजराल : सरकार की ओर से किसी सरकारी अधिकारी को प्लाट नहीं दिये गये । कुछ सहकारी समितियों की मार्फत उन्होंने प्लाट लिये हैं । ये समितियाँ नियमाधीन बनी है और भूमि अर्जन अधिनियम के बहुत पहले गठित की गई थी । जब सरकार ने दिल्ली में 70,000 एकड़ भूमि का अर्जन करने का निश्चय किया तब तक ये समितियाँ विद्यमान हो चुकी थीं और उन्होंने निजी किसानों से जमीन खरीद ली थी । सरकार ने केवल इतना किया कि उसने उनकी भूमि को अर्जित कर लिया और उसे फ्री होल्ड के बजाय पट्टे पर दिया। जिन्होंने पहले ही जमीन खरीद ली थी वे घाटे में रहे । सरकारी कर्मचारियों को ही नहीं वरन् अन्य कई सहकारी समितियाँ इस श्रेणी में आती हैं । उनमें से कुछ ने मकान बना लिए हैं । मन्त्रालय साधारणत: मकान बनाने को प्रोत्साहन देने के पक्ष में हैं । और क्योंकि हम यह चाहते हैं कि अधिक मकान बनें हमने मकान बनाने अथवा खरीदने के लिए सरकारी कर्मचारियों को ऋण देने के लिए प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है ।

अब रही यह बात कि जिन लोगों ने मकान बना रखे हैं वे अब भी सरकारी मकानों में रह रहे हैं । कुछ समय पहले सरकार ने यह निर्णय किया था कि जिन लोगों ने अपने मकान बना लिए हैं वे सरकारी मकान खाली कर दें । कुछ समय बाद इस निर्णय को समाप्त कर दिया गया । इसका कारण यह था कि ऋण को अदा करने में उन्होंने स्वयं को असमर्थ पाया । दूसरे इस नियम का प्रभाव केवल 300-400 व्यक्तियों पर ही पड़ा । अर्थात इससे कोई बहुत बड़ी संख्या में मकान खाली नहीं होते ।

घासपात हटाने के लिए "रोटरी" किस्म के "रैंक" का विकास

*552. **श्री राजदेव सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मत्स्य पालन प्रौद्योगिकी संस्थान ने "रोटरी" किस्म का एक "रैंक" बनाया है जो जलमग्न घासपास को हटा सकेगा और अन्तर्देशीय जल की मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त बना सकेगा ।

(ख) यदि हां, तो क्या इस "रैंक" द्वारा अब बंजर पड़े हजारों हैक्टेयर अन्तर्देशीय जल क्षेत्र को साफ किया जा सकेगा ; और

(ग) यदि हां, तो "रैंक" का वाणिज्यिक उपयोग प्रारम्भ करने में कितना समय लगेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां । केन्द्रीय

मत्स्य पालन प्रौद्योगिकी संस्थान ने रोटरी किस्म की एक डिवीडिंग मशीन बनाई है और इस समय इसका परीक्षण किया जा रहा है ।

(ख) जी हां । जब परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे हो जायेंगे ।

(ग) ये परीक्षण वर्ष 1972 के अन्त तक पूरे हो जाने की आशा है ।

श्री राजदेव सिंह : परीक्षणों के पूरा होने पर क्या सरकार को यह आशा है कि अन्तर्देशीय जल क्षेत्र में मत्स्य पालन सफलतापूर्वक हो सकेगी ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : परीक्षणों के आधार पर हम समझते हैं कि इसे लोक प्रिय बनाया जा सकेगा ।

श्री विश्व नारायण शास्त्री : ये परीक्षण किन क्षेत्रों में किए गये थे ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : यह 'रैंक' कोचीन संस्थान में बनाया गया था । अतः इसका परीक्षण वहीं आस-पास के क्षेत्रों में किया गया था ।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों की मांग और उनका आयात

*526. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना की अवधि में गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए कुल कितनी मछुआ नावों की आवश्यकता होगी ;

(ख) इस समय काम में लाई जा रही मछुआ नावों की संख्या कितनी है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार विदेशों से गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने वाले जहाजों का आयात करने का है ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) चतुर्थ योजना अवधि में तट से दूर और गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिये 500 जलयानों के आरम्भ करने की व्यवस्था की जानी है ।

(ख) तट से दूर और गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिये अब 58 जलयान काम में लाये जा रहे हैं ।

(ग) उद्योग द्वारा चालू योजना के दौरान मछलियां पकड़ने के लिये 30 जलयानों को आयात करने के लिये कार्यवाही की जा रही है । यदि देशीय संसाधनों से मांग पूरी नहीं हो सकती तो उस सीमा तक अतिरिक्त जलयानों के आयात करने का सुझाव दिया गया है ।

श्री डी० के० पंडा : विवरण के अनुसार 300 जलयानों को काम पर लगाया जाना है जिनमें 58 लगाए जा चुके हैं । 242 में से 30 का आयात किया जायेगा। शेष 212 को क्या देने में बनाये जाने की योजना है और यदि हां, तो यह सरकारी क्षेत्र में बनाए जायेंगे अथवा निजी क्षेत्र में ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : देश में उत्पादन करने को प्रथम प्राथमिकता दी जायेगी । वास्तव में उत्पादन सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में हो रहा है । दो उद्योग समूह हैं जिनमें से

एक पूर्व में और दूसरा पश्चिम में है। पश्चिम में यह मुख्यत: सरकारी क्षेत्र में है तथा पूर्व में एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, अर्थात् गार्डनरीच वर्कशाप जिसने इस कार्य को हाथ में लिया है। दूसरे हमें आशा है कि ज्यों-ज्यों हम सुधार करते हैं मांग बढ़ेगी। आयात के सम्बन्ध में पहली प्राथमिकता सोवियत संघ को दी जायेगी क्योंकि उन्हें गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और 3 ट्रालरों के निर्माण का अत्यधिक अनुभव है। उन्हें हमें रुपयों में भुगतान करना है और इस प्रकार विदेशी मुद्रा की बचत होगी। यदि बाद में ऐसा लगा कि रूस पर्याप्त संख्या में सप्लाई न कर सकेगा तो अन्य किसी देश से आयात सकते हैं।

श्री डी० के० पंडा : उत्तर में बताया गया है कि चौथी योजना में 300 जलयानों को काम पर लगाया जायेगा। जबकि मैंने स्पष्ट पूछा था कि कितनी आवश्यकता है। क्या इसका कोई अनुमान लगाया गया है और क्या उसमें उड़ीसा की गोपालपुर स्थित मछुआ सहकारी समिति को सप्लाई किए जाने वाले जलयान भी शामिल हैं।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : हमारे मोटे अनुमान के अनुसार इस समय 150 ट्रालरों की आवश्यकता है। केरल मत्स्य पालन निगम, और राज्यों के निगमों तथा सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

Shri Ram Kumar : In his answer to Question No. 521 the hon. Minister denied this but the Chief Minister of Kerala Shri Achyut Menon in a statement on 3rd April stated that Government of India have discussed this and a comprehensive scheme has been formulated. Deep sea fishing with the help of Russia will start soon. What progress has been made in this respect ?

Mr. Speaker : Negotiations are still going on.

श्री नवल किशोर शर्मा : मेरे प्रश्न संख्या 521 के उत्तर में मन्त्री महोदय ने बताया था कि कोई समझौता नहीं हुआ। निश्चय ही कोई समझौता नहीं हुआ पर वे यह कह सकते थे कि बातचीत चल रही है। परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं कहा।

अध्यक्ष महोदय : वह एक स्पष्ट प्रश्न था और उन्होंने उसका उत्तर 'नहीं' में दिया। आप पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री नवल किशोर शर्मा : पर वे यह कह सकते थे कि अभी बातचीत चल रही है कोई समझौता नहीं हुआ है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : माननीय सदस्य सही कह रहे हैं। विवरण में यह बताया गया है कि 30 ट्रालरों का आयात किया जायेगा। क्या इसकी घोषणा सार्वजनिक रूप से की गई है और जनता से प्रार्थना पत्र मांगे गये हैं, यदि हां, तो कितने प्रार्थना पत्र आए, कितने लाइसेंस दिये गये और वे किन लोगों को दिये गये ?

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए कृपया अलग से नोटिस दें।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : सार्वजनिक घोषणा की गई थी। तदनुसार भारत सरकार ने 30 ट्रालरों को आयात करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

प्रथम घोषणा किये जाने के बाद सरकारी क्षेत्र के संगठनों सहित, विभिन्न पार्टियों ने, अपनी 150 जलयानों की अतिरिक्त मांग सूचित की है । इस समय ठीक संख्या स्पष्ट ज्ञात नहीं है ।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : कितने व्यक्तियों को लाइसेंस दिया गया है और वे व्यक्ति कौन-कौन से हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये अलग नोटिस देने की आवश्यकता है । मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूँ ।

श्री शंकरराव सामन्त : कुछ जलयान ऐसे हैं जो पहले से ही कार्य में लगे हुए हैं । मैं जानना चाहता हूँ कि वे जलयान किन-किन तटों पर कार्य में लगे हुए हैं और प्रत्येक तट पर उनकी संख्या क्या है ।

अध्यक्ष महोदय : इन जलयानों के प्राप्त करने के पश्चात् ही उनका पता तभी चल सकेगा ।

श्री शंकरराव सामन्त : वस्तुतः कुछ जलयान हैं जो कार्य कर रहे हैं । मैं जानना चाहता हूँ कि वे जलयान किन तटों पर कार्य कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न जलयानों की मांग के बारे में है, न कि पहले से कार्य कर रहे जलयानों के बारे में । इसके लिए आप अलग से एक नोटिस दीजिए कि जलयान कितने हैं और वे कहां पर कार्य कर रहे हैं ।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जब वे जहाजों का आयात नहीं कर सके हैं तो क्या केरल के मछुओं के लिए शीघ्र ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है जो कि गत तीन वर्षों से गम्भीर संकट का सामना कर रहे हैं ।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : इन जहाजों के आयात में कमी के कारण कोई कठिनाई नहीं हो रही है । कठिनाई इसलिये है क्योंकि गत दो वर्षों में नियतकालिक घटाव-चढ़ाव के कारण मछलियाँ पकड़ने में कुछ कमी हुई है और पर्याप्त मात्रा में मछलियाँ प्राप्त नहीं हो रही थीं । मछलियाँ कुछ कम पकड़ी गई हैं । मैंने भारत सरकार की नीति का स्पष्टीकरण कर दिया है कि भविष्य में हम मांग को किस तरह पूरा करने का विचार करते हैं ।

श्री शंकरराव सामन्त : श्रीमान, प्रश्न का भाग (ख) है : इस समय काम में लगे हुए जलयानों की संख्या क्या है । इसी सम्बन्ध में मैं पूछना चाहता हूँ कि काम में लगे हुए जलयानों की संख्या क्या है और वे जलयान किन तटों पर काम में लगे हुए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें सूचना एकत्र कर लेने दीजिये । वे जलयान अनेक स्थानों पर होंगे । उन्हें एक अलग से नोटिस दिया जाये । यह प्रश्न तो केवल जहाजों की मांग संख्या के बारे में है । (अन्तर्बाधा)

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी तट में,

कलकत्ता रायचौक मत्स्य बन्दरगाह के निकटवर्ती, सहित इस तरह के कितने जलयान काम में लगे हुये हैं और योजना अवधि में कितने जलयान लाने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या उनके पास यह सूचना है ? वे इसे बाद में परिचालित कर सकते हैं ।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : प्रत्येक बन्दरगाह की सूचना उपलब्ध नहीं है । **(अन्तर्बाधा)**

श्री ज्योतिर्मय बसु : 'प्रत्येक बन्दरगाह' के लिये मैंने नहीं कहा है । दो तट हैं—पूर्वी तट और पश्चिमी तट पूर्वी तट की बिल्कुल उपेक्षा की गई है । यही वजह है कि मैं यह सूचना जानना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : क्या उनके पास तट-वार सूचना उपलब्ध है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : जी, नहीं । **(अन्तर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

आवास और नगरीय विकास निगम द्वारा दिल्ली/नई दिल्ली की आवास योजनाओं के लिये धनराशि का आवंटन

* 527. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवास और नगरीय विकास निगम द्वारा दस राज्यों की आवास योजनाओं के लिये मंजूर किये गये 35 करोड़ रुपये के ऋण में से दिल्ली और नई दिल्ली के लिये अलग-अलग कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

(ख) क्या मंत्रालय स्तर पर बनाये जा रहे क्वार्टरों और रिहायशी मकानों का खर्चा इसी धनराशि में से किया जा रहा है या सीधे संसाधनों में से ; और

(ग) दिल्ली और नई दिल्ली के लिये निर्धारित की गई धनराशि में से सरकारी तथा गैर-सरकारी आवास योजनाओं के लिये कितनी-कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) 3 करोड़ रुपये । दिल्ली में समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिये 2,500 मकानों तथा निम्न आय वर्ग के लिये 1,000 मकानों के निर्माण के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण की ऋण स्वीकृत किया गया है ।

(ख) जी, नहीं । सामान्य पूल वास के निर्माण का खर्च भारत की समेकित निधि से पूरा किया जाता है ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ऋण का उपयोग लोगों को बेचे जाने वाले मकानों के निर्माण के लिये किया जायेगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लिये गये ऋण का उपयोग बेचे जाने वाले मकानों के निर्माण के लिये किया जायेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरह के मकानों का निर्माण किया जायेगा, उनका मूल्य क्या होगा और क्या भूमि का मूल्य भी उसमें शामिल होगा।

श्री आई० के० गुजराल : मैं स्पष्ट कर दूँ कि इस प्रश्न के उत्तर में मैंने 3 करोड़ रुपये की राशि का उल्लेख किया है जो आवास और नगरीय विकास निगम द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिया गया है। लेकिन चालू वर्ष के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण का 14 करोड़ रुपये का कुल निर्माण कार्यक्रम है। जहां तक आवास कार्यक्रम का सम्बन्ध है, इस योजना के अन्तर्गत जिनकी आय प्रति मास 252/ रुपये से कम है और जिनकी आय प्रति मास 250/ रुपये और 600/ रुपये के बीच है, हम उन लोगों के लिये गृह निर्माण कर रहे हैं। एलाटमेंट की सामान्य पद्धति है कि आवेदन-पत्र देते समय हम थोड़ी सी राशि की मांग करते हैं, जब मकान एलाट कर दिया जाता है तो एक तिहाई की और मांग करते हैं और लगभग 15 वर्षों में आसान किस्तों पर दो तिहाई की मांग करते हैं। बहुत ही कम आय वाले मकानों की सामान्य लागत लगभग 8,000/ रुपये है और कम आय वाले मकानों की लागत लगभग 20,000/रुपये है।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों के मकानों के निर्माण करने के लिये जीवन बीमा निगम ने और एक करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है और क्या गृह निर्माण कार्य को शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

श्री आई० के० गुजराल : वह एक अलग योजना है। पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों को कालकाजी के निकट प्लाटों को दिया गया था और इस राशि को सहकारी समितियों को दिया गया है। इस समय मेरे पास सही जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस बारे में मैं माननीय सदस्य को जानकारी दे दूंगा।

Shri Bibhuti Mishra : The Government have given money to D.D.A. There are numerous forms for obtaining loans. I would like to know the conditions for getting loans, and also whether directions are proposed to be issued to the D.D.A. to simply this forms. Members of Parliament have also got some plots. It is easy to get a plot but very difficult to fill the forms.

श्री आई० के० गुजराल : मेरे माननीय मित्र दो बातों को मिला रहे हैं। जहां तक गृह निर्माण के लिये ऋण का सम्बन्ध है, वह ऋण दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली दिया जाता है न कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा/भारत सरकार प्रति वर्ष दिल्ली प्रशासन को धन का आवंटन करती है जो मध्य आय और निम्न आय के मकानों के निर्माण के लिये ऋण के रूप में दिया जाता है। जहां तक फार्म भरने का सम्बन्ध है, मैं इससे परिचित नहीं था। क्योंकि मेरे माननीय मित्र ने इस ओर ध्यान दिलाया है, मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री आर० पी० उलगनम्बी : हमारे देश की राजधानी दिल्ली में आवास की समस्या एक ज्वलंत समस्या है। इसको ध्यान में रखते हुए, दिल्ली में 500 से 600 किलोमीटर की दूरी से आने वाले सरकारी कर्मचारियों को क्या सरकार का विचार प्राथमिकता देने अथवा कुछ प्रतिशतता सुरक्षित रखने का है ? क्योंकि दिल्ली में दूर से आने वाले लोगों को आवास प्राप्त करने में अत्यन्त कठिनाई होती है और उन्हें अधिक किराया देना पड़ता है।

श्री आई० के० गुजराल : मेरे माननीय मित्र इन दो योजनाओं को मिला रहे हैं । जहां तक सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है, उनके लिए सामान्य पूल आवास है जो अलग है और उसका दिल्ली विकास प्राधिकरण से कोई सम्बन्ध नहीं है । प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, जो दिल्ली में काम करता है, सामान्य पूल आवास से मकान प्राप्त करने का हकदार है बशर्ते मकान उपलब्ध हों । इस समय 43 प्रतिशत लोगों को मकान मिले हुए हैं । 100 लोगों में से 43 व्यक्तियों को सामान्य पूल आवास से सरकारी मकान उपलब्ध हैं । चालू योजना में दिल्ली और अन्यत्र स्थानों पर सामान्य पूल वास में गृह निर्माण करने के लिए हम 24 करोड़ रूपये की राशि खर्च कर रहे हैं ।

श्री टी० बालकृष्णैया : सभी आधुनिक नगरों और उप-नगरों में दिन प्रतिदिन आवास की समस्या गम्भीर होती जा रही है और इसको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार हमारे नगरों और उप-नगरों के ईर्द-गिर्द भूमि की बिक्री और खरीद पर रोक लगायेगी और क्या सरकार स्वयं ही भूमि को अर्जित करके मकानों का निर्माण करेगी और उन्हें उचित मूल्य पर बेचेगी ताकि निम्नतर और मध्य आय वर्ग के लोग मकान खरीदने की स्थिति में हो जाये ?

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही करने के लिये यह एक सुझाव है ।

श्री वसंतराव पुरुषोतम साठे : दिल्ली जैसे महानगर में आवास की कमी को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार सिविल लाइन्स क्षेत्र में निम्न आय वर्ग के रिहायशी उद्देश्यों के लिये भूमि का उपयोग करने का विचार करती है जहां कुछ बंगले कई एकड़ भूमि में बने हुए हैं ।

श्री आई० के० गुजराल : मैं अपने मित्र से सहमत हूँ कि नगर में बदले जा सकने वाले क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों में भूमि का अधिकतम प्रयोग किया जाना चाहिए और इसलिये यह आवश्यक है कि भूमि का सघन प्रयोग ही नहीं होना चाहिये अपितु भूमि को लेकर और इसका अर्जन करके सरकार द्वारा भूमि मूल्य का नियत्रंण भी होना चाहिये और तब इसे सामाजिक आधार पर देना.....**(अन्तर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न विशिष्ट था, क्या बंगलों की भूमि ग्रहण कर ली जायेगी ।

श्री आई० के० गुजराल : जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है, यदि मेरे माननीय मित्र बड़े बंगलों आदि का उल्लेख कर रहे है, तो इस सदन में हमने पहले ही घोषणा की हुई है और सरकार ने नीति सम्बन्धी निर्णय भी किया है कि वर्तमान स्थान के लिए जगह का अधिक सघनता से अधिक आवास बना कर किया जाना चाहिए । लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है । सौभाग्य से दिल्ली एक योजनाबद्ध नगर है । जहाँ तक घनत्व में परिवर्तन करने का सम्बन्ध है, तो उसके लिए योजना के अनुसार आवास निर्माण करने के बारे में एक नई योजना तैयार करने के लिए एक तकनीकी समिति पहले ही नियुक्त की गई है ।

Rising Prices of Pulses

*528. **Shri Ishwar Chaudhary :**
Dr. Karni Singh:

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that prices of pulsears are rising daily;

(b) if so, the major factors responsible therefor ; and

(c) the steps being taken by Government to check rise in prices of pulses and to bring them down ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) यद्यपि दालों के भाव पिछले वर्ष की अपेक्षा ऊंचे चल रहे हैं लेकिन फरवरी, 1972 के प्रारम्भ से भावों में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है ।

(ख) दालों के भावों में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति के लिए पैदावार में कमी होना अत्यधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदार कारण दिखायी देता है ।

(ग) भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध दालों के सीमित स्टाक को खुले बाज़ार में भेजने के अलावा, सरकार ने दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछेक दीर्घकालीन उपाय किए हैं जैसेकि दालों की अधिक उपज देने वाली और रोग मुक्त किस्में जारी करना, पैकेज विधियां अपनाना, बहुफसली कार्यक्रम में दालों की अल्प अवधि की फसलें उगाना, अरहर, मूंग, उड़द आदि की उन्नत किस्में जारी करना ।

Shri Ishwar Chauhhary : May I know the scheme drawn by the Government for the benefit of both the consumers and the farmers as would hold the prices ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : वे सामान्य मूल्यों के बारे में पूछ रहे हैं और ये केवल दालों के बारे में है । मैंने स्थिति को स्पष्ट किया है कि दालों का उत्पादन पिछले दशक से स्थिर रहा है और अत: मांग अधिक होने से मूल्यों में वृद्धि हो गई है । इस वर्ष एक अतिरिक्त कारण यह था कि बंगला देश के विस्थापितों की मांग को पूरा करने के लिये भारतीय खाद्य निगम ने बड़ी अधिक मात्रा में बाजार से दालों को खरीदा है । स्वभावत: बाजार से इस निकासी से भी मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई है लेकिन हाल ही के पिछले कुछ महीनों में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है । जैसा कि मैंने पहले कहा है कि अधिक उत्पादन के द्वारा ही इस समस्या को हल किया जा सकता है । उत्पादन को बढ़ाने के लिये सरकार ने जो उपाय किये हैं, उनको मैंने पहले ही गिना दिया है ।

Shri Ishwar Chaudhary : The rise in the prices of pulses is not attributable fall in production but black-marketing and the taxes. May I know the steps taken by the Government to hold their prices and the prevailing prices of pulses ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : इन पर वैधानिक नियंत्रण अथवा अनौपचारिक नियंत्रण नहीं है । यह दालें खुले बाजार में मिल रही हैं । अत: मेरे विचार से यहां पर मूल्य नियंत्रण का प्रश्न नहीं उठता है । अप्रैल के अन्त तक मूल्यों का सूचकांक स्तर 282.84 था । सितम्बर में, इसकी तुलना में, सूचकांक 285 था । विभिन्न महीनों में यह सूचकांक 295,293 आदि हो गया ।

Shri S. M. Banerjee : As far as the prices of pulses are concerned, it is seen that generally whole-sale prices are mentioned. But in India common people are not having even simple meals. Is it a fact that the retail prices of moong, masoor, urad and arhar are rising day-by-day in the market. Will the Government arrange to provide pulses at control rates to the people whose salary does not exceed Rs. 300/- as it has been done in the case of rice and wheat ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : यह कार्यवाही करने के लिये एक सुझाव है ।

भारत सरकार के प्रपत्रों के लिये कागज़ का मानकीकरण

*530. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के विभिन्न प्रपत्रों के लिये कागज का मानकीकरण कर लिया गया है ;

(ख) विभिन्न प्रकार के कागजों में कितनी-कितनी तथा कितने मूल्य की कटौती की गई है ;

(ग) क्या 1,187 प्रपत्रों को समाप्त कर दिया गया है ; और

(घ) 14,000 प्रपत्रों में से कितने प्रपत्रों पर अब तक पुनर्विचार कर लिया गया है और यह पुनर्विचार कब तक समाप्त हो जायेगा ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) भारत सरकार मुद्रणालयों में फार्मों की छपाई के कागज का मानकीकरण कर दिया गया है ।

(ख) फार्मों के कागज के मानकीकरण के परिणामस्वरूप उस कार्य के लिये प्रयुक्त किए जा रहे कागज की किस्में 115 से घट कर 18 रह गई हैं । किस्मों की संख्या घटने के परिणाम-स्वरूप लागत में कमी का मूल्यांकन नहीं किया गया है । तथापि, निम्नलिखित लाभ हुए हैं:—

(क) सूची की लागत में बचत ; और

(ख) कागज की छोटी-छोटी किस्मों के लिये अपेक्षाकृत बड़े आदेशों का सुनिश्चित करना, जिससे मिलों के लिये कागज सप्लाई करना अपेक्षाकृत आसान हो जायेगा । इसके अतिरिक्त सनलिट आफसैट तथा सुपर केलेण्डर्ड कागज़ जैसी कागज की मंहगी किस्मों के प्रयोग को कुल खर्च में बचत सुनिश्चित करने के लिये समाप्त कर दिया गया अथवा कम से कम कर दिया गया है ।

(ग) जी हां ।

(घ) अब तक कुल 3,338 सिविल मानक फार्म तथा 800 विशेष फार्मों का पुनरीक्षण किया गया है । इनमें 1,448 मानक फार्मों को अन्तिम रूप से समाप्त कर दिया गया । पुनरीक्षण एक निरन्तर प्रक्रिया है और इसलिये इसके पूरा होने की कोई समय-सीमा निश्चित नहीं की जा सकती । ऐसा इस कारण से और भी है कि सिविल मानक फार्मों के अतिरिक्त सभी विशेष फार्मों का भी पुनरीक्षण किया जाना है ।

श्री आर० पी० उलगनम्बी : माननीय मंत्री ने कहा है कि फार्मों के कागज के मानकीकरण के परिणामस्वरूप उस कार्य के लिये उपयोग में लाये जा रहे कागज़ की किस्में 115 से घट कर 18 रह गई हैं । कागज की मात्रा घटने के परिणामस्वरूप लागत में कमी के मूल्यांकन में क्या कठिनाई है ? मैं जानना चाहता हूं कि मुद्रण कार्यों के लिये, प्रति वर्ष, प्रयोग किये जाने वाले 'सनलिट आफ़सैट' और 'सुपर केलेण्डर्ड कागज़ का मूल्य क्या है ।

श्री आई० के० गुजराल : जहां तक मूल्यांकन का सम्बन्ध है, यह मूल्यांकन मानकीकरण प्रक्रिया के अनुसार नहीं किया जाता है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा है कि मानकीकरण की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है । अत: इस स्थिति में जबकि मानकीकरण की प्रक्रिया अधूरी है मेरे

लिये इसका मूल्यांकन करना कठिन है। जहां तक कागज की खपत का संबंध है, लेखन-सामग्री के लिये भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त 8,000 टन के अतिरिक्त, भारत सरकार की प्रेसों द्वारा प्रति वर्ष लगभग कुल 22,000 टन कागज का उपभोग किया जाता है। जहां तक विभिन्न किस्मों का सम्बन्ध है, उसके लिए मैं सूचना को सभा-पटल पर रख दूंगा क्योंकि यह एक विस्तृत विवरण है।

भारत सरकार के मुद्रणालयों में लागत-प्रणाली का पुनःनिर्धारण

*532. **श्री वी० मायावन** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के मुद्रणालयों की वर्तमान **लागत-प्रणाली** का **पुनः निर्धारण** करने का काम पूरा हो गया है।

(ख) क्या **नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक** ने इसका अनुमोदन कर दिया है ; और

(ग) क्या इसे सभी मुद्रणालयों में लागू कर दिया गया है और यदि हां, तो कब से ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, नहीं। तथापि, लागत-व्यौरा के संग्रहण के लिये बनाए गए कुछ फार्मों का **पुनःनिर्धारण** किया गया है।

(ख) ऊपर (क) में उल्लिखित फार्मों के **पुनःनिर्धारण** का अनुमोदन नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक द्वारा कर दिया गया है।

(ग) अभी नहीं। प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

श्री वी० मायावन : भारत सरकार के मुद्रणालयों की वर्तमान लागत-प्रणाली को पुनः-निर्धारित करने का कार्य 1970 में आरम्भ किया गया था। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह पुनःनिर्धारण का कार्य केवल कुछ फार्मों तक ही सीमित रहा ? लागत-प्रणाली को पुनःनिर्धारण करने के लिए और क्या उपाय करने का विचार है और यह कार्य कब आरम्भ किया गया था ?

श्री आई० के० गुजराल : सीधी बात तो यह है कि ऐसा करने का हमारा उद्देश्य यही है कि विभिन्न मन्त्रालयों द्वारा मुद्रणालयों द्वारा जो कीमत वसूल की जाती है, वह ऐसी हो कि सरकारी मुद्रणालयों को बिना लाभ हानि के आधार पर चलाया जा सके। हमारा मनोरथ यही है कि जो काम उन मुद्रणालयों पास आता है, वाणिज्यिक दृष्टि से उसका मूल्यांकन किया जा सके और विभिन्न मन्त्रालयों के लिए किये गये विभिन्न कामों की कीमत मन्त्रालयों के हिसाब में लगाई जा सके। हमारे देश के विभिन्न भागों में ऐसे 15 मुद्रणालय है और उन सबके हिसाब-किताब अलग-अलग हैं। अतः यह कार्य करने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण करना अपेक्षित है। इसीलिये इस मामले का अध्ययन किया जा रहा है। परन्तु इस कार्य के लिए हमें अधिक स्टाफ की आवश्यकता है जिसकी अनुमति देना वित्त मन्त्रालय के हाथ में है। वित्त मन्त्रालय द्वारा ही यह अन्तिम निर्णय दिया जायेगा कि कितना स्टाफ अपेक्षित है ताकि इस कार्य को और अधिक तीव्र गति से किया जा सके।

श्री वी० मायावन : इन फार्मों का सम्बन्ध केवल आंकड़े एकत्रित करने से ही है और उनके पुनःनिर्धारण के लिए नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की स्वीकृति प्राप्त हो गई है । परन्तु प्रश्न के भाग (ग) में मन्त्री महोदय ने बताया है कि सभी मुद्रणालयों के बारे में प्रस्ताव विचाराधीन है । भारत सरकार के सभी मुद्रणालयों में यह पुनःनिर्धारण फार्म लागू करने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

श्री आई० के० गुजराल : मैं पहले ही कह चुका हूं इस कार्य के लिए और अधिक कर्मचारी अपेक्षित है अतः इसीलिए विलम्ब हो रहा है । वित्त मन्त्रालय से इन कर्मचारियों की मंजूरी देने का अनुरोध किया जा रहा है ।

मेडिकल कालेज कालीकट में व्यावसायिक चिकित्सा एकक (ओक्यूपेशनल थिरेपी यूनिट)

*533. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने मेडिकल कालेज, कालीकट, में एक व्यावसायिक चिकित्सा एकक (ओक्यूपेशनल थिरेपी यूनिट) स्थापित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार को भेजा है ; और

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है ; और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

मेडिकल कालेज, कालीकट में पुनर्वास एकक खोलने के सम्बन्ध में एक योजना केरल सरकार से इस मन्त्रालय में भारत सरकार की मंजूरी लेने के लिए प्राप्त हुई थी । इस उपयुक्त योजना में अन्य बातों के साथ-साथ मेडिकल कालेज, कालीकट में एक व्यावसायिक चिकित्सा विभाग खोलने की बात भी निहित थी ।

भारत सरकार ने राज्य सरकार को यह सूचित कर दिया था कि यह योजना राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत आती है और इस योजना की क्रियान्विति के लिए केन्द्रीय सहायता की कोई व्यवस्था नहीं है । राज्य सरकार को आगे यह भी सलाह दी गई थी कि वह इस योजना को अपने आप चलाएं और इसके लिए भारत सरकार की सहमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति संगठन के क्षेत्रीय निकाय की स्थापना

*537. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति संगठन के एशियाई सम्मेलन में,

भारत के प्रतिनिधि ने, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान तथा संस्कृति संगठन के एशियाई नेशनल कमीशनों में अधिक समन्वय स्थापित करने हेतु एक क्षेत्रीय निकाय स्थापित करने की मांग की गई थी ;

(ख) क्या भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति संगठन के एशियाई नेशनल कमीशनों की बैठक में इस आशय का एक संकल्प प्रस्तुत किया था ; और यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस बैठक में किन-किन देशों ने भाग लिया था ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

टोकियो में दिनांक 22 से 27 मार्च, 1972 को आयोजित यूनेस्को के लिये एशियाई राष्ट्रीय आयोगों के प्रादेशिक सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया:—

"यह ध्यान में रखते हुए कि क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने के हेतु यूनेस्को के साथ सहयोग के लिये एशियाई राष्ट्रीय आयोगों ने अतीत में कई क्षेत्रीय बैठकों को आयोजित किया है ; और यूनेस्को के एशियाई सदस्य राज्यों में सतत आधार पर क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने के महत्व को व एक और राष्ट्रीय आयोगों के तथा दूसरी ओर एशिया में यूनेस्को के क्षेत्रीय संस्थानों और कार्यालयों के क्रिया-कलापों में और अधिक समन्वय को सुनिश्चित करने की आवश्यकता का अनुभव करते हुए; एवं यह जानते हुए कि आधी से भी अधिक मानव जाति को समेटे तथा एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को घेरने वाला एशियाई प्रदेश ऐसे सहयोग और समन्वय से लाभान्वित होगा, तथा इस बात का महत्व समझते हुए कि सीमित साधनों के कारण, फिलहाल एशियाई राष्ट्रीय आयोगों के लिये पूर्ण रूप से विकसित एक सम्पर्क कार्यालय स्थापित कर सकना संभव नहीं होगा—यह सम्मेलन यह सिफारिश करता है कि एशियाई राष्ट्रीय आयोगों को क्षेत्रीय बैठकों को समय-समय पर आयोजित करने, क्षेत्रीय सहयोग के कार्यक्रमों की जांच करने, तथा यूनेस्को के आदर्शों को और आगे प्रोत्साहन देने के लिये एशियाई सदस्य राज्यों में सहयोग को सुदृढ़ करने के हेतु कदम उठाने के लिए विद्यमान प्रत्येक राष्ट्रीय आयोग बारी-बारी से एशिया में दो वर्ष की अवधि के लिये एशियाई राष्ट्रीय आयोगों के लिये अस्थायी तौर पर सम्पर्क कार्यालय के रूप में कार्य करें, और यूनेस्को के महानिदेशक से अनुरोध करता है कि सम्बन्धित राष्ट्रीय आयोग को अपेक्षित सहायता प्रदान की जाए, ताकि सम्पर्क कार्यालय के रूप में कार्य कर सकने में वह समर्थ हो सके ।

कई प्रतिनिधियों ने क्षेत्रीय सम्पर्क कार्यालय की आवश्यकता को स्वीकार किया और इसकी संस्थापना के लिये जोर डाला । प्रस्तावित सम्पर्क कार्यालय के कार्यकलापों तथा जिम्मेदारियों, स्टाफ नियुक्ति की पद्धति, और वित्तीय व्यवस्थाओं से सम्बन्धित पूरे ब्यौरों के अभाव में अन्य प्रतिनिधि मंडल अनिश्चयी थे । सम्मेलन ने एशियाई राष्ट्रीय आयोगों के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के लिए सम्पर्क कार्यालय की स्थापना के प्रश्न पर एक विस्तृत दस्तावेज शीघ्र तैयार करने के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल से निवेदन किया ताकि अवरोक्त राष्ट्रीय-राष्ट्रीय आयोग अपने

प्रतिनिधि मंडलों को यूनेस्को के 1972 के महा सम्मेलन (अक्तूबर-नवम्बर, 1972) के हेतु तैयार कर सके, जिससे समूचा एशियाई वर्ग इस मामले पर पेरिस में और आगे विचार कर सके ।

टोकियो में आयोजित सम्मेलन अफगानिस्तान, श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, खमेर गणराज्य, कोरिया गणराज्य, लाओस, मलेशिया, मंगोलिया, नेपाल, फिलिपाइन्स, सिंगापुर, थाईलैंड, तथा वियतनाम गणराज्य के यूनेस्को राष्ट्रीय आयोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि और आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के प्रेक्षक उपस्थित थे ।

श्री पी० गंगादेव : इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि एशिया में यूनेस्को का डाकूमेन्टेशन सेंटर स्थापित करने की तत्कालीन आवश्यकता है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह सेंटर भारत में ही स्थापित करवाना चाहती है, यदि हां, तो क्या सप्रु हाऊस पुस्तकालय की एशिया के लिए स्वतन्त्र डाकूमेन्टेशन सेंटर बनाने का कोई प्रस्ताव है, क्या यह पुस्तकालय नेहरू विश्वविद्यालय से सम्बद्ध रहेगा क्योंकि यह विश्वविद्यालय अन्तरराष्ट्रीय अध्ययन का सबसे बड़ा केन्द्र समझा जाता है ?

शिक्षा, और समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : क्या यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित प्रश्न है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे भी इसी बात पर हैरानी हो रही थी ।

श्री पी० गंगादेव : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत ने यूनेस्को को अपना 1974 का अधिवेशन भारत में करने का निमंत्रण दिया है और यदि हां, तो क्या यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया गया है ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : हमने इस प्रकार का कोई निमंत्रण नहीं दिया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

केन्द्रीय सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये आवास

* 523 **श्री वयालार रवि** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि नगरीय क्षेत्रों में रहने के मकानों की अनुपलब्धता के कारण सब से अधिक कठिनाई केन्द्रीय सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को हो रही है,

(ख) यदि हाँ, तो इन कर्मचारियों के लिये और अधिक आवास सुविधाएँ मुहैया करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है, और

(ग) वर्ष 1972-73 में इस प्रयोजन के लिये राज्यवार कुल कितना धन व्यय किया जाना है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजना मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) कुल मिला कर विभिन्न स्थानों पर सामान्य पूल वास की कमी है। इस समस्त कमी से क्षेणी iv के सरकारी कर्मचारियों पर प्रभाव भी पड़ा है जो आमतौर पर टाइप i के वास के पात्र हैं।

(ख) और (ग) : चौथी योजना के दौरान विभिन्न स्थानों पर सामान्य पूल में टाइप I के 1,222 क्वार्टरों की स्वीकृति दी गई है। हाल ही में टाइप I और टाइप I के क्वार्टरों के प्राथमिकता के आधार पर निर्माण के लिये मुख्य इन्जीनियरों को और अनुमान भेजने के अनुदेश दिए गए हैं। 1972-73 के दौरान विभिन्न स्थानों पर सामान्य पूल में कार्यालय/रिहायशी वास के निर्माण के लिये 7.45 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने का प्रस्ताव है। इस राशि की सीमा के अन्दर सामान्य पूल में विभिन्न टाइपों के वास भिन्न-भिन्न स्थानों पर निर्मित किए जायेंगे। संसद् द्वारा बजट प्रस्तावों पर वोट दिए जाने के बाद ही केवल राज्य वार आंकड़ों का हिसाब लगाया जा सकता है।

भूमि अर्जन अधिनियम सम्बंधी समिति के प्रतिवेदन पर निर्णय

* 529 **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि अर्जन अधिनियम का पुनर्विलोकन करने के लिए गठित की गई मुल्ला समिति ने अपना प्रतिवेदन दो वर्ष हुये प्रस्तुत कर दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी, हाँ।

(ख) भूमि अर्जन पुनर्रक्षण समिति जिसे मुल्ला समिति कहा जाता है) के रिपोर्ट की प्रतियां सभी राज्य सरकारों / केन्द्र शासित प्रदेशों एवं भारत सरकार के भूमि अर्जन से सम्बन्धित विभिन्न मंत्रालयों / विभागों को समिति की सिफारिशों पर उनके सुचिंतित विचार प्राप्त करने के लिये परिचालित की गई थीं। कुल राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के कुछ मंत्रालयों। विभागों से उत्तर की अब भी प्रतीक्षा है। अब तक प्राप्त उत्तरों की जाँच पड़ताल हो रही है। यदि आवश्यक हुआ, तो 1894 के अधिनियम को आशोधित करने के लिए सभी उत्तरों की जांच पड़ताल समाप्त होते ही कार्यवाही की जायेगी।

मद्यपान की आदत के विरुद्ध उपदेश

* 531. **श्री निहार लास्कर** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शराब की खपत बन्द कराने हेतु विधान बनाने की अपेक्षा लोगों को मद्यपान की बुराइयों से अवगत कराने के लिये राज्य सरकारों पर अधिक जोर डालने की सरकार की कोई योजना है ; और

(ख) क्या सरकार स्कूलों के पाठ्यक्रम में मद्यपान की आदत के विरुद्ध उपदेश की व्यवस्था करने के बारे में विचार कर रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) सरकार शुरू से ही जनता को मद्यपान की बुराइयों के बारे में शिक्षित करने पर जोर दे रही है। मद्यनिषेध के सम्बन्ध में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय मद्यनिषेध परिषद् को एक लाख रुपये का वार्षिक अनुदान देने के अतिरिक्त, राज्य सरकारों से मद्यपान के विरुद्ध शैक्षिक प्रचार को जारी रखने के महत्व पर बल देने का भी अनुरोध किया गया है।

(ख) मद्यपान की बुराइयों के सम्बन्ध में अर्थपूर्ण विचार विमर्शों में स्कूलों के छात्रों को भी शामिल करने पर स्पष्टतया बाधाएँ हैं। तो भी उन्हें मद्यपान की बुराइयों के बारे में बताने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से कुछ किया जा सकता है। मंत्रालय के अनुरोध पर शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् ने "मद्यपान और धूमपान के खतरों" के विषय पर अनुदेशनात्मक टिप्पणियों के साथ एक फिल्म स्ट्रिप तैयार की है। अनेक शिक्षा संस्थाएं इस सहायता का उपयोग कर रही हैं।

वन विकास निगम की स्थापना

*534. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की वन्य सम्पदा का बड़े पैमाने पर विकास करने के लिये एक वन-विकास निगम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) वन विकास निगम की स्थापना के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। फिर भी, इस सम्बन्ध में जानकारी राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों से एकत्र की जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

तकनीकी अध्ययन के लिये योग्यता व साधन क्षमता के आधार पर छात्रवृत्तियां देने की योजना पर पुनर्विचार

* 535. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी अध्ययन के लिये योग्यता व साधन क्षमता के आधार पर छात्रवृत्तियाँ देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या प्रो० एम० एस० ठक्कर की अध्यक्षता में नियुक्त अध्ययन दल ने इस नई छात्र-वृत्ति योजना की सिफारिश की थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस सिफारिश के कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : **(क) तथा (ख)** : अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा प्रो० एम० एस० ठक्कर की अध्यक्षता में नियुक्त किये गये अध्ययन दल ने सिफारिश की है कि केन्द्र सरकार द्वारा

पोलिटेक्निकों के छात्रों के लिये योग्यता एवं साधनों के आधार पर छात्रवृत्तियों की एक योजना प्रारम्भ की जानी चाहिए ।

(ग) अखिल भारतीय परिषद् की अंतिम सिफारिशें उपलब्ध हो जाने के बाद केन्द्रीय सरकार योजना आयोग के परामर्श से इस योजना पर विचार करेगी ।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा प्रतिदिन दूध का संग्रह तथा वितरण और उसमें से निकाली जाने वाली अतिरिक्त चिकनाई का उपयोग

*536. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा प्रति दिन कितना दूध इकट्ठा किया जाता है तथा वितरित किया जाता है ;

(ख) इस दूध में से निकाली जाने वाली अतिरिक्त चिकनाई का इस समय किस प्रकार से उपयोग किया जाता है ; और

(ग) क्या नगर में दूध की कमी होने पर भी इस चिकनाई का घी बनाया जाता है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) 1 जनवरी, 1972 से 31 मार्च, 1972 की अवधि के आधार पर दिल्ली दुग्ध योजना का दैनिक दुग्ध संग्रह तथा वितरण का औसत निम्न प्रकार है ;

	जनवरी, 72 से मार्च, 72 की अवधि में केन्द्रीय डेरी में दूध की कुल प्राप्ति		दैनिक औसत प्राप्ति	
भैंस का दूध	1,79,61,230	लिटर	1,97,376,15	लिटर
गाय का दूध	10,52,874	,,	11,570,04	,,
	1,90,14,104		2,08,946,19	

	जनवरी, 72 से मार्च, 72 की अवधि में कुल वितरित दूध		दैनिक औसत वितरण	
मानकित दूध	1,70,24,537	लिटर	1,87,082,82	लिटर
टोंड दूध	65,70,702	,,	72,205,51	,,
डबलटोंड दूध	12,70,120	,,	13,957,36	,,
गाय का दूध	6,83,559	,,	7,512,07	,,
	2,55,48,918	,,	2,80,757,76	,,

(ख) अतिरिक्त स्नेह का उपयोग सफेद मक्खन, टेबल बटर, घी, आइसक्रीम आदि जैसे दुग्ध उत्पादों के निर्माण में किया जाता है ।

(ग) घी का निर्माण तरल दूध को किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं करता क्योंकि सर्वप्रथम तरल दूध के परिसंस्करण को प्राथमिकता दी जाती है और उत्पादों का निर्माण उसी सीमा तक किया जाता है जहाँ तक कि वे तरल दूध की आपूर्ति को हानि न पहुंचायें ।

छोटे किसानों को सिंचाई की सुविधाओं, उर्वरकों और कीटनाशी औषधियों के लिए सहायता देना

*538. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे किसानों को सिंचाई की सुविधाएं, उर्वरक तथा कीटनाशी औषधियाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होती हैं जो सुधरे हुए बीजों की बहुत सी किस्मों के लिये आवश्यक है ; और

(ख) यदि हां, तो छोटे किसानों को अपनी उपज बढ़ाने में सहायता प्रदान करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि आधुनिक प्रौयोगिकी को अपनाने में छोटे कृषकों में कोई कम उत्साह नहीं है, परन्तु संगठित सेवायें और आदानों के सम्भरण, विशेषकर ऋण की कमी उनके द्वारा वैज्ञानिक कृषि प्रारम्भ करने में उनके सामने एक बाधा है ।

(ख) लघु कृषक विकास अभिकरण और सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक अभिकरणों की मार्गदर्शी परियोजनायें ऐसे कृषकों की समस्याओं का पता लगाने और उनके हल ढूंढने के लिए क्रियान्वित की जा रही हैं । आशा है इन मार्गदर्शी परीक्षणों से समस्त देश में इन समस्याओं के विस्तृत हल निकाले जा सकेंगे ।

House Building Advance to Government Employees

*539. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Work and Housing** be pleased to state :

(a) whether his Ministry has stopped entertaining applications for House Building advance from Government employees after the 31st December, 1971 ;

(b) whether there is large number of such Government employees who have already been allotted plots of land by D. D. A. and the term for constructing the houses thereon has already expired or is going to expire, but they are unable to construct houses due to non-availability of loan facilities ; and

(c) whether Government propose to consider accepting applications from such employees as a special cases ?

The Minister of Works and Housing and Health and Family Planning (Shri Uma Shankar Dikshit) : (a) Yes Sir. Owing to limitation of funds, applications for the grant of house building advances were not entertained beyond 31st December, 1971. However, applications for the purchase of ready built houses/flats from the D. D. A./Government or Semi-Government bodies/Housing Boards/Registered Co-operative Housing Societies were entertained and advances granted.

(b) and (c). We have no information about the number of cases. However, instructions for the entertainment of fresh applications for the grant of House Building Advances for 1972-73 are under issue. This will enable the Government servants who have been allotted plots by D.D.A., to obtain loans from the Government for construction of houses thereon.

भारत और बंगला देश के बीच अन्तर्देशीय जहाजरानी और राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राज मार्गों का विकास

*540. **श्री समर गुह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वी भारत और बंगला देश के बीच अन्तर्देशीय जहाजरानी के लिए संयुक्त प्रयास किया जाएगा, और यदि हां, तो इसके लिए क्या कदम उठाये गए हैं एवं उठाए जाने का विचार है;

(ख) क्या पूर्वी भारत और बंगला देश की परिवहन व्यवस्था सुधारने के लिए पूर्वी भारत और बंगला देश के बीच राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मार्ग व्यवस्था को समन्वित किया जाएगा, और

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिए सर्वेक्षण कार्य आरम्भ कर दिया गया है, और इसकी मुख्य बातें क्या हैं ।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) भारत और बंगला देश के बीच एक व्यापार करार पर हाल ही में हस्ताक्षर हुये जिसके अधीन और बातों के साथ-साथ दोनों सरकारें दोनों देशों के बीच व्यापार के लिये अपने जलमार्ग, रेलवे और सड़कों के प्रयोग के लिये और दूसरे के देश से होकर एक देश में दो स्थानों के बीच माल के प्रवाह के लिए पारस्परिक लाभप्रद प्रबन्ध के लिये सहमत हुई, इस करार के अनुसरण में अन्तर्देशीय जल परिवहन सेवाओं को फिर से आरम्भ करने के लिये दोनों सरकारों द्वारा जिन विभिन्न सुविधाओं को व्यवस्था की जायेगी उन्हें सूचित करने के लिये एक विस्तृत नयाचार बनाने का प्रस्ताव है, केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड के अधिकारियों ने पहले ही सर्वेक्षण किया है ताकि नदी मार्ग की नौगम्यता का मूल्यांकन किया जा सके । राजमार्गों के सम्बन्ध के मामले की जांच की जा रही है ।

मार्च, 1972 में दिल्ली परिवहन निगम की बसों द्वारा न लगाये गये चक्कर

3604. **श्री के० सूर्य नारायण** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम की बसों ने मार्च, 1972 में विभिन्न मार्गों पर औसतन कितने चक्कर नहीं लगाए, और

(ख) प्रभावित रूटों पर परिवहन सेवा को सुधारने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Farms Run by State Agricultural Farm Corporation

3605. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of Agricultural Farms being run by the State Agricultural Farm Corporation in Madhya Pradesh ; and

(b) the names of the places where these agricultural farms are located ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) No agricultural farms have been established by the State Farms Corporation in Madhya Pradesh. The State Farms Corporation of India, however, has been asked to have a preliminary discussion with the State Government of Madhya Pradesh for the possibility of setting up a Central State Farm in the State.

(b) Does not arise.

गोशालाओं और पिंजरापोलों पर व्यय

3606. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, राज्यवार, गोशालाओं और पिंजरापोलों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) इनके रखरखाव पर राज्यवार, प्रतिवर्ष लगभग कितनी राशि खर्च की जाती है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) : विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

वनस्पति घी के उत्पादन में मूंगफली के तेल के अनुपात में कमी

3607. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति घी के उत्पादन में मूंगफली के तेल के अनुपात में गत 6 वर्षों से निरन्तर कमी की जा रही है अर्थात् वर्ष 1965 में 76.5 प्रतिशत से घटाकर वर्ष 1969 में 52.5 प्रतिशत कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) वनस्पति में मूंगफली के तेल के प्रयोग का औसत स्तर 1965 के 75.6 प्रतिशत से गिरकर 1969 में 52.9 प्रतिशत रह गया । तथापि, यह बढ़कर 1970 में 59.6 प्रतिशत और 1971 में 65.4 प्रतिशत हो गया ।

(ख) वर्ष प्रति वर्ष की घट-बढ़ से इन वर्षों के दौरान उद्योग के लिए वैकल्पिक तेलों जैसे कि बिनौले का तेल, और यदा-कदा आयातित सोयाबीन या सूरजमुखी के तेलों की उपलब्ध मात्रा का पता चलता है ।

(ग) बिनौले के तेल का अधिक उत्पादन और वनस्पति के निर्माण में उसके उपयोग को सरकार देश के समूचे खाने योग्य तेल साधनों को बढ़ाने और मूंगफली के तेल पर दबाव कम

करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है क्योंकि मूंगफली का तेल अन्यथा वनस्पति उद्योग द्वारा प्रयुक्त प्रमुख कच्चा तेल है ।

केन्द्रीय सड़क समिति का गठन

3608. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री एक केन्द्रीय सड़क समिति के गठन के बारे में 15 नवम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 61 के उत्तर के सम्बम्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक केन्द्रीय सड़क समिति गठित करने के प्रस्ताव को इस बीच अंतिम रूप दे दिया गया है,

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो उपर्युक्त समिति कब तक गठित की जायेगी ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : जी, नहीं ।

(ग) वर्तमान हालातों में और एक केन्द्रीय निर्माण एजेन्सी के गठन की आवश्यकता के संदर्भ में केन्द्रीय सड़क समिति के स्थान पर केन्द्रीय सड़क बोर्ड के गठन के प्रश्न पर कार्यवाही की जा रही है । क्या प्रस्तावित बोर्ड बनेगा और कब तक बनेगा इसकी ठीक सूचना देना सम्भव नहीं है ।

बिहार में कत्था फैक्टरी की स्थापना

3609. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के छोटानागपुर में सामान्य रूप से तथा विशेषकर पलामऊ जिले के जंगलों में खैर के अनेक पेड़ हैं और यदि हां, तो क्या स्थानीय लोगों तथा व्यापारियों द्वारा खैर के पेड़ों से स्थानीय पुराने ढंग से कत्था निकाला जाता है ; और

(ख) क्या कत्था के निर्माण के लिये वहां पर आधुनिक ढंग से एक फैक्टरी स्थापित करने के लिये सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) : बिहार सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

केरल राज्य द्वारा आवास के लिये व्यय

3610. **श्री बयालार रवि** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1972-73 में आवास के लिये राज्य सरकारों द्वारा कुल कितनी राशि व्यय की जायेगी और इस प्रयोजन हेतु केरल राज्य कितना व्यय करेगा ;

(ख) क्या सरकार ऐसी आवास योजनाओं जिनके निष्पादन में लोग भागीदार हों, को प्रोत्साहन देगी जिससे उन पर न्यूनतम लागत आये ; और

(ग) यदि हां, तो केरल को अपनी ग्रामीण आवास योजना के निष्पादन के लिये कितनी तथा किस प्रकार की विशेष सहायता दी जायेगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) सभी राज्यों के लिये (संघ क्षेत्रों को छोड़ कर) 1972-73 के लिये राज्य क्षेत्र में आवास के लिये कुल अनुमोदित योजना परिव्यय 3,061.40 लाख रुपये है, जिसमें से केरल के लिये 144 लाख रुपये का परिव्यय है।

(ख) निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई बहुत सी सामाजिक आवास योजनाओं के निष्पादन में लोगों द्वारा भाग लिये जाने की परिकल्पना है। उपलब्ध सीमित निधियों से अधिक से अधिक लोगों को लाभ देना सदा ही इसका उद्देश्य है।

(ग) 1972-73 के दौरान केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत केरल सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थलों की व्यवस्था करने के लिये 4,680.40 एकड़ भूमि के अर्जन हेतु तथा 96,000 आवास स्थलों के विकास के लिये 2,73,92,075 रुपये का सहायक अनुदान स्वीकृत किया गया है।

केरल में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिये स्थान और कर्मचारियों के लिए आवास-स्थान

3611. **श्री वयालार रवि** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में वर्ष 1971-72 में केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की रिहायश के लिये किराये पर लिये गये निजी भवनों पर सरकार को कितनी धनराशि किराये के रूप में खर्च करनी पड़ी ;

(ख) केरल में वर्ष 1972-73 में सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये मकानों का निर्माण करने पर कितनी धनराशि खर्च की जायेगी; और

(ग) इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक योजना के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) तथा (ग) 1972-73 में केरल में कार्यालय अथवा सामान्य पूल में रिहायशी वास के निर्माण के लिये सरकार ने किसी योजना की स्वीकृति नहीं दी है।

केरल में राज्य सहायता प्राप्त आवास योजना

3612. **श्री वयालार रवि** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1972-73 में बागान के श्रमिकों के लिये राज सहायता प्राप्त आवास योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की जायेगी ;

(ख) क्या वर्ष 1972-73 में केरल में इस प्रकार की कोई योजना आरम्भ की गई है अथवा कोई ऐसी योजना क्रियान्वित करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो इन योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ; और उन पर कितनी धनराशि खर्च की जायेगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) असम, केरल, मैसूर, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा योजना के कार्यान्वयन के लिये 1972-73 के केन्द्रीय बजट में 75 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

(ख) तथा (ग) : यद्यपि योजना केन्द्रीय क्षेत्र में हैं, किन्तु यह सम्बधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती है जो बागान-मालिकों द्वारा बनाई गई परियोजनाओं को मंजूर करने तथा उनके लिये आर्थिक सहायता बांटने के लिये सक्षम हैं । योजना के अधीन राज्य सरकारें स्वयं गृह निर्माण कार्य नहीं करती हैं; केरल सरकार द्वारा 1972-73 के दौरान मंजूर की जाने-वाली परियोजनाओं के सम्बन्ध में तथा उनके लिये अपेक्षित राशि की सूचना अभी तक सूचित नहीं की गई है ।

केरल कृषि विश्वविद्यालय और आल यूनियन प्लांट ब्रीडिंग एंड जैनिटिक्स इन्स्टीटयूट आफ लेनिनग्राड के बीच वैज्ञानिकों का आदान-प्रदान

3613. **श्री वयालार रवि** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल कृषि विश्वविद्यालय और रूस के आल यूनियन प्लांट ब्रीडिंग एण्ड जैनिटिक्स इंस्टीट्यूट आफ लेनिनग्राड के बीच वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) केरल विश्वविद्यालय तथा आल यूनियन प्लान्ट ब्रीडिंग एण्ड जैनिटिक्स इस्टीट्यूट आफ लेनिनग्राड, रूस के मध्य वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृति सम्मेलन

3614. **श्री एम० कतामुत्तु** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1972 के अन्तिम सप्ताह में दिल्ली में एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन हुआ था और यदि हां, तो कितने भारतीय तथा विदेशी प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया था,

(ख) क्या भारतीय प्रतिनिधियों को यात्रा तथा अन्य व्यय की राशि दी गई थी, और

(ग) कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई थी और इस सम्मेलन पर कितनी खर्च की गई थी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव): (क) जी हां । 823 भारतीय तथा 95 विदेशी प्रतिनिधि थे ।

(ख) स्थानीय तथा संस्थाओं द्वारा प्रवर्तित प्रतिनिधियों को कोई भुगतान नहीं किया गया । दिल्ली के बाहर से आने वाले भारतीय प्रतिनिधियों के लिए 131 मामलों में प्रतिनिधियों की यात्रा व्यय की पूर्णत: अदायगी की जा चुकी है तथा 310 मामलों में आंशिक आर्थिक सहायता दी गई है । इसके अतिरिक्त, सभी बाहर से आने वाले प्रतिनिधियों के लिए भोजन, आवास तथा परिवहन की सुविधा की व्यवस्था की गई थी ।

(ग) यूनेस्को से प्राप्त हुए 10,000 डालर के अनुदान के अतिरिक्त सम्मेलन के लिए 4 लाख रुपये की व्यवस्था की गई । चूंकि अभी तक सभी भुगतान नहीं किये गये हैं, अत: व्यय सम्बन्धी अन्तिम आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं । अभी तक 1.68 लाख रुपये की अदायगी की गई है ?

Posts of Principal in Delhi Schools Reserved for Scheduled Casts

3615. **Shri Chhatrapati Ambesh :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the number of posts of Principals of Government Higher Secondary Schools under Delhi Administration, which were reserved for the candidates of Scheduled Castes three years ago, but were filled up on an ad hoc basis by non-Scheduled Casts candidates in the absence of availability of suitable Scheduled Castes candidates ;

(b) the number of appointments made in the cadre of Principal by departmental promotion and through the Union Public Service Commission, separately, during the last three years, year-wise ;

(c) the number of such posts in this cadre which were converted into non-reserved vacancies with the approval of the Minister of Education during the last three years ;

(d) the number of the persons in the Cadre of Principal, presently working as Science Consultant, Adviser, Deputy Inspector of Schools, etc. on ad hoc basis; and

(e) the measures taken by Government to complete the percentage reserved for the candidates of Scheduled Castes, if the same has not yet been completed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) Three.

(b)

	Through D. P. C.	*Through U. P. S. C.*
1960-70	—	21
1970-71	—	—
1971-72	—	25

(c) None

(d)

(i) Science Consultant	1
(ii) Senior Cousellor	9
(iii) Field Advisors	3
(iv) Deputy Inspector of schools	—
(v) Deputy Education Officer	15

(e) A fresh requisition for filling up the vacancies reserved for Scheduled Castes candidates will be sent to the Union Public Service Commission in the month of September, 1972, as advised by the Commission.

दिल्ली में भूमि विकास पर आने वाली लागत

3616. **श्री मान सिंह भौरा** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उन गृह-निर्माण सहकारी समितियों द्वारा जिनको वजीरपुर, जी०टी०रोड, माडल टाउन और आजादपुर क्षेत्रों में अविकसित भूमि अलाट की गई है, तथा सरकार द्वारा भूमि के विकास पर प्रति वर्ग की दर से अलग-अलग क्या लागत आई है ; और

(ख) गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा अपने सदस्यों से, जिनको भूमि दी गई है, प्रति वर्ग गज भूमि के विकास के लिये क्या लागत ली गई है और लागत में यदि कोई भिन्नता है तो इसके क्या कारण है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) चूंकि वजीरपुर रिहायशी योजना में सहकारी समितियों को विकसित प्लाट आवंटित किए गये हैं, अत: समितियों द्वारा भूमि को विकसित करने का प्रश्न ही नहीं उठता । वजीरपुर रिहायशी योजना के लिये प्लाट बनाने योग्य क्षेत्र के विकास की लागत 29 रुपये प्रति वर्ग गज के लगभग आती है । दिल्ली के जी० टी० रोड, माडल टाउन तथा आज़ादपुर क्षेत्रों के लिये कोई रिहायशी योजना नहीं है ।

(ख) सरकार को पता नहीं है ।

डी० आई० जेड० एरिया, नयी दिल्ली में टाइप 4 के आठ मंजिले क्वार्टरों का निर्माण

3617. **श्री शशि भूषण** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० आई० जेड० एरिया, नई दिल्ली में टाइप 4 के 124 आठ मंज़िले क्वार्टर बनाये जा रहे थे और उनका निर्माण कार्य पूरा करने की तिथि 30 जून, 1973 बताई गई थी ;

(ख) क्या इन क्वार्टरों का निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब बन्द किया गया था और इसके क्या कारण हैं और निर्माण कार्य पुन: कब आरम्भ किया जायेगा ; और

(घ) क्या ये क्वार्टर निर्धारित तिथि तक बन जायेंगे और आवंटन के लिये तैयार हो जायेंगे अथवा इस कार्य को पूरा करने का समय बढ़ाया जायेगा और यदि हां, तो निर्माण-कार्य पूरा करने और सरकारी कर्मचारियों को आवंटित करने की पुनरीक्षित तिथि क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) इन क्वार्टरों का निर्माण कार्य अक्तूबर, 1971 से निलम्बित पड़ा है क्योंकि ठेकेदार ने इकरारनामे की मध्यस्थता शर्त के अन्तर्गत याचना की है । तथा अपने दावे प्रस्तुत किये

हैं जो मध्यस्थ के हवाले कर दिये गये हैं। जब तक उसकी शर्तें नहीं मान ली जाती, ठेकेदार ने काम को पुन: चालू करने में अपनी असमर्थता भी व्यक्त की है। कार्य को पुन: चालू किये जाने के उपायों पर विचार किया जा रहा है। उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस समय वह तिथि नहीं बताई जा सकती, जब क्वार्टर आवंटन के लिए तैयार हो जायेंगे।

डी० आई० जेड० क्षेत्र, नई दिल्ली के सेक्टर "डी" के क्वार्टरों में स्कूटर गैरेज

3618. **श्री शशि भूषण : क्या निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी० आई० जेड० क्षेत्र, नई दिल्ली में सेक्टर "डी" में नये बने चार-मंजिले क्वार्टरों के प्रत्येक जो अलाटी को एक-एक स्कूटर गैरेज दिया गया है ;

(ख) क्या उस स्कूटर-गैरेज का आकार इतना छोटा है कि स्कूटर इसमें समा ही नहीं सकता और अलाटी को अपना वाहन बाहर रखना पड़ता है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच कराने और इस गैरेज का आकार और डिजाइन पास करने के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित करने का विचार है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में इन गैरेजों के अलाटियों की सहायतार्थ सरकार ने क्या कदम उठाये हैं या उठाने का विचार है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) स्कूटर गैरेज का आकार 4 '×6'- '3" है जोकि बना कैरियर के विभिन्न टाइपों के स्कूटरों को रखने के लिये पर्याप्त है। तथापि, यदि स्कूटर के साथ लगा हो तो दरवाज़ा पूरा बन्द नहीं किया जा सकता।

(ग) फिलहाल जांच कराने का कोई विचार नहीं है।

(घ) जहां कहीं संभव होगा, दरवाजे को हटा कर स्कूटर शैडों को आगे की ओर बढ़ाने का अब प्रस्ताव है। स्कूटरों के नए गैरेजों के मामले में आकार को बढ़ाकर 4 '×8' कर दिया गया है।

डी० आई० जेड० एरिया, नई दिल्ली के सेक्टर 'डी' में पानी की खराब टंकियां

3619. **श्री शशि भूषण :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० आई० जेड० एरिया, नई दिल्ली सेक्टर 'डी' में शौचालयों के लिये पानी जमा करने हेतु बनाई गई टंकियां खराब होने के बारे में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) क्या उनकी कई बार मरम्मत किये जाने के बावजूद उनमें से पानी निकलना बन्द नहीं हुआ है और मरम्मत के एक-दो दिन बाद पानी निकलना फिर शुरू हो जाता है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन सीमेंट की टंकियों के स्थान पर टीन की टंकियां बनाने का है और इस क्षेत्र के निवासियों को उचित सुविधाएं देने के लिये इन टंकियों को कब तक बदला जायेगा ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) अक्तूबर, 1971 में जब आरम्भ में क्वार्टर आवंटित किए गए थे, कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। उसके बाद कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(ख) इन टंकियों से फिलहाल पानी नहीं टपक रहा है।

(ग) क्योंकि पानी नहीं टपक रहा, टंकियों के बदलने का प्रश्न ही नहीं उठता।

डी० आई० जेड० क्षेत्र के क्वार्टरों के लिये निर्धारित स्टेंडर्ड / पूल किराया

3620. **श्री शशि भूषण** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सेक्टर 'डी', डी० आई० जेड० क्षेत्र, नई दिल्ली में नये बनाये गये चार मंजिला क्वार्टरों का (टाइप 2 तथा 3 का अलग-अलग) कितना स्टेंडर्ड अथवा पूल किराया निर्धारित किया गया है।

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : डी० आई० जेड० क्षेत्र, नई दिल्ली के सेक्टर 'डी' के टाइप II और III के क्वार्टरों के लिये मूल नियम 45-ए के अन्तर्गत मानक लाइसेंस फीस तथा मूल नियम 45-ए के अन्तर्गत पूलित मानक लाइसेंस फीस नीचे दी जाती हैं:—

क्वार्टर का टाइप	मूल-नियम 45-ए के अन्तर्गत मानक लाइसेंस फीस प्रतिमास	मूल नियम 45-ए के अन्तर्गत पूलित मानक लाइसेंस फीस प्रतिमास
	रुपये	रुपये
टाइप II	82.00	42.00
टाइप III.		
(क) निचली मंजिल तथा पहली मंजिल	104.00	51.00
(ख) दूसरी मंजिल तथा तीसरी मंजिल	104.00	55.00

सीढ़ियों में बिजली के खर्च के बिल का डी० आई० जेड० एरिया, नई दिल्ली के क्वार्टरों के निवासियों में बांटा जाना

3621. **श्री शशि भूषण** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी० आई० जेड० एरिया, नई दिल्ली के सेक्टर 'डी' क्वार्टरों के निवासियों में सीढ़ियों में लगी बिजली के खर्च को किस प्रकार बांटा जायेगा ; और

(ख) क्या सीढ़ियों में बिजली सम्बन्धी खर्च को, जहां तक राजपत्रित अधिकारियों का सम्बन्ध है, अब तक किराये के बिल में शामिल किया जाता रहा है और यदि हां, तो उन राजपत्रित अधिकारियों से बिजली का कितना खर्च लिया जाता रहा है जो डी० आई० जेड० एरिया, नई दिल्ली के सेक्टर 'डी' के क्वार्टरों में रहते हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) डी० आई० जेड० क्षेत्र के सेक्टर डी० के क्वार्टरों की सीढ़ियों में प्रयुक्त बिजली के वास्तविक प्रभारों को उपभोक्ताओं से वसूली के लिये इसे अनुपात से बांटने का प्रस्ताव है । प्रभार अभी नियत नहीं किए गए हैं ।

(ख) फिलहाल डी० आई० जेड० क्षेत्र के 'डी' सेक्टर के क्वार्टरों के दखल में राजपत्रित अधिकारियों से (निचली मंजिल के दखलकारों को छोड़कर) सीढ़ियों के बिजली प्रभार 80 पैसे प्रतिमास की अन्तरिम दर पर वसूल किए जा रहे हैं । जिनका अन्तिम दर निश्चित हो जाने पर समायोजन कर दिया जायेगा, जैसा कि रामकृष्ण पुरम तथा तियारपुर के इसी प्रकार के टाइपों के फ्लैटों के आवंटियों से ऐसे प्रभार वसूल किये जाते हैं ।

डेरा इस्माइल खान कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी द्वारा भूमि का विकास

3622. **श्री सी० डी० दण्डपाणि** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डेरा इस्माइल खान हाउस बिल्डिंग सोसाइटी, दिल्ली द्वारा सोसाइटी की भूमि का विकास कार्य कब तक पूरा किया जाना अपेक्षित है क्योंकि मूल तिथि 13 मार्च, 1970 को समाप्त हो गई थी और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 21 अप्रैल, 1971 को नक्शा मंजूर कर दिया गया था ; और

(ख) क्या सरकार ने सोसाइटी द्वारा उपर्युक्त भूमि का शीघ्र विकास सुनिश्चित करके शेयर होल्डरों को देने के लिये कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा नई निश्चित तिथि नियत की जा रही है ।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने भूमि के विकास के बारे में त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये समिति से अनुरोध करने का निर्णय किया है ।

विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली के एक फिजीशियन द्वारा हृदय रोग के रोगियों का अध्ययन

3623. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली के एक सीनियर फिजीशियन ने हाल ही में हृदय रोग के रोगियों के सम्बन्ध में अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) क्या कोई उपचारी उपाय सुझाये गए हैं और यदि हां, तो वे क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) विलिंगडन अस्पताल में हृदय रोग के रोगियों की विभिन्न दशाओं का अध्ययन सीनियर फिजीशियन करते रहते हैं तथा यह एक निरन्तर प्रक्रिया है ।

(ख) 1,000 रोगियों के विस्तृत अध्ययन के फलस्वरूप हृदय रोग के कुछ निश्चित कारणों, नैदानिकों लक्षणों एवं जटिलताओं तथा उसके उपचार की एक विधि का पता चला है ।

(ग) इसकी रोग थाम के लिए सुझाये गये उपाय हैं—धूम्रपान से बचना, पशु-वसा कम करना, नियमित व्यायाम करना, वजन पर निगाह रखना तथा तनाव से बचना । जिनके वंश में हृदय रोग होता चला आ रहा हो उन्हें 30 वर्ष की आयु के उपरांत नियमित रूप से जांच कराते रहना चाहिये । जो लोग मधुमेह, उच्च-रक्त-चाप तथा बात रोगों से पीड़ित हों उन्हें इनको नियंत्रित रखने का प्रयत्न करना चाहिए ।

मत्स्य सम्पदा के लिये आंध्र प्रदेश तट का सर्वेक्षण

3625. **श्री के० कोदन्डा रामी रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के तट पर मत्स्य सम्पदा के बारे में कोई व्यवस्थित सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को सूचित किया था कि यह सर्वेक्षण खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा किया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो अभी तक सर्वेक्षण के न करने के क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) विशाखापट्टम में स्थापित तट से दूर मीन-हरण केन्द्र के माध्यम से आन्ध्र प्रदेश तट पर मत्स्य सम्पदा के बारे में केन्द्रीय गहरे समुद्र में मीन-हरण संगठन द्वारा सर्वेक्षण किया जा रहा है । दो नये 17.5 मीटर के जलयानों सहित सर्वेक्षण कार्य को बढ़ाने के लिये एक कार्यक्रम तैयार किया गया है ।

(ख) और (ग) : राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया था कि संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजना की सहायता से पूर्वी तट पर एक सर्वेक्षण योजना की स्थापना की सम्भावना के बारे में विचार किया जा रहा था । मीन उद्योग के क्षेत्र में भारत-नार्वे सहयोग के संशोधित कार्यक्रम के लिये प्रस्तावों पर विचार करते समय आंध्र प्रदेश की मांगों को ध्यान में रखा जायेगा । दोनों प्रस्तावों पर बातचीत की जा रही है और यह सुझाव दिया गया है कि आन्ध्र प्रदेश सहित पूर्वी तट की मांगों को उचित रूप से पूरा किया जाये ।

आन्ध्र प्रदेश में समुद्री मत्स्य उद्योग के विकास पर परियोजना प्रतिवेदन

3526. **श्री के० कोदंडा रामी रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने भारत-नार्वे परियोजना के अन्तर्गत समुद्रीय मत्स्य उद्योग का विकास करने के लिए 2 परियोजना प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किए थे; और यदि हां, तो उन पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्य सरकार को 2 आधुनिक मत्स्य नौकाएं सप्लाई करने का था ; यदि हां, तो उनको अब तक सप्लाई न करने के क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने मीन-उद्योग विकास से सम्बन्धित दो परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं, जिनका कार्यान्वयन केरल की भारत-नार्वे परियोजना के ढंग पर नार्वे की सहायता से किये जाने का विचार है । आन्ध्र प्रदेश सरकार को सूचित किया गया है कि 31 मार्च, 1972 को भारत-नार्वे मीन-उद्योग करार की अवधि समाप्त हो गई है, जिसके अन्तर्गत प्रबन्ध के प्रशासनिक पहलुओं से सम्बन्धित नार्वे के कार्मिकों की सहायता की पद्धति समाप्त की जायेगी। योजना कार्यक्रमों को मीन-उद्योग विकास के लिये उपकरण की सप्लाई तथा विशेषज्ञता के रूप में सहायता जारी रहने की सम्भावना है । मीन-उद्योग विकास के सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश की मांग पर किसी भी व्यवस्था के अन्तर्गत, जिसे देश के मीन-उद्योग विकास कार्यक्रमों में नार्वे की सहायता के लिये अन्तिम रूप दिया जा सकता है, पूर्ण विचार किया जायेगा ।

(ख) आन्ध्र-प्रदेश सहित विभिन्न समुद्रवर्ती राज्य सरकारों को नार्वे-कार्यक्रम की सहायता के अन्तर्गत जलयानों की सप्लाई की सम्भाव्यताओं के सम्बन्ध में सूचित किया गया था और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे यह बतायें कि क्या वे अपने बजट में जलयानों की लागत की व्यवस्था कर सकेंगे । आन्ध्र प्रदेश सहित अधिकांश राज्यों ने जलयानों की लागत की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में अपनी असमर्थता प्रकट की है । तदनन्तर यह निर्णय किया गया था कि विभिन्न राज्यों के तटों के सर्वेक्षण के लिये प्राप्त किये जलयानों का संचालन केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनी लागत से किया जायेगा । प्रस्तावित नार्वे-कार्यक्रम की सहायता के उपयोग करने के प्रस्तावों में आन्ध्र-प्रदेश के तट के लिये दो जलयान अन्तिम रूप से निर्धारित किये गये हैं । प्रस्तावित सहायता के कार्यक्रम के संदर्भ में, इन प्रस्तावों में मांग की विस्तृत जांच की व्यवस्था है । तटों के समीप विभिन्न केन्द्रों पर सर्वेक्षण के लिये सप्लाई किये गये जलयानों की संख्या, नार्वे के प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करने पर निर्धारित की जायेगी, जो कि फिलहाल प्रस्तावों का अध्ययन कर रहे हैं । यह मान लेने पर कि प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया गया है, जलयानों के लिये आदेश देने होंगे और वर्ष 1973-74 से पहले सप्लाई की जाने की सम्भावना नहीं है ।

आन्ध्र प्रदेश को "सपलैशलैस टैंक" के खरीदने और मछली उत्पादन के लिये जलाशयों और झीलों का विकास करने के लिये केन्द्रीय सहायता दिया जाना

*3626. **श्री के० कोदंडा रामी रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने "सपलैशलैस टैंक" गाड़ियां खरीदने और मछली उत्पादन के लिये राज्य में जलाशयों और झीलों का बड़े पैमाने पर विकास करने हेतु केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) : आन्ध्र-प्रदेश सरकार ने जलाशयों सहित मीन उद्योग विकास की विभिन्न योजनाओं के लिये सहायता मांगी थी। जहां तक जलाशयों का सम्बन्ध है, राज्य सरकार को सूचित किया गया कि जलाशयों का विकास, जो देश भर में कई हैं, राज्य योजना कार्यक्रमों में सम्मिलित है। राज्य सरकार को यह भी सूचित किया गया कि केन्द्रीय सरकार जलाशय विकास को समन्वित करने और चुने हुए जलाशयों के सघन विकास में सहायता देने पर विचार कर रही है और यदि यह देखा गया कि ऐसी योजना को लागू किया जाना सम्भव है तो इस क्षेत्र में आन्ध्र प्रदेश की आवश्यकताओं पर उचित ध्यान दिया जाएगा। तब तक भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना शुरू की है जिसमें आन्ध्र प्रदेश के नागार्जुनसागर जलाशय भी सम्मिलित किया गया है, आशा है इन अन्वेषणों के परिणाम जलाशय मीन उद्योग विकास कार्यक्रम बनाने में लाभदायक सिद्ध होंगे।

"सपलैशलैस टैंक" गाड़ियां खरीदने हेतु आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के लिये कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

उत्तर प्रदेश में किसानों को ऋण सम्बन्धी सुविधाएं देने वाली समितियों पर भारी बकाया राशि

3628. **श्री राजदेव सिंह**: क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में किसानों को ऋण सम्बन्धी सुविधायें देने वाली सहकारी समितियों पर भारी राशि बकाया है जो रिजर्व बैंक के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है ;

(ख) क्या इस बात की आशंका है कि ये संस्थायें आगामी वर्ष में किसानों की अल्पावधि ऋण सम्बन्धी आवश्यकतायें पूरी करने में असमर्थ रहेंगी ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी स्थिति इतनी खराब होने के क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) : जी हां।

(ग) अतिदेयों में वृद्धि के मुख्य कारण ये हैं—बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाएं, समितियों के कार्यकरण पर असंतोषजनक पर्यवेक्षण, बकायादारों के विरुद्ध कार्यवाही करने के प्रति समितियों की अनिच्छा और माध्यस्थ्य के मामलों में निर्णय देने तथा बकायादारों के विरुद्ध प्राप्त किए अधिनिर्णयों के निष्पादन में विलम्ब।

कोलम्बिया के राजदूत और उसके सांस्कृतिक सहचारी द्वारा डा० भगवान दास स्मारक ट्रस्ट को दान

3629. **श्री अम्बेश** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलम्बिया राजदूत मान्यवर कर्नल मानवेल आगुडेली तथा कोलम्बिया दूतावास के सांस्कृतिक सहचारी ने डा० भगवान दास स्मारक ट्रस्ट, 2 एफ, लाजपत नगर, नई दिल्ली अहाते में भारतीय सोफरोलाजी सोसाइटी की स्थापना के लिए उक्त ट्रस्ट को एक बड़ी धन-राशि दान में दी ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त राजदूत और सहचारी ने कितनी धन-राशि दान में दी थी ;

(ग) उपरोक्त सोसाइटी का प्रारम्भ से अब तक का आय-व्यय लेखा क्या है ; और

(घ) सोसाइटी के उद्देश्य क्या हैं ; तथा उसके कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख) : कोलम्बिया राजदूत कर्नल मानवेल आगुडेली और कोलम्बिया दूतावास के सांस्कृतिक सहचारी डा० गायीडो ने 1966 में डा० भगवान दास स्मारक ट्रस्ट, 2-एफ, लाजपत नगर, नई दिल्ली को क्रमश: 3,000/-रुपये और 2,500/-रुपये दान में दिये थे । यह धन राशि किसी सोसाइटी की स्थापना के लिए नहीं बल्कि "योगासन कक्षाओं के नियोजन के लिए मण्डप निर्माण दान शीर्ष" नामक खाते में जमा किया गया था ।

(ग) और (घ) डा० भगवान दास स्मारक ट्रस्ट के मन्त्री के अनुसार डा० गायीडो, सोफरोलाजी और मन: कायिक चिकित्सा की अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के अध्यक्ष थे । उन्होंने मार्च, 1966 में इस ट्रस्ट के अहाते में इसकी एक भारतीय शाखा की स्थापना की थी । इस शाखा ने सितम्बर, 1966 तक कार्य किया था । भारत से वापिस जाते समय डा० गायीडो सारा रिकार्ड और पुस्तकें अपने साथ ले गए ।

छोटे तथा सीमान्त किसानों को दी गई धन राशि

3630. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना के आरम्भ होने के समय से छोटे तथा सीमान्त किसानों को राज्यवार कुल कितनी धन-राशि दी गई है और चालू वित्तीय वर्ष में उन्हें कितनी धन-राशि दी जाती है; और

(ख) क्या सरकारी नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन करके तथा सहकारी समितियों के संसाधनों को बढ़ाकर प्राथमिक सहकारी समितियों के द्वारा छोटे तथा सीमान्त किसानों की सहायता करने का कोई प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) संभवत: यह जानकारी लघु तथा सीमान्त कृषकों को दिये गये ऋणों के सम्बन्ध में मांगी गई है । 30 जून, 1970 को समाप्त होने वाले सरकारी वर्ष में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा दी गई राशियां संलग्न विवरण में दी गई है । चतुर्थ योजना के शेष किस्मों के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं । वाणिज्यिक बैंको द्वारा छोटे तथा सीमान्त कृषकों को दिये गये ऋणों की मात्रा भी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) छोटे तथा सीमान्त कृषकों की सहायता करने के लिये पृथक सेवा समितियों की स्थापना के सम्बन्ध में राष्ट्रीय कृषि आयोग तथा ग्रामीण बैंकों की स्थापना के सम्बन्ध में बैंक आयोग की सिफारिशें विचाराधीन है। लघु कृषक विकास एजेन्सी / सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक एजेंसियां छोटे तथा सीमान्त कृषकों को प्राथमिक सहकारी समितियों का सदस्य बनने में सहायता करती है और दुर्बल केन्द्रीय सहकारी बैंकों को ऋण देने के साथ-साथ उनके द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के लिये उपदान भी देती है।

विवरण

सहकारी समितियों द्वारा वर्ष 1969-70 में 2 हैक्टर से कम भूमि वाले कृषकों को दिये गये ऋण :—

(रुपये करोड़ों में)

राज्य का नाम	अल्पावधि तथा मध्यावधि ऋण, जो		दो हैक्टर तक की जोत वाले छोटे कृषकों को जारी किये गये दीर्घावधि ऋण
	दो हैक्टर तक की जोत वाले छोटे कृषकों को जारी किये गये	काश्तकारों कृषि श्रमिकों को जारी किये गये	
आन्ध्र प्रदेश	9.86	1.83	5.58
आसाम	0.71	नाममात्र	0.04
बिहार	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	0.54
गुजरात	10.81	0.45	1.72
हरियाणा	3.17	2.11	उपलब्ध नहीं
हिमाचल प्रदेश	2.48	0.42	0.12
केरल	16.06	4.94	0.90
महाराष्ट्र	21.11	3.38	उपलब्ध नहीं
पंजाब	13.97	7.91	,, ,,
तमिलनाडु	11.48	1.89	7.27
उत्तर प्रदेश	20.59	उपलब्ध नहीं	5.25
मणिपुर	0.03	0.02	उपलब्ध नहीं
गोवा		0.15	,, ,,
पांडिचेरी	0.32	0.04	0.07
योग	110.69	23.14	21.49

नोट:—अन्य राज्यों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

वर्षा से सिंचित फसलों के अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये अन्तर्राष्ट्रीय कृषि केन्द्र को स्थापित करना

3631. **श्री एस० सी० सामन्त :**
श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्षा से सिंचित फसलों के अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कृषि केन्द्र को स्थापित करने के लिए फोर्ड फाउन्डेशन से हुई हाल ही में बातचीत पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) प्रस्तावित केन्द्र के कार्य-कलाप क्या हैं ; और

(ग) इस केन्द्र से भारत सहित किन अन्य देशों को लाभ पहुँचने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) अर्ध-शुष्क उष्णकटिबन्धीय क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसन्धान संस्थान की स्थापना हेतु अन्तर्राष्ट्रीय कृषि अनुसन्धान विषयक परामर्शदात्री ग्रुप की ओर से कार्य कर रहे फोर्ड फाउन्डेशन के साथ भारत सरकार ने करार के ज्ञापन को अन्तिम रूप दे दिया है। यह संस्थान एक स्वायत, अन्तर्राष्ट्रीय, लोक-हितैषी, बिना-लाभ अनुसन्धान, शैक्षणिक और प्रशिक्षण संगठन होगा।

(ख) यह संस्थान (क) ज्वार, कदन्न, अरहर और चर्म के सुधार के लिए विश्व केन्द्र ; (ख) उन्नत फसल प्रतिमानों के विकास तथा प्रदर्शन और कम वर्षा वाले, असिंचित मौसमी शुष्क और अर्ध-शुष्क उष्णकटिबन्ध में मानव तथा प्राकृति संसाधनों के आशाजनक उपयोग के लिए खेती की प्रणालियों की प्रोन्नति हेतु एक केन्द्र, और (ग) एक ऐसे केन्द्र जो अन्य कार्यक्रम के विस्तार का कार्य करेगा, के रूप में कार्य करेगा।

(ग) प्रस्तावित संस्थान से, भारत के अतिरिक्त, प्रत्यक्ष रूप से लाभ उठाने वाले अन्य देश, अफ्रीका और दक्षिण अमरीका के बारानी खेती करने वाले देश जैसे सेंगल, अपर वोल्टा, केन्या, इथोपिया, नाइजीरिया, तन्जानिया और ब्राज़ील होंगे।

क्षेत्र निरीक्षकों द्वारा दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों को तंग करना

3632. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी इमारतों में दिल्ली दुग्ध योजना के काउंटरों पर काम करने वाले इसके कर्मचारी, हालांकि वे अपने काउन्टरों पर तो उपस्थित होते हैं लेकिन थोड़े समय के लिये शौचालय आदि में गये होते हैं, क्षेत्र निरीक्षकों द्वारा अनुपस्थित विहिनत किये जाते हैं जिसके परिणाम-स्वरूप उनका एक दिन का वेतन काटा जाता है और उनको सेवा में व्यवधान माना जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो उन कर्मचारियों के प्रति इस दुर्व्यवहार के क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जांच के समय, यदि दिल्ली दुग्ध योजना के पूर्ण दिन वाले दुग्ध स्टाल के कर्मचारी कार्य करने के घंटों के दौरान अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित पाये जाते हैं और स्टाल बन्द होता है, तो प्रारम्भ में उस दिन की उनकी अनुपस्थित लगा दी जाती है और इसकी सूचना उनको दे दी जाती है । इसके पश्चात्, यदि कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त होता है तो उस मामले को नियमित कर दिया जाता है, यदि नहीं तो उसके विरुद्ध उचित विभागीय कार्यवाही की जाती है। कर्मचारियों द्वारा स्टाल को अस्थायी तौर पर बाथरूम इत्यादि जाने के लिये छोड़ने के अतिरिक्त ऐसा कोई उदाहरण सामने नहीं आया है जिसमें कर्मचारियों को अनुपस्थित पाया गया हो। ऐसा एक मामला है, जिसमें स्टाल को ठीक समय पर न खोलने के कारण प्रबन्धक का स्पष्टीकरण मांगा गया। प्रबन्धक ने सूचित किया था कि वह शायद बाथरूम गई थी । यह मामला अभी विचाराधीन है।

(ख) उपरोक्त भाग (क) में दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुये, प्रश्न ही नहीं होता।

दिल्ली दुग्ध योजना के डिपो न० 257 पर बोतलों के ढक्कनों का बदलना

3633. **श्री चन्द्रशेखर सिंह:** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना के डिपो नम्बर 257 का इंचार्ज टोंड दूध की बोतलों के ढक्कनों को हटा कर उन बोतलों को स्टेण्डर्ड दूध के रूप में बेचता है ;

(ख) क्या इस बारे में टोकनधारियों द्वारा किये गये विरोध के परिणाम-स्वरूप, उनके लिये अधिक कठिनाइयां पैदा हो गई हैं ; और

(ग) क्या इन कदाचारों को रोकने के लिये कोई सतर्कता बरती जायेगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं । दिल्ली दुग्ध योजना ने 1 अप्रैल, 1971 से 31 मार्च, 1972 तक की अवधि में डिपो संख्या 257 के कर्मचारियों द्वारा सील बदलने के सम्बन्ध में 2 शिकायत प्राप्त हुई हैं । एक मामले के सम्बन्ध में जांच करने पर पता लगा कि यह शिकायत दूध की बोतलों के ऊपर कुछ पीला रंग दिखाई देने के सम्बन्ध में थी न कि ढक्कन को बदलने के सम्बन्ध में। दूसरे मामलें में, प्रयोगशाला में परीक्षण के लिये डिपो से आकस्मिक रूप से एकत्रित किये गये नमूनों में मानकीकृत दूध पाया गया, जैसा कि केन्द्रीय डेरी ने भेजा था।

(ख) इस सम्बन्ध में दिल्ली दुग्ध योजना के पास कोई जानकारी अथवा शिकायत नहीं है।

(ग) डिपो कर्मचारियों द्वारा दुराचार को रोकने के लिए डिपुओं के कार्य संचालन के सम्बन्ध में काफी सतर्कता बर्ती जाती है और सामान्यत: कोटि की जांच के लिये डिपुओं से दुध की बोतल के नमूने अकस्मात व नियमित रूप से एकत्रित किये जाते हैं। प्राय: अकस्मात जांच भी की जाती है । शहर के सब दुग्ध डिपुओं में ऐसे दुराचारों को रोकने के लिये इस प्रकार के निरीक्षण तथा जांच की जाती है ।

परिवार नियोजन के लिए गर्भपात करना

3634. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति अधिनियम के लागू होने पर पश्चिम बंगाल सरकार का स्वास्थ्य विभाग गर्भपात को परिवार नियोजन के एक उपाय के रूप में लागू करने के लिये कुछ विशेषज्ञों की राय पर विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञों ने क्या सिफारिशें की हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सीय प्रणाली के साथ आधुनिक चिकित्सा की शिक्षा को समाप्त करना

3635. **श्री मुल्की राज सैनी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय परिषद्, आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सा के साथ आधुनिक चिकित्सा की शिक्षा को समाप्त करने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) क्या भारतीय चिकित्सा प्रणाली की बेहतरी के लिये भारतीय चिकित्सा कालिजों में आधुनिक चिकित्सा के अध्यापन का जारी रखना आवश्यक है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) :(क) से (ग): जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन अपेक्षित है, भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय परिषद् भारतीय विश्वविद्यालयों, बोर्डों अथवा चिकित्सा संस्थाओं द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हताएं प्रदान करने के लिये अपेक्षित एक समान पाठ्यचर्या तैयार कर रही है, जिससे भारतीय चिकित्सा की शिक्षा के न्यूनतम मानक निर्धारित किये जा सकें । इस प्रकार यह परिषद् जो पाठ्यचर्या तैयार करेगी उसे राज्य सरकारों के विचार जानने के लिये उनके पास भेज दिया जायेगा । पाठ्यचर्या के इस मसौदे की प्रतियाँ भेजे जाने से 3 महीने के भीतर जिन राज्य सरकारों से उनके विचार प्राप्त होंगे उन पर यह परिषद् तत्सम्बन्धी विनियमों की स्वीकृति के लिये केन्द्रीय सरकार के पास भेजे जाने से पूर्व विचार करेगी । इस प्रकार भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित की जाने वाली पाठ्यचर्या की विषय-वस्तु के बारे में अभी कुछ कहने की यह स्थिति अपरिपक्व होगी ।

राज्यों में डाक्टरों में बेरोजगारी

3636. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री 20 मार्च, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 97 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि इस समय पूरे देश में डाक्टरों में बेरोजगारी बढ़ रही है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि पंजाब, केरल, बिहार और कुछ अन्य राज्यों में इस समस्या ने गम्भीर रूप धारण कर लिया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस स्थिति का सामना करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) से (ग) : जी नहीं ? देश में खासकर ग्राम क्षेत्रों में डाक्टरों की कुल मिलाकर कमी है । जून, 1971 तथा मार्च 1972 में एक केन्द्रीय चयन दल ने आन्ध्र प्रदेश, केरल, मैसूर, उड़ीसा तथा राजस्थान राज्यों का दौरा किया और अरुणाचल प्रदेश असम राजपत्र, केन्द्रीय आरक्षण पुलिस आदि के अधीन जूनियर मेडिकल अफसरों के पदों पर (550-900 रु० के वेतनमान में) तदर्थ आधार पर नियुक्ति के लिये चयन करने के दोष से 418 अभ्यार्थियों का साक्षात्कार किया । 311 चिकित्सा स्नातकों का चयन किया था और उन्हें तदर्थ आधार पर नियुक्ति के प्रस्ताव दिये गये ।

गुजरात में विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत गृहों का निर्माण

3637. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में जिलावार, राज सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना, निम्न आय वर्ग आवास योजना, मध्यम आय वर्ग आवास योजना, और ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत पृथक-पृथक कितने गृहों का निर्माण किया गया है ; और

(ख) उक्त योजनाओं के अन्तर्गत प्रत्येक योजना में कितने लोगों ने लाभ उठाया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) गुजरात सरकार से अब तक प्राप्त हुई प्रगति रिपोर्टों के अनुसार प्रत्येक योजना के अन्तर्गत राज्य में बनाये गये मकानों की संख्या नीचे दी जाती है :—

	योजना का नाम	निर्मित मकानों की संख्या
1.	औद्योगिक कर्मचारियों और समुदाय के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना ।	22,149
2.	निम्न आय वर्ग आवास योजना	4,551

	राज्य का नाम	निर्मित मकानों की संख्या
3.	मध्यम आय वर्ग आवास योजना	1,096
4.	ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम	1,395
	कुल	29,191

जिलेवार आकड़े इस मंत्रालय में नहीं रखे जाते ।

(ख) प्रत्येक योजना के अन्तर्गत लाभान्वित परिवारों की संख्या उसके अन्तर्गत निर्मित मकानों की संख्या के बराबर होगी । अत: लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या परिवारों की संख्या के लगभग 5 गुना होगी ।

जाति प्रथा को खत्म करने के उपाय

3638. **श्री पप्पन गौंडा :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में, राज्यवार, जाति प्रथा की बुराई को हटाने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ; और

(ख) प्रत्येक राज्य में कितनी प्रगति हुई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) तथा (ख) : इस विभाग का सम्बन्ध जाति प्रथा की सभी बुराइयों से नहीं है ।

जाति प्रथा की बुराई को दूर करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित तीन उपाय किए हैं :–

(1) संविधान के अनुच्छेद 17 के अधीन अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है और किसी भी रूप में उसका आचरण निषिद्ध है । अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 को संसद् द्वारा पास कर दिया गया था, जिसमें अस्पृश्यता के आचरण के लिए दण्ड की व्यवस्था की गई है । दण्डों को बढ़ाकर तथा इस अधिनियम के अधीन अपराधों को अप्रशम्य बना कर इसे अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए इस अधिनियम में और संशोधन किया जा रहा है ।

अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 के अधीन पकड़े गए व्यक्तियों पर कानून द्वारा अभियोग चलाया जाता है । पिछले तीन वर्षों में राज्य-वार अपराधियों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण पत्र सभा-पटल पर रखा जाता है (**अनुबन्ध I**) [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 1830/72**]

(2) कुछ स्वयंसेवी संगठनों को भजन कीर्तन मंडलियों, पुस्तिकाओं, इश्तिहारों के वितरण, प्रचार तथा अन्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के द्वारा अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए योजनाएं चलाने के लिए अनुदान दिए जाते हैं ।

इन संगठनों को दिए जाने वाले अनुदान दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है (**अनुबन्ध 2**) ।

(3) बहुत सी राज्य सरकारें राज्य क्षेत्र योजनाओं के अधीन इस कार्यक्रम को भी चला रही हैं। पिछले तीन वर्ष हुए खर्च दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **(अनुबन्ध 3)**।

Setting up of Wakf Enquiry Committee

3639. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any Wakf Enquiry Committee was set up in 1970 ; and

(b) whether it was necessary to set up the said Committee and if so, the reasons therefor and the work done by it so far ?

The Minister of Agriculture (Shri F. A. Ahmed) : (a) Yes.

(b) In pursuance of the assurance given to the Rajya Sabha during the debate on the Public Wakfs (Extension of Limitation) Bill, 1969, the Government decided to appoint a Committee of three Members of Parliament to evaluate the actual working of the Wakf Act, 1954 and other related aspects of Wakf administration in the country. The Committee was constituted in December, 1970. Due however to the dissolution of the Lok Sabha and subsequent inclusion of one of the Members of the Committee in the Union Council of Ministers, it was re-constituted in September, 1971. The Committee held its first meeting in October, 1971.

The Committee has since framed a comprehensive questionnaire which is under print and will be issued shortly on a wide basis to elicit opinion. The Committee has also simultaneously taken action to collect detailed data on the points relevant to its terms of reference from the State Wakf Boards and State Governments.

शिक्षा मन्त्रालय में सहायक शिक्षा सलाहकार की पदोन्नति

3640. **श्री एम० सत्यनारायण राव** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मन्त्रालय में उप शिक्षा सलाहकार के पद पर तदर्थ नियुक्ति के रूप में पदोन्नति के लिए भी इस मन्त्रालय में सहायक शिक्षा सलाहकार (सामान्य) के रूप में कम से कम चार वर्ष का अनुभव आवश्यक है,

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ पात्र अधिकारियों के दावों की अपेक्षा करके उनके मन्त्रालय में अपेक्षित अनुभव से कम अनुभव प्राप्त एक अधिकारी को उप शिक्षा सलाहकार के रूप में पदोन्नत किया गया था ; और

(ग) क्या इस विशिष्ट अधिकारी की पदोन्नति दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित की गई थी और अन्य अधिकारियों के वैध दावों की अपेक्षा करके इस अधिकारी को शीघ्र पदोन्नति देने के ढंग पर अनेक आक्षेप लगाये गये थे ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) पदोन्नति के नियमों में यह व्यवस्था है कि जिस सहायक शिक्षा सलाहकार की उसी ग्रेड में चार वर्ष की सेवा हो वह पदोन्नति का पात्र है।

(ख) ऐसा अनुमान है कि इस भाग का सम्बन्ध उस अधिकारी के उप शिक्षा सलाहकार (सामान्य) के पद पर पदोन्नति से है, जो सहायक शिक्षा सलाहकार (सी) के संवर्गबाह्य पद पर स्थायी थे और जिसे 6-11-1969 से सामान्य सलाहकार काडर में मिला दिया गया था और उसी तारीख से उक्त अधिकारी को सहायक शिक्षा सलाहकार (जी) के रूप में नियुक्ति किया गया था। क्योंकि अधिकारी द्वारा धारण किए हुए पद को ही आम सलाहकार काडर में मिला दिया गया था, इसलिए उसकी सहायक शिक्षा सलाहकार (संस्कृति) के रूप में और सहायक शिक्षा सलाहकार (सामान्य) के रूप में समस्त सेवा की उक्त अधिकारी की पदोन्नति करते समय ध्यान में रखा गया था। इसलिए, अन्य पात्र अधिकारियों के दावों को दरगुजर करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी हां। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उक्त अधिकारी की सहायक शिक्षा सलाहकार (सामान्य) में निर्धारित वरीयता को, जिसके आधार पर उसे उप शिक्षा सलाहकार (सामान्य) नियुक्ति किया गया था रद्द किए जाने के फलस्वरूप, उसी न्यायालय द्वारा उस अधिकारी की उप शिक्षा सलाहकार (सामान्य) के रूप में इससे पहले हुई पदोन्नति को रद्द कर दिया गया था। न्यायालय ने कोई आक्षेप नहीं किया था।

आंध्र प्रदेश में मछुओं को परेशान करना

3641. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें आन्ध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के एलुरु तालुके में ढोकलापल्लि के पिछड़े वर्ग के वाडी-मछुआ समुदाय से कोई ज्ञापन मिला है जिसमें उन्हें विधि-अनुसार अपना काम करने पर परेशान किये जाने और बाधाएं डालने की शिकायत की गई है।

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं होता।

देश में मूर्तियों की चोरी

3642. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, विशेष रूप से उड़ीसा में मूर्तियों की चोरी में वृद्धि हो रही है, और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों से वर्ष 1970, 1971 और मार्च, 1972 तक ऐसी कितनी चोरियां हुई हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (श्री एस० नुरुल हसन) : (क) क्योंकि सारे देश में मूर्तियों की चोरी के सम्बन्ध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं अत: क्या ये चोरियां अधिक संख्या में हो रही हैं अथवा नहीं, इसके बारे में कोई निष्कर्ष निकलना कठिन है। जहां तक केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों का सम्बन्ध है, आंकड़ों से कोई वृद्धि

का पता नहीं चलता है : 1970 में 19 और 1969 में 29 चोरियों के विपरीत 1971 में 11 चोरियां हुई। तथापि, उड़ीसा में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों के तदनुरूप आंकड़े क्रमश: 2, 1 और 1 है।

(ख) केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों से 1970, 1971 के दौरान और अप्रैल 1972 तक की गई चोरियों का दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1831/72]**

Irrigation Facilities in Border District of U. P.

3643. **Shri Narendra Singh Bisht :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have provided any irrigational facilities for agricultural development in Pithoragarh, Chamoli and Uttarakhand Districts of U. P. and if so the main features thereof;

(b) whether Government have given some suggestions and extended co-operation to the local people for raising fruit and vegetable orchards in the said Districts ; and

(d) if so, the main features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c). : The information is being collected from the State Governments and will be placed on the Table of the Sabha when received.

अखिल भारतीय प्रकाशक अभिसमय

3644. **श्री एम० एम० जोजफ : क्या शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय प्रकाशक अभिसमय ने 23 मार्च, 1972 को सरकार से प्रकाशन के क्षेत्र में उनकी प्रतियोगिता न करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है और उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) : 23 मार्च, 1972 को आयोजित अखिल भारतीय प्रकाशन अभिसमय ने प्रस्ताव पारित किया था कि प्रकाशन के मामले में प्राइवेट तथा पब्लिक सेक्टर के बीच निकट सम्पर्क स्थापित होना चाहिए और इन दोनों को एक दूसरे के प्रयत्नों का सम्पूरक होना चाहिए और एक दूसरे के साथ मुकाबला नहीं करना चाहिए। और जहां कहीं भी राज्य को एक कल्याण-राज्य होने के नाते अपने बचनों को पूरा करने के लिये प्रकाशन के विषय में हस्तक्षेप करना आवश्यक हो, तो सरकार द्वारा केवल पांडुलिपियां तैयार की जाएं और उनके वास्तविक उत्पादन तथा संवितरण को प्राइवेट प्रकाशन उद्योगों पर नितान्त रूप से छोड़ देना चाहिये, ताकि उनकी तकनीकी जानकारी और सुविज्ञता का पूरी तरह से उपयोग किया जा सके।

सन्तुलित विकास, तथा भारतीय पुस्तक उद्योग और व्यापार में पब्लिक व प्राइवेट सेक्टरों में सहयोग की आवश्यकता के प्रति सरकार सजग है, और देश में सारी आवश्यकताओं के प्रसंग में भारतीय पुस्तक उद्योग के विकास हेतु मार्गदर्शन निर्धारित करने के लिए—दोनों— पब्लिक तथा प्राइवेट सेक्टरों के प्रतिनिधियों सहित राष्ट्रीय पुस्तक विकास मंडल स्थापित किया है ।

आई० आई० टी० कानपुर के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

3645. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० आई० टी० कानपुर के हड़ताल करने वाले कर्मचारी तोड़-फोड़ गतिविधियों के रूप में जल सप्लाई, विद्युत सप्लाई और मलनिष्कासन कनेक्शन को अस्त-व्यस्त करके वहां कैम्पस में सामान्य जीवन को खतरे में डाल रहे हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार एक आयोग को नियुक्त करके पूरे मामले की जांच कराने की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) 18-3-72 से 29-3-72 तक की अवधि के दौरान जब कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के कर्मचारियों के एक वर्ग ने हड़ताल की थी, उन्होंने कैम्पस के विद्युत सप्लाई मल-जल तथा जल व्यवस्था को क्षति पहुंचाई थी । क्षति का अनुमान 6,200 रुपये के लगभग था ।

(ख) हड़ताल बन्द हो गई है तथा हड़ताल के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए संस्थान विभागीय जांच कर रहा है ।

राष्ट्रीय पुस्तक विकास बोर्ड

3646. **श्री प्रसन्न भाई मेहता**
श्री पी० गंगादेव } : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न प्रकाशकों को सहायता देने और पुस्तक उद्योग के विकास में बाधक समस्याओं को हल करने के लिये सरकार ने राष्ट्रीय पुस्तक विकास बोर्ड की स्थापना की है ; और

(ख) यदि हां, तो जिस कार्य के लिये बोर्ड का गठन किया गया था, क्या वह पूरा हुआ है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) देश में समस्त आवश्यकताओं के संदर्भ में भारतीय पुस्तक विकास के हेतु मार्ग दर्शन निर्धारित करने और भारत में पुस्तक व्यापार तथा पुस्तक प्रकाशन को प्रोन्नत करने के लिए उपाय सुझाने और साथ ही भारतीय लेखन-कला को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यतः बोर्ड की स्थापना की गई है ।

(ख) जी, हां । भारतीय पुस्तक उद्योग के लिए विभिन्न रियायतें हासिल करने में इसने सफलता प्राप्त की है ।

कृषक मजदूरों को मकानों के लिये भूमि के कब्जे के वैध अधिकार

3647. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में कृषक मजदूरों को मकानों के लिये भूमि के कब्जे के वैध अधिकार उपलब्ध कराने सम्बन्धी लक्ष्य योजना में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इस लक्ष्य को पूरी तरह से तथा शीघ्रता से प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1832/72]**

तमिलनाडु सरकार द्वारा सम्राट राजा राजा चोला की प्रतिमा स्थापित करना

3648. **श्री सी० टी० दण्डपाणि** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थन्जावर के प्राचीन ब्राहादेश्वर मन्दिर के अहाते के अन्दर सम्राट राजा राजा चोला की प्रतिमा स्थापित करने के बारे में तमिलनाडु सरकार के प्रस्ताव को केन्द्रीय सरकार ने नामंजूर कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की नामंजूरी के क्या कारण हैं ।

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) यद्यपि केन्द्रीय सरकार ने थंजापुर में बृहदीश्वर मन्दिर के प्राकार (भीतरी अहाते) में राजा राजा चोला की आधुनिक मूर्ति के संस्थापन के सम्बन्ध में तमिलनाडु सरकार के प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी, किन्तु उसने तमिलनाडु सरकार से अनुरोध किया कि मराहठा प्रवेश द्वार के तत्काल बाहर एक स्थल पर मूर्ति के संस्थापन के सम्बन्ध में सहमत हो जाए। यह स्थल मन्दिर के साथ-साथ संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत है और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा इस स्थान को पहले स्वीकार किया गया था ।

(ख) इस विषय में भारत सरकार ने केन्द्रीय पुरात्व परामर्श मंडल की स्थायी समिति से सलाह की । समिति का विचार था कि प्राचीन मन्दिर के भीतरी अहाते में एक आधुनिक मूर्ति को संस्थापित करना इस देश और अन्य स्थानों के पुरातत्व सिद्धान्तों के विरुद्ध है क्योंकि प्राचीन स्मारकों के निकटस्थ क्षेत्र में किसी आधुनिक मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं की जाती है ।

1972 की फरवरी में इस सम्बन्ध में एक विचार विमर्श के दौरान शिक्षा राज्य मन्त्री ने तमिलनाडु के शिक्षा मन्त्री से यह प्रस्ताव किया था कि राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति का गठन किया जाए जो इस प्रश्न की जांच करेगी तथा इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करेगी और भारत सरकार आदर के साथ उसके मत पर विचार करेगी:—

1. अधीक्षक पुराविज्ञ,
   भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

दक्षिण मंडल मद्रास ।

2. निदेशक पुरातत्व,

तमिलनाडु सरकार ।

3. तमिलनाडु के विश्वविद्यालयों में से एक के इतिहास के प्रोफेसर ।

ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ऐसी समिति का गठन नहीं हुआ है ।

मध्य प्रदेश में आदिवासियों के कल्याण के लिये धन का उपयोग

3650. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के निदेशन के अधीन मध्य प्रदेश में आदिवासी क्षेत्रों के कल्याण के लिये दिये गये धन के उपयोग पर नियंत्रण रखने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) तथा (ख) : मध्य प्रदेश में अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम के अधीन निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:—

(1) मैट्रिक-उपरान्त छात्रवृत्तियां ।

(2) लड़कियों के छात्रावास ।

(3) परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण ।

(4) आदिमजाति विकास खण्ड ।

(5) सहकारिता ।

(6) आदिमजाति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण ।

प्रत्येक योजना के लिए दिए गए केन्द्रीय अनुदान को राज्य सरकार द्वारा योजना के अनुमोदित ढंग के अनुसार खर्च करना होता है ।

धन राज्य महालेखापाल द्वारा दिया जाता है, जो राज्य सरकार द्वारा किए गए खर्च का लेखा परीक्षण भी करता है । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का संगठन तथा पिछड़े वर्ग कल्याण के क्षेत्रीय निदेशक भी इस बात की निगरानी करते हैं कि जो धन किसी विशिष्ट योजना के लिए दिया गया है, उसका उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाए । राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार को प्रगति रिपोर्ट भी भेजनी पड़ती हैं । इस विभाग के अधिकारी भी यह सुनिश्चित करने के लिए दौरे करते हैं कि योजनाओं को उचित रूप से कार्यान्वित किया जाए ।

Akhil Bharat Netra Sudhar Sangh, New Delhi

3651. **Shri Chhatrapati Ambesh :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5173 on the 19th July, 1971 and state :

(a) whether the Akhil Bharat Netra Sudhar Sangh, 2F, Lajpatnagar, New Delhi has executed a Registered Deed by selling 2-acre plot allotted to it along with the building constructed thereon to Dr. Bhagwan Das Trust ;

(b) if so, whether Government would lay a copy of the Registered Deed on the Table of the Sabha ; and

(c) the damages recovered by Government ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral): (a) Government are not aware of any deed having been executed by the Akhil Bharat Netra Sudhar Sangh. The All India Blind Relief Society, to whom the land had been allotted, surrendered it to Government in April, 1969.

(b) Does not arise.

(c) Action to recover damages is being taken.

Creation of New Wheat and Rice Zones

3652. **Dr. Laxminarayan Pandey** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to create new zones for wheat and rice ; and

(b) if so, the outlines and basis thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

विकलांग व्यक्तियों के लिये विशेष रोजगार कार्यालय स्थापित करना

3653. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं जहां विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय नहीं हैं ; और

(ख) ऐसे राज्यों को विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय स्थापित करने हेतु राजी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) विकलांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित राज्यों में विशेष रोजगार कार्यालय नहीं है ।

1. असम
2. बिहार
3. हरियाणा
4. हिमाचल प्रदेश
5. जम्मू तथा काश्मीर

6. मणीपुर
7. मेघालय
8. नागालैण्ड
9. उड़ीसा
10. राजस्थान
11. त्रिपुरा

(ख) हाल में उपरोक्त राज्यों को, जहां विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय नहीं हैं, निवेदन किया गया है कि वे इनकी स्थापना करें।

दिल्ली में 8 वीं और 11 वीं कक्षा के विद्यार्थियों को तैयारी की छुट्टियां देना

3654. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा नई दिल्ली में कुछ सरकारी तथा सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों ने 8 वीं और 11 वीं कक्षा के विद्यालयों को अपनी अन्तिम परीक्षा देने से पूर्व तैयारी करने के लिए इस वर्ष फरवरी के मध्य से शेष अवधि तक छुट्टियां दे दी गई थी जबकि उनके पाठ्यक्रम तब तक पूरे नहीं हुए थे,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) एक शिक्षा वर्ष में (गत तीन वर्षों के लिए) औसतन कितने दिन (गर्मियों की छुट्टियां दीपावली, दशहरा, क्रिसमस, इतवार तथा अन्य छुट्टियों को निकाल कर) पढ़ाई हुई और क्या इस अवधि में कक्षाओं के पाठ्यक्रमों को पूरा किया जा सकता है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी,नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कार्य के औसतन दिनों की संख्या:—

वर्ष	कार्य दिनों की संख्या
1968-69	230
1969-70	225
1970-71	228

उपर्युक्त कार्य दिनों के दौरान पाठ्यचर्या को पूरा किया जा सकता है।

नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में हुई चोरी का सुराग देने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार

3655. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 अगस्त, 1968 को नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय से हुई अमूल्य वस्तुओं की चोरी से सम्बद्ध व्यक्तियों के बारे में सुराग देने वाले लोगों को सरकार ने पुरस्कार देने की घोषणा की थी ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि के पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी ;

(ग) क्या कुछ व्यक्तियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया था ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को कितनी राशि दी गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) जी, हां ।

(ख) 25,000 रुपये ।

(ग) जी, हां ।

(घ) पुलिस ने कई व्यक्तियों से पूछताछ की और उनसे प्राप्त सूचना के आधार पर उसने और आगे जांच पड़ताल की । इसके फलस्वरूप यादगिरि और अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी की गई ।

(ङ) इस प्रयोजन के लिए महानिरीक्षक पुलिस, दिल्ली को 25,000 रुपये की राशि दी गई थी । उन्होंने जनता के 10 सदस्यों और तमिलनाडु आन्ध्र प्रदेश और दिल्ली के 29 पुलिस अधिकारियों के लिए 25,000 रुपये की राशि के नकद इनाम संस्वीकृत किये हैं । प्रत्येक व्यक्ति को दी गई राशि संलग्न विवरण में बताई गई है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1833/72]**

Criteria for Allotment of Quota of Fertilisers to Various States

3656. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government do not allot quota of fertilisers to various States on the basis of their requirement ;

(b) if so, whether Government allot lesser quota to Bihar State in comparison to other States ; and

(c) if so, the criteria of distribution of the said quota ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The Government of India assess the requirement of fertilisers of various States in the country through a system of six monthly Zonal Conferences. In these conferences, the requirement of each State is worked out on the basis of their trend of consumption and the supplies to by made by the domestic manufactures is assessed. If there are any gaps in the requirements and supplies by the domestic manufacturers, residual supplies of imported fertilisers are made through the Central Fertilizer Pool operated by the Government of India. The State Governments are expected to give the assessments of their requirements well in advance to enable imports being arranged in time.

(b) and (c) : It is not true that the Government of India allot a proportionately lesser quantity of imported fertilisers to the Bihar State. The allotment of Pool fertilisers is decided

according to the needs of different states and the total availability of fertiliser in the country. Substantial supplies were made in 1971-72 to Bihar from the Central Fertiliser Pool and special steps were taken to run special trains for them. Road movement approval was also given and supplies would have been even higher if the State Government had been able to make more road transport arrangements for lifting the fertiliser.

रूस से मछुवा नावों का क्रय

3657. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछुआ नावों का क्रय करने के लिये रूस से समझौता हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उनसे कितनी मछुआ नावें क्रय की जायेंगी और अभी तक ऐसी कितनी नावें क्रय की गई ; और

(ग) तमिलनाडु को कितनी मछुआ नावें दी जायेंगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं होता ।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं में मत्स्य नौकाओं की खरीद

3658. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में मत्स्य नौकायें खरीदने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ;

(ख) अब तक कितनी मत्स्य नौकायें खरीदी गई हैं तथा उन देशों के नाम क्या है जिनसे ये खरीदी गई हैं ; और

(ग) क्या भारत में मत्स्य नौकाओं के निर्माण का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो ऐसा कब तक हो जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) : सरकार ने उद्योग को कुछ शर्तों के अन्तर्गत गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले 30 जहाजों के आयात की अनुमति दी है । इनमें से अभी तक चार जहाज अमेरिका से आयात किये जा चुके हैं और आठ जहाजों (चार मैक्सिको से-दो आइसलैण्ड से तथा दो इंगलैण्ड से) के लिये विदेशी जहाज निर्माताओं को निश्चित आदेश दिये जा चुके हैं । उद्योग की भावी आवश्कताओं की पूर्ति के लिये जहाँ तक उन्हें देशीय संसाधनों से पूरा नहीं किया जा सकता है, अतिरिक्त आयात की अनुमति दिये जाने का भी प्रस्ताव है । आयात किये जाने वाले ट्रालरों की संख्या मांग, देशीय उपलब्धि तथा विदेशी जहाजों की आपूर्ति की शर्तों जैसे विभिन्न तथ्यों पर निर्भर करती है । सरकार की प्रशिक्षण तथा सर्वेक्षण जहाजों की आवश्यकाओं के लिये, स्वीडन सरकार से दो जहाज उपहार स्वरूप प्राप्त हुए हैं और एक जहाज पूर्वी जर्मनी से खरीदा गया है । देशीय संसाधनों से 22 प्रशिक्षण तथा सर्वेक्षण जहाज प्राप्त किये जा रहें हैं । एक और विशाल सर्वेक्षण जहाज की आवश्यकता है इसे सर्वोत्तम स्रोत से प्राप्त किया जायेगा जिसके सम्बन्ध में अभी निश्चित किया जाना है ।

(ग) वर्ष 1968-69 में भारत सरकार ने केन्द्रीय संस्थानों तथा राज्य सरकारों की प्रशिक्षण तथा सर्वेक्षण जहाजों की आवश्यकताओं का आकलन किया और पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात क्रमश: सर्वश्री गार्डन रीच वर्कशाप्स कलकत्ता तथा सर्वश्री मजगांव डौंक लिमिटेड, बम्बई के अधीन संगठित किये गये जहाज निर्माता-फर्मों के दो संघों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले 17.5 मीटर लम्बे 40 जहाजों की आपूर्ति के आदेश दिये। इनमें से अभी तक 26 जहाजों की सुपुर्दगी की जा चुकी है और शेष निर्माण के विभिन्न स्तरों पर है।

किसानों को ऋण सुविधायें

3659. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन अपेक्षता निःसहाय किसानों को सुविधायें देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं जैसे बटाईदारों और मुजारों को, भूमि पर रिकार्ड में जिनके कोई अधिकार नहीं है और जिन्हें बैंकों को संतोषप्रद जमानत न दे सकने के कारण वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने में कठिनाइयां पेश आ रही हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में बेरोजगारी संबंधी समिति को सिफारिशें कार्यान्वित करने पर विचार किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) बेरोजगारी से सम्बन्धित विशेषज्ञ समिति ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में बटाईदारों और मुजारों को वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के विशेष कदम उठाने की सिफारिश की गई है। भारत सरकार के अनुरोध पर रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने सहकारी ऋण संस्थाओं को बटाईदारों और मुजारों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं। इन अनुदेशों का एक उद्धारण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1834/73]** सहकारी बैंक प्रत्येक वैयक्तिक जमानत पर डेरी और कुक्कुट पालन विषयक गतिविधियों के लिए 2,000 रुपये तक मध्यावधि ऋण भी प्रदान कर सकते हैं बशर्ते कि विपणन सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था की गई हो। वाणिज्यिक बैंक भी बटाईदारों को वित्तीय सहायता देने के लिए मार्गदर्शी योजनायें क्रियान्वित कर रहे हैं।

मुख्य इंजीनियरों को संयुक्त सचिवों के पदों पर नियुक्त

3660. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सचिव (निर्माण) को 1957 में जारी भारत सरकार के आदेशों के अनुसार मुख्य इंजीनियर के नाम कार्मिक विभाग को उन्हें संयुक्त सचिवों के पदों पर नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार करने हेतु भेजने को कहा गया था ;

(ख) क्या सचिव (निर्माण) ने ऐसे नामों को भेजना अस्वीकार कर दिया था ; और

(ग) यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रमुख इंजीनियर द्वारा भारत सरकार के संयुक्त सचिवों के पदों के लिए विचारार्थ कुछ मुख्य इंजीनियरों के नाम भेजे गये थे ।

(ख) तथा (ग) : चूंकि संयुक्त सचिवों के पदों पर नियुक्ति का निर्णय कार्मिक विभाग द्वारा किया जाता है, उनसे यह पूछा गया था कि भारत सरकार के संयुक्त सचिवों के पदों के लिए विचारार्थ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मुख्य इंजीनियरों के नामों को उन्हें भेजने में कौनसा माप दण्ड अपनाया जाये । उस विभाग ने यह सूचित किया है कि इस सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार अयोग की सिफारिशों को दृष्टि में रखते हुए मामला विचाराधीन है तथा इस मामले पर जब निर्णय हो जायगा तो इंजीनियरिंग सेवाओं को नियंत्रित करने वाले विभागों/मंत्रालयों से सुझाव आमंत्रित किए जायेंगें । अत: सचिव (निर्माण) द्वारा नाम भेजने से इनकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

सड़क परिवहन के विकास के लिए केन्द्रीय रक्षित निधि

3663. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सड़क परिवहन के विकास के लिए कोई केन्द्रीय रक्षित निधि है, और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि की, इसे किस प्रकार खर्च किया जाता है और वह निधि किन राज्यों अथवा क्षेत्रों में खर्च की गई है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बारानी खेती के विकास के लिये धन का नियतन तथा उपयोग

3664. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना में बारानी के विकास खेती के लिये कुल कितना धन नियत किया गया है ; और

(ख) इस पर अब तक कितना व्यय किया जा चुका है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) 20.00 करोड़ रुपये (केवल बीस करोड़ रुपये)।

(ख) वर्ष 1971-72 के व्यय के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुये हैं । यद्यपि, 1.91 करोड़ रुपये (केवल एक करोड़ और 91 लाख रुपये) की कुल राशि निर्मुक्त की गई है ।

वास्तुशिल्पियों द्वारा निजी व्यवसाय

3665. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निर्माण और आवास मंत्रालय

(केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग विंग) में वास्तुशिल्पी निजी व्यवसाय कर रहे हैं और बेनामी नामों से अपना व्यापार चला रहे हैं ;

(ख) क्या उक्त निजी व्यवसाय की नियमों के अन्तर्गत अनुमती दी जाती है ; और

(ग) सरकारी कर्मचारियों के उक्त कदाचार को रोकने के लिये सरकार का क्या तंत्र प्रयोग में लाने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में काम कर रहे वास्तुकों द्वारा निजी व्यवसाय किए जाने के सम्बन्ध में कतिपय आरोप कुछ समय पूर्व सरकार को प्राप्त हुए थे। इनकी छानबीन की गई तथा ये मालूम हुआ कि वे असत्य थे। इस सम्बन्ध में कोई और विशिष्ट आरोप प्राप्त नहीं हुए।

(ख) जी, नहीं।

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में एक सतर्कता एकक, एक मुख्य इन्जीनियर के सम्पूर्ण नियंत्रण में इस प्रकार की शिकायतों की, जब कभी वे प्राप्त होती हैं, छानबीन करता है।

स्वास्थ्य सेवाओं के मुख्य निदेशालय में उप सहायक महानिदेशक की नियुक्ति

3666. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य सेवाओं के मुख्य निदेशालय में उप सहायक निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन कोई नियम बनाए गए हैं और यदि हां, तो क्या इनकी एक प्रति सभा-पटल पर रखेंगे ?

(ख) गत पांच वर्षों से अधिक समय से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा पक्ष में सी० जी० एस० के कितने अधिकारी सहायक महा निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, के पद पर काम कर रहे हैं ; और

(ग) इनका चयन किस प्रकार किया गया था, इस पद पर नियुक्ति की अवधि और इस पद पर उनके इस अवधि के बाद तक कार्य करते रहने और कार्यविधि निश्चित न करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) :

(क) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा और जन स्वास्थ्य वाले पक्ष में उप सहायक महानिदेशक के पद केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में सम्मिलित हैं जिनके लिए नियम संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन पहले ही बनाये जा चुके हैं और भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जा चुके हैं।

(ख) सम्भवतया इससे माननीय सदस्य का अभिप्राय केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा अधिकारियों से है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना वाले पक्ष में कोई केन्द्रीय स्वास्थ्य अधिकारी पिछले पाँच वर्षों से अधिक समय से स्वास्थ्य सेवाओं के सहायक महानिदेशक के पद पर काम नहीं कर रहा है।

(ग) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में उप सहायक महानिदेशक और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना वाले पक्ष में स्वास्थ्य सेवा का सहायक महानिदेशक (जिसका नाम अब उप निदेशक (केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना) रख दिया गया है) के पद केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में सम्मिलित हैं। उनकी नियुक्ति केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियमावली के उपबन्धों के अनुसार की जाती है जिसमें पदों के लिए कोई कार्यकाल निर्धारित करने का उपबन्ध नहीं है। तथापि, विभिन्न स्टेशनों के बीच नियुक्तियों विनियमित करने के लिए हाल ही में स्थानान्तरण पद्धति तैयार कर दी गई है। सेवाओं की अपेक्षाओं और जन हित को ध्यान में रखते हुए एक स्टेशन पर रहने की अवधि श्रेणी 'क' के स्टेशनों के मामलों में 5 वर्ष, श्रेणी 'ख' के मामले में 4 वर्ष, श्रेणी 'ग' के मामले में 3 वर्ष और श्रेणी 'घ' के मामले में दो वर्ष रखी गई है।

फार्मेसिस्टों के कर्तव्य

3667. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में फार्मेसिस्टों के कर्तव्य समान और फार्मेसी अधिनियम, 1948 के उपबन्धों के अनुरूप नहीं हैं, और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार का विचार इन्हें किस प्रकार समान बनाने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) फार्मेसी अधिनियम, 1948 में भेषजज्ञों की ड्यूटी उल्लिखित नहीं हैं। अधिनियम में केवल यह व्यवस्था है कि उक्त अधिनियम के अधीन पंजीकृत व्यक्ति से निम्न कोई भी व्यक्ति चिकित्सक के दिये नुस्खे पर न तो कोई योग बना सकेगा और न कोई दवा तैयार कर सकेगा न मिला सकेगा और न दे सकेगा। दवाई का योग, उसको तैयार, मिश्रण अथवा नुस्खा नहीं बना सकेगा।

फार्मेसिस्टों को क्या क्या काम करने पड़ेंगे यह निश्चित करना उन मालिकों का काम है जो उन्हें नियुक्त करते हैं।

(ख) विभिन्न मालिक एजेन्सियों द्वारा अपेक्षित ड्युटियों में भिन्नता होने के कारण ड्यूटियों में समान संहिता तैयार करना सम्भव नहीं है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना में फार्मेसिस्ट तथा स्टोर कीपर

3668. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना में फार्मेसिस्ट तथा स्टोर कीपरों को, वेतन, बिल अवकाश खाता तथा अन्य पत्र व्यवहार जैसा क्लर्कों का काम करना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य करने के लिये उनको कोई पारिश्रमिक मिलता है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : **(क)** और **(ख)** : किसी फार्मेसिस्ट या स्टोर-कीपर को वेतन बिल, अवकाश खाता तथा अन्य पत्र व्यवहार

जैसा लिपकीय कार्य नहीं करना पड़ता तथापि उन्हें अपने काम के एक अंग के रूप में चिकित्सा सामग्री / उपकरण के स्टाक रजिस्टर रखने, मांग दस्तावेज तैयार करने तथा उनके द्वारा प्रबन्ध की जाने वाली वस्तुओं का हिसाब किताब रखने का कार्य करना पड़ता है ।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दिए गए दुग्ध टोकन

3669. **श्री खेमचन्दमाई चवाडा**
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध टोकनों के लिए विभिन्न वर्गों के कितने आवेदकों को पत्र रजिस्टर में दर्ज है ;

(ख) इन वर्गों के कितने आवेदकों को ये टोकन गत छः मास में जारी किए गए हैं ; और

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना में नियमित रूप से दर्ज आवेदकों के अतिरिक्त कितने आवेदकों को गत छः मास में नए टोकन जारी किए गए हैं और क्यों ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) दिनांक 11-3-72 को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत दिल्ली दुग्ध योजना के पास दुग्ध टोकनों के लिए रजिस्टर हुये अनिर्णित अभ्यावेदनों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

	श्रेणी	संख्या
(1)	महत्वपूर्ण व्यक्ति	1,247
(2)	विशेष परिस्थितियों का कोटा	144
(3)	रक्षा कार्मिक	45
(4)	चिकित्सा के अधार पर	28
(5)	सरकारी अधिकारी	388
(6)	सरकारी कर्मचारी	3,627
(7)	सामान्य	35,309
	योग्य	40,788

(ख) पिछले 6 मास के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा श्रेणीवार निम्न प्रकार दुग्ध-टोकन जारी किये गये :—

	श्रेणी	संख्या
(1)	महत्वपूर्ण व्यक्ति	1,609
(2)	विशेष परिस्थितियों का कोटा	100
(3)	रक्षा कार्मिक	402

श्रेणी		संख्या
(4)	चिकित्सा के आधार पर	274
(5)	सरकारी अधिकारी	219
(6)	सरकारी कर्मचारी	1,636
(7)	सामान्य	1,732
	योग्य	5,972

(ग) अभ्यावेदनों को रजिस्टर किये बिना दिल्ली दुग्ध योजना दूध के लिए कोई टोकन जारी नहीं करती । फिर भी, विशेष श्रेणियों में रजिटर किये गये विशेष मामलों में अध्यक्ष,दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बिना जारी के आवंटन किया जाता है ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिल्ली में थोक अनाज की दुकान खोलना

3670. **श्री निहार लास्कर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम का विचार प्राइवेट विक्रेताओं से प्रतियोगिता करने और गेहूँ के भाव कम करने के लिए राजधानी में थोक अनाज की दुकान खोलने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) खुले बाजार में गेहूँ की विभिन्न किस्मों के वर्तमान भाव क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) खुले बाजार में 14-4-72 को गेहूँ की विभिन्न किस्मों के थोक मूल्य इस प्रकार थे :-

परम्परागत	रु० प्रति क्विंटल
दड़ा	82.00
फार्म	103.00
विशेष फार्म	108.00
मेक्सिकन	
कल्याण	77.00

Setting up of Rice Research Institute in Champaran, Bihar

3671. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have shown anxiety for the production of improved and new varieties of rice through the Indian Agricultural Research Institute and the Central Rice Research Institute and have decided to set up Research Institutes in the rice growing areas for this purpose ; and

(b) if so, the action taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) A number of rice research stations, established many years ago in the important rice growing areas in different states, have been engaged in the breeding of new varieties of rice. During the

last 3-4 years the work at these stations and the stations established later, which have been operating under the State Governments and the Agricultural Universities as well as under the Central Government and the Indian Council of Agricultural Research, has been greatly strengthened under the All India Co-ordinated Rice Improvement Projeet financed by I.C.A.R.

(b) Fourteen varietics of rice produced by the Project, have already been released by the Central Variety Release Sub-Committee, and the same number of varieties is under pre-release multiplication and district trials. The Co-ordinated Project has been provided with a sum of Rs. 160 lakhs for the Fourth Plan period.

Opening of Co-operative Fair Price Shops for Farmers at Panchayat Level

3672. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have felt the necessity of opening shops run by Co-operative Societies at Panchayat level through which the farmers could purchase other essential commodities also on fair price and thus be saved from purchasing goods on higher prices; and

(b) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture (Shri Jagannath Pahadia) : (a) and (b) : Yes, Sir. The policy of the Central Government has been to encourage and assist the co-operatives in rural areas to provide a package of services to the rural population, both in regard to production requisites and consumer needs. With that aim in view, the activities of the village service co-operatives are being increasingly diversified to include not only the supply of credit and agricultural inputs but also retailing of consumer goods at reasonable prices. The primary marketing societies, organised in primary and secondary markets are expected to arrange supplies of consumer goods to the service co-operatives at wholesale rates. Some of these marketing societies are also being provided financial assistance by the State Governments in the form of additional share capital and managerial subsidy for enabling them to perform this function efficiently. The State Governments also give preference to these co-operatives in the allotment of fair price shops and quotas of scarce essential goods. Marketing Societies also have the facility of making purchases from the co-operative wholesale stores already organised at district level and their federations at state and national level.

As a result of these measures, 1,727 marketing societies and 72,305 village co-operatives were reported to have undertaken distribution of consumer articles worth Rs. 224.78 crores in 1969-70. These co-operatives were also operating about 41,000 fair price shops in 1969-70.

One Day Token Strike by Teachers of Bihar University

3673. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether teachers of Bihar University went on one day's token strike in order to get their genuine demands fulfilled ;

(b) if so, the details of their demands and the role to be played by U.G.C. to get their demands fulfilled ;

(c) whether the Central Government has asked for any report from the Government of Bihar in regard to the contribution to be made by the State and Central Governments for fulfilling the demands of the teachers of Bihar University ; and

(d) if so, the facts thereof ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) to (d) : According to the Government of Bihar, the teachers of Bihar University went on a token strike for one day to press their demands. The main demands are :

(i) payment of Dearness Allowance at par with Government employees ;

(ii) introduction of running pay-scale for Lecturers, Readers and Professors ;

(iii) medical facilities, including reimbursement of cost of medicines, as in the caes of Government employees ;

(iv) introduction of gratuity-cum-pension-cum-provident fund scheme.

The demands of the teachers are primarily the concern of the State Government which has appointed a sub-committee of its Cabinet to examine them in consultation with the teachers' representatives. The State Government has not approached the Central Government/University Grants Commission for any assistance in this regard. Nor has the Cental Government called for any report from the Government of Bihar in this regard.

It may also be stated that the question of recommending a suitable ruuning pay-scale for the University teachers is under consideration of the Committee on governance of Universities and Colleges, appointed by the University Grants Commission. The work of the Committee in this regard is in the preliminary stages and it will be some time before its recommendations are made available.

Merit Scholarship to Students of Rural Areas for study in Residential Public Schools

3674. **Shri Narendra Singh Bisht** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme whereunder Merit Scholarships would be granted to the children in rural areas for study in the Residential Public Schools through competitive examination ; and

(b) if so, the broad outlines thereof : and the number of examinations conducted so far for the purpose, their medium and the number of students from rural areas who have been awarded merit scholarships since 1969 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) and (b) : Government of India have formulated a scheme of National Scholarships at the Secondary Stage for Talented Children from Rural Areas. Under this Scheme, 10,000 scholarships are to be awarded every year to the talented children from rural areas. Scholarships are distributed among States/Union Territories at the rate of two scholarships per Community Development Block. The value of scholarhip is Rs. 1,000/- per annum for scholars residing in a hostel or approved boarding house and Rs. 500/- per annum for Day scholars. Selection of scholars are made by conducting examinations at two levels : first, at the level of the Community Development Block and the second one at the State level. The examination will be conducted by each State according to the medium of instruction obtaining at the secondary stage therein. This is a Central Scheme which is implemented through the State Governments. Funds for the purpose will be placed at the disposal of the State Governments who will make the selection of scholars, place them at the selected institutions and disburse the scholarship amount.

The Scheme was introduced only from the academic year 1971. Information regarding the number of scholarships awarded during 1971 is being collected from the States and Union Territories.

"नेबरहुड स्कूलों" की स्थापना

3675. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा आयोग (1964) ने ऐसे "नेबरहुड स्कूलों" की स्थापना की सिफारिश की थी जिनमें अड़ौस-पड़ौस के धनियों और निर्धनों दोनों के पुत्र-पुत्रियाँ इकट्ठे शिक्षा पा सकें, और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे स्कूल खोलने में क्या कठिनाई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : **(क) और (ख)** : शिक्षा आयोग (1964-66) में पड़ौसी पाठशाला अवधारणा को पहले प्राथमिक स्तर पर और बाद में उच्चतर प्राथमिक स्तर पर आखिरी रूप से अपनाने की सिफारिश की / आयोग का यह विचार था कि अगले 20 वर्षों में सुनियोजित कार्यक्रम की स्थिति प्राप्त करने हेतु पड़ौसी अवधारणा को दीर्घकालिक लक्ष्य के रूप अपनाया जाय। इसे निम्नलिखित ढंग से अपनाया जाना चाहिए :—

(1) अगले दस वर्षों के दौरान दोनों कार्यक्रमों को साथ-साथ आगे चलाया जाए। पहले सभी प्राथमिक स्कूलों को निर्धारित न्यूनतम स्तर पर लाया जाय और उनमें से लगभग दस प्रतिशत स्कूलों को कोठि के उच्चतर स्तर पर चलाया जाय।

(2) साथ ही साथ पडौसी पाठशाला पद्धति को अवसर प्राथमिक अवस्था में उन क्षेत्रों में प्रायोगिक परियोजना के रूप में लागू किया जाय जहाँ लोक मत इसे स्वीकार करने के पक्ष में हो।

उपरोक्त सिफारिशों को राज्य सरकारों को ध्यान में ला दिया गया है। 1968 भारत सरकार द्वारा जारी की गई शिक्षा की राष्ट्रीय नीति में यह बताया गया था कि शिक्षा आयोग द्वारा सिफारिश की समान पाठशाला पद्धति को अपनाया जाना चाहिए ताकि सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जा सके। सामान्य स्कूलों के शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए प्रयत्न किये जाने थे। पब्लिक स्कूलों की तरह के सभी विशेष स्कूलों में छात्रों का दाखिला योग्यता के आधार पर किया जाना था और सामाजिक वर्गों के पृथक्करण को बचाने के लिए फीस माफी के निर्धारित अनुपात की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। फिर भी, इससे संविधान के अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

प्राथमिक स्कूलों को उन्नत करने के लिए लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं। इस बात का संकेत मिला है कि जहाँ तक गांवों का सम्बन्ध है प्रत्येक गांव में केवल एक ऐसा स्कूल है जिसमें सभी कक्षाओं के बच्चे पढ़ते हैं। केवल नगरीय क्षेत्रों में ही ऐसी बात है कि प्राइवेट स्कूल होने के कारण वहाँ स्कूलों के पृथक्करण की झलक दिखाई पड़ती है। केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना से तथा पब्लिक स्कूलों में 25% उपलब्ध स्थानों तक गरीब तथा योग्य छात्रों को छात्र-वृत्तियों की संस्वीकृत के कारण इसे कुछ सीमा तक रोका गया है।

सरकार प्रत्येक ब्लाक में एक प्राथमिक स्कूल तथा प्रत्येक जिले में एक मॉडल माध्यमिक स्कूल की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

Setting up of Baby Food Factory by Food Corporation of India at Kotdwar, U. P.

3676. **Shri Narendra Singh Bisht**: Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the Food Corporation of India are goint to set up a Baby Food Factory at Kotdwar (District Pauri Garhwal, U. P.);

(b) if so, its total production capacity and the estimated cost as also the number of persons likely to get employment in the said factory; and

(c) the date when its construction would start and the date when it is likely to start production?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde):

(a) No, Sir.

(b) : and (c) Do not arise.

स्कूली शिक्षा में सुधार करना

3677. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश भर में और विशेष कर दिल्ली में स्कूली शिक्षा में सुधार करने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हाँ, तो राज्य-वार योजनाओं का ब्यौरा क्या है।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) : शिक्षा राज्य का विषय होने के कारण, भारत सरकार की मुख्य भूमिका राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्रों के प्रशासनों को, स्कूली शिक्षा की कोटि के सुधार संबंधित मामलों पर सलाह देना है।

इस दृष्टि से निम्नलिखित कुछ कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है :—

(1) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, स्कूलों की पाठ्यचर्चाओं के सुधार, पाठ्यपुस्तकों और अन्य अध्यापन तथा पठन सामग्रियों को तैयार करने, विज्ञान शिक्षा के सुधार, नए अध्यापन पद्धतियों (दृश्य-अन्य उपकरणों के प्रयोग सहित) को अपनाने, परीक्षा सुधार और अध्यापक प्रशिक्षण संबंधी मामलों पर, राज्य सरकारों को सलाह देती है तथा राज्य शिक्षा विभागों की सहायता करती हैं।

(2) ऐसी राज्य शिक्षा तथा विज्ञान शिक्षा संस्थाओं को स्थापित करने में राज्य सरकारों और संघीय प्रशासनों को सहायता दी जाती है, जिनकी मुख्य जिम्मेदारी स्कूल शिक्षा में कोटि का सुधार करना है।

(3) शिक्षा आयोजकों और प्रशासनों के लिए एक ऐसे राष्ट्रीय स्टाफ कालेज को स्थापित करने का प्रस्ताव है जो जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का तथा आमतौर पर शिक्षा प्रबन्ध में सुधार लाने का प्रयास करेगा।

(4) ऐसे सामुदायिक प्राथमिक स्कूलों और व्यापक माध्यमिक स्कूलों को स्थापित करने का भी

एक प्रस्ताव विचाराधीन है, जो स्कूली शिक्षा के सुधार में बड़े पैमाने और समग्र रूप से मार्गदर्शन कर सके।

(5) समय समय पर, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, राष्ट्रीय स्कूल पाठ्यपुस्तक बोर्ड आदि जैसे सलाहकार निकायों द्वारा स्कूली शिक्षा के सुधार के लिए विभिन्न कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं और उन्हें राज्य सरकारों और संघीय प्रशासनों को भेजा जाता है। एक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा बोर्ड स्थापित करने के प्रस्ताव की भी जांच पड़ताल की जा रही है।

प्रत्येक राज्य सरकार और संघीय प्रशासन की जिम्मेदारी अपनी-अपनी स्थानीय परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्कूली शिक्षा के कोटि के सुधार की योजनाएं और इस विषय पर सिफारिश किए गए व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए योजनाएं तैयार करना और उनको अपनी विकास योजनाओं में शामिल करना है। तत्पश्चात्, भारत सरकार इन योजनाओं को अन्तिम रूप देने के लिए राज्यों और संघीय प्रशासनों को सहायता करती है और समय-समय पर निर्धारित नीति के अनुसार उनके लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था करती है।

अखिल भारतीय समन्वित चावल सुधार परियोजना, पत्तम्बी

3678. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय समन्वित चावल सुधार परियोजना, पत्तम्बी सम्बन्धी योजना सरकार की मंजूरी के लिए अनिर्णीत पड़ी है ; और

(ख) यदि हाँ, तो केन्द्र द्वारा कब तक इस योजना को मंजूरी दे दिये जाने की आशा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी, नहीं।

(ख) अखिल भारतीय समन्वित चावल सुधार परियोजना के अन्तर्गत पत्तम्बी केन्द्र की ही संस्वीकृति दी जा चुकी है और स्वीकृत परियोजना की एक प्रति 13-1-1970 को केरल सरकार भेज दी गई थी। वित्तीय संस्वीकृत केरल सरकार को 21-6-1971 को जारी की गई थी। केन्द्र पहले से ही कार्य कर रहा है और केन्द्र को चलाने के लिए केरल सरकार को अनुदान दिये जा रहे हैं।

पूंजी निवेश करने से पूर्व वन संसाधनों का अध्ययन करने हेतु यू० एन० डी० पी० सहायता

3679. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूंजी निवेश करने से पूर्व वन संसाधनों का अध्ययन करने के लिए यू० एन० डी० पी० सहायता के ग्रामीण कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास मंजूरी के लिए अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो केन्द्र द्वारा कब तक इस योजना की मंजूरी दे दिये जाने की आशा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

तूती कोरीन पत्तन का नाम वी० ओ० चिदम्बरम् पत्तन रखना

3680. **श्री एस० ए० भुरूगनन्तम** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण के महान् देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी वी० ओ० चिदम्बरम् के नाम पर तूती कोरीन पत्तन का नाम रखने की तमिलनाडु में बढ़ती हुई मांग की जानकारी है,

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य की भी जानकारी है कि तमिलनाडु विधान सभा के विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों द्वारा भी विधान मण्डल में यही मांग की गई है ; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार अपने पूर्व निर्णय पर पुन: विचार करेगी और इस पत्तन का नाम दक्षिण के इस महान् स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रख दिया जायगा ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तूती कोरिन नगरपालिका ने 29-7-70 को एक संकल्प पारित किया जिसमें सरकार से तूती कोरिन में नये बन्दरगाह का तूती कोरिन वी० ओ० सो हारबर के रूप नाम न देने के लिये अनुरोध किया था । प्रार्थना फरवरी, 1971 में तमिलनाडु सरकार ने भारत सरकार के विचारार्थ भेजी ।

(ख) तमिलनाडु विधान सभा में मांग के बारे में सरकार का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । परन्तु, यह विदित हुआ है कि इस वर्ष तमिलनाडु विधान सभा में इस विषय पर विचार विमर्श हुआ ।

(ग) व्यक्तियों के नाम से बन्दरगाह को नाम देने की प्रथा नहीं है यद्यपि पत्तन में भिन्न-भिन्न गोदियां को इस तरह नाम दिये हैं । बन्दरगाह जिस स्थान पर स्थित है उस स्थान के नाम से जाना जाता है । इस दृष्टि से तूती कोरिन में जब नया बड़ा पत्तन बन जायगा तब तूती कोरिन पत्तन कहा जायगा जैसा कि देश में अन्य बड़े पत्तनों के मामले में है ।

राजा राम मोहन राय की 200 वीं वर्षगांठ के समारोह पर राष्ट्रीय पुस्तकालय आन्दोलन

3681. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजा राम मोहन राय की 200 वीं वर्षगांठ के समारोहों सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति ने राष्ट्रीय पुस्तकालय आन्दोलन का आह्वान किया है जिससे कि जनता को आसानी से पुस्तकें मिल सकें ।

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में समिति द्वारा दिये गये सुझाव क्या हैं ; और

(ग) उन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, हां ।

(ख) समिति ने निम्न प्रस्ताव स्वीकृत किए थे ताकि ऐसे आन्दोलन कारगर ढंग से कार्यान्वित किए जा सकें:—

(i) सोसाइटी पंजीकृत अधिनियम के अन्तर्गत राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान

जो पुस्तकालयों और शिक्षा शास्त्रियों का प्रतिनिधित्व करता है, सोसायटी पंजीकृत के रूप में स्थापित की जाए।

(ii) केन्द्रीय और राज्य सरकार से अनुदानों द्वारा प्रतिष्ठान को सहायता दी जाएगी।

(iii) यह वर्तमान पुस्तकालयों की सहायता करेगा और नए पुस्तकालयों की भी स्थापना करेगा।

(iv) प्रतिष्ठान द्वारा सहायता प्राप्त या संस्थापित पुस्तकालयों को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चल पुस्तकालय सेवा आयोजित करना अपेक्षित है।

(v) दुर्लभ पांडुलिपि और मुद्रित सामग्री के संरक्षण की सहायता के लिए तथा देश के पांच क्षेत्रों में पुस्तक संरक्षण और रिप्रोग्राफिक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठान पांच पुस्तकालय सेवा केन्द्रों की भी स्थापना करेगा।

(vi) जो छात्र पाठ्य पुस्तक खरीद नहीं कर सकते उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने और भारतीय लेखकों द्वारा विभिन्न शिक्षणों में पाठ्यपुस्तकों के ग्रंथ सूची को भी तैयार करने और उनकी पाठ्यपुस्तकों की समेक्षा (रिव्यू) आदि के प्रकाशन के लिए दिल्ली में राजा राम मोहन राय शिक्षा संसाधन केन्द्र की स्थापना की जाए।

(ग) सरकार ने प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई आरम्भ की है। 200 वीं वर्ष गांठ के समारोहों को शुरू करने के लिए 21 मई, 1972 की कलकत्ता में राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के उद्घाटन का प्रस्ताव है।

स्कूलों और कालेजों में लगी पाठ्यपुस्तकों में साम्प्रदायिक प्रचार के बारे में शिकायतें

3682. **श्री सी० जनार्दन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि देश के स्कूलों और कालेजों में लगी पाठ्य पुस्तकों में साम्प्रदायिक प्रचार की झलक होती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन शिकायतों की जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त करने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख): रिपोर्टों पर कार्यवाही करते हुए यह देखने में आया है कि कुछ राज्यों कुछ स्कूल पाठ्य पुस्तकों में सामग्री ऐसी है, जिससे अल्प संख्यक समुदायों के कुछ वर्गों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, भारत सरकार ने 1966 में प्रो० के० जी० सैय्यदैन की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित की थी। समिति को निम्नलिखित विषय सौंपे गए थे :—

(i) विशेष रूप से अन्तर साम्प्रदाय तथा अन्तर क्षेत्रीय अवबोधन को ध्यान में रखते हुए, समिति को सूचित की गई पुस्तकों के सम्बन्ध में खास-खास शिकायतों की जांच करना।

(ii) पाठ्य पुस्तकों के निर्माण और मूल्यांकन के सामान्य सिद्धान्त तय करना विशेष रूप

से भाषाएं, इतिहास और सामाजिक अध्ययन विषयों को पढ़ाने से सम्बन्धित पुस्तकें ; और

(iii) इस प्रकार तय किए गए सिद्धान्तों के आधार पर तैयार की गई पाठ्यपुस्तकों के निर्माण और मूल्यांकन के लिए व्यावहारिक कार्यक्रम पर सुझाव देना ।

समिति ने अपनी रिपोर्ट 11-7-68 को प्रस्तुत की थी । रिपोर्ट की प्रतियां सभी राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्रों के पास भेज दी गई थीं । राष्ट्रीय स्कूल पाठ्य पुस्तक बोर्ड ने 5 और 6 अप्रैल 1969 को हुई अपनी बैठक में सिफारिश की थी कि इसी राज्य में निर्धारित की जाने वाली स्कूली पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन मुख्यत: उस राज्य द्वारा ही किया जाना चाहिए । इसे ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से स्कूली पाठ्य पुस्तकों के मूल्यांकन का प्रश्न मई, 1970 में हुई राष्ट्रीय स्कूल पाठ्य पुस्तक बोर्ड की दूसरी बैठक के सम्मुख रखा गया। राष्ट्रीय स्कूल पाठ्य पुस्तक बोर्ड में सभी राज्यों के शिक्षा मन्त्री सदस्य हैं। इस बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय किया गया कि सभी राज्यों और संघीय क्षेत्रों में स्कूलों में प्रयोग के लिए निर्धारित अथवा सिफारिश की जाने वाली पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन किया जाना चाहिए ।

1. अस्पृश्यता
2. सांप्रदायिकता
3. जातिवाद
4. भाषावाद
5. क्षेत्रीयवाद
6. धार्मिक असहनशीलता

द्रुतगामी कार्यक्रम के अनुपालन और समन्वय के लिए प्रत्येक राज्य की प्रमुख भाषा की स्कूली पाठ्य पुस्तकों के निर्माण का काम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् को सौंपा गया और इतिहास नागरिक शास्त्र, नैतिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन तथा भाषाओं की पुस्तकों का मूल्यांकन किया जाना था । यह कार्यक्रम अब पूरा होने वाला है । विशेषज्ञ समितियों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट संबंधित राज्यों के पास आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है । समीक्षा समितियों की सिफारिशों के आधार पर बहुत सी राज्य सरकारों ने पहले से ही कार्य आरम्भ कर दिया है ।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने अन्य विषयों के साथ-साथ सामाजिक अध्ययन और इतिहास की पाठ्य पुस्तकें तथा अध्यापकों के लिए गाईड आदि भी तैयार किए हैं और इन पुस्तकों तथा अन्य सामग्री को विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों में प्रयोग के लिए स्वीकार कर लिया है अथवा अनुकूल बना लिया गया है ।

उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए भारत सरकार यह आवश्यक नहीं समझती कि पाठ्य पुस्तकों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने के लिए कोई आयोग नियुक्त किया जाए, लेकिन यदि कोई शिकायत आई तो उसकी जांच की जाएगी और उसे दूर करने की कार्रवाई की जाएगी ।

Construction of Bridge Across Ganga at Patna

3683. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the amount given by the Central Government to the State Government so far for the construction of the bridge across Ganga River at Patna ;

(b) whether a memorandum has been submitted to him by the Samyukt Nagrik Suraksha Samiti in this regard ; and

(c) if so, the main features thereof and Government's reaction thereto ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) Rs. 70.00 lakhs.

(b) Yes, Sir.

(c) The Memorandum lays emphasis mainly on the various problems of the persons being displaced as a result of the acquisition on their homes and land as a resut of the work connected with the construction of the bridge in question. As the proposed bridge false on a State road, the Government of Bihar are primarily concerned with all matters connected with it. A copy of the Memorandum has accordingly been forwarded to the Government of Bihar for looking into the grievances of the persons mentioned in the Memorandum.

बिहार में बाढ़ से बह गई स्कूल की इमारतों के निर्माण के लिए सहायता

3684. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछली विनाशकारी बाढ़ में बिहार में अनेक प्राथमिक और अन्य स्कूलों की इमारतें बह गई थीं ; यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ।

(ख) क्या इन प्राथमिक स्कूलों की इमारतों के निर्माण के लिए बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है ; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता मांगी गई है और इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) : राज्य सरकार ने यह बताया था कि बिहार में स्कूलों की बहुत सी इमारतें बाढ़ के कारण टूट फूट गयी थीं । बाढ़ राहत उपायों के सम्बन्ध में केन्द्रीय दल ने बिहार में बाढ़ से हुई क्षतिपूर्ति का मूल्यांकन किया और उसकी सिफारिश पर राज्य सरकार को एक मुश्त सहायता दी गई जिसमें क्षतिग्रस्त स्कूल इमारतों की मरम्मत की व्यवस्था भी शामिल थी ।

Setting Up of a Unit of Modern Bakeries in Bihar

3685. **Shri Ram avtar Shastri :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to set up a Unit of Modern Bakeries in Bihar ; and

(b) if so, the main features thereof and the time by which Government propose to start it ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) :

(a) and (b) A proposal to set up a medium sized bakery unit with a capacity of about 10,000 leaves per day in Bihar is under consideration of the Campany. Feasibility study and market survey report for setting up the Unit have since been completed and are being examined.

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति (संशोधन) विधेयक को पुर:स्थापित करना

3686. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार चौथी लोक सभा के भंग होने के कारण व्ययपगत हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (संशोधन) विधेयक को फिर से पुर:स्थापित करने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : विधेयक को संसद के चालू सत्र में पेश किये जाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

दिल्ली दुग्ध योजना को आयातित दुग्ध चूर्ण और बटर आयल का आवंटन

3687. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1971 से मार्च, 1972 के बीच नि:शुल्क भेटों समेत दिल्ली दुग्ध योजना को कितना तथा कितने मूल्य का आयातित दुग्ध चूर्ण और बटर आयल आवंटित किया गया ;

(ख) उपरोक्त वस्तुओं का क्या उपयोग किया गया ; और

(ग) क्या बटर आयल का घी बनाया जाता है न कि जिसके लिये आयात सहायता अभिप्रेत है ।

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) अपेक्षित जानकारी निम्न सारिणी में प्रस्तुत है:—

मद	आवंटन का स्रोत	दिल्ली दुग्ध योजना को आवंटित मात्रा (मीटरी टन)	आयातित दूध का मूल्य (मीटरी टन)	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा प्राप्त मात्रा (मीटरी टन)	प्राप्त मात्रा का मूल्य
आयात	आई०डी०सी०	983.161	42,76,750.35	982.931	42,75,749.8
दुग्ध चूर्ण	एन०डी०डी०वी०	1965.000	89,63,860.00	522.349	21,77,915.3
	कुल योग :	2948.161	132,40,610.35	1505.280	64,53,665.2
बटर आयल	आई०डी०सी०	340.000	32,87,800.00	339.805	32,85,914.3

दिल्ली दुग्ध योजना ने उपरोक्तलिखित समस्त आयातित दुग्ध चूर्ण और बटर आयल की कीमत अदा की और इसका कोई भी भाग निःशुल्क प्राप्त नहीं किया ।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना ने आयातित दुग्ध चूर्ण और बटर आयल का दूध के पुनःमिश्रण के लिये उपयोग किया था ।

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बटर आयल घी में परिवर्तित नहीं किया जा रहा है ।

फरवरी, 1971 में हुए आठवें डेरी उद्योग सम्मेलन की सिफारिशें

3688. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान फरवरी, 1971 में हुये आठवें डेरी उद्योग सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों की ओर दिलाया गया है जिनमें सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह कारखानों में बनाये गये दुग्ध उत्पादों और उन्हें भरने के लिए अपेक्षित डिब्बों पर उत्पादन शुल्क समाप्त कर दें ;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में दुग्ध उद्योग को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए क्या कार्यक्रम बनाया गया है ; और

(ग) आठवें डेरी उद्योग सम्मेलन में की गई अन्य सिफारिशों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) सरकार ने फरवरी, 1971 में हुए नवम् डेरी उद्योग सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों की प्रति अब भारतीय डेरी विज्ञान एसोशिएशन से अनौपचारिक रूप से प्राप्त कर ली है । अन्य बातों के साथ-साथ इन सिफारिशों में सरकार से सिफारिश की गई है कि सब दुग्ध-उत्पादों तथा उनके पैकिंग के लिये प्रयोग में लाये जाने वाले डिब्बों को उत्पाद कर से छूट दे दी जाये । इन सिफारिशों की ओर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड का ध्यान आकर्षित किया गया है ।

(ख) स्थिति संलग्न विवरण में स्पष्ट कर दी गई है ।

(ग) सम्मेलन की सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

विवरण

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान दुग्ध उद्योग के लिये दी जाने वाली प्राथमिकता से सम्बन्धित कार्यक्रम

हमारे देश में दुग्ध उद्योग दो पहलुओं, अर्थात् दुग्ध उत्पादन तथा दुग्ध विपणन से परस्पर सम्बन्धित है । केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत देश में दुग्ध-उत्पादन बढ़ाने के लिये कई पशु तथा डेरी विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किये हैं । प्रमुख योजनायें निम्न प्रकार हैं:—

1. सघन पशु विकास परियोजनाएँ

2. आदर्श ग्राम योजना ।

3. स्थानीय पशुओं से दुग्ध उत्पादन के लिये विदेशी नस्ल प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में संकर-प्रजनन योजनायें ।

4. कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र ।

5. चारा तथा भूसा विकास योजनायें ।

6. गौशाला विकास योजनाएं ।

7. बृहत् पशु-प्रजनन फार्मों की स्थापना तथा सांड़ों का संतति परीक्षण ।

8. प्रजनन क्षेत्रों में ढोर पंजीकरण योजनायें ।

9. 50,000 तथा उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में दुग्ध वितरण योजना ।

10. कम जनसंख्या वाले शहरों में ग्रामीण डेरी केन्द्र ।

2. इसके अतिरिक्त, सरकार विपणन तथा डेरी विकास के लिये बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास के चार महानगरों में सार्वजनिक क्षेत्र की डेरियों की वर्तमान 10 लाख लिटर प्रतिदिन की दुग्ध परिसंस्करण सुविधाओं को 5 वर्ष की परियोजना अवधि के अन्त तक प्रतिदिन 27.5 लाख लिटर तक बढ़ाने के सम्बन्ध में 95.40 करोड़ रुपये की लागत से एक व्यापक कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है । इसके साथ ही साथ 10 राज्यों में स्थित इन शहरों के दुग्ध-क्षेत्रों से दूध की अधिक उपलब्धि के लिये भी एक व्यापक कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है ।

3. कुछ शहरों की दुग्ध योजनायें विशेषकर कम आय वाले लोगों के लिये कम लागत पर टोन्ड तथा डबल-टोन्ड दूध को तैयार कर उसका वितरण कर रही हैं । यह दूध आयातित सपरेटा दुग्ध चूर्ण से बनाया जाता है और विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण आयात को सीमित रखा जाता है । इसके अतिरिक्त, 3 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों के लिये पोषक आहार की व्यवस्था करने के लिये एक योजना प्रारम्भ की गई है और भारत सरकार द्वारा इस योजना के लिये पूर्ण वित्तीय सहायता दी जाती है । जिन क्षेत्रों में डेरी की सुविधाएं उपलब्ध हैं वहां के बच्चों को सप्लाई होने वाले आहार का एक भाग दूध के रूप में होगा ।

बच्चों का कुपोषण

3689. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 से 6 वर्ष की आयु वाले लगभग 40 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं ; और

(ख) विभिन्न राज्यों में सरकार ने क्या कार्यक्रम अपनाए हैं और इस को कार्य पूरा करने में कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) देश के विभिन्न भागों में एक से पाँच वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों में किये गये पोषण संबन्धी सर्वेक्षणों से पता चला है कि लगभग 5 से 40 प्रतिशत तक बच्चे किसी न किसी हद तक प्रोटीन-कैलोरी कुपोषण से पीड़ित हैं । दक्षिणी और पूर्वी राज्यों में और चावल खाने वाले भू-भाग में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और

महाराष्ट्र के कुछ भागों में यह रोग अधिक तीव्र है देश के अन्य भागों में भी इस रोग के थोड़े बहुत होने की सूचना मिली है।

(ख) प्रोटीन कैलोरी कुपोषण को खत्म करने के लिये सरकार अनेक कार्यक्रम चला रही है। एक दीर्घ कालीन उपाय के रूप में पोषण सम्बन्धी शिक्षा लोगों को दी जा रही है तथा तुरन्त राहत देने के लिए बच्चों को अनुपूरक आहार दिया जा रहा है जिसमें कैलोरी और प्रोटीन वाले पौष्टिक अनुपूरक पदार्थ दिये जाते हैं इस सम्बन्ध में जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :—

(1) **त्वरित आहार कार्यक्रम** : यह कार्यक्रम समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाया जाता है और यह शहरों की गंदी बस्तियों तथा आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले एक से पाँच वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों के लिये है। इसके अन्तर्गत शहरों की गन्दी बस्तियों में पौष्टिक रोटी और क्रीम निकले दूध तथा आदिवासी क्षेत्रों में मोटे अनाज और दालें जैसे स्थानीय रूप उपलब्ध खाद्यान्नों से बने पदार्थों के अनुपूरक आहार दिये जाते हैं। यह कार्यक्रम बीस राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में चल रहा है और 15 जनवरी, 1972 तक इससे लाभ उठाने वालों की संख्या 15, 54,869 थी।

(2) **बाल बाड़ियों के माध्यम से स्कूल पूर्व की आयु वाले बच्चों को आहार देना** : समाज कल्याण विभाग ने बाल बाड़ियों में स्कूल पूर्व आयु वाले बच्चों को स्थानीय रूप से उपलब्ध पौष्टिक खाद्यान्नों से बने अनुपूरक आहार देना शुरू किया है। इस समय 4,216 बाल बाडियों में 1,23,165 बच्चे इस कार्यक्रम का लाभ उठा रहे हैं।

(3) **स्कूल आहार कार्यक्रम** : शिक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे इस कार्यक्रम का उद्देश्य अनुपूरक मध्याह्न आहार देकर, प्राइमरी स्कूल के बच्चों का प्रोषकीय स्तर बढ़ाना है। 14 राज्यों में लगभग एक करोड़ दस लाख बच्चे इस कार्यक्रम का लाभ उठा रहे हैं जिनमें से दस लाख स्कूल पूर्व आयु वाले बच्चे हैं।

(4) **व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम** : यह कार्यक्रम सामुदायिक विकाश विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है यह आहार साथ-साथ एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत भूग्रामीण आहार के क्षेत्रों में स्कूलपूर्व आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषकीय स्तर को सुधारने के लिये अण्डे, मछलियां तथा स्कूल के बगीचों और सामुदायिक बगीचों में सब्जियों और फल उगा करके पौष्टिक खाद्य देने के व्यावहारिक तरीके इस्तेमाल किये जाते हैं। इन स्थानों पर इन खाद्यों को पैदा कर तथा बाल बाड़ियों और स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से अनुपूरक आहार कार्यक्रम में पौष्टिक तत्वों के रूप में इनका उपयोग कर महिलाओं और बच्चों को व्यावहारिक पोषण शिक्षा दी जाती है यह कार्यक्रम 24 राज्यों के 833 सामुदायिक विकास खण्डों में चल रहा है।

विभिन्न राज्यों में प्रदर्शननियों, फिल्मों, पोस्टरो और प्रदर्शनों के जरिये जन संचार माध्यम से पोषण सम्बन्धी शिक्षा दी जा रही है ।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के पोषण सैल द्वारा पोषण के विभिन्न पहलुओं पर दस फिल्म क्लिप तैयारे किये गये हैं ये फिल्में 13 क्षेत्रीय भाषा-भाषाओं में तैयार की गई हैं और पोषण सम्बन्धी शिक्षा जन के लिये इन्हें नेशनल सक्रेट आफ इण्डिया द्वारा प्रदर्शित किया गया है ।

सड़क सुरक्षा तथा ट्रैफिक समिति का प्रतिवेदन

3690. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क सुरक्षा तथा ट्रैफिक समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सड़क सुरक्षा सम्बन्धी समस्याओं के सम्बन्ध में समिति ने सभी राज्यों का दौरा किया था ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सड़क सुरक्षा अध्ययन दल असम, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के सिवाय सभी बड़े राज्यों में गया ।

सरकारी प्रकाशनों की बिक्री के सम्बन्ध में विभागीय समिति का प्रतिवेदन

3691. **श्री सी० चित्ती बाबू** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी प्रकाशनों की बिक्री को बढ़ाने और इस प्रकार इनके स्टाक को अनावश्यक रूप से बढ़ाने से रोकने के लिए प्रचार के उपाय सुझाने हेतु नियुक्त की गई विभागीय समिति प्रतिवेदन मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया था ; और

(ग) सरकार ने स्वीकृत सिफारिशों को लागू करना कब शुरू किया था ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1835/72**]।

(ख) 31 मार्च, 1970 को एक रिपोर्ट की गई थी ।

(ग) सरकार ने स्वीकृत सिफारिशों का कार्यन्वियन जुलाई 1971 से प्रारम्भ कर दिया ।

परिवार नियोजन से सम्बद्ध सामाजिक वैज्ञानिक का सुझाव

3692. **श्री वेकारिया** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन से सम्बद्ध सामाजिक वैज्ञानिक ने सुझाव दिया है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम गैर-सरकारी एजेन्सियों को सौंप दिया जाना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं । इस संगोष्ठी में यह सुझाव तो नहीं दिया गया था कि परिवार नियोजन कार्यक्रम गैर-सरकारी एजेन्सियों को सौंप दिया जाए अलबत्ते उसमें यह सिफारिश जरूर की गई थी कि युवक संगठनों, महिला संगठनों, ग्रामीण कल्याण एजेन्सियों, ट्रेड यूनियनों आदि की ओर और अधिक ध्यान दिया जाए ।

(ख) यह सुझाव सरकार की नीति और कार्य प्रणाली के अनुरूप है । स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित किया जाता है और उन्हें पर्याप्त सहायता प्रदान की जाती है जिसमें परिवार नियोजन के कार्यों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता भी शामिल है ।

भारत के इतिहास का पुनर्लेखन

3693. **श्री प्रियरंजन दास मुन्शी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालय का विचार भारत के इतिहास का पुनर्लेखन करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें कौन से मुख्य परिवर्तन किए जायेंगे ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) वैज्ञानिक इतिहास लेखन और पोषणकारी उद्देश्य तथा बढ़ते हुए प्रोत्साहन की आवश्यकता भारत सरकार के ध्यान में है । न केवल राष्ट्रीय एकता के विचार से बल्कि पुनर्जागरणबाद रूढ़िवाद तथा अन्धविश्वास को अनुत्साहित करके अपनी सांस्कृतिक परम्परा के लिए उच्च स्थान पैदा करने की आवश्यकता के लिए भी यही विषय लाभकारी है ।

2. राष्ट्रीय शैक्षिक तथा प्रशिक्षण परिषद ने स्कूलों में प्रयोग के लिए भारतीय इतिहास से सम्बन्धित तीन स्कूल पाठ्यपुस्तकों की एक श्रंखला निकाली है । इतिहास के वैज्ञानिक प्रस्तुतीकरण के लिए आवश्यक परिवर्तन को ध्यान में रखकर ही ये पुस्तकें लिखी गई हैं । संसद पुस्तकालय में ये पुस्तकें उपलब्ध हैं ।

डा० जे० बी० चटर्जी के नाम से छात्रवृत्ति अथवा स्मारक पुस्तिका

3694. **श्री प्रियरंजन दास मुन्शी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह

बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार कलकत्ता ट्रापिकल इन्स्टीट्यूट के स्वर्गीय डा० जे० बी० चटर्जी के नाम पर कोई छात्रवृत्ति घोषित करने या एक स्मारक पुस्तिका का प्रकाशन करने पर विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० के० किस्कू) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Expenditure on Maintenance and Repairs on Parliament House and Rashtrapati Bhawan

3695. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the expenditure incurred on maintenance, white washing and repairs of the Parliament House and the Rashtrapati Bhavan during the financial year 1971-72 is higher than that incurred during the previous 3 years ; and

(b) the details of the expenditure incurred under the aforesaid heads during 1971-72 as also the expenditure likely to be incurred under this head during the financial year 1972-73 ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) : (a) The expenditure during 1971-72 was less than that incurred in the two previous years but was some what higher than in 1968-69.

(b) Details are given below :—

	Rashtrapati Bhavan	Parliament House.
	Rs.	Rs.
(i) Expenditure incurred during 1971-72	21,96,169	5,15,555
(ii) Anticipated expenditure during 1972-73	23,00,000	6,89,000

Note :—The figures for Rashtrapati Bhavan also include all other buildings in the President's Estate as well as Bolarum (Hyderabad) and Mashobra (Simla).

Wheat Cultivation

3696. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state the area of land in hectares brought under wheat cultivation during the current year and the average production of wheat per hectare ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : Final estimates of area and production of wheat during the current agricultural year 1971-72 would become available after the close of the year i. e some time in July-August, 1972. However, according to the All-India First Estimate for 1971-72 (which gives preliminary estimate of area only) the area under wheat during the current year is estimated at 18.5 million hectares, which is 6.3 per cent higher than the corresponding estimate for the previous year. Past experience has shown that the area of the first estimate stage forms roughly 95 per cent of the area finally reported under the crop.

विदेश गये और वहीं रह गये छात्र

3697. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितने छात्र सरकारी खर्च पर उच्च शिक्षा पाने के लिए विदेश गए और शिक्षा समाप्ति पर करार की शर्तों का उल्लंघन करके वहाँ से नहीं लौटे ; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय द्वारा चलाई जा रही निम्नलिखित दो योजनाओं के अन्तर्गत छात्रों को सरकारी खर्चे पर उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में भेज जाता है :—

(1) विदेशों में अध्ययन के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना ; तथा

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति, अनुसूचित खानाबदोश तथा अर्ध खानाबदोश आदिमजातियों को विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां ।

पहली योजना केवल 1971-72 से ही कार्यान्वित हुई है तथा इस वर्ष के दौरान भेजे गए अध्येताओं के लौटने का समय अभी नहीं हुआ है । दूसरी योजना के बारे में, छात्रवृत्ति की सामान्य अवधि 1 से 3 वर्ष तक है जो कि अध्ययन के पाठ्यक्रम पर निर्भर करती है । इस योजना के अधीन भेजे गए छात्रों में से, अपना अध्ययन पूरा करने के बाद 1969, 1970 तथा 1971 के वर्षों में जिन 6 छात्रों को लौटना था, वे वापिस नहीं लौटे हैं ।

(ख) छात्रवृत्ति योजना की शर्तों के अधीन, उन अध्येताओं को जो अपने अध्ययन की समाप्ति के बाद भारत वापिस नही आते हैं, उन्हें निष्पादित बन्ध-पत्र की शर्तों के उल्लंघन करने के परिणाम स्वरूप सरकार को 14,000 रुपये की राशि अथवा अध्येता पर किए गए वास्तविक खर्चे में से जो भी अधिक हो, को लौटाना अपेक्षित है । उन छः अध्येताओं के विरुद्ध जिन्होंने अदायगी नहीं की है, इस मामले में पहले से ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है ।

पीलिया के निदान के नये तरीके

3698. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कुछ डाक्टरों ने पीलिया के निदान के किसी नए तरीके का प्रयोग किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

डाक्टरों के लिए राष्ट्रीय मजूरी बोर्ड की नियुक्ति

3699. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय चिकित्सा संग से एक अभ्यावेदन मिला है जिसमें डाक्टरों के लिए एक राष्ट्रीय मजूरी बोर्ड की नियुक्ति करने की मांग की गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी हां ।

(ख) डाक्टर विभिन्न मालिकों के अधीन काम कर रहे हैं । जिनकी वेतन देने की क्षमता भी एक जैसी नहीं है । अर्हताओं और प्रशिक्षण की दृष्टि से भी डाक्टरों में भिन्नता होगी । इन हालात में डाक्टरों के लिए एक मानक वेतन ढांचा तैयार करना कठिन है ।

ऐसा समझा जाता है कि डाक्टरों जैसे व्यवसायियों के वेतन निर्धारित करने के लिए औद्योगिक कर्मचारियों के लिए गठित किए गए वेतन बोर्डों जैसा कोई बोर्ड शायद कोई उपयुक्त मशीनरी नहीं होगा ।

पिछड़े समुदायों और गन्दी बस्तियों के निवासियों आदि में जन्म-दर

3700. **श्री समर गुह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंदी बस्तियों के निवासियों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों में जन्म-दर उच्च और मध्यम आय-वर्ग और सामाजिक तौर पर विकसित वर्गों के लोगों की अपेक्षा अधिक है, यदि हां, तो इस अन्तर का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इस अन्तर से हमारे देश के लोगों की गुण सम्बन्धी विशेषताओं में तब तक कमी रहेगी, जब तक कि सन्तुलित जन्म-दर प्राप्त नहीं हो जाती ; और

(ग) क्या गन्दी बस्तियों और पिछड़े तथा आदिवासी वर्गों में परिवार नियोजन योजनायें क्रियान्वित करने के लिए अधिक प्रयत्न किए जायेंगे और यदि हां, तो इस आशय की योजनाओं का जिसमें परिवार नियोजन प्रचार सम्बन्धी योजनायें भी शामिल हैं, ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जनता के विभिन्न वर्गों में अलग-अलग जन्म-दर है इस का पता लगाने के लिए देश में कोई भी नियमित अध्ययन नहीं किया गया है । किन्हीं-किन्हीं स्थानों पर जो कुछेक अध्ययन किए गए हैं उन से तथाकथित पिछड़े समुदायों में ऊंची जनन क्षमता होने के कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिले हैं ।

(ख) यह मानने का कोई प्रमाण नहीं है।

(ग) सरकारी केन्द्रों तथा सरकार से सहायता प्राप्त स्थानीय निकायों और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित केन्द्रों के माध्यम से शहरों और कस्बों की गन्दी बस्तियों में इस कार्यक्रम को बढ़ाने के और अधिक प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य ग्रामीण परिवार कल्याण नियोजन केन्द्रों (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से सम्बद्ध) और उप केन्द्रों का एक बड़ा जाल सा बिछाकर आदिवासी समुदायों के लिए परिवार नियोजन शिक्षा, प्रोत्साहन और सेवाओं की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार परिवार नियोजन सम्बन्धी शिक्षा और सेवाएं विभिन्न समुदायों को पिछड़ेपन या किसी अन्य प्रकार का अन्तर किए बिना प्रदान की जाती हैं।

दूसरे हुगली पुल का निर्माण करने के बारे में पश्चिम बंगाल से प्राप्त अन्तिम लागत अनुमान

3701. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री 29 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 719 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरे हुगली पुल के निर्माण के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार से उस पर आने वाली लागत के अन्तिम अनुमान प्राप्त हो गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में उचित मूल्य की दुकानों पर सप्लाई किए जाने वाली राशन की वस्तुएं और चीनी की किस्म

3702. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की उचित मूल्य की दूकानों पर राशन कार्ड धारियों को घटिया किस्म के खाद्यान्नों और चीनी की सप्लाई की जाती है ; जबकि खुले बाजार में मिलने वाले खाद्यान्नों और चीनी की किस्म अच्छी होती है ;

(ख) क्या 26 मार्च, 1972 को किदवई नगर (दिल्ली) का एक दुकानदार राशन कार्ड धारियों को दिया जाने वाला अच्छी किस्म का गेहूं किसी अन्य स्थान पर भेजता हुआ गिरफ्तार कर लिया गया था ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उचित मूल्य की दुकानों से राशन कार्ड धारियों को उचित किस्म का राशन सप्लाई करवाने के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जहां तक चीनी का सम्बन्ध है, इसमें कोई उल्लेखनीय अन्तर नहीं है। उचित मूल्य की दुकानों पर उचित औसत

किस्म के खाद्यान्न दिए जाते हैं लेकिन खुले बाजार में बढ़िया तथा घटिया किस्मों के खाद्यान्न उपलब्ध हैं ।

(ख) जी हां, एक दुकानदार को 26-3-72 को गिरफ्तार किया गया था । टेलीफोन पर सूचना प्राप्त होने पर पुलिस ने उचित मूल्य की दुकान संख्या 2473, किदवई नगर, नई दिल्ली के सामने ठेले में लदी गेहूं की 8 बोरियां पकड़ी थीं । दुकानदार के घर से बासमती चावल के नौ कट्टे भी पकड़े गए थे और पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए थे । उचित मूल्य की दुकान उसी दिन बन्द कर दी गई थी ।

उचित मूल्य की दुकान के स्टाक की प्रत्यक्ष जांच करने पर खाद्य वस्तुओं के स्टाक में अधिकता/कमियां भी पायी गई थीं ।

(ग) (i) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों और चीनी के थोक व्यापारियों से उचित मूल्य की दुकानों द्वारा प्राप्त खाद्य वस्तुओं के मोहरबन्द नमूने दुकानदारों द्वारा अपने दुकानों में दृष्टिगत स्थानों पर रखे जाते हैं ताकि जनता यह देख सके कि उन्हें खाद्य वस्तुओं की वही किस्म सप्लाई की जा रही है जो कि उचित मूल्य की दुकानों को मिली थी ।

(ii) दिल्ली प्रशासन का निरीक्षणालय स्टाफ उचित मूल्य की दुकानों पर बिक्री के लिए रखी खाद्य वस्तुओं की किस्म पर निगरानी रखता है ।

अच्छी किस्म के बीजों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कार्यवाही

3703. **श्री बी० के० दासचौधरी**
श्री प्रभुदास पटेल } : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अच्छी किस्म के बीजों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) उन्नत बीजों के उत्पादन का अधिकांश कार्य राज्य सरकारों के फार्मों तथा गैर-सरकारी बीज उत्पादकों द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार का प्रतिष्ठान राष्ट्रीय बीज निगम तथा कुछ कृषि विश्वविद्यालय और राज्य सरकारें समूचे देश में बीज उत्पादकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आधारिक बीजों का उत्पादन समुचित मात्रा में कर रही हैं । राज्यों में श्रेष्ठ बीजों के अभाव की पूर्ति के लिए, राष्ट्रीय बीज निगम तथा तराई विकास निगम (विश्व बैंक की सहायता से तराई क्षेत्र में बीजों के उत्पादन की परियोजना की कार्यान्विति के लिए स्थापित) पर्याप्त मात्रा में प्रमाणिक बीजों का उत्पादन करते हैं । देश गत कुछ वर्षों से संकर बाजरे के बीजों के अतिरिक्त सभी महत्वपूर्ण बीजों के मामले में आत्मनिर्भर है । गत वर्ष राष्ट्रीय बीज निगम के कार्यक्रम सहित बाजरा बीज उत्पादन कार्यक्रम को तीव्र किया गया और आशा है कि आगामी खरीफ के मौसम में बाजरे की आवश्यकताओं की पूर्ति कर ली जायेगी ।

अधिक उत्पादनशील किस्म कार्यक्रमों तथा बीज उत्पादन कार्यक्रमों के लिए बीजों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय बीज निगम, तराई विकास निगम तथा बीज उत्पादकों के प्रतिनिधियों के साथ क्षत्रीय सम्मेलनों में किया जाता है। ये सम्मेलन प्रत्येक फसल मौसम के प्रारम्भ में वर्ष में दो बार आयोजित किए जाते हैं। इस मूल्यांकन से माँग की पूर्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ बीजों का पर्याप्त उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए बीज उत्पादन कार्यक्रमों को तैयार करने में सहायता मिलती है।

शिक्षा मन्त्रालय और विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

3704. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय/विभाग/अधीनस्थ/सम्बद्ध कार्यालयों में (1) 110 रुपये (2) 200 रुपये (3) 500 रुपये (4) 1,000 रुपये (5) 1,500 रुपये और इससे ऊपर के विभिन्न मूल वेतनों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी हैं ; और

(ख) उन में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की अलग-अलग संख्या कितनी है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

आन्ध्र प्रदेश के एक जिले में छोटी किसान विकास योजना का विस्तार

3705. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश का वह जिला कौन सा है जहां प्रति व्यक्ति जोत सबसे छोटी है और छोटे तथा सीमान्त खेती की प्रतिशतता सबसे अधिक है ;

(ख) क्या छोटे तथा सीमान्त किसान विकास योजना उस जिले में लागू कर दी गई है ; और

(ग) इस जिले की इस विकास सम्बन्धी आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) विशाखापत्तनम।

(ख) और (ग) केन्द्रीय क्षेत्र की सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक योजना इस जिले के तीन तालुकों में चल रही है। इस योजना के अन्तर्गत 2.4 एकड़ सिंचाईगत या 5 एकड़ तक बारानी भूमि वाले लगभग 1,400 सीमान्त कृषिक लाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त 6,000 भूमिहीन कृषि श्रमिकों को भी सहायता मिलने की सम्भावना है। चूनींदा लाभानुभोगियों की सहायता के लिए लघु सिंचाई सम्मान्यताओं, डेरी और कुक्कुट पालन, भेड़ पालन, ग्रामीण

कारीगर, मीन-उद्योग, मधुमक्खी पालन और ग्रामीण कार्यों के विकास की योजनायें इस परियोजना के कार्यक्रम में शामिल की गई हैं ।

1972-73 में चीनी का उत्पादन तथा उसकी आवश्यकता

3706. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष, 1972-73 के लिए चीनी का उत्पादन और देश में उसकी आवश्यकता का मूल्यांकन किया गया है ; और

(ख) देशी तथा विदेशी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त सप्लाई करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) 1972-73 के दौरान चीनी के उत्पादन का इस समय कोई यथार्थिक अनुमान लगाना जल्दबाजी ही होगी क्योंकि गन्ने की पैदावार के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं । प्रारम्भिक रिपोर्टों के आधार पर 1972-73 के दौरान 38-40 लाख मी० टन चीनी का उत्पापन सम्भव दिखाई देता है । चीनी की खपत उपलब्ध मात्रा के हिसाब से सीमित करनी पड़ेगी ।

(ख) अधिकांश राज्यों में 1971-72 के दौरान गन्ने का प्रेरक मूल्य दिया गया था ताकि गन्ना उत्पादक इससे प्रोत्साहित होकर अधिकतर क्षेत्र में गन्ना बोयें और उससे गन्ने की पैदावार में वृद्धि हो । चौथी योजनावधि के दौरान अब तक 12.06 लाख मी० टन अतिरिक्त वार्षिक चीनी उत्पादन की क्षमता के लिए आशय पत्र/लाइसेंस जारी किए गए हैं ।

आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्नातक

3707. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के ऐसे स्नातकों की संख्या कितनी है जो गत तीन वर्षों से यह परीक्षा पास किए हुए हैं : और

(ख) 31 दिसम्बर, 1971 तक उन में से कितनों को रोजगार प्राप्त हो गया था ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है । इसे एकत्रित करने के प्रयत्न किए जायेंगे ।

आदिवासी तथा हरिजन बच्चों की समस्या सम्बन्धी समिति द्वारा की गई सिफारिशें

3708. **श्री पम्पन गौंडा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा श्री गंगा शरण सिंह की अध्यक्षता में स्थापित की गई आदिवासी तथा हरिजन बच्चों की समस्या सम्बन्धी समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई सिफारिशें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) तथा (ख) विशिष्ट रूप से आदिवासी और हरिजन बच्चों की समस्याओं की जांच करने के लिए सरकार ने श्री गंगा शरण सिन्हा की अध्यक्षता में कोई समिति स्थापित नहीं की है। बाल कल्याण के सम्बन्ध में एक पर्याप्त कार्यक्रम तैयार करने के लिए 1967 में अलबत्ता श्री सिन्हा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। समिति ने अक्तूबर, 1968 में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में बाल कल्याण की कुल समस्याओं के सम्बन्ध में सिफारिशें की थीं, जिनमें सामाजिक और आर्थिक रूप से बाध्य बच्चों के लिए एक कार्यक्रम भी शामिल है।

राष्ट्रीय कृषि का प्रतिवेदन

3709. **श्री पम्पन गौंडा** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि आयोग ने हाल ही में सरकार को अपना कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन विषयों पर यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि आयोग ने निम्नलिखित विषयों पर छः अन्तरिम रिपोर्टें अभी तक प्रस्तुत की हैं :—

(1) धान्यों की अधिक उत्पादनशील तथा संकर किस्मों के उच्च कोटीय बीजों का गुणन तथा वितरण।
(2) उर्वरक वितरण।
(3) कृषि अनुसंधान, विस्तार और प्रशिक्षण के कुछ पक्ष।
(4) लघु तथा सीमान्त कृषकों एवं कृषि मजदूरों के लिए ऋण सेवायें।
(5) लघु तथा सीमान्त कृषकों एवं कृषि मजदूरों के माध्यम से दुग्ध उत्पादन।
(6) कृषि विश्वविद्यालयों में कृषि-मौसम-विज्ञान-सम्बन्धी प्रभागों की स्थापना।

इन रिपोर्टों पर विचार किया जा रहा है।

Progress in Construction Work on Lateral Road Passing through Bareilly, Pilibhit, Shahjahanpur

3710. **Shri Mohan Swarup :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the progress of the construction work on the lateral Road Passing through Bareilly, Pilibhit and Shahjahanpur is very slow ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the mileage of road construction so far in the said Districts, District-wise and the expenditure incurred thereon ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) and (b) No, Sir. Only one minor bridge which is 95% complete, one railway over-bridge, both in Pilibhit District, and about six miles of work in all the three districts could not be completed yet mainly due to untimely heavy rains and water-logging.

(c) The mileage of voads constructed so far in the said Districts and the expenditure incurred thereon is as under :—

Name of the District	Total mileage	Mileage constructed	Expenditure incurred
			Rs. lakhs
Bareilly	23 M 7 Furlongs	23 M 7 Furlongs	38.00
Pilibhit	39 M 5 ,,	34 M 7 ,,	109.84
Shahjahanpur	16 miles	14 M 6 ,,	48.75

Council to Conduct Historical Research

3711. **Shri Mohan Swarup :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether a council has been constituted by his Ministry in order to conduct historical research work ; and

(b) if so, the composition and functions thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Prof. D. P. Yadav) : (a) Yes, Sir.

(b) (i) *Composition*—The Council of Historical Research is composed of 20 eminent historians, representative of the University Grants Commission, Director General of Archaeology, Director, National Archives and four ex-officio representatives of the Government of India. The first members of the Council may be seen in the appended statement. [Placed in Library. *See* No. LT-1836/72]

(ii) *Functions*—The functions of the Council are

—to give a national directive to an objective and rational presentation and interpretation of history;

—to bring historians together and provide a forum for exchange of views between them ;

—to promote, accelerate and coordinate research in history with special emphasis on areas which have not received adequate attention so far ;

—to promote a coordinated and balanced distribution of research effort over different areas ;

—to elicit support and recognition for historical research from all concerned and ensure the necessary dissemination and use of results.

कानपुर में गन्दी बस्ती सफाई के लिए वित्तीय सहायता

3712. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कानपुर में गन्दी बस्ती सफाई योजना के लिए उत्तर प्रदेश को कुछ वित्तीय सहायता दिये जाने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख) राज्य प्लान योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता खण्ड ऋणों और खण्ड अनुदानों के रूप में दी जाती है। अन्य राज्यों की भांति उत्तर प्रदेश सरकार को भी कानपुर में गन्दी बस्ती उन्मूलन / सुधार के लिए उनमें से अपेक्षित निधियों को प्रयोग करने की पूरी स्वातंत्रता है।

कानपुर, उन नगरों में से एक है जिसे गन्दी बस्तियों के वातावरण सम्बन्धी सुधार की नई केन्द्रीय योजनाओं में शामिल करने के लिए चुना गया है। उन निधियों के अतिरिक्त जिन्हे उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य प्लान में कानपुर में गन्दी बस्तियों के उन्मूलन और सुधार के लिए नियत किया हो, नई केन्द्रीय योजना में 1.5 करोड़ रुपये का नियतन चालू वर्ष में कानपुर की गन्दी बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए शतप्रतिशत अनुदान सहायता के रूप में निर्दिष्ट है।

Seminar on 'Hazards of Noise'

3713. **Shri Jagannathrao Joshi :**
Shri K. Kodanda Rami Reddi :

Will the Minister of **Health and Family Planniug** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn towards the suggestions made in the seminar on "the hazards of noise" held in National Physical Laboratory. Delhi, in March last ; and

(b) if so, the reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) and (b) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

राज्यों में प्राथमिक स्कूलों, में निःशुल्क दोपहर का भोजन

3714. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70, 1970-71 और 1971-72 में प्रथम कक्षा से पंचम कक्षा तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों की राज्य-वार संख्या क्या है ;

(ख) निःशुल्क दोपहर का भोजन देने की योजना प्राथमिक स्कूलों में राज्यवार कितने विद्यार्थियों पर लागू की गयी है ;

(ग) वर्ष 1970-71 और 1971-72 के दौरान इस कार्य के लिए राज्यवार कितनी धनराशि मंजूर की गई ; और

(घ) वर्ष 1970-71 और 1971-72 के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा इस कार्य पर वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) विवरण (**अनुबन्ध-1**) संलग्न है जिसमें राज्यवार 1 से 5 तक की कक्षाओं में नामांकन तथा वर्ष 1969-70 के दौरान दोपहर-मुफ्त भोजन योजना में शामिल छात्रों की संख्या दी गई है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1837/72**] वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 के बारे में आँकड़े उपलब्ध नहीं है ।

(ग) विवरण (**अनुबन्ध-11**) संलग्न है जिसमें वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 के लिए राज्यवार वित्तीय व्यवस्था के ब्यौरे दिये गये हैं । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1837/72**] ।

(घ) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है । उसे एकत्र करके सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

बंगला देश नौवहन निगम से करार

3715. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम ने बंगला देश नौवहन निगम के साथ कोई करार किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) करार की मुख्य बाते इस प्रकार हैं :—

(i) जहाँ तक बंगला देश का यू०के०/उत्तरी महाद्वीप के साथ व्यापार का सम्बन्ध है बंगला देश शिपींग कारपोरेशन के हिस्से का दो तिहाई पाल पोतों की व्यवस्था के लिये प्रबन्ध शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया के सुपुर्द करेगा । शेष एक तिहाई बंगला देश शिपिंग कारपोरेशन द्वारा वहन किया जायगा लेकिन प्रारम्भ में बंगला देश शिपिंग कारपोरेशन के पास अपने स्वयं के जहाज न होने के कारण शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया एकहरी समुद्री यात्रा/समय चार्टर आधार पर जहाजों को भाटकित करेगा । बंगला देश में उनके स्वयं के घाटों पर शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया के जहाजों की संख्या बंगला देश, शिपिंग कारपोरेशन के अपने जहाजों को प्राप्त करने पर कम हो जायगी ।

(ii) आस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका, गल्फ क्षेत्र आदि जैसे अन्य जहाज़ी क्षेत्रों के लिये शीपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया या कलकत्ता जाने वाले जहाजों में या समय समय पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त जहाजों में यथा अपेक्षित बंगला देश माल के लिये आवश्यक स्थान की व्यवस्था करेगा ।

(iii) शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया बंगला देश शिपिंग कारपोरेशन द्वारा जहाजों के अर्जन करने तक, उनके उपलब्धता के अधीन अपने जहाजों में यथा समय बंगला देश के लगभग 50 इंजीनियरी और नौचालन अधिकारियों को नियोजित करेगा ।

(iv) बंगला देश के पत्तनों में शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया के जहाजों के ऐजेन्सी कार्य की देखभाल बंगला देश शिपिंग कारपोरेशन करेगा और विपर्यय रूप से भी ।

(v) ये प्रबन्ध एक वर्ष की अवधि के लिये वैध रहेंगे जिसके बाद दोनों कारपोरेशन इनकी समीक्षा करेंगे ।

स्कूली बच्चों की प्रतिशतता में कमी

3716. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में कुछ राज्यों में स्कूली बच्चों की प्रतिशतता में कमी हुई है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) स्थिति सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी०पी० यादव): (क) तथा (ख) विभिन्न राज्यों में 1965-66 तथा 1968-69 में 1 से 5, 6 से 8 तथा 9 से 11 की कक्षाओं में दाखिले की प्रतिशतता परिशिष्ठ में दिखाई गयी है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०1838/72**] उससे यह पता चलेगा कि कुछ राज्यों में प्रतिशतता गिर गयी है । कुछ मामलों में इसका कारण जनसंख्या के परिशोधित प्राक्कलन है तथा अन्य मामलों में जनसंख्या में बढ़ोतरी के साथ दाखिले में वृद्धि के लिए आर्थिक रूप से असमर्थता है : अथवा दोनों कारण हैं ।

(ग) सरकार ने निर्णय किया है कि प्राइमरी स्कूलों में दाखिले की संख्या को और बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को उनकी योजना से अतिरिक्त सहायता दी जाय । 1971-72 के दौरान 30,000 अतिरिक्त प्राइमरी स्कूल अध्यापकों की नियुक्ति तथा 10,000 अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी । 1972-73 में और सहायता देने का विचार है ।

सरकार द्वारा बुद्धिजीवियों की बैठक बुलाने के विरोध में लेखकों तथा कलाकारों का विरोध

3717. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा बुद्धिजीवियों की बैठक बुलाये जाने के विरोध में समूचे देश के लेखकों तथा कलाकारों ने नई दिल्ली में एक बैठक की थी जिसमें सरकार द्वारा राजनैतिक तथा नौकरशाही से हस्तक्षेप कराने के आरोप लगाये गये थे ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) समाचार-पत्रों की रिपोर्टों से पता चलता है कि सारे देश के लगभग 60 लेखकों और कलाकारों की इस प्रकार की बैठक मार्च, 1972 के अन्त में हुई थी ।

(ख) लेखकों के इस समूह द्वारा पारित कोई औपचारिक संकल्प, सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है । किन्तु, समाचार पत्रों की रिपोर्टों से फिर यह मालूम पड़ता है कि उस बैठक में भाग लेने वालों ने सरकार से यह मांग की थी कि सरकार बुद्धिजीवियों से सम्पर्क स्थापित करने के लिए उपाय करे और केन्द्र तथा राज्यों में मजबूत सरकारों के बनजाने पर सरकार इस स्थिति में है कि वह संस्कृति की संवेदनात्मक मांगों के प्रति और अधिक उदार तथा अनुकूल हो ।

राज्यों में अल्प तथा मध्य आय वर्ग के लोगों के लिए रिहायशी प्लाट तथा मकानों की बिक्री

3718. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास तथा नगरीय विकास निगम ने दस राज्यों में अल्प तथा मध्य आय वर्ग के लोगों को बिक्री के लिए 20,000 रिहायशी प्लाट तथा 30,000 मकान तथा अपार्टमेंट बनाने के लिए नर्म शर्तों पर ऋण दिये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो ये राज्य कौन से हैं और प्रत्येक राज्य को अनुमानत: कितनी राशि दी जायेगी ; और

(ग) खरीददारों द्वारा भुगतान किस आधार पर किया जायेगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख) कए विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1839/72]** ।

(ग) आवास तथा नगर-विकास निगम द्वारा ऋण खरीददारों को सीधे स्वीकृत नहीं किए जाते, बल्कि वे उन राज्य सरकारों तथा अर्ध-सरकारी निकायों को स्वीकृत किए जाते हैं, जो मकानों/प्लाटों का निर्माण कर उन्हें बेचते हैं । तथापि, सभी प्राप्तियाँ / वसूलिया जब कभी प्रत्येक परियोजना से अदायगी होने पर मिलती है । आवास और नगर निकास निगम को वापिस मिल जाती हैं ।

बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से समुद्रजनीन उत्पादों का निकाला जाना

3719. **श्री रानेन सेन** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से, जो कि समुद्रजनीन उत्पादों में समृद्ध हैं, अधिकांशत: वस्तुओं को नहीं निकाला गया है ;

(ख) इन क्षेत्रों से समुद्रजनीन उत्पादों को निकालने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या स्कीमें शामिल की गई हैं और इन स्कीमों में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) इन क्षेत्रों से पद्धतिबद्ध ढंग से उत्पादों को निकालने में क्या बाधायें आ रही हैं ; और

(घ) इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां। भारतीय महाद्वीप के तटों पर समुद्रीय मीन उत्पादन की क्षमता का अनुमान विभिन्न पद्धतियों द्वारा प्रतिवर्ष 25 तथा 47 लाख मीटरी टन के बीच लगाया गया है। भारतीय समुद्र के सम्पूर्ण संसाधनों से वर्ष भर में 100 लाख मीटरी टन से अधिक मछली प्राप्त हो सकती है। भारतीय समुद्र से प्रतिवर्ष 28 लाख मीटरी टन मछली पकड़ी जाती हैं। इसमें से 38 प्रतिशत मछली भारतीय जलयानों से पकड़ी जाती हैं।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में समुद्रीय मीन-उद्योग के उपयोग के लिये प्रमुख योजनाओं में 5,500 यंत्रीकृत नौकायें प्रारम्भ करने तथा 300 तट दूर एवं गहन समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों और बन्दरगाह एवं मछली पकड़ने वाले कर्मचारियों तथा तकनीशियनों के प्रशिक्षण आदि अवस्थापनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था है। चौथी योजना के दौरान अब तक लगभग 3,000 यंत्रीकृत नौकाएं काम पर लगाई जा चुकी हैं। इस प्रकार तट के आस-पास विभिन्न केन्द्र पर कार्य करने वाली ऐसी नौकाओं की कुल संख्या 10,000 है। जहां तक तट से दूर तथा गहन समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों का सम्बन्ध है चौथी योजना के दौरान केवल 31 जलयानों का प्रयोग शुरू किया गया है। आठ बन्दरगाहों पर गहन-समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों के रख-रखाव के लिये संस्वीकृति दे दी गई है। यंत्रीकृत नौकाओं के संचालन के लिये 70 से अधिक केन्द्रों पर छोटे पैमाने पर बन्दरगाहों की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। राज्य सरकारों द्वारा यंत्रीकृत नौकाओं के संचालकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चौथी योजना के दौरान अब तक केन्द्रीय संस्थानों ने 205 मछली पकड़ने वालों तथा 163 इंजन चालकों को संस्थागत प्रशिक्षण दिया है। समुद्र सेवा की निर्धारित अवधि के पश्चात् ये कर्मचारी तटदूर, तथा गहन समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों के नाविक तथा इंजन-चालक के रूप में कार्य कर सकेंगे।

(ग) तथा (घ) जो क्षेत्र मौजूदा 1,000 नौकाओं के कार्यक्षेत्र में नहीं आये हैं उनमें यंत्रीकृत मीन-हरण नौकाओं के प्रयोग से अन्तर्देशस्थ क्षेत्रों के संसाधनों का पर्याप्त रूप से उपयोग किया जा सकता है। यंत्रीकृत मीन-हरण नौकाओं को प्रारम्भ करने का कार्यक्रम संतोषजनक रूप से प्रगति कर रहा है। जहां तक तटदूर तथा गहन समुद्र संसाधनों का सम्बन्ध है, अनुमान लगाया गया था कि गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा कई जलयानों का प्रयोग शुरू कर दिया जायेगा। तटदूर तथा गहन समुद्र में मछली पकड़ने के लिये इस्पात से बने देशी जलयानों के निर्माण के लिये उदार राज-सहायता देने के बावजूद भी आशाजनक रूप से कार्य नहीं हो सका। सीमित आयातों की वर्तमान योजना के अन्तर्गत कुछ जलयान आयात किये जा रहे हैं। यदि देशी क्षमता का उपयोग किया जाये तो और अधिक आयात के विषय में अनुमति मिलने की सम्भावना है।

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा कालेजों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेना

3720. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने कुछ कालेजों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इन कालेजों के नाम क्या हैं ; और

(ग) इन कालेजों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने दयाल सिंह कालेज, राम लाल आनन्द कालेज, पी० जी० डी० ए० बी० कालेज तथा देश बन्धु कालेज को विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित कालेजों के रूप में अपने हाथ में लेने का निर्णय किया है, बशर्ते इस निर्णय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारत सरकार अनुमोदित करें। यह मामला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है।

Amounts Outstanding Against Sugar Mills

3722. **Shri Mulki Raj Saini :**
Shri M. R. Laxminarayan :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the amount of money outstanding against the sugar mills in the country on account of the cost of sugarcane as on 31st March, 1972 ;

(b) the amount outstanding against the sugar mills of Uttar Pradesh on that account ; and

(c) the amount outstanding against each of the mills in Saharanpur in Uttar Pradesh?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) to (c) The information is given below :—

Area	Cane price dues of sugar factories as on 31st March, 1972. for sugarcane purchased during the current crushing season 1971-72	Cane price dues of sugar factories as on 31st March, 1972. for previous years
	(*Lakh rupees*)	
(a) All India	2,438.45	492.55
(b) Uttar Pradesh	247.48	340.15
(c) Saharanpur District		
1. The Kanga Sugar Corporation Limited, Deoband, Distt. Saharanpur. ..		..
2. The Lord Krishna Sugar Mills Ltd., Saharanpur, Distt. Saharanpur. ..	21.69	1.85
3. The Mahalakshmi Sugar Mills Co.Ltd., P. O. Iqbalpur, Distt. Saharanpur. ..	9.04	
4. Rai Bahadur Narain Singh Sugar Mills Pvt. Ltd., Lhaksar Jn. Distt. Saharanpur. ..		
5. The Kisan Cooperative Sugar Factory Ltd., P. O. Sarsawa, Distt. Saharanpur. ..	..	6.65

Percentage of Increase in Production of Sugarcane and Price of Sugar

3723. **Shri Mulki Raj Saini :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the minimum percentage of increase in the production of sugarcane during the year 1972-73 ;

(b) the percentage of increase in the prices of sugar over its fixed prices dnring the said period ;

(c) the profit earned by the mill owners out of the said increase ; and

(d) whether Government would fix the prices of sugarcane for the year 1973-74 keeping in view the above fact ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) to (c) It is not possible to say at this stage what the production of sugarcane during the year 1972-73, will be, or what will be the in its production, what the prices of sugar, if at all fixed, will be, or what will be the increase in prices over the fixed prices, or what profits the mill-owners will earn.

(d) The Government fixes only the minimum price of sugarcane payable by sugar factories and the minimum price of sugarcane for 1973-74 will be fixed at the appropriate time after taking into consideration all the relevant factors.

स्नातकोत्तर संस्थान चण्डीगढ़ में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये सेवाओं में आरक्षण

3724. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़ में अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए सेवाओं में पद आरक्षित नहीं किये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या पी० जी० आई० के संस्थान निकाय द्वारा 25 मार्च, 1972 को यह निर्णय किया था कि अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए किसी प्रकार का आरक्षण नहीं किया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) अनुसूचित जातियों के लिए पद आरक्षित करने के बारे में यह संस्थान सरकार के अनुदेशों का पालन कर रहा है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 25 मार्च, 1972 को हुई अपनी बैठक में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के संस्थान निकाय ने संस्थान के अधिशासी निकाय के इस निर्णय को अनुमोदित किया कि पदोन्नति द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं किया जाएगा क्योंकि सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों में ऐसा कोई आरक्षण करने के लिए व्यवस्था नहीं है ।

Scheme to Check Rise in Price of Sugar

3725. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are formulating any scheme to check the rising price of sugar; and

(b) if so, the main features thereof?

The Minister of Ariculture (Shri F. A. Ahmad) : (a) and (b) Various suggestions are under consideration and the final decision when taken will be announced.

Views of M. P's on Bifurcation of Sapru House Library

3726. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Members of Parliament have communicated their views to him in writing against the bifurcation of the Library located in Sapru House ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) some members of the Parliament have sent a representation on the proposed division of the Sapru House Library.

(b) The Government have taken the view that the future of the Library has to be settled by mutual discussion between the Indian Council of World Affairs and the Jawaharlal Nehru University. The Government will, however, consider favourably any proposal to implement an agreed decision of these two organisations. It will also consider favourably propasals to provide assistance for strengthening facilities in the Sapru House Library in case the Univesrity decides to shift this collection to the new campus.

Indianisation of Bungalows Allotted to Members of Parliament

3727. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the bungalows allotted to Members of Parliament in Delhi do not suit them, because they have not been constructed according to the Indian style ; and

(b) if so, whether Government propose to Indianise the various types of bungalows ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Nonavailability of Medicines in Rural Hospitals and Dispensaries under Primary Health Centres

3728. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether medicines are still not available in rural hospitals and dispensaries under Primary Health Centres even after Four Five Year Plans ; and

(b) if so, whether Central Government propose to take any step to ensure that the medicines are made available to rural population ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) and (b) Information is being collected from the States/Union Territories and will be laid on the Table of the Sabha in due cource.

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के काम का यंत्रीकरण तथा आधुनिकीकरण करने के लिये द्रुत कार्यक्रम

3729. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य का यंत्रीकरण तथा आधुनिकीकरण के किसी द्रुत कार्यक्रम पर विचार कर रही है और यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : आधुनिक जलयानों की सहायता से गहरे समुद्र में मीन हरण के विकास पर काफी बल दिया जा रहा है, यद्यपि इस कार्य के लिये कोई देश कार्यक्रम नहीं चलाया गया है । इस सम्बन्ध में जो उपाय किये गये हैं उनमें ये सम्मिलित हैं : संसाधनों का सर्वेक्षण, विशेषरूप से पूर्णत: सुसज्जित मीनहरण बन्दरगाहों के रूप में अवस्थापना की व्यवस्था और कार्यों में प्रशिक्षण, तट से दूर तथा गहरे समुद्रीय संसाधनों के सर्वेक्षण सम्बन्धी केन्द्रीय संगठन को 20 से अधिक जलयान बढ़ाकर और तट के समीप नये आधारों की स्थापना करके सुदृढ़ किया जा रहा है । तट से दूर तथा गहरे समुद्रीय जलयानों को संभालने योग्य बन्दरगाह आठ पत्तनों पर स्वीकृत किये जा चुके हैं । चौथी योजना के दौरान 205 मीनहरण सेकन्ड-हैन्ड तथा 163 इंजन-ड्राइवरों की संस्थात्मक प्रशिक्षण दिया गया है । समुद्रीय सेवा की निर्धारित अवधि के बाद, इन कार्मिकों को तट से दूर तथा गहरे समुद्र-मीनहरण जलयानों के स्किपरों तथा इंजन ड्राइवरों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाया जाएगा । तट से दूर तथा गहरे समुद्र में मीनहरण के लिये उपयुक्त जलयान देश में बनाए जा रहे हैं । केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, वर्ष 1968-69 में 17.5 मीटर लम्बे 40 जलयानों के लिये देशीय जहाज निर्माण कम्पनियों को आदेश दिये गये । इनमें छब्बीस अब तक सप्लाई किये जा चुके हैं । मीनहरण उद्योग को उचित मूल्यों पर उपलब्ध होने वाले देशीय निर्मित इस्पात जलयान बनाने के लिये एक उदार राजसहायता पेश की गई है । चालू योजना के अंतर्गत, इस शर्त पर 30 जलयानों के आयात को अधिकृत किया गया है कि प्रत्येक दो आयातित जलयानों के लिये देश में एक जलयान बनाया जाए । अतिरिक्त आयातों की अनुमति देने का प्रस्ताव है बशर्ते, देशीय क्षमता का उपयोग किया जाए ।

पूर्वी तट पर आयातित मत्स्य नौकाओं का प्रयोग

3730. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार रूस से आयातित मत्स्य नौकाओं का पूर्वी तट पर बड़े पैमाने पर प्रयोग करने के बारे में विचार कर रही है क्योंकि पश्चिम तट को पहले ही भारत-नार्वे परियोजना से लाभ हो रहा है ।

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : भारत-नार्वे परियोजना एक वाणिज्यिक उपक्रम नहीं है और यह मुख्यत: संसाधानों के सर्वेक्षण तथा प्रयोगात्मक मत्स्य की

से सम्बन्धित है । जहाजों का आयात केवल वाणिज्यिक मत्स्यकी के लिये किये जाने की व्यवस्था की गई है । जिन ट्रैक्टरों को रूस से प्राप्त किया जायेगा उनके आयात को क्षेत्रीय नियतन के आधार पर नियंत्रित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । गहन समुद्र मीनग्रहण परियोजनाओं की स्थापना के प्रस्ताव पर, चाहे उन्हें पूर्वी घाट पर स्थापित करने का प्रस्ताव हो या पश्चिमी घाट पर उनकी उपयुक्त के आधार पर विचार किया जायेगा । देश में जहाजों की उपलब्धि को दृष्टि में रखने के बाद ही उनके आयात की समुचित व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमति दी जायेगी ।

उड़ीसा में स्टेडियमों का निर्माण

3731. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1969-70, 1970-1971 और 1971-72 में उड़ीसा में स्टेडियमों के निर्माण के लिए धनराशि मंजूर की थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त वर्षों में कितनी-कितनी राशि दी गई और उसको पाने वालों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या 1972-73 में इन प्रयोजनार्थ उड़ीसा को कोई धनराशि दी गई थी और उड़ीसा में ये स्टेडियम कहां पर बनाये जायेंगे ; और

(घ) यदि हां, इन वर्षों में उड़ीसा को कोई अनुदान नहीं दिया गया है तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) केयोन्झर स्थित स्टेडियम को पूर करने के लिए उड़ीसा खेल परिषद् को 1971-72 में 15,000 रु० की राशि दी गई है । इस प्रयोजन के लिये 1966-67 में स्वीकृत 25,000 रु० के अनुदान की यह अन्तिम किस्त है ।

(ग) और (घ) किसी भी राज्य को कोई विशिष्ट राशि अग्रिम रूप से आवंटित नहीं की जाती है । किसी राज्य अथवा राज्य खेल परिषद् से प्राप्त प्रस्तावों की जांच करने के बाद अनुदान स्वीकृत किए जाते हैं । 1972-73 वर्ष के दौरान उड़ीसा राज्य में, कोई नया स्टेडियम निर्माण के लिए उड़ीसा सरकार/राज्य खेल परिषद् से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि भारत सरकार की सहायता से कटक में इससे पहले निर्मित वर्तमान स्टेडियम के सुधार के लिए वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे किन्तु वर्तमान स्टेडियम में सुधार के लिए कोई अनुदान अनुमत्य नहीं है ।

Proposal from Madhya Pradesh Government Regarding Construction of Inter-State Roads and Bridges between Madhya Pradesh and Contiguous States

3732. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether Madhya Pradesh Government have sent a proposal to the Ceatral Govern-

ment suggesting the construction of certain inter-state roads and bridges between Madhya Pradesh and its contiguous States like Uttar Pradesh, Gujarat, Bihar and Maharashtra ; and

(b) if so, the reaction of Central Government thereto and the date by which decision would be taken in this regard ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur): (a) Yes, Sir.

(b) In January, 1971, the Government of India approved a loan of Rs. 74 lakhs for the following works :

Name of work	Length Mile or No. of bridges.	Amount of loan (Rs. lakhs)
1. Limbdi-Thandla road (missing link).	15 miles	30.00
2. Bridge over Chambal on Sheopur-Swai Madhopur road. ..	1 bridge	*35.00
3. Bridge over Jonk Arang-Nawpara road. ..	1 bridge	† 9.00

*Cost to be shared by the Governments of Madhya Pradesh and Rajasthan on 50 : 50 basis. (The amount of Rs. 35 lakhs therefore represents the Madhya Pradesh portion of the cost).

† Cost to be shared by the Governments of Orissa and Madhya Pradesh on 50 : 50 basis. (The amount of Rs. 9 lakhs therefore represents the Madhya Pradesh portion of the cost).

Proposal from Madhya Pradesh Government to Declare State Highways as National Highways

3733. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether the Madhya Pradesh Government have sent a proposal to the Central Government requesting them to declare State Highways as National Highways ;

(b) if so, the total length in kilometers of those State Highways, which are sought to be declared as National Highways ; and

(c) the action taken by the Central Government in this regard ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) Yes, Sir.

(b) About 2,400 kilometers.

(c) The request of the State Government was duly considered along with similar requests from other States. All proposals considered aggregated to a total length of over 32,000 K. M. against the 4th Plan provision for only Rs. 15 crores for this purpose which was inadequate even for a fraction of the demand. In these circumstances the proposals by the Madhya Pradesh Government and also a large number of roads proposed by other Governments could not be accommodated for taking over as National Highways.

Milk Supply Scheme During IV Plan

3734. **Dr. Laxminaraian Pandeya :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of milk supply schemes proposed to be introduced during the Fourth Five Year Plan ;

(b) the number of schemes introduced so far and the locations thereof ;

(c) progress made in the States in this regard ; and

(d) the reaction of Government thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) The Fourth Five Year Plan programme envisages the establishment of 137 dairy schemes. There are ;

(i) Spill-over Milk Supply Schemes from previous Plans :	35
(ii) Spill-over Milk Products Factories :	7
(iii) New Milk Supply Schemes :	41
(iv) New Milk Products Factories/Small Creameries :	11
(v) Rural Dairy Centres :	43
Total number of Schemes	137

(b) and (c) As against a total target of 137 schemes, 61 schemes have been completed. These include 22 spill-over Milk Supply Schemes, 4 spill-over Milk Products Factories, 3 new Milk Supply Schemes and 32 Rural Dairy Centres. The details of Statewise locations are indicated in Annexure-I. [Placed in Library. *See* No. LT-1840/72]

In addition, 22 projects are under various stages of implementation.

(d) Priority has been assigned for the completion of Schemes spilling over from the previous Plans and their consolidation before taking up new schemes. Progress has been satisfactory.

तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम में कमी

3735. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन वर्षों में तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम में काफी कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) केन्द्रीय क्षेत्र के खर्चे में कोई कमी नहीं हुई है तथा योजना कुल परिव्यय का लगभग 67 प्रतिशत योजना काल के प्रथम तीन वर्षों में उपयोग में लाया जा चुका है।

राज्य क्षेत्र में योजना काल के प्रथम तीन वर्षों का खर्च सारे योजनागत परिव्यय का कुल 40 प्रतिशत ही था। इस कमी के वास्तविक कारणों की जांच राज्य सरकारों के परामर्श से की

जा रही है तथा तकनीकी शिक्षा की योजनाओं को पूरा करने के लिए उचित प्राथमिकता देने का प्रत्येक प्रयास किया जाएगा ।

चेचक के 'फ्रीज ड्राइड' के टीके

3736. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत चेचक के 'फ्रीज ड्राइड' टीकों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इस समस्या को हल करने के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी ; और

(ग) टीकों की वार्षिक मांग कितनी है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) अभी नहीं ।

(ख) वैक्सीन का उत्पादन करने वाली निम्नलिखित चार संस्थाओं की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार चौथी पंचवर्षीय योजना में ऋण दे रही है :—

(1) राज्य वैक्सीन संस्थान, पटवाडांगर, उत्तर प्रदेश ।

(2) वैक्सीन संस्थान, बेलगांव, मैसूर ।

(4) किंग संस्थान, सिंडी, मद्रास, तमिलनाडु ।

(5) निवारक औषधि संस्थान, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश ।

संबन्धित राज्य सरकारों को 1971-72 के दौरान नीचे लिखे अनुसार ऋण दिया गया है:—

उत्तर प्रदेश ...	...	...4.45 लाख रुपये
मैसूर ...	...	...6.05 ,, ,,
तमिलनाडु ...	...	...3.18 ,, ,,
आन्ध्र प्रदेश ...		...4.32 ,, ,,

वैक्सीन का उत्पादन करने वाली चार संस्थाओं के लिए यूनिसेफ के माध्यम से अतिरिक्त उपकरण भी प्राप्त किये जा रहे हैं ।

(ग) वैक्सीन की वार्षिक औसतन आवश्यकता 15 करोड़ 60 लाख मात्राएं हैं ।

आवास तथा नगरीय विकास निगम के वित्तीय साधन

3737. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास तथा नगरीय निगम वित्त के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो निगम की वित्तीय स्थिति क्या है ; और

(ग) निवेश के लिए इसके पास क्या साधन हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) सरकार द्वारा साम्य पूंजी में अंशदान — 4 करोड़ रुपये
ऋण पत्रों के जारी करने से — 5 करोड़ रुपये
जीवन बीमा निगम से ऋण जिन्हें अन्तिम रूप दिया जा रहा है — 10 करोड़ रुपये

रीवा जिला (मध्य प्रदेश) में जनजाति विकास खण्डों को केन्द्रीय सहायता

3738. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के रीवा जिले के पूर्वी क्षेत्र में जनजाति विकास खण्डों को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए गत तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने कितनी धनराशि दी है ; और

(ख) खण्डों में कृषि सुधार करने हेतु उन्नति बीज, उपकरण और उर्वरकों को खरीदने के कार्य को दृष्टि में रखते हुए उपरोक्त अवधि में वर्ष-वार, अनुदान के रूप में कितनी धनराशि वितरित की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) रीवा जिले में कोई भी आदिमजाति विकास खंड नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास

3739. **श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में स्वतन्त्रता आन्दोलन के विस्तृत इतिहास का प्रकाशन करने के लिए कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां।

(ख) भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास लिखाने का कार्य एक सुविख्यात इतिहासकार डा० तारा चन्द को सौंपा गया था। यह इतिहास तीन खण्डों में प्रकाशित किया जाना था। इतिहास का प्रथम खण्ड और द्वितीय खण्ड अभी तक प्रकाशित किया जा चुका है। इतिहास का तृतीय और अन्तिम खण्ड 7 जनवरी, 1972 को मुद्रण के लिए सरकारी प्रेस में भेजा गया था।

15 अगस्त, 1972 को भारत की स्वतन्त्रता की 25 वीं जयंती के अवसर पर इस खण्ड को प्रकाशित करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

Dr. Bhagwan Das Memorial Trust, New Delhi

3740. **Shri Chhatrapati Ambesh :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5163 on 19th July, 1971 and state :

(a) whether the information asked for in parts (b) and (c) thereof has since been collected by Government ; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) and (b) The information is still awaited from Delhi Administration.

बसों की संख्या बढ़ाने के लिए महानगरों को सहायता

3741. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने नगर में बसों की संख्या बढ़ाने के लिए कलकत्ता को सहायता दी है ;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल सरकार को कितनी धनराशि तथा किस किस्म की सहायता दी गई है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार बम्बई, दिल्ली, मद्रास आदि जैसे अन्य महानगरों को ऐसी सहायता देने का है ; और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

Free Railway Pass to Wives and Servants of M. Ps.

3742. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Parliamentary Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have extended the facility of Railway pass to the wives and servants of M. Ps ;

(b) whether Government have under consideration any proposal to allow free return journey by Rail to wives and servants of M. Ps accompanying them, when the Members may have to undertake return journey by air under compelling circumstancees ; and

(c) if no, the steps proposed to be taken in this regard ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) to (c) Under Section 6A of the Salaries and Allowances of Members of Parliament Act, 1954, as amended by Act 25 of 1969, the Members have been given the facility of

one third class railway pass for one person to accompany the Member when he travels by rail and one free non-transferable first class railway pass for the spouse of the Member to travel from usual place of residence of the Member to Delhi and back, once during every session. Under these provisions, the spouse of the Member can travel independently once during every Session.

As regards servants, no such proposal is under consideration of the Government.

नये चीनी कारखाने स्थापित करने के लिए लाइसेन्स

3743, **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना के लक्ष्यों की पूर्ति में नए चीनी कारखानों की स्थापना के लिए किन पार्टियों को लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ख) क्या उपरोक्त लाइसेंसों में से किसी को बाद में रद्द करना पड़ा था, यदि हाँ, तो किसके लाइसेंस रद्द किये गये तथा उनको रद्द करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार पांचवीं योजना के लक्ष्यों में से, क्षमता बढ़ाने के लिए पहले ही लाइसेंस देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) चौथी योजना के लक्ष्य के अनुसार नये चीनी कारखाने स्थापित करने हेतु जिन कारखानों को 17-4-1972 तक लाइसेंस दिए गये हैं उनका नाम बतानेवाला एक विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल.टी. 1841/72]**

(ख) चौथी योजना के लक्ष्य के अनुसार नये चीनी कारखाने स्थापित करने हेतु दिए गये किसी भी लाइसेंस को अभी तक मंसूख/रद्द नहीं किया गया है ।

(ग) पांचवीं योजना के लक्ष्यों के प्रति क्षमता बढ़ाने के लिए पहले ही लाइसेंस देने संबंधी कोई भी प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान चीनी कारखानों का विस्तार करने हेतु लाइसेन्स देना

3744. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन चीनी कारखानों के नाम क्या हैं जिन्हें चौथी योजना के लक्ष्यों के अनुसार अपनी क्षमता का विस्तार करने के लिए लाइसेंस दिए गये हैं और उनकी स्वीकृत क्षमता में कितना विस्तार हुआ है ;

(ख) उन कारखानों के नाम क्या हैं (एक) जिन्होंने लाइसेंस शुदा विस्तार कार्य पूरा कर लिया है, (दो) जिनके विस्तार लाइसेंस रद्द कर दिए गये हैं या जिनकी क्षमना कम हो गई है और इसके क्या कारण हैं ; और (तीन) जिनके द्वारा अपने विस्तार लाइसेंस अभी क्रियान्वित किये जाने हैं ; और

(ग) भविष्य में विस्तार लाइसेंस देने की क्या नीति होगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) जिन चीनी कारखानों को चौथी योजना के लक्ष्य के अनुसार अपनी क्षमता का विस्तार करने के लिए लाइसेंस दिए गये हैं उनके नाम, क्षमता में जितनी विस्तार करने की अनुमति दी गई है उसका ब्यौरा और लाइसेंस (1) जो पूरे हो चुके हैं (2) जिन्हें अभी कार्यान्वित किया जाएगा, को बताने वाला एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1842/72]** चौथी योजना के लक्ष्य के प्रति विस्तार हेतु दिया गया कोई भी लाइसेंस अभी तक न तो रद्द किया गया है और न ही विस्तार-क्षमता में कमी की गई है।

(ग) विस्तार हेतु लाइसेंस देने के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों पर औचित्यता के आधार पर विचार किया जा रहा है जिसमें मुख्यत: सम्बन्धित क्षेत्रों में गन्ने के उत्पादन की सम्भावना को ध्यान में रखा जा रहा है।

दिल्ली दुग्ध योजना के सम्पूर्ण दिवस कार्य करने वाले दुग्ध स्टालों में आपात-पूर्व के कार्य के घंटों को लागू करना

3745. **श्री पी० के० घोष** : क्या कृषि मन्त्री विभिन्न विभाग/मंत्रालयों में दिल्ली दुग्ध योजना के दूध में कार्य करने वाले कर्मचारियों के कार्य के घंटों के बारे में 20 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 647 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और कार्यालयों में आपात-पूर्व कार्य के घंटों को 3 अप्रैल, 1972 से लागू करने के उपरान्त दिल्ली दुग्ध योजना के अधिकारियों का विचार सम्पूर्ण दिवस कार्य करने वाले दुग्ध स्टालों के कार्य के घंटे तदनुसार परिवर्तित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) पूर्ण दिन कार्य करने वाले दुग्ध केन्द्रों के कार्य करने के घंटों में 11-4-72 से परिवर्तन कर दिया गया है। अब उनका समय 10-00 बजे पूर्वाह्न से 5-30 बजे अपराह्न तक है। 12-30 बजे अपराह्न से 1--00 बजे अपराह्न तक लंच ब्रेक रहता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

चीनी का मासिक कोटा बढ़ाने के लिये तमिलनाडु सरकार से अनुरोध

3746. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने राज्य में चीनी की आवश्यकता पूरी करने हेतु उसका मासिक कोटा बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो तमिलनाडु को दिये जाने वाले वर्तमान कोटे में वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) विभिन्न राज्यों के लिए कोटा नियत करने में केन्द्रीय सरकार ने क्या मापदंड अपनाया हुआ है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) राज्यों को उचित मूल्य की चीनी के मासिक कोटे के आवंटन सम्बन्धी आधार की समीक्षा की गई थी और मार्च, 1972 मास से जनसंख्या विषयक तथा, अतीत में खपत की मात्रा और चीनी की उपलब्धता पर विचार करने के बाद, युक्ति-युक्त आधार पर कोटा आवंटित किया गया था। इस आधार पर, तमिलनाडु का उचित मूल्य की चीनी का मासिक कोटा 10,000 मी० टन निर्धारित किया गया था जबकि फरवरी 1972 में यह कोटा 9,700 मी० टन था। तमिलनाडु सरकार से इसके बाद उनका चीनी का मासिक कोटा बढ़ाने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

मद्रास पत्तन को विकसित करने में विलम्ब

3747. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मद्रास पत्तन को विकसित करने का निर्णय किया था और तदनुसार वर्ष 1968 में ठेकेदारों आदि को यह कार्य दे दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विकास-कार्य का ब्यौरा क्या है और इस कार्य को पूरा करने के लिए कितना धन और कितनी अवधि निर्धारित की गई है ;

(ग) क्या कार्य की प्रगति बहुत धीमी है जिसके परिणाम स्वरूप मूल्यों आदि में वृद्धि होने के कारण विकास कार्य पर आने वाली लागत भी बढ़ जायेगी और अधिक धन की मंजूरी न होने के कारण विकास कार्य में और विलम्ब होगा ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का विचार क्या उपचारात्मक उपाय करने का है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां। मद्रास पत्तन न्यास ने वर्तमान बन्दरगाह के उत्तर में मद्रास में एक बाहरी बन्दरगाह का निर्माण कार्य शुरू किया है। इसमें मद्रास रिफाइनरियों के लिये कच्चे तेल लाने वाले गहरे डुबाव वाले तेलवाही पोतों के लिये घाट सुविधाओं की व्यवस्था के लिये एक तेल गोदी और गहरे डुबाव वाले खनिज वाही पोतें जो खनिज लोह के निर्यात के लिये नियोजित किये जायेंगे, की सुविधाओं के लिये यांत्रिक धरा उठाई संयंत्र के सहित एक खनिज घाट शामिल हैं। बाहरी बन्दरगाह परियोजना पर कार्य 1966 में शुरू हुआ। कुछ कार्य विभागीय रूप से दिये गये और कुछ ठेकेदारों से कराये गये।

(ख) परियोजना की लागत के बारे में ब्यौरा और परियोजना से सम्बन्धित बड़े कार्य निम्न प्रकार हैं।

(1) **तेल गोदी**

निकर्षण, भूमि सुधार और पनकट दीवार जैसे खनिज धरा उठाई योजना से संबंधित

कुछ आम मदों सहित तेल गोदी के निर्माण की लागत लगभग 23.20 करोड़ रुपये है। बड़े कार्यों का ब्यौरा और उनके पूरे होने की सम्भावित तारीखें निम्न प्रकार हैं:—

उत्तरी और पूर्वी पनकट दीवारों का बचाव, चरण I और II	पूरा हो गया।
भूमि सुधार का बचाव	पूर्व की ओर का भाग पूरा हो गया। उत्तर के भाग पर कार्य प्रगति पर है और अक्तूबर 1972 तक पूरा हो जाने की संभावना है।
तेल घाट	प्रगति में है। जून 1972 तक पूरा हो जाने की संभावना है।
पूर्वी पनकट का पूरा होना	प्रगति में है ; अक्तूबर 1972 तक पूरा होने की संभावना है।
तटाग्र से संचित रेत द्वारा खनिज घाट के लिये भूमि सुधार ...	प्रगति में है। 1973 के मध्य तक पूरा होने की संभावना है।

(ii) **खनिज लौह-धरा उठाई परियोजना**

परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 15 करोड़ रुपये है जिसमें निकर्षण, भूमि सुधार जैसे कुछ आम मद जो तेल गोदी परियोजना के भाग के रूप में शुरू किये गये हैं, शामिल नहीं है। कार्य के बड़े मदों के बारे में अब तक की गई प्रगति निम्न प्रकार है:—

(1) खनिज घाट	शीघ्र ही ठेका दिये जाने की संभावना है। 1974 के उत्तरार्द्ध में पूरा हो जाने की संभावना है।
(2) यांत्रिक खनिज लदान ठेका दे दिया गया है। 1974 संयंत्र स्टेकर, रिक्लेमर, जहाज के उत्तरार्द्ध में सुपुर्द किये लदान और वहन पद्धति से जाने की संभावना है।। संबधिक उपस्कर	

(ग) पनकट दीवारों के निर्माण में कुछ तकनीकी समस्याएं सामने आई जिसके कारण वाह्य बन्दरगाह के निर्माण की प्रगति में कुछ अपरिहार्य विलम्ब हुआ। अत: पनकट दीवारों की निर्माण की योजना की तकनीकी विशेषज्ञों की समिति को समीक्षा करनी पड़ी और समिति की सिफारिश के आधार पर संशोधन किया गया। परियोजना की व्याप्ति में कुछ परिवर्तन भी हुये हैं क्योंकि पहले की अपेक्षा बड़े जहाज जिसका अनुमान किया गया था जरूरत पूरी करेंगे। परियोजना पर कार्य सन्तोषजनक रूप से प्रगति कर रहा है। तेल गोदी की सब तरह से अक्तूबर 1972 तक पूरे हो जाने की सम्भावना है और लदान के लिये यांत्रिक सुविधाओं से सज्जित लौह खनिज की 1974 के उत्तरार्द्ध में पूरे हो जाने की संभावना है।

(घ) उक्त (ग) में उल्लिखित तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा उपचारी उपाय कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है । नौवहन और परिवहन मंत्रालय द्वारा एक उच्च-स्तरीय स्टियरिंग समिति का गठन किया गया जो है परियोजना की प्रगति देखे, बाधाओं को समझे और उपचारी कार्यवाही की सिफारिश करें ।

उत्तर प्रदेश में पौष्टिक चारे की कमी के कारण पशुओं की मृत्यु

3749. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में पौष्टिक चारे की कमी के कारण वर्ष 1971-72 में बहुत से पशु मर गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कोई ऐसे प्रभावी उपाय करने का है जिससे भविष्य में ऐसी दुर्घटना पुनः न हो ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) भारत सरकार को उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से पोषक चारे की कमी के कारण पशुओं की मृत्यु होने के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

राज्यों में कृषि क्षेत्र के लिये 15 वर्षीय वृहत योजना

3750. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मंत्रालय के सचिव ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में अपने दीक्षान्त भाषण के दौरान राज्यों से अनुरोध किया था कि वे कृषि-क्षेत्र के लिये 15 वर्षीय वृहत योजना तैयार करें ;

(ख) क्या मंत्रालय ने इस विषय पर राज्य सरकारों से कोई पत्र-व्यवहार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त पत्र-व्यवहार की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां । सचिव (कृषि) ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में अपने दीक्षान्त भाषण के दौरान राज्य सरकारों से अनुरोध किया था कि वे विकास प्रयत्नों को बढ़ावा देने के लिये 10-15 वर्षों की वृहत् योजनायें तैयार करें । भाषण के दौरान व्यक्त किये गये विचार उनके निजी विचार थे, क्योंकि ऐसे भाषणों का उद्देश्य विचारों को प्रेरित करना होता है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

पंजाब में तिलहन का मूल्य तथा उसकी वसूली

3751. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में अनुमानत: 40,000 मीट्रिक टन तिलहन के उत्पादन की सम्भावना है तथा उसकी उचित मूल्य पर तेजी के साथ वसूली की आवश्यकता है ;

(ख) वसूली मूल्य नियत करने तथा तेजी के साथ उसकी वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा उसे कतिपय नियत मूल्य पर वसूल करने की कोई योजना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) पंजाब में वर्ष 1971-72 की अवधि के लिए मुख्य तिलहनों के उत्पादन के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं परन्तु वर्तमान संकेतों के अनुसार पंजाब में पिछले वर्ष अर्थात् 1970-71 की अवधि के 212.6 हजार मीटरी टन उत्पादन की अपेक्षा वर्ष 1971-72 के दौरान मूँगफली, तोरिया, सरसों आदि मुख्य तिलहनों का कुल उत्पादन ज्यादा होने की सम्भावना है। पिछले वर्ष दिसम्बर में भारतीय खाद्य निगम को पंजाब से 120 रुपये प्रति क्विंटल की दर से तोरिया को खरीदने का अधिकार दिया गया था।

दिल्ली विश्वविद्यालय के पत्राचार पाठ्यक्रम के स्कूल का पुर्नगठन

3752. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के पत्राचार पाठ्यक्रम के स्कूल का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इस पाठ्यक्रम के लिए एक पृथक विश्वविद्यालय बनाने अथवा इसे दिल्ली विश्वविद्यालय अथवा जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में विलय करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी नहीं।

(ख) पत्राचार पाठ्यक्रम तथा सतत शिक्षा विद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय की एक अनुरक्षित संस्था है। इस स्कूल को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिये पत्राचार पाठ्यक्रम

3753. **श्री बी० आर शुक्ल** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली/नई दिल्ली में रहने वाले लोग बड़ी संख्या में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का अध्ययन दिल्ली विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार से बाहर पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से कर रहे हैं ; और

(ख) क्या दिल्ली/नई दिल्ली में रहने वाले लोगों की सुविधा के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अध्ययन की सुविधा दिल्ली विश्वविद्यालय के पत्राचार पाठ्यक्रम स्कूल के माध्यम से देने का कोई प्रस्ताव है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है ।

(ख) एम० ए० डिग्री के स्तर पर पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किए जाने का एक प्रस्ताव दिल्ली विश्वविद्यालय के विचाराधीन था । तथापि, विश्वविद्यालय ने इस प्रकार के पाठ्यक्रम शुरू करने का अभी कोई निर्णय नहीं लिया है ।

Commission to Enquire into Affairs of Academies

3754. **Shri Sudhakar Pandey :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether any Commission was appointed to look into the affairs of the various Academies like the Sahitya, Sangeet and Lalit Kala Academies, which receive grants from his Ministry and if so, when ;

(b) the expenditure incurred thereon so far ; and

(c) whether it has since submitted its report to the Government ; and if not, the time by which the report is likely to be submitted ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of culture (Shri D. P. Yadav) : (a) Yes, Sir. By a Resolution issued on 19-2-1970, a Committee was set up under the Chairmanship of Shri Justice G. D. Khosla, to review the working of the three National Academies, *viz.*, Sahitya, Sangeet Natak and Lalit Kala Academies, and the Indian Council for Cultural Relations.

(b) Rs. 1,32,726/-

(c) The Reviewing Committee has not submitted its report. The Committee has now been given extension up to 31-7-72 by which time it is expected to submit its report.

Expenditure Incurred on World Book Fair

3755. **Shri Sudhakar Pandey :** Will the Minister of **Educattion and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred by the Government of India through the National Book Trust on the World Book Fair and the achievements thereof ; and

(b) whether Government are aware that a section of authors and publishers is very much dissatisfied with the manner in which it was organised ; and if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social welfare and in the Department of Culture (Shri D. P: Yadav) : (a) An amount of Rs. 6,60,000 has been sanctioned to the National Book Trust by Government. It is not possible to assess in tangible

trems the achivements of such Fairs. The Fair was organised with the object of making people book-minded in the contex of the Internationl Book Year of which the main theme is "Books For All". It provided an opportunity for Indian publishers and printers to exhibit the high standards and wide range of Indian publishing and printing, alongside with books from many parts of the World thus providing a forum for the participating countries for exchanging experience and also for the public to see the state of book production in the various parts of the World. The Fair was so popular with the public that it was visited by about two lakhs of people and this served to focus attention on the promotion of the reading habit.

(b) It is understood that a few Hindi Writers had objected to their exclusion from the Writers' Camp organised by the Trust. It was explained to them that only a limited number of writers could be invited from each language. Both foreign and Indian participants have, in general, commented very favourably about the organisation of the Fair. There was another complaint that some of the private pavilions were not suitably situated and, therefore, did not attract as many visitors as the main pavilion. This was because of the last minute change in the venue of the Fair which made it necessary to adjust the original plan to the new site which did not lend itself to a better layout. The change was because of the intervening Emergency.

विश्व पुस्तक मेले में प्रदर्शित की गई पुस्तकें

3756. **श्री सुधाकर पांडे** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित विश्व पुस्तक मेले में भारतीय भाषाओं के प्रकाशनों को यथोचित महत्व नहीं दिया था ; और

(ख) उक्त विश्व पुस्तक मेले में प्रत्येक भाषा की कितनी पुस्तकें प्रदर्शित की गई थीं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) विश्व पुस्तक मेले को तीन खंडों में बांटा गया था : राष्ट्रीय प्रदर्शनी खंड में, लगभग 8,200 पुस्तकों में से लगभग 7,000 पुस्तकें भारतीय शाषाओं में थीं । वाणिज्य खंड में, कुल 153 हिस्सा लेने वालों में से 45 भाग लेने वालों ने मुख्यतया भारतीय भाषाओं की पुस्तकों को प्रदर्शित किया । अन्तर्राष्ट्रीय खंड में भी हिस्सा लेने वाले विदेशी प्रकाशकों में से कुछ प्रकाशकों ने अपने प्रकाशनों के भारतीय भाषाओं के रूपांतरों को प्रदर्शित किया ।

(ख) मेले में प्रदर्शित की गई पुस्तकों की कुल संख्या 2 लाख के लगभग थी । भारतीय तथा विदेशी हिस्सा लेने वालों को उनके द्वारा किराए पर लिए गए स्थान में किसी भी भाषा में अपनी पुस्तकों की कोई भी संख्या प्रदर्शित कर सकने की छूट थी । अत: वाणिज्य खंड में प्रदर्शित की गई पुस्तकों का भाषा-वार ब्यौरा देना संभव नहीं है । राष्ट्रीय खंड में हिन्दी तथा अंग्रेजी, प्रत्येक में लगभग 1,000 पुस्तकें, बंगला, गुजराती, कन्नड, मलयालम, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू, प्रत्येक में 500 ; असमी, उड़िया, प्रत्येक में 250 ; तथा सिंधी और संस्कृत प्रत्येक में 100 पुस्तकें प्रदर्शित की गई । इसके अलावा, सभी भाषाओं में एक हजार के लगभग बाल पुस्तकें तथा पेपर बैक भी थे ।

आन्ध्र प्रदेश में पीने के पानी की कमी के बारे में चर्चा

3757. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के नगर प्रबन्ध मन्त्री ने राज्य में व्यापक रूप से विद्यमान पीने के पानी की कमी के बारे में केन्द्रीय सरकार से हाल ही में बातचीत की थी ; यदि हां, तो राज्य के शहरों और विभिन्न क्षेत्रों में पीने के पानी की कमी का ब्यौरा क्या है ;

(ख) वर्तमान कठिन स्थिति पर काबू पाने के लिये रिग्ज और धन के रूप में कितनी विशिष्ट सहायता देने का प्रस्ताव किया है ; और

(ग) क्या राज्य में पीने के पानी की कमी की समस्या का कोई स्थायी समाधान ढूंढ़ने के लिये कोई योजना विचाराधीन है ; और यदि हां, तो वह क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी हां । निम्नलिखित 12 जिलों के लगभग 3,000 गांवों और कुल कस्बों में पानी की भारी कमी बतायी गई है:—

1. गरुगुण्डां	2. हैदराबाद	3. मैडक	4. अदिलाबाद
5. महबूबनगर	6. औंगोल	7. कुडापाह	8. बारंगल
9. खम्भारम	10. करीमनगर	11. निज़ामाबाद	12. कुर्नूल

(ख) यूनिसेफ सहाय्यित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम और सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त 17 रिग्ज के अलावा लगभग 30 अधिक रफ्तार वाली चट्टानी ड्रिलिंग रिग्ज प्राप्त करने में राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार की सहायता मांगी थी । केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को 29 रिग्ज सीधे बाजार से खरीदने में सहायता दी है । राज्य सरकार ने 8 रिग्ज के लिये आदेश दे दिये हैं तथा 15 और रिग्ज खरीदने के लिये उपाय कर रही है । इसके अलावा 1972-73 में यूनिसेफ ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 5 नई रिग्ज की व्यवस्था कर दी गई है । जल की कमी को दूर करने से सम्बन्धित एक त्वरित कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये अन्य राज्य सरकारों से उधार पर कुछ और रिग्ज़ लेने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं । इस राज्य सरकार से भी यह अनुरोध किया गया है कि वह अपने यहां खराब पड़ी 30 रिग्ज के लिये अपेक्षित फालतू पुर्जों की सूची शीघ्र भेज दें ताकि उन रिग्ज का भी इस त्वरित कार्यक्रम में इस्तेमाल किया जा सके ।

(ग) जलपूर्ति एक राज्य क्षेत्र का कार्यक्रम है । जलपूर्ति योजनाओं को बनाना, उनका चरण-बद्ध कार्यक्रम तय करना, उनके लिये धन का आवंटन करना और इस योजनाओं को पूरा करना, आदि राज्य सरकार के काम हैं । इस कार्य के लिये चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार करना और उसे राज्य की योजना में उपलब्ध स्रोतों से पूरा करना राज्य सरकार का ही काम है । वैसे, राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वह वर्तमान जल की कमी को दूर करने के लिये ही नहीं वरन् किसी दीर्घ-कालीन कार्यक्रम में उसका सामंजस्य बिठाने के लिये भी एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार करें ।

नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों पर अवैध अधिकार

3758. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के डी० आई० जैड० तथा अन्य क्षेत्रों में कई सरकारी क्वार्टरों पर

सब लैटियों का अभी भी अधिकार है जबकि उनके वास्तविक अलाटी की मृत्यु होने, त्यागपत्र देने तथा सेवानिवृत होने के कारण उनका उन पर अधिकार नहीं रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन क्वार्टरों को अनधिकृत व्यक्तियों से खाली कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (ग) जहां तक दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल वास का सम्बन्ध है, केवल दो मामलों में मृत्यु हो जाने के कारण मूल आवंटी का दखल समाप्त हो जाने के पश्चात् क्वार्टर अभी शेयर करने वालों के दखल में हैं । एक मामले में लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस जारी कर दिया गया है तथा दूसरे मामले में नोटिस जारी किया जा रहा है ।

Opening of Central School at Patna

3759. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether a scheme for setting up a Central School at Patna is pending since long ;

(b) whether the land is not being made available for the same ; and

(c) if so, reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of culture (Shri D. P. Yadav) : (a) to (c) No scheme for setting up a new Central School at Patna is pending since long. However a proposal to shift the Central School, which is already in existence at Patna (Anisabad) and which is functioning in a rented building, to a permanent building is under consideration for quite some time. The Government of Bihar, who had been requested for a suitable land for the existing Central School at Patna, had allotted in January 1969, a piece of land measuring 7 acres. The land allotted has, however, not been found suitable. Negotiations for allotment of a suitable piece of land are being conducted by the Kendriya Vidyalaya Sangathan with the Government of Bihar, which is expected to be solved in near future.

अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्वस्थता दल के कर्मचारियों से अभ्यावेदन

3760. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनकी गत कुछ महीनों में अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्वस्थता दल के कर्मचारियों की एसोसिएशन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन में की गई मांग क्या है और सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और

(ख) अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्वस्थता दल के कर्मचारी संघ को संयुक्त परामर्श तंत्र (मशीनरी) के प्रयोजन हेतु मान्यता दी गई है । संयुक्त परामर्श तंत्र में संघ ने दो मांगे की है ।

(i) राष्ट्रीय स्वस्थता दल संगठन में 80 प्रतिशत पदों की स्थायी घोषित किया जाए ।

(ii) सारे भारत भर में स्कूल के अध्यापकों के लिए सिफारिश किए गए वेतन-मान राष्ट्रीय स्वस्थता दल के शिक्षकों को उनकी बदली राज्यों में की जाने से पूर्व अभिस्वीकृत किए जाएँ ।

2. सरकार इन मांगों को मानने में असमर्थ है क्योंकि

(क) अस्थायी पदों को स्थायी पदों में परिवर्तित किए जाने की एक जरूरी शर्त यह है कि निकट भविष्य में वह कार्यालय समाप्त करने का कोई प्रस्ताव न हो तथा कार्यालय में वे पद अनिश्चित काल के लिए आवश्यक हों । राष्ट्रीय स्वस्थता कोर का कार्यालय इस शर्त को पूरा नहीं करता ।

(ख) कोठारी आयोग द्वारा सिफारिश किए गए वेतन मानों को अपने-अपने स्कूल के स्टाफ पर लागू किए जाने के सम्बन्ध में उन प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जाना तथा उन्हें स्वीकार किया जाना है जो उन स्कूलों का प्रबन्ध करते हैं । अनुदेशक राष्ट्रीय स्वस्थता कोर वेतन मान पर भारत भर के स्कूलों में कार्य कर रहे हैं और उन्हें उन स्कूलों के स्टाफ में खपा लेने के बाद उन्हें सम्बन्धित राज्य के अध्यापकों के लिए अपनाए गए वेतन मान दे दिए जाएंगे । इस सम्बन्ध में कार्रवाई शुरू की गई है ।

3. संघ संयुक्त परामर्श मशीनरी से बाहर भी सरकार को विभिन्न अभ्यावेदन भेजता रहा है और प्रत्येक अभ्यावेदन उसके गुण दोष के आधार पर निपटाया जा रहा है ।

ट्रैक्टरों का आयात और उनका वितरण

3761. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में किन देशों से कितने ट्रैक्टरों का आयात किया गया है तथा उनके माडल, किस्म और मूल्य क्या हैं ;

(ख) प्रत्येक राज्य कृषि उद्योग निगम को इनका वितरण करने के लिए कितने तथा किस किस्म के ट्रैक्टर आवंटित किए गए हैं ;

(ग) क्या इनका वितरण कृषि उद्योग निगमों ने स्वयं किया था अथवा गैर-सरकारी एजेंसियों के माध्यम से किया गया था ; कृषि उद्योग निगमों ने कितने ट्रैक्टर अपने राज्यों में बेचे तथा कितने अपने राज्यों से बाहर बेचे ; और

(घ) क्या कृषि उद्योग निगमों द्वारा बेचे जाने वाले ट्रैक्टरों के विक्रय मूल्य आवश्यक वस्तु अधिनियम द्वारा नियंत्रित होते हैं और क्या ये ट्रैक्टर उपकरणों सहित अथवा इसके बिना बेचे जाते हैं ; और किन उपकरणों सहित तथा किस मूल्यों पर बेचे जाते हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) वर्ष

1969-70 की अवधि में 35,000 ट्रैक्टरों को आयात करने का निश्चय किया गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत (क) गत तीन वर्षों की अवधि में आयात किये गये ट्रैक्टरों की संख्या, उनके देश, माडल, मेक तथा मूल्य और (ख) प्रत्येक राज्य कृषि उद्योग निगम को वितरण के लिये नियजित ट्रैक्टरों की संख्या तथा मेक सम्बन्धी जानकारी संलग्न दो विवरणों में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1843/72]**।

(ग) आयातित ट्रैक्टरों का वितरण विभिन्न राज्य कृषि उद्योग निगमों द्वारा स्वयं किया गया या किया जा रहा है। जिन देशीय निर्माताओं द्वारा ट्रैक्टरों का आयात संयोजन के एस० के० डी० स्थिति के अन्तर्गत किया जाता है, उनके विक्रेताओं द्वारा ट्रैक्टर कृषि उद्योग निगमों, संघ राज्य क्षेत्रों, पुनःस्थापन के महानिदेशक आदि द्वारा नामित व्यक्तियों को और कुछ प्रचलन आदि कार्यों के लिए सीधे बेचे जाते हैं।

(घ) कृषि उद्योग निगमों द्वारा बेचे जाने वाले ट्रैक्टरों का विक्रयमूल्य अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम द्वारा नियंत्रित नहीं होता। फिर भी, ट्रैक्टरों का विक्रय भारतीय परियोजना तथा उपकरण निगम लिमिटेड द्वारा, भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट सूत्र के आधार पर निर्धारित किये गये मूल्य पर किया जाता है। ऐसे उपकरणों का विक्रय कृषिकों की आवश्यकतानुसार ट्रैक्टरों के साथ भी किया जाता है और ये निगम के पास उपलब्ध हैं। प्रत्येक उपकरण का मूल्य भिन्न-भिन्न होता है और प्रत्येक राज्य में भी उनके मूल्य में अन्तर रहता है।

बिलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली, में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत आने वाले रोगियों के जांच के लिये पृथक् व्यवस्था

3762. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विलिंगडन अस्पताल में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के रोगियों की जांच के लिए अलग से प्रबन्ध नहीं है और भीड़ के कारण रोगियों को घन्टों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है ;

(ख) क्या जिन रोगियों की आखों एवं टांगों का आपरेशन होता है उन्हें लघु आपरेशन के तर्क पर एक दिन के लिए भी हस्पताल में भर्ती नहीं किया जाता और रोगियों को दर्द में ही घरों को जाना पड़ता है ; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) मेडिकल और सर्जिकल ओ० पी० डी० में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के रोगियों की जांच के लिए अलग से प्रबन्ध है दूसरे विभागों में उन्हें आम जनता के साथ अपनी बारी के लिए इन्तजार करना होता है क्योंकि स्थान और स्टाफ की कमी के कारण कोई अलग प्रबन्ध नहीं किया जा सका।

(ख) छोटी मोटी सर्जरी वाले सभी रोगियों को जिन्हें आपरेशन के बाद भर्ती होने की जरूरत नहीं होती है अपने घर जाने दिया जाता है। ऐसे छोटे मोटे सामलों में भी जिनमें आपरेशन के दौरान यह महसूस किया जाता है कि इनको एक आध दिन के लिए भर्ती करना जरूरी

है रोगियों को भर्ती करने का प्रबन्ध कर दिया जाता है। भर्ती की अवधि रोगी की स्थिति पर निर्भर करती है।

(ग) जहां कहीं आवश्यक है वहां अतिरिक्त स्टाफ देने, तथा पैसा उपलब्ध होने पर मौजूदा ओ० पी० डी० ब्लाक के ऊपर अतिरिक्त मंजिलें बनाने का प्रस्ताव किया गया है।

ग्रामीण रोजगार के द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल में रोजगार उपलब्ध कराया जाना

3763. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगारी हटाने की योजना का कार्य केरल राज्य में प्रारम्भ हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक खण्ड में विशेष रूप से केरल राज्य के विकास खण्डों में कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) रोजगार में लगाए गए व्यक्यिों की संख्या और उनके रोजगार की अवधि विभिन्न खण्डों में भिन्न-भिन्न कार्यों के लिए अलग-अलग है। काम में लगाए गए व्यक्तियों की निरी संख्या की अपेक्षा पैदा किए गए रोजगार श्रमदिनों की संख्या को लेना अधिक उपयुक्त है। केरल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार मार्च, 1972 के अन्त तक 35.10 लाख श्रमदिनों का रोजगार पैदा किया गया है। खण्ड-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

केरल में पत्तनों के विकास के लिए वित्तीय सहायता

3764. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा दी गई वित्तीय सहायता से केरल राज्य में किन पत्तनों का विकास किया जा रहा है ; और

(ख) इस सम्बंध में अब तक कितनी सहायता दी गई है और इसमें कितनी सहायता का बचन दिया गया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) केरल में वेपुर का छोटा पत्तन, छोटे पत्तनों के विकास के लिये ऋण सहायता को प्रदान करने के लिये केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में शामिल किया गया है।

(ख) चौथी योजना में शामिल केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत इस योजना के लिये 100 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। अभी कोई ऋण सहायता नहीं दी गई है क्योंकि योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। वेपुर में निकर्षण के लिये अगले साल मौसम के दौरान नौवहन और परिवहन मंत्रालय पूल के एक निकर्षक को लगाने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय स्वस्थ्यता दल के पदों का स्थायी बनाना

3765. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय स्वस्थ्यता दल के कर्मचारियों की 80 प्रतिशत पदों का स्थायी करने की मांग पर राष्ट्रीय परिषद् की उप-समिति विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के निष्कर्ष क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी): (क) तथा (ख) राष्ट्रीय परिषद् ने ऐसी कोई समिति नहीं स्थापित की है जो विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वस्थ्यता कोर के कर्मचारियों के अस्थायी पदों को उस संगठन में स्थायी बना देने के बारे में कर्मचारियों की मांग की जांच करे, किन्तु कर्मचारियों की ओर से इस विषय पर वर्तमान आदेशों में कुछ अस्पष्टता बताये जाने के कारण, अस्थायी पदों को स्थायी पदों में न बदलने के सामान्य प्रश्न की जांच के लिए परिषद् ने एक समिति का गठन किया है । इस बारे में राष्ट्रीय स्वस्थ्यता कोर संगठन से सम्बध मामले को भी कर्मचारियों की ओर से समिति के सम्मुख उनके विचारार्थ उठाया गया है ।

उड़ीसा में निम्न एवं मध्यम आयवर्ग आवास योजना के लिये राशियों का आवंटन

3766. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1972-73 के दौरान उड़ीसा राज्य के लिए निम्न आय वर्ग आवास योजना और मध्यम आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत क्रमश: कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई ;

(ख) इस वर्ष के दौरान उड़ीसा सरकार को कितना वास्तविक कोटा नियत किया गया ; और

(ग) राज्य सहकारी आवास निगम ने इस प्रयोजन के लिए कितना धन निर्धारित किया है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई०के० गुजराल) : (क) और (ख) 1972-73 में उड़ीसा के लिए "आवास" हेतु अनुमोदित प्लान परिव्यय 188 लाख रुपये का है । इस परिव्यय और नियतन का योजनावार वितरण तथा उनके लिए निधियों का नियतन राज्य सरकारों द्वारा अपनी आवश्कताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार स्वयं किया जाता है, केन्द्रीय सहायता खण्ड ऋणों व खण्ड अनुदानों के रूप में दी जाती है जो किसी योजना के विशेष और विकास शीर्ष से सम्बद्ध नहीं है । वास्तविक लक्ष्य भी उन द्वारा निश्चित किये जाते हैं ।

(ग) मंत्रालय में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

राजस्थान में प्रारम्भ किये गये समाज कल्याण कार्यक्रम

3767. **श्रीमती कृष्णा कुमारी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में गत तीन वर्षों में प्रारम्भ किए गए समाज कल्याण कार्यक्रमों की रूपरेखा क्या है ;

(ख) उनके लिए कितनी केन्द्रीय सहायता अनुदानों और ऋण के रूप में निर्धारित की गई है और कितनी राशि का वास्तविक उपयोग किया गया है ; और

(ग) किस सीमा तक लक्ष्य प्राप्त किये गये ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल रख दी जाएगी ।

लखनऊ विश्वविद्यालय में शैक्षिक पद

3768. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग लखनऊ विश्वविद्यालय के शैक्षिक पदों के लिए कितना धन देने के लिए वचनबद्ध है ;

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने तीसरी और चौथी योजना अवधि में लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों और रीडरों के कितने पदों के लिए मंजूरी दी थी ; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों और रीडरों के बहुत से पद रिक्त पड़े हैं ; और यदि हां, तो कितने पद रिक्त हैं और अभी तक उन्हें न भरे जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1966-74 के दौरान स्वीकृत प्रोफेसर तथा रीडरों के पदों के लिए 100% और लेक्चररों के पदों के लिए 50% सहायता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है ।

(ख) :

	प्रोफेसर	रीडर
तीसरी योजना :	8	7
चौथी योजना :	5	25

(ग) तीसरी योजना के सभी पद भर लिए गए हैं । चौथी योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत प्रोफेसरों तथा रीडरों के पदों में से प्रोफेसर का एक पद पहले ही भर लिया गया हैं । बाकी पदों के लिए विज्ञापन दिया जा चुका है तथा उन्हें भरने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं । इन पदों को भरे जाने में विलंब होने का मुख्य कारण यह है कि राज्य सरकार द्वारा इन पदों के हेतु अंतिम रूप से संस्वीकृति अक्तूबर, 1971 में दी गयी थी ।

दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर के दिन के तथा सायंकालीन शिक्षण का एकीकरण

3769. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर अध्ययन संस्था के अध्यापकों को अनुसंधान छात्रों का निर्धारण करने, कालेजों की चयन समितियों के पैनल में उनके नाम सम्मिलित करने सहित सभी मामलों में दिन के कालेजों के अध्यापकों के बराबर नहीं समझा जाता है ;

(ख) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद् ने दो वर्ष पूर्व यह संकल्प पारित किया था कि स्नातकोत्तर स्तर के दिन के एवं सायंकालीन शिक्षण का एकीकरण किया जाए और यदि हां, तो उक्त संकल्प को कार्यान्वित करने के बारे में विश्वविद्यालय अधिकारियों ने अब तक क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या स्नातकोत्तर अध्ययन संस्था के अध्यादेशों में एकीकरण के बारे में बहुत अधिक रोष है ; और

(घ) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विचार स्नातकोत्तर अध्ययन संस्था के लिए प्रोफेसरों के पद मंजूर करने का है जिससे कि दिन एवं संध्याकालीन कालेजों में शिक्षण ढांचा एक हो सके ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) स्नातकोत्तर (सायंकालीन) अध्ययन संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यलय की एक अनुरक्षित संस्था है । विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार सेवा-शर्तों, छुट्टियों तथा भविष्य निधि आदि के अन्य मामलों में संस्थान के अध्यापकों को विश्वविद्यालय के विभागों में नियुक्त किए गए अध्यापकों के बराबर ही समझा जाता है । अनुसंधान के पर्यवेक्षकों की नियुक्ति अनुसंधान अध्ययन बोर्ड द्वारा की जाती है तथा संस्थान के कुछ अध्यापक उन अनुसंधान छात्रों के पर्यवेक्षक हैं जो कि मार्गदर्शन के लिए इनके पंजीकृति किए गए हैं । अंगीभूत/संबद्ध कालेजों में अध्यापकों की नियुक्ति करने वाली प्रवर समिति में अन्य बातों के साथ-साथ शैक्षिक परिषद् द्वारा मनोनीत किए गए एक विशेषज्ञ सदस्य अर्थात सम्बन्धित विषय के विभागाध्यक्ष की भी व्यवस्था है । यदि विभागाध्यक्ष प्रवर समिति की बैठक में भाग नहीं ले सकता तो शैक्षिक परिषद् किसी अन्य विशेषज्ञ की नियुक्ति करती है । किसी संस्थान के रीडर की विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नियुक्ति पर कोई रुकावट नहीं है ।

(ख) जी हां । शिक्षण तथा गैर-शिक्षण कर्मचारियों, दोनों ही के वास्तविक विलय से संबद्ध ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं तथा इनके पूरे हो जाने पर विश्वविद्यालय के उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा इन पर विचार किया जाएगा ।

(ग) एकीकरण के प्रति संस्थान के शैक्षिक तथा गैर-शैक्षिक कर्मचारियों की भावनाओं से विश्वविद्यालय अवगत है ।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस आशय का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ।

नई दिल्ली के सरकारी क्वार्टरों में बिजली के फिटिंग एवं पंखों की व्यवस्था

3770. **श्री नागेश्वर द्विवेदी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजा बाजार, आराम बाग, देव नगर, मिन्टो रोड तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में

स्थित कुछ सरकारी क्वार्टरों में बिजली के स्थायी फिटिंग तथा पंखे नहीं लगाए गए हैं हालांकि इनका नियतन हुए बहुत समय हो गया है और इनमें जल प्रदाय जैसी अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्वार्टरों के वास्तविक कब्जे से पूर्व उनमें बिजली की फिटिंग न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन क्वार्टरों में बिजली की व्यवस्था कब तक की जायेगी ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख) आम तौर पर सभी क्वार्टरों में उनके आवंटन से पहले बिजली की स्थायी फिटिंग की व्यवस्था की जाती है। तथापि, देव नगर में एक क्वार्टर के सम्बन्ध में बिजली की फिटिंग हटा दी गई थी जब यह क्वार्टर असुरक्षित घोषित किया गया था। हाल ही में इस क्वार्टर की मरम्मत की गई थी तथा इसे आवंटित किया गया था। इस क्वार्टर दखल के बाद, स्थायी फिटिंग की व्यवस्था होने तक, जो कि अब की जा रही है, बिजली की अस्थायी फिटिंग की व्यवस्था कर दी गई है।

(ग) सभी क्वार्टरों में बिजली के कनेक्शन विद्यमान हैं।

सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान की भारतीय परिषद् की छात्रवृत्तियां

3771. **श्री एस० एम० सिद्धया** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की भारतीय परिषद् ने विभिन्न परियोजनाओं पर अनुसंधानकर्ताओं को छात्रवृत्तियां देने की योजना लागू की है; यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) परिषद् ने अब तक प्रत्येक वर्ष में विभिन्न वर्गों की कितनी छात्रवृत्तियां दी है और उनमें से कितनी छात्रवृत्तियां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को दी गई ; और

(ग) क्या परिषद् का विचार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए एक अलग योजना प्रारम्भ करने का अथवा उनके लिए प्रतिवर्ष छात्रवृत्तियों की निश्चित संख्या नियत करने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) भा० सा० वि० अनु० परिषद् निम्नलिखित शिक्षावृत्तियां देता है :—

(1) सर्वोत्तम समाज वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय शिक्षा वृत्तियां ;

(2) ऐसे समाज वैज्ञानिकों को भा० स० वि० अनु० परिषद् की अनुसंधान शिक्षावृत्तियां, जो पूर्णकालिक आधार पर अनुसंधान कार्य करना चाहें ;

(3) समाज विज्ञानों में डाक्टरेट और उत्तर डाक्टरेट शिक्षावृत्तियां।

प्रथम दो श्रेणियों की शिक्षावृत्तियों का मुख्य उद्देश्य, अनुमोदित अनुसंधान परियोजनाओं पर पूर्णकालिक आधार पर सक्षम समाज वैज्ञानिकों को कार्य करने के योग्य बनाना है। शिक्षा-वृत्ति की अवधि के दौरान, उनको अपने वेतन तथा भत्ते और आकस्मिक खर्चों के लिए कुछ फुटकर खर्च भी मिलता है। डाक्टरेट और उत्तर-डाक्टरेट शिक्षावृत्तियां, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षावृत्तियों के समान हैं।

अब तक, परिषद् ने 2 राष्ट्रीय शिक्षावृत्तियां, 19 अनुसंधान शिक्षावृत्तियां और 20 उत्तर-डाक्टरेट और डाक्टरेट शिक्षावृत्तियां प्रदान की हैं। इनमें से, 4 डाक्टरेट शिक्षावृत्तियां, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के उम्मीदवारों को दी गई हैं।

परिषद् ने, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के उम्मीदवारों को प्रत्येक वर्ष 4 डाक्टरेट और उत्तर-डाक्टरेट शिक्षावृत्तियां निर्धारित करने का निर्णय किया है।

सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान की भारतीय परिषद् की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं सम्बन्धी स्थायी समितियां

3772. **श्री एस० एम० सिद्धया** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की भारतीय परिषद् की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं सम्बन्धी दो स्थायी समितियां हैं; और यदि हां, तो इन दो समितियों का गठन कब किया गया था ;

(ख) दोनों समितियों के सदस्य कौन-कौन हैं, समितियों के कार्य की शर्तें क्या हैं और सदस्यों तथा अध्यक्ष की नियुक्ति की पद्धति क्या है ; और

(ग) इन दो समितियों की अब तक कितनी बैठकें हुई हैं; इन बैठकों में किन बातों पर विचार विमर्श हुआ तथा इन दोनों समितियों ने क्या मुख्य निर्णय किये अथवा मंत्रणा दी और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने मार्च, 1970 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक-एक सलाहकार समिति स्थापित की।

(ख) इस समय अनुसूचित जातियों की समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हैं :—

1. प्रो० आर० डी० भंडारे (संसद सदस्य) अध्यक्ष
2. डा० आई० पी० देसाई
3. श्री आर० श्रीनिवासन
4. डा० सी० परवात्मा

5. प्रो० एन० आर० देशपांडे
6. डा० सुरजीत सिन्हा
7. श्री जीवन लाल जयराम दास
8. श्रीमती चन्द्रशेखर
9. श्री राजाराम शास्त्री (संसद् सदस्य)
10. श्री जे० पी० नायक सदस्य सचिव

इस समिति के विचारार्थ विषय है : अनुसूचित जातियों की समस्याओं सम्बन्धी हुए अथवा हो रहे अनुसंधान से सम्बन्धित सूचना एकत्र करना ; इस विषय पर सूचना के लिए वितरण केन्द्र के रूप में काम करना; और इस क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना ।

अनुसूचित जनजातियों की समिति में अब निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हैं :—

1. प्रो० एस० सी० दुबे अध्यक्ष
2. डा० एल० पी० विद्यार्थी
3. डा० ए० के० दंडा
4. डा० एस० एन० दुबे
5. श्री डी० एन० मजुमदार
6. श्री कार्तिक उरांव, संसद् सदस्य
7. श्री के० जी० पिशारोदी
8. श्रीमती ओलिवे रेखाधन
9. डा० बी० के० रायबर्मन
10. श्री जे० पी० नायक सदस्य सचिव
11. डा० योगेश अटल

इस समिति के विचारार्थ विषय हैं :—

सूचना के विनिमय के लिए वितरण केन्द्र के रूप से कार्य करना; आदिवासी लोगों के अनुसंधान कार्य में व्यस्त व्यक्तियों और संस्थानों को आपस में समीप लाने में समन्वय भूमिका निष्पादन करना ; और इस क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए संवर्द्धनशील भूमिका अदा करना ।

सलाहकार समितियों के अध्यक्ष और सदस्य परिषद् द्वारा मनोनीत किए जाते हैं ।

(ग) अनुसूचित जातियों की समिति की तीन बैठकें हो चुकी हैं । समिति ने जिन प्रमुख कार्यक्रमों पर चर्चा की, उसकी सिफारिशें तथा इन पर की गई कार्यवाही निम्नलिखित हैं :—

(1) अनुसूचित जातियों पर अब तक किये गये अनुसंधान कार्य की संदर्भिका का संकलन कर लिया गया है ।

(2) अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित कुछ अनुसंधान प्रस्तावों को मंजूर कर लिया गया है **(अनुबंध-1)** **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1844/72]**

(3) उनकी शैक्षणिक समस्याओं के अध्ययन हेतु प्रस्तावों को तैयार कर लिया गया है। उनके कार्यान्वयन हेतु, एक समन्वयक समिति की स्थापना की गई है तथा विभिन्न क्षेत्रों के लिए परियोजना निदेशकों की नियुक्ति भी कर ली गई है **(अनुबंध-2)** **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०1844/72]**

(4) अनुसूचित जातियों के अनुसंधान पर उपनति रिपोर्ट समाज विज्ञान और राजनीति विज्ञान में तैयार कर ली गई है।

अनुसूचित जनजातियों की समिति ने अब तक दो बैठकें आयोजित की है। समिति ने जिन प्रमुख कार्यक्रमों पर चर्चा की है, उसकी सिफारिशें तथा उन पर की गई कार्रवाई निम्नलिखित है :—

(1) अनुसूचित जन-जातियों पर अनुसंधान में प्राथमिकताओं पर एक नोट (टिप्पण) तैयार कर लिया गया है। जन-जातियों के अनुसंधान में अभिरुचि रखने वाले सामाजिक वैज्ञानिकों तथा संस्थानों से इस पर विचार-विमर्श करने के पश्चात्, अनुसंधान के क्रमिक कार्यक्रम को विकसित करने का प्रस्ताव है।

(2) जन-जातीय नृजातीय वर्णन के अनुसंधान का सर्वेक्षण तैयार हो चुका है। अनुसूचित जन-जातियों से सम्बन्धित अनुसंधान की समीक्षा भी अन्य अनुसंधान सर्वेक्षणों में हो चुकी है।

(3) उनकी शैक्षणिक समस्याओं के अध्ययन हेतु प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं। उनके कार्यान्वयन हेतु एक समन्वय समिति स्थापित की गई है और विभिन्न क्षेत्रों के लिए परियोजना-निदेशकों की नियुक्ति कर ली गई है। **(अनुबंध-2)**

(4) अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित कुछ अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूर कर लिया गया है। **(अनुबंध-3)** **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1844/72]**

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्या सम्बन्धी अनुसंधान कार्यक्रम

3774. **श्री एस० एम० सिद्धया** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के बारे में एक वृहत् अनुसंधान कार्यक्रम बनाने का निश्चय किया है ; यदि हां, तो ऐसे कार्यक्रम की मुख्य रूपरेखा क्या है ;

(ख) क्या उन अनुसंधान परियोजनाओं का कोई आदर्श रूप अथवा सूची अब तक तैयार की गई है, जिन पर प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार

द्वारा कार्य आरम्भ किया जायेगा अथवा जो विभिन्न राज्यों में विभिन्न ऐजेन्सियों/विद्वानों में वितरित की जायेंगी ; यदि हां, तो क्या ऐसी परियोजनाओं और इनके सुपुर्ददारों के ब्यौरे की एक सूची सभा-पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) विभिन्न राज्यों के लिए अब तक निश्चित किये गए कार्यक्रमों के समन्वयकर्ताओं और परियोजना-निदेशकों के नाम क्या हैं ।

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) परिषद् अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षिक समस्याओं में अनुसंधान के संवर्धन का विचार रखती है । उसने इस उद्देश्य के लिए दो सलाहकार समितियां स्थापित की हैं—एक अनुसूचित जातियों के लिए तथा दूसरी अनुसूचित आदिम जातियों के लिए ।

अभी तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की शैक्षिक समस्याओं के अनुसंधान कार्यक्रम के ब्यौरे ही तैयार किए गए हैं । उन्हें परिशिष्ट 1 में दर्शाया गया है । अन्य क्षेत्रों के कार्यक्रगों के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं । किसी कार्यक्रम के ब्यौरे अन्तिम रूप से तैयार होते ही, उन्हें परिषद् के न्यूज लेटर में प्रकाशित कर दिया जाता है तथा उसकी प्रतियां संसद्-पुस्तकालय को भेज दी जाती हैं । उन्हें परिषद् की वार्षिक रिपोर्ट में भी शामिल किया जाता है, जो कि संसद् के सदनों के सभा-पटल पर रख दी जाती है ।

विवरण

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की शैक्षिक समस्याओं में अनुसंधान की समन्वय समिति के सदस्य :

1. डा० आई० पी० देसाई
2. प्रो० रामकृष्ण मुखर्जी
3. प्रो० योगेन्द्र सिंह
4. श्रीमती सुमा चिटनिस
5. श्री ए० के० डांडा
6. डा० योगेश अटल

अनुसूचित जातियों को शैक्षिक समस्याओं के अध्ययन के लिए प्रोजेक्ट निदेशकों के नाम :

राज्य का नाम	प्रोजेक्ट निदेशकों का नाम
आंध्र प्रदेश	प्रो० सी० लक्ष्मण
असम तथा मेघालय	डा० एस० एम० दूबे
बिहार	डा० सच्चिदानन्द

गुजरात	डा० बी० वी० शाह (निदेशक) श्री जे० डी० ठक्कर (सह-निदेशक)
मध्य प्रदेश	डा० टी० बी नायक
महाराष्ट्र	श्रीमती सुमा चिटनिस (निदेशक) डा० टी० एन० वलुंजकर (संयुक्त-निदेशक)
उड़ीसा	प्रो० आर० एन० रथ
राजस्थान	डा० के० एल० शर्मा
उत्तर प्रदेश	श्री बी० पी० पांडे प्रो० बी० आर० चौहान
पश्चिम बंगाल	श्री के० चट्टोपाध्याय
हरियाणा	प्रो० के० डी० गेंग्राडे
पंजाब	प्रो० वी० एस० डी० सूज़ा
मैसूर	प्रो० सी० राजागोपालन
तमिलनाडु	डा० एम० एस० आदिशेशैया
केरल	डा० पी० के० बी० नायर

अनुसूचित आदिम जातियों की शैक्षिक समस्याओं के अध्ययन के लिए प्रोजेक्ट निदेशकों के नाम ;

आंध्र प्रदेश	डा० एन० एस० रेडी
बिहार	श्रीमती आर० ओ० धन
गुजरात	डा० आई० पी० देसाई
महाराष्ट्र	श्री पुरुषोत्तम सिरसालकर
असम, मेघालय तथा अरुणाचल	डा० अनन्द भगवती
मिज़ो हिल्स	प्रो० जी० काबुई
उड़ीसा	डा० एल० के० महापात्र
राजस्थान	डा० एस० के० लाल

आर० के० पुरम, सेक्टर-4, नई दिल्ली में केन्द्रीय स्कूल का भवन

3775. **श्री एस० एम० सिद्धया** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर० के० पुरम, सेक्टर–4, नई दिल्ली में भूमि के जिस प्लाट पर एक नये केन्द्रीय स्कूल के भवन का हाल ही में निर्माण किया गया है, गत वर्ष निर्माण कार्य आरम्भ होने से पूर्व भूमि का वह प्लाट स्कूल के प्राइमरी सेक्शन के लिए था ;

(ख) क्या स्कूल संगठन को यह प्लाट इस शर्त पर दिया गया था कि नये भवन में प्राइमरी सेक्शन को सर्वप्रथम स्थान दिया जायेगा और अन्य उच्च कक्षाओं को बाद में ;

(ग) क्या स्कूल अधिकारियों ने उच्च कक्षाओं को तो वहां स्थानान्तरित कर दिया और सेक्शन को सेक्टर–2 में उनके लिए बनाये गये अस्थायी तम्बुओं में ही छोड़ दिया, जहां उन्हें नये प्राइमरी भवन का निर्माण आरम्भ करने से पूर्व स्थानान्तरित किया गया था, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या स्थानीय निवासियों की वैलफेयर एसोसियेशन से इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि नये भवन में प्राइमरी सेक्शन को तुरन्त स्थान दिया जाये और यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां ।

(ख) प्लाट प्राथमिक स्कूल भवन के निर्माण हेतु दिया गया था ।

(ग) सेक्टर–4 के नये भवन में उच्च कक्षाएं इसलिए ले जाई गई थीं क्योंकि दिल्ली प्रशासन सेक्टर–3 में अपनी उस इमारत को खाली कराने के लिए जोर डाल रहा था, जिसमें पहले उच्च कक्षाएं चलाई जा रही थीं । उच्च कक्षाएं तम्बुओं में इसलिए नहीं चलाई जा सकती थी क्योंकि तम्बुओं में प्रयोगशाला की समुचित सुविधाओं की व्यवस्था करना सम्भव नहीं था । उच्च कक्षाओं के लिए भवन का कब्जा मिलते ही प्राथमिक कक्षाओं को सेक्टर–4 के भवन में ले जाया जाएगा ।

(घ) यद्यपि कुछ अभिभावकों ने इस सम्बन्ध में प्रधानाचार्य से व्यक्तिगत रूप से बात-चीत की है, परन्तु औपचारिक रूप से कोई अभ्यावेदन नहीं किए गए हैं ।

दिल्ली दुग्ध योजना की "कन्वेयर बैल्टों" का खराब हो जाना और परिणामत: दूध की सप्लाई में कमी

3776. **श्री आर० के० सिंह**
श्री एम० गोपाल रेड्डी } : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना की "कन्वेयर बैल्ट" व्यवस्था बिगड़ गयी है, यदि हां, तो इस खराबी का पता पहले कब लगा था और इसकी मरम्मत के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या दिल्ली के उपभोक्ताओं को दुग्ध की सीमित सप्लाई का निर्णय किया गया है ; और यदि हां, तो "कन्वेयर बैल्ट" व्यवस्था की मरम्मत करने और उपभोक्ताओं को दुग्ध की पूरी मात्रा की सप्लाई करने में कितना समय लगाने की संभावना है ; और

(ग) क्या "कन्वेयर बैल्ट" व्यवस्था में गड़बड़ के सम्बन्ध में किसी तोड़-फोड़ की आशंका है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना के बाटलिंग प्लांट की कन्वेयर बैल्ट प्रणाली में घिसाई के कारण आंशिक खराबी उत्पन्न हो गई थी । आपूर्ति तथा निपटान महा निदेशालय के नियमित सम्भरणकर्ता से फालतू कड़ियों की सप्लाई प्राप्त करने में विलम्ब होने के कारण कन्वेयर चेन की मरम्मत में कठिनाई होने के कारण गत चार सप्ताह के दौरान समस्या और गंभीर हो गई । इस आपात स्थिति में स्थानीय रूप से क्रय करके कुछ कड़ियां प्राप्त की गई और अधिकांश चेनों की पूर्ण रूप से मरम्मत कर दी गई या बदल दी गई । उसी समय

आपूर्ति और निपटान महा निदेशालय के नियमित सम्भरणकर्ता को तुरन्त कड़ियां सप्लाई करने की व्यवस्था करने को कहा गया और ये 15 अप्रैल, 1972 से प्राप्त होनी शुरू हो गई। इसके परिणाम स्वरूप मरम्मत/बदलने का कार्य शीघ्र हो गया।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना के उपभोक्ताओं की सप्लाई 3 अप्रैल, 1972 तक वास्तविक मांग के अनुसार नियमित रूप से होती रही। तदुपरान्त कन्वेयर बैल्ट में आंशिक खराबी होने के कारण उत्पादन में कुछ कमी हो गयी थी। सप्लाई को कम करना पड़ा, परन्तु कुल कमी 4 से 7 अप्रैल, 1972 तक की वास्तविक मांग का 10 प्रतिशत तक थी। सप्लाई में आगे और सुधार करने के लिए सघन और निरन्तर प्रयत्न किए गए जिसके परिणाम स्वरूप 8 अप्रैल के पश्चात् उपभोक्ताओं की 94 प्रतिशत से भी अधिक वास्तविक मांग को पूरा किया गया। सुबह की पारियों में वास्तविक मांग के अनुसार पूरी सप्लाई की गई और केवल अपराह्न सप्लाई में कुछ थोड़ी सी कटौती करना आवश्यक हो गया था। यह सप्लाई कुछ दिनों में ही पूरी हो जाने की सम्भावना है।

(ग) कन्वेयर चेनों में सामान्य घिसाई के कारण खराबी हुई थी, और किसी तोड़-फोड़ की आशंका नहीं है।

टी० डी० मेडिकल कालेज, अलैप्पी की एम० बी० बी एस० की डिग्रियां

3777. **श्री सी० के० चद्रप्पन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद् से अनुरोध किया है कि वह टी० डी० मेडिकल कालेज, अलैप्पी की एम० बी० बी० एस० की डिग्रियों को मान्यता न देने के अपने प्रस्ताव पर पुन: विचार करें ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख) केरल सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद् को न लिखकर भारत सरकार को एक पत्र लिखा है जिसमें टी० डी० मेडिकल कालेज अलैप्पी का चिकित्सा परिषद् द्वारा पुन: निरिक्षण करने के लिये अनुरोध किया गया है जिससे की इस कालेज के छात्रों को दी जाने वाली एम० बी० बी० एस० की डिग्री को मान्यता दी जा सके। इस पत्र की एक प्रतिलिपि परिषद् को भेज दी गई है। यह मामला अभी भी चिकित्सा परिषद् के विचाराधीन है और उनकी इस बारे में औपचारिक रूप में सिफारिश प्राप्त होने पर राज्य सरकार की सलाह से इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही की जायेगी।

दिनांक 1.4.71 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3580 के उत्तर में मुद्रित करने वाला वक्तव्य

CORRECTING STATEMENT TO U.S.Q. NO 3580 DATED 1.4.71

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : दिनांक 1-7-71 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 3580 के उत्तर में जो विवरण दिया गया था। उसमें इन्द्रराज संघ शासित क्षेत्रों के शीर्ष के अन्तर्गत "क्रम संख्या-5-पांडिचेरी" के स्थान पर

"क्रम संख्या-5-पर नार्थ ईस्ट एटियर एजेंसी" (अब अरुणाचल प्रदेश) प्रतिस्थापित कर दिया जाये । यह इन्दराज गलती से हो गई थी, जिसके लिए खेद है ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

दिल्ली मोटर गाड़ी (पहला संशोधन) नियम तथा मुगल लाइन लिमिटेड, बम्बई की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर गाड़ी (पहला संशोधन) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिल्ली राजपत्र दिनांक, 17 मार्च, 1972 में अधिसूचना संख्या एफ 4 (44)/70–72 टी०पी०टी० में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1822/72]**

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) मुगल लाइन लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1969 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) मुगल लाइन लिमिटेड, बम्बई, का वर्ष 1969 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रण और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । **[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 1823/72]**

आवास और नगरीय विकास लिमिटेड, नई दिल्ली की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) आवास और नगरीय विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 मार्च, 1971 को समाप्त हुए वर्ष के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) आवास और नगरीय विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, का 31 मार्च, 1971 को समाप्त हुई अवधि का प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां । **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1824/72]**

इंडियन एयरलाइंस के प्रबन्धकों और आल इंडिया एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स एसोसियेशन का संयुक्त पत्र

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : श्री आर० के० खाडिलकर की ओर से : मैं इण्डियन एयर लाइन्स के प्रबन्धकों और आल इण्डिया एयरक्राफ्ट इन्जीनियर्स एसोसियेशन के बीच हुई बातचीत के परिणामों के बारे में इन दोनों द्वारा संयुक्त रूप से उनको सम्बोधित दिनांक 17 अप्रैल, 1972 के पत्र की एक प्रति सभा-पटल कर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1825/72]**

कीटनाशी नियम, 1971

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : मैं सभा-पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 36 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कीटनाशी नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक, 30 अक्तूबर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1650 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपयुक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण। **[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1826/72]**

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई तथा मद्रास, एवं भारतीय खान विद्यालय, धनबाद के प्रमाणित लेखे तथा राष्ट्रीय औद्योगिक इन्जीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं सभा-पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई, के वर्ष 1969-70 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी संस्करण) तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास, के वर्ष 1970-71 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। **[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1827/72]**

(2) (एक) भारतीय खान विद्यालय, धनबाद, के वर्ष 1968-69 के प्रमाणित लेखे की एक प्रति तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त लेखे को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों तथा उसके अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखे जाने के

कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1828/72]**

(3) राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई, के वर्ष 1970-71 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1829/72]**

सदस्य द्वारा त्याग पत्र (श्री सिद्धार्थ शंकर राय)
RESIGNATION OF MEMBER (SHRI SIDHARTHA SHANKAR RAY)

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचना देनी है कि श्री सिद्धार्थ शंकर राय ने, जो पश्चिमी बंगाल के रायगंज निर्वाचन क्षेत्र से लोक-सभा के निर्वाचित सदस्य थे, लोक-सभा में 21 अप्रैल, 1972 से अपना स्थान त्याग दिया है।

सदस्य की गिरफ्तारी (श्री भोगेन्द्र झा)
ARREST OF MEMBER (SHRI BHOGENDRA JHA)

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट, मिर्जापुर से प्राप्त दिनांक 24 अप्रैल, 1972 के एक तार की सूचना देनी है जिसमें बताया गया कि लोक सभा के सदस्य, श्री भोगेन्द्र झा को दंड प्रकिया संहिता की धारा 144 के अधीन जारी किए गए आदेशों का उल्लंघन करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत हिन्दुस्तान एल्यूमीनियम निगम, रेणुकूट थाना, पिपरी, जिला मिर्जापुर के सामने 23 अप्रैल, 1972 को मध्याह्न पश्चात् 6 बजे गिरफ्तार किया गया और उन्हें मिर्जापुर जिला जेल में रखा गया।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

40 वां तथा 42 वां प्रतिवेदन

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

(1) स्वास्थ्य मंत्रालय (भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्) के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1969-70 के प्रतिवेदन, केन्द्रीय सरकार (सिविल) और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 1970 के बारे में 40वां प्रतिवेदन।

(2) स्वास्थ्य विभाग, पुनर्वास विभाग और योजना आयोग के सम्बन्ध में विनियोग

लेखे (सिविल) 1969-70 और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1969-70 के प्रतिवेदन, केन्द्रीय सरकार (सिविल) के बारे में 42वां प्रतिवेदन ।

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

दसवां प्रतिवेदन

श्री बी० शंकरानन्द (चिकांडी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के दसवें प्रतिवेदन से, जो 21 अप्रैल, 1972 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के दसवें प्रतिवेदन से, जो 21 अप्रैल, 1972 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

अनुदानों की मांगें, 1972-73
DEMANDS FOR GRANTS, 1972-73

गृह मंत्रालय

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलेक्ट्रोनिकी मन्त्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मुझे आशा थी कि गृह मंत्रालय के अनुदानों की माँगों पर चर्चा करते समय विरोधी दलों के सदस्य काफी आलोचना करेंगे परन्तु उन्होंने जो कुछ कहा है, वह उन्हीं बातों को दोहराना है जो वे इस सभा में तथा सभा से बाहर कई अवसरों पर कहते हैं । स्पष्ट है कि माननीय सदस्यों में अपनी ही विचारधारा के साथ इतनी उदासीनता पाई गई कि ऐसे अवसर पर जो ओजस्वी भाषण दिए जाते हैं उनका भी अभाव ही रहा ।

यह बहुत आश्चर्य की बात है कि मार्क्सवादी साम्यवादी दल के सदस्य प्रजातन्त्र के समाप्त हो जाने तथा एक दल की सत्ता के बारे में कहते हैं । ऐसी बातों से उन विदेशी समाचार-पत्रों को हमारे विरुद्ध समाचार प्रकाशित करने का अवसर मिल गया है तथा वे हमारे विरुद्ध भ्रांति फैलाने वाले समाचार प्रकाशित करने का प्रयास करते हैं मानों हमने देश में सभी राजनीतिक दलों को समाप्त कर दिया है अथवा उन पर पाबन्दी लगा दी है, जो सच नहीं है ।

हम सब जानते हैं कि साम्यवादी मार्क्सवादी दल को प्रजातन्त्र में वैसा विश्वास नहीं था जैसा हमें है। हमारा विश्वास है कि साधन भी इतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने उद्देश्य, क्योंकि उद्देश्यों की प्राप्ति इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें किन साधनों से प्राप्त किया गया है।

यह आरोप लगाना कि चुनानों में अनियमिततायें बरती गई थीं, एक मिथ्या तर्क है। इसका पहले ही जोरदार खण्डन किया जा चुका है।

वर्ष 1967 में कांग्रेस की बहुत बड़ी हार हुई थी। उस समय हमने कोई शिकायत नहीं की। हमने स्थिति का पता लगाने का प्रयास किया कि पराजय के क्या कारण हैं। हम उसी अनुभव के आधार पर आज अधिक सुदृढ़ बन गए हैं।

यह कहा गया था कि पिछले वर्ष सभी दलों द्वारा जो सहयोग दिया गया था उसका दुरुपयोग किया गया है। देश में संकट की घड़ी में सहयोग दिया था जिसकी मैंने सभा में तथा सभा के बाहर कृतज्ञता प्रकट की है।

राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण हमारे रहन-सहन के मार्ग के विपरीत है।

यह भी कहा गया है कि किसी विशेष समुदाय के लिये जो कुछ किया गया है उसके आधार पर हमने मत लेने के लिये प्रार्थना की थी। लेकिन उस समुदाय को साम्प्रदायिक कैसे ठहराया जा सकता है।

इसी प्रकार राज्यों में शक्तिशाली तथा स्थायी कांग्रेस सरकारों की स्थापना के सम्बन्ध में की गई अपील के बारे में उल्लेख किया गया है। मैंने यह अवश्य कहा था कि केवल शक्तिशाली तथा स्थायी कांग्रेस सरकार ही हमारे कार्यक्रम को क्रियान्वित कर सकती है।

यह महत्वपूर्ण बात है कि बंगला देश, जो हमारा है, उसके समुद्री क्षेत्र में क्या हो रहा है उसके लिये तो चिंतित है परन्तु उन्हें यह चिन्ता इस प्रकार व्यक्त नहीं करनी चाहिये जिससे भारत-विरोधी दृष्टिकोण को बल मिले, अमरीका के हानिकारक प्रचार को प्रोत्साहन मिले और हमारे शत्रुओं को सहायता मिले।

मेरे सहयोगी श्री पन्त ने पूर्व अवसर पर दल बदल के बारे में विचार व्यक्त किये थे। जहां तक दल-बदल के प्रश्न का सम्बन्ध है, यह आश्चर्य की बात है कि इस सम्बन्ध में विधान पेश होने में विलम्ब हो जाने पर माननीय सदस्य हमारी आलोचना करते रहे हैं। यह विलम्ब विरोधी दलों के कुछ नेताओं के कारण हुआ है जिन्होंने हमारे पत्रों का उत्तर नहीं दिया है। इसे प्रभावी रूप देने के लिये सरकार शीघ्र ही विधान पेश करेगी।

जहां तक सार्वजनिक जीवन में विदेशी धन का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में वैधानिक प्रस्ताव तैयार कर लिये गए हैं और अवांछनीय लेन-देन को समाप्त करने के लिये शीघ्र ही उन प्रस्तावों को सभा के समक्ष पेश किया जायेगा।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि चुनावों में राजनीतिक दलों को दिये गये विदेशी धन

के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेदन का क्या हुआ, इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगी कि यह केन्द्रीय जांच ब्यूरों का प्रतिवेदन नहीं है तथा इसे सबको बताया नहीं जा सकता। अभी एक माननीय सदस्य ने पूछा है कि यदि यह सी० बी० आई० की रिपोर्ट नहीं है तो किसकी है ? इसके उत्तर में मैं कहूंगी कि यह आई० बी० की रिपोर्ट है। तब इसका अस्तित्व नहीं था।

मैं अब केन्द्र-राज्य सम्बन्धों तथा राज्यों की स्वायत्तता के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। यह बात समझ में नहीं आती कि केन्द्र और राज्यों के बीच तनाव के क्या कारण हैं। जब कभी भी मुझे मुख्य मंत्रियों अथवा राज्यों के अन्य मंत्रियों से मिलने का अवसर मिला तो मैंने इन समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाई अथवा मतभेद नजर नहीं आया क्योंकि सरकार विकास करने का पूरा प्रयास करती है जिसमें केन्द्र के प्रत्येक मंत्रालय और सभी राज्य सरकारों को एक निश्चित भूमिका निभानी होती है।

इसी संदर्भ में स्वायत्तता की समस्या पर भी विचार करना होगा। परियोजनाओं के लिये वित्तीय मंजूरी में विलम्ब के बारे में कहा गया है। इसमें स्थिति में सुधार करने के लिये उपाय किये जायेंगे।

कुछ सदस्यों ने धन के वितरण तथा राज्यों की वित्तीय शक्तियों के प्रश्न को उठाया है। हमारे संविधान में केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के आवंटन की व्यवस्था की गई है। यह बात सही है कि प्रत्येक राज्य अपने विकास के लिये अधिक धनराशि की मांग करना चाहता है। हमारे सामने मूल समस्या यह है कि यदि प्रत्येक राज्य केवल अपनी आवश्यकताओं का ही ध्यान रखेगा तो क्षेत्रीय असंतुलन दूर कैसे होगा ? पिछले 22 वर्ष के अनुभव ने बता दिया है कि हमारे संविधान प्रणेताओं द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण विवेकपूर्ण था।

हम इस बात की ओर ध्यान दिये बिना कि हम किस दल से सम्बद्ध है, एक और अधिक समतावादी समाज की स्थापना कर रहे हैं। हम भूमिहीन, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा झेली जा रही कठिनाइयों के प्रति जागरूक है। उनकी शिकायतें उचित हैं तथा उन्हें दूर करने के लिये निरंतर प्रयास करना आवश्यक है।

इन समस्याओं का लगातार अध्ययन किया जाना चाहिए। इसके लिए ऐसी सामग्री एकत्र करना आवश्यक है जो आजकल अलग-अलग एजेन्सियों में बटी हुई है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिये हमने गृह मन्त्रालय में एक राष्ट्रीय एकता निदेशालय की स्थापना की है।

कतिपय सेवा-नियमों में महिलाओं के साथ भेद-भाव बरते जाने के बारे में कहा गया है। यह कहा गया है कि विवाहित महिलाएं अधिकार स्वरूप नियुक्ति की हकदार नहीं हैं और यदि एक महिला, जो पहले से ही सेवा में है, विवाद करती है तो उसे त्याग पत्र देने के लिये कहा जाता है। हम यह भेदभाव दूर कर रहे हैं।

दिल्ली पुलिस के बारे में कहा गया है कि उनके साथ सद्भावनापूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिये।

हम पुलिस प्रशिक्षण समिति को महत्ता देते हैं।

हम अपराध तथा अव्यवस्था दूर करने के लिये जनता का सहयोग चाहते हैं । जनता तथा पुलिस दोनों को आपस में एक दूसरे का आदर करना चाहिये ।

मृत्यु दंड का प्रश्न भी विवादास्पद विषय हैं । विधि आयोग ने इस दंड को बनाये रखने के पक्ष में राय दी है । इसका समर्थन विभिन्न मुख्य मंत्रियों ने किया है। वास्तविक हत्यारे को दंड देने के बजाय किसी निर्दोष व्यक्ति को दंड देने के मामले हुए हैं अत: इस पर जनता तथा सदस्यों को विचार करना चाहिये । विपक्ष के नेताओं ने महानता की चर्चा करते हुए राष्ट्र की बड़ी-बड़ी समस्याओं और चुनौतियों को विस्मृत करने का प्रमाण दिया है । महानता शब्दों द्वारा दी अथवा ली नहीं जा सकती । इतिहास ही इसका निर्णायक होता है । हम देश की महानता में विश्वास रखते हैं किसी व्यक्ति विशेष की महानता में नहीं । यदि देश महान् होगा तो उसका हर व्यक्ति भी महान् होगा । आज देश पराजय की ओर अग्रसर है या विश्वास की भावना की ओर, इसका हमें मूल्यांकन करना है, इन शब्दों के साथ में, सदन से अनुरोध करती हूं कि गृह मंत्रालय की अनुदान की मांगों को स्वीकार करे ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए
All the cut motions were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा गृह मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गयी तथा स्वीकृत हुई:—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
1	2	3
		रुपये
37	गृह मंत्रालय	1,38,76,000
38	मंत्रि-मण्डल	70,60,000
39	कार्मिक विभाग	3,84,61,000
40	पुलिस	92,36,38,000
41	जनगणना	3,37,78,000
42	सांख्यिकी	4,34,77,000
43	प्रादेशिक और राजनैतिक पेंशनें	1,89,96,000
44	गृह मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	11,93,55,000
45	दिल्ली	58,89,85,000
46	चण्डीगढ़	7,06,01,000
47	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10,10,32,000
48	अरुणांचल प्रदेश	13,51,11,000
49	दादरा और नगर हवेली क्षेत्र	76,03,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
1	2	3
		रुपये
50	लक्षद्वीप, मिनिकोय और अमिनदीवी द्वीप समूह	2,06,69,000
51	मिज़ोरम	54,14,000
118	संघीय राज्य क्षेत्रों का पूंजी परिव्यय	22,72,60,000
119	गृह मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	2,10,42,000

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : अब सदन सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मांग संख्या 55 से 57 और 121 पर मतदान के लिये चर्चा करेगा । जो माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव देना चाहें, वे 15 मिनट के अन्दर दे दें ।

इसके पश्चात् वर्ष 1972-72 के लिये सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गयीं:—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
1	2	3
		रुपये
55	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	28,70,000
56	प्रसारण	14,37,30,000
57	सूचना और प्रचार	7,72,82,000
121	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	10,40,13,000

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (औसग्राम) : मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय की इन मांगों का विरोध करता हूं । प्रसारण के माध्यम द्वारा विपक्ष तथा जन आन्दोलनों का विरोध किया गया है । इन मंत्रालयों को अपने नियंत्रण में रख कर प्रधान मंत्री ने देश में विपक्ष का दमन करके अपने हितों को पूरा करने का प्रयत्न किया हैं । अखबार तथा रेडियों के माध्यम द्वारा समूचे राष्ट्र को प्रभावित किया जा सकता है । समाजवाद की बात करने वाली सरकार एकाधिकार वर्ग वाले समाचार पत्रों को समर्थन देती आ रही है । सरकार इसी वर्ग को, विज्ञापनों का अधिकांश भाग भी देती है । ये बड़े-बड़े अखबार सरकार की नीतियों को भी प्रभावित करते हैं । छोडे-छोटे अखबारों को काफी हानि उठानी पड़ रही है ।

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

*Summarised translated version based on English translation of a speech delivered Bengali.

छोटे और बड़े अखबारों को अखबारी कागज के वितरण में भी काफी भेदभाव बरता जाता है। सरकार की निन्दा करने वाले समाचार पत्रों को विज्ञापन भी नहीं दिये जाते।

प्रेस इन्फोरमेशन ब्यूरो एक ओर तो विभिन्न कांग्रेस शासित राज्य सरकारों का प्रचार करता है और दूसरी ओर विरोधी दलों की निन्दा करता है। आकाशवाणी भी कांग्रेस सरकार और कांग्रेस दल का प्रचार करता है। विरोधी दलों को प्रसारण के लिये कोई अवसर नहीं मिलता। विरोधी दलों को आकाशवाणी वह सुविधाएं प्रदान नहीं करता जो कांग्रेस दल को की जाती हैं। आज यह मांग हो रही है कि सरकार आकाशवाणी के नियंत्रण को छोड़ दे और इसे एक निगम में नियंत्रण रखे। 1954 में प्रथम प्रेस आयोग ने सिफारिश की थी कि अन्य उद्योगों के मालिक अखबारों को नियंत्रित करने से रोके जायें। लेकिन 17,18 वर्ष के बीतने के बाद भी इस आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया गया है। मेरा सुझाव है कि अब प्रेस आयोग की स्थापना की जाये।

हमारा देश विशेषत: 1971-72 के चुनाव के बाद एक दलीय अधिनायकवाद की ओर बढ़ रहा है। सूचना और प्रसार मंत्रालय गोइब्बेल के समान विरोधी दलों के विरुद्ध विषैला प्रचार कर रहे हैं। मैं मन्त्रालय की मांगों का विरोध करता हूं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये:—

मांग संख्या	क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
55	10	श्री था किरुतिनन	अन्तरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम के लिये आकाशवाणी का एकक आरम्भ करने में असफलता।	100रुपया
,,	11	,,	बेहतर प्रशासन के लिये आकाशवाणी को डाक-तार तथा रेलवे की भांति एक बोर्ड में परिवर्तित करने में असफलता।	,,
,,	12	,,	नगरों से काफी दूर उच्च शक्ति प्राप्त परिषण केन्द्रों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिये नि:शुल्क आवास की व्यवस्था करने में असफलता।	,,
,,	13	,,	वर्तमान सहायक इंजीनियरों की पदोन्नति तक सहायक स्टेशन इंजीनियरों की सीधी भरती को 50 प्रतिशत/तक सीमित करने की आवश्यकता।	,,
,,	14	,,	इंजीनियरिंग अधिकारियों की प्रोग्राम अधिकारियों के साथ वरिष्ठता के अनुसार आकाशवाणी के केन्द्र प्रमुख के पद पर	

मांग संख्या	क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
55	14	श्री था किरुतिनन	पदोन्नति पर लगे निर्बन्धनों को हटाने की आवश्यकता ।	100रुपया
56	15	,,	तमिलनाडु में स्टूडियो सम्बन्धी सुविधाओं सहित आकाशवाणी के केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने में असफलता ।	,,
,,	22	,,	तमिलनाडु में कोयम्बतूर और तिरुनलवेली में स्टुडियों की सुविधायें देने में असफलता ।	,,
,,	23	,,	मदुरे में, जो तमिल संस्कृति का केन्द्र है और जो तमिलनाडु के मध्य में स्थित है, आकाश-वाणी केन्द्र स्थापना करने में असफलता ।	,,
,,	24	,,	दक्षिण-पूर्व एशिया में श्रोताओं के लाभ के लिए अवाडी में 100 किलोवाट के शार्टवेव ट्रान्समीटर से तमिल कार्यक्रम का समय बढ़ाने में असफलता ।	,,
,,	25	,,	मद्रास और त्रिचि से प्रसारित की जाने वाली व्यापारिक सेवाओं में तमिल कार्यक्रमों की अवधि बढ़ाने में असफलता ।	,,
,,	26	,,	विदेशी मुद्रा की बचत के उद्देश्य से नमूने के उपकरण तैयार करने के लिए आकाशवाणी के अनुसंधान विभाग का विस्तार करने में असफलता ।	,,
,,	27	,,	दिल्ली से प्रसारित किये जाने वाले तमिल समाचार-बुलेटिनों में तमिलनाडु के सम्बन्ध में जानकारी देने के लिए अधिक समय नियत करने में असफलता ।	,,
,,	28	,,	दिल्ली और तमिलनाडु के आकाशवाणी केन्द्रों से प्रसारित किये जाने वाले तमिल कार्य-क्रमों में संस्कृत मिश्रित तमिल के स्थान पर विशुद्ध तमिल शब्दों का प्रयोग करने में असफलता ।	,,
,,	29	,,	दिल्ली और तमिलनाडु से प्रसारित किये जाने वाले तमिल कार्यक्रमों में 'श्री' और 'श्रीमती' के स्थान पर तमिल शब्दों "थिरु" और "थिरुमती" का प्रयोग करने में असफलता ।	,,
57	32	,,	सूचनाविभाग द्वारा तैयार किये गये समाचार-	

मांग संख्या	क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
57	32	श्री धा किरुतिनन	दर्शनों में तमिलनाडु सम्बन्धी जानकारी को समुचित महत्व देने में असफलता ।	100रुपया
,,	33	,,	मद्रास में टेलिविजन केन्द्र आरम्भ करने में असफलता, जिसके लिए तमिलनाडु सरकार ने नि:शुल्क भूमि दी है जबकि अन्य राज्यों ने भूमि का मूल्य लिया है ।	,,
,,	64	,,	तमिल तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं के चलचित्रों को चलचित्रों वित्त निगम द्वारा धन देने में असफलता ।	,,
,,	65	,,	मद्रास में चलचित्र वित्त निगम स्थापित करने की आवश्यकता ।	,,
,,	66	,,	तमिलनाडु थियेटर कारपोरेशन, मद्रास, को अनुदानों तथा ऋणों द्वारा वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता ।	,,
56	16	श्री सुरेन्द्र महन्ती	आकाशवाणी के कटक केन्द्र में 100 किलोवाट का पारेषण-यन्त्र स्थापित करने में असफलता ।	,,
,,	17	,,	आकाशवाणी पर शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम के समय में वृद्धि करके उडिया भाषा को भी सम्मिलित करने में असफलता ।	,,
,,	18	,,	आकाशवाणी के लिये एक ऐसा संगठन बनाने में असफलता जिससे प्रबन्ध सम्बन्धी स्वायत्तता और विकेन्द्रीकरण के लिये व्यवस्था की जा सके ।	,,
,,	19	,,	आकाशवाणी पर कार्यक्रमों के लिये केवल एक ही वर्ग के व्यक्तियों को ठेका देना ।	,,
,,	20	,,	शासक दल की पसन्द के न होने के कारण कुछ राजनैतिक दलों और व्यक्तियों के विचारों तथा गतविधियों को आकाशवाणी पर प्रसारित करने में उपेक्षा ।	,,
57	21	,,	भाषायी छोटे समाचार पत्रों को सहायता देने में असफलता और विज्ञापन देने में भेदभाव की नीति अपनाना ।	,,

मांग संख्या	क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
56	30	श्री कृष्ण चन्द्र हालदर	केवल सत्ताधारी दल द्वारा आकाशवाणी के के प्रयोग को रोकने की आवश्यकता।	100 रुपया
,,	31	,,	गत निर्वाचनों के दौरान आकाशवाणी से कांग्रेस दल के हित में प्रचार को रोकने में असफलता।	,,
55	36	श्री लक्ष्मीनारायण पांडे	प्रकाशन प्रभाग द्वारा 'इंडियन एण्ड फारेन रिव्यू' और 'भागीरथ' का हिन्दी में प्रकाशन करने में असफलता।	1 रुपया
,,	37	,,	आकाशवाणी में कार्य करने वाले कलाकारों को अन्य सरकारी कर्मचारियों के समकक्ष मानने में असफलता।	,,
,,	38	,,	वृतचित्रों के निम्न स्तर के कारण राष्ट्रीय जीवन और चरित्र पर हानिकारक प्रभाव।	,,
,,	39	,,	आकाशवाणी के कर्मचारियों को आवास तथा अन्य सुविधाएं देने के सम्बन्ध में सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति।	,,
,,	40	,,	भारतीय चलचित्रों तथा टेलीविजन संस्थान में अनियमितताओं और कुप्रबन्ध को रोकने में सरकार की असफलता।	,,
,,	41	,,	पत्र सूचना कार्यालय को जनता के अधिक निकट सम्पर्क में लाने तथा उसके सम्बन्ध में जनता की प्रतिक्रिया को प्रकाशित करने में असफलता।	,,
,,	42	,,	समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार के कार्यालय में कुप्रबन्ध, अनियमितताएं और लापरवाही।	100 रुपया
,,	43	,,	आकाशवाणी द्वारा हिन्दी कार्यक्रमों के प्रति पूर्ण उदासीनता।	,,
,,	44	,,	समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता बनाये रखने सम्बन्धी दोष पूर्ण नीति।	,,
,,	45	,,	विभिन्न मासिक, द्वैमासिक और त्रैमासिक पत्रिकाओं को अधिक लोक प्रिय और लोकोपयोगी बनाने में असफलता।	,,

मांग संख्या	क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
55	46	डा० लक्ष्मीनारायण पांडे	सांस्कृतिक वृत्त-चित्रों के निर्माण के प्रति उपेक्षा।	100 रुपया
,,	47	,,	आकाशवाणी को एक निगम में परिणत करने में असफलता।	,,
,,	48	,,	फिल्मों के गिरते हुए स्तर को रोकने में केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड की असफलता।	,,
,,	49	,,	समस्त देश में टेलीविजन कार्यक्रम आरम्भ करने में विलम्ब तथा उपेक्षा।	,,
56	56	,,	आकाशवाणी द्वारा विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारित किये जाने वाले कार्यक्रमों को अधिक रोचक और प्रभावशाली बनाने में असफलता।	1 रुपया
,,	57	,,	मध्य प्रदेश में जगदलपुर और मन्दसौर जैसे पिछड़े क्षेत्रों में प्रसारण केन्द्र स्थापित करने में असफलता।	,,
,,	58	श्री फूलचन्द वर्मा	आकाशवाणी के इन्दौर केन्द्र का विस्तार करने में असफलता।	100 रुपया
,,	59	,,	आकाशवाणी का पुनर्गठन करने में असफलता।	,,
,,	60	,,	आकाशवाणी को एक निगम का रूप देने में असफलता।	,,
,,	61	,,	आकाशवाणी का राजनीतिक दलों के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया समाप्त करने में असफलता।	,,
55	81	श्री एन०श्री कान्तन्नायर	हिन्दी को अनुचित महत्व देना तथा अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषाओं की उपेक्षा करना।	1 रुपया
,,	82	,,	हिन्दी टेलीविजन कार्यक्रमों में कला की हत्या।	,,

अध्यक्ष महोदय : आज सभा 6.30 बजे स्थगित होगी। मन्त्री महोदय कितना समय लेना चाहेंगे।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पति) : आध से पौन घंटे तक।

श्री एस० एम० बनर्जी : मन्त्री महोदय कल उत्तर दें ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसे आज ही समाप्त होने दें ।

Shri Rudra Pratap Singh (Barabanki) : I have gone through all the allegations made by the Opposition Members in their cut motions and find that all the allegations are baseless. I request them to give up their narrow outlook.

The Prime Minister hereby is heading the Ministry of Information and Broadcasting very ably.

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha then reassembled after lunch at Fourteen of the clock.

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tewari *in the Chair*]

Shri Rudra Pratap Singh : I congratulate Shrimati Nandni Satpathi for carrying the policies of the Government to the remotest Corners of the country.

As science is responsible for building and destruction, films are responsible for the uplift and fall of the country. I hope the Government would shortly announce the constitution of a Film council for stream-lining the working of the Films Division.

I want to stress on the Government through you to give priority to employment of the students who came out successfully from Indian Film Institute. I suggest that the position of Film Finance Corporation be strengthened. While distributing prizes films should be selected on the basis of National integrations, freedom from exploitation, national character and universal brotherhood.

The Central Censor Board has to look to the taste of the people and also to see that freedom of expression is not misused. I suggest that the Board be reconstituted and such persons appointed there who are capable of facing these problems.

Films have aclore relation with culture. Our culture heritage is respect for ladies. There is no place in our culture to casteism, communalism, language, provincialism. We are proud of our culture. We are advancing in every direction and if necessary we should work forward towards cultural revolutions. With these words I support the demands for grants of this Ministry.

Shri B. S. Bhaura (Bhatinda) : The Information Ministry has to keep the people abreast with the policies of the Government. We are determined to bring socialism in India. But the contribution of newspapers is in reverse direction. By whom are they controlled ? The newspapers earn huge profits through advertisements. The fifty per cent of newsprint quota goes to ten groups of newspapers. The speeches of progressive leaders are not being covered by A. I. R. For two hours in the morning A. I. R. relays religions programmes. Is it a secular state ? There is no programme for landless labour.

Persons over 60 years of age giving lectures on youth problems. The leaders of youth congress and youth federations should be called to discuss youth problems.

There is no representative of journalists in the Press Council. This matter should be looked into.

A. I. R. should devote time to May day celebrations. The qualifications for the post of producers have been raised from Matric to B. A. The interests of the departmental candidates should be protected.

The T. V. centre at Amritsar should be commissioned urgently in order to counter Pakistani propaganda.

श्री जे० बी० पटनायक (कटक) : एक प्रजातंत्रीय देश के लिये इस मन्त्रालय का बहुत महत्व है ।

आकाशवाणी के आलोचक जिन बातों के कारण उसकी आलोचना करते हैं उनमें एक यह है कि प्रधान मंत्री को अधिक समय दिया जाता है । प्रधान मंत्री देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल की नेता है । सरकार के नेताओं को विश्व भर में अधिक समय मिलता है ।

बंगला देश संकट के दौरान आकाशवाणी ने जो कार्य किया उसके लिये मैं राज्य मंत्री को बधाई देता हूं ।

समाजवादी समाज के निर्माण एवं गरीबी के विरुद्ध युद्ध में सूचना और प्रसारण मन्त्रालय को महत्वपूर्ण योग देना है । प्रजातन्त्र के विकास में भी इस मन्त्रालय को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है ।

एकाधिकार आयोग ने रिपोर्ट दी है कि 75 व्यापार गृहों का 47 प्रतिशत व्यवसाय पर अधिकार है । प्रेस आयोग कि रिपोर्ट में बताया गया है कि 29 पत्र तथा कुल प्रसारण का 31.2 प्रतिशत 5 स्वामियों के अधिकार में है ।

Shri Phool Chand Verma (Ujjain) : There is no quorum in the House.

सभापति महोदय : गणपूर्ति की घंटी बज रही है । अब गणपूर्ति हो गई है ।

श्री जे० बी० पटनायक : एक ही स्वामी के स्वामित्व वाले दैनिक समाचार पत्रों का प्रसारण, 1971 की रिपोर्ट के अनुसार, कुल प्रसारण का 72.1 प्रतिशत है । इस प्रकार एकाधिकार वाले पत्रों का प्रचार बढ़ रहा है । दूसरी ओर छोटे समाचार पत्रों का बना रहना कठिन है ।

प्रेस रजिस्ट्रार की रिपोर्ट के अनुसार 729 समाचार पत्रों में से 325 प्रकाशन बन्द कर चुके हैं । 97 पत्र तो प्रकाशन प्रारम्भ करने के एक वर्ष के भीतर समाप्त हो गये । इस दिशा में हमारे प्रयत्न नगण्य रहे हैं । इस सम्बन्ध में प्रेस आयोग की सिफारिशें अत्यन्त स्पष्ट हैं । आयोग ने सिफारिश की है कि पृष्ठानुसार मूल्य अनुसूची होनी चाहिए और समाचार पत्रों में जो प्रतिबन्ध प्रक्रिया है उस पर नियंत्रण किया जाना चाहिए और समाचार पत्रों में स्वामित्व को समाप्त करने के लिए एक व्यापक विधान भी पेश करना चाहिए संतोष की बात है कि सरकार इस सम्बन्ध में

एक व्यापक विधान पेश करने वाली है आशा है यह विधान चालू सत्र में पेश कर दिया जाएगा। सरकार की कागज सम्बन्धी नीति पर कुछ बड़े प्रेस मालिकों ने शोर मचाया था इन बड़े प्रेस मालिकों द्वारा की जा रही निरर्थक आलोचना से सरकार को नहीं झुकना चाहिए। एकाधिकारी समाचार पत्र के एक वक्ता ने कहा है कि विदेशी मुद्रा को बचाने का उत्तम उपाय है कि छोटे एवं मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों को दिए जाने वाले कागज़ के कोटे में कमी कर दी जाए क्योंकि वह काले बाजार इसे ऊंचे दामों पर बेच देते हैं लेकिन मैं कई ऐसे बड़े समाचार पत्रों का नाम ले सकता हूं जो कागज की चोर बाजार में लगे हुए हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

सरकारी विज्ञापन नीति में इस एकाधिकारी प्रवृत्ति को कुचलने के सम्बन्ध में मुझे कुछ सुझाव देने हैं। दृश्य-श्रव्य प्रचार निदेशालय ने छोटे और मध्यम समाचार पत्रों को 50 प्रतिशत से अधिक विज्ञापन दिए हैं। दिलाकर समिति की सिफारिशों के अनुसार छोटे और मध्यम समाचार पत्रों के विकास के लिए यह पर्याप्त नहीं हैं। अतः सरकार को इसे बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर देना चाहिए। मध्यम समाचार पत्रों को विज्ञापन देने के बारे में सरकारी उपक्रमों को भी यही नीति अपनाने के लिए सरकार को उन्हें निदेश देने चाहिए।

कुछ ऐसे समाचार पत्र हैं जो समाचार की अपेक्षा विज्ञापनों को अधिक स्थान दे रहे हैं। सरकार को इन समाचार पत्रों को समाचार पग के रूप में नहीं समझना चाहिए और उन्हें कोई विज्ञापन नहीं देना चाहिए। भारतीय औरपूर्वी समाचार पत्र संस्था जो भारतीय समाचार पत्रों के प्रबन्ध मंडल की प्रवक्ता होने का दावा करती है सबसे अधिक अलोकतंत्रीय संगठन है। इस संगठन की कार्यकारिणी में 12 भूतपूर्व अध्यक्ष हैं जो इस संगठन का प्रत्येक निर्णय करते हैं। इस संगठन को अधिक लोकतंत्रीय बनाने के लिए सरकार को छोटे और मध्यम समाचार पत्रों के अधिक लोगों को निदेशक के रूप में लेना चाहिए।

अन्त में मैं अपने राज्य उड़ीसा के सम्बन्ध में दो शब्द कहना चाहूंगा। उड़ीसा एक अपेक्षित राज्य है। उड़िया भाषा को ही ले लीजिए सरकार ने अपने प्रकाशनों में अभी तक इसे मान्यता नहीं दी। दीवारों पर लगाए जाने वाले समाचार पत्र सभी भाषाओं में निकाले जाते हैं लेकिन उड़िया में नहीं। मन्त्रालय से 'योजना' का प्रकाशन विभिन्न भाषाओं में होता लेकिन यहां भी उड़िया की अपेक्षा की गई है। हिन्दी भाषी क्षेत्रों में अन्य भाषाएं आकाशवाणी के माध्यम से सिखाई जाती हैं किन्तु उड़िया भाषा नहीं पढ़ाई जाती। मैं यह जानना चाहता हूँ इस भाषा की की उपेक्षा क्यों की जाती है।

कोरापुट जिले में जेपुर के आकाशवाणी केन्द्र में एक ट्रांसमीटर है जो इस क्षेत्र की आदिवासी जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है किन्तु यह जेपुर कस्बे तक ही सीमित है क्योंकि यह शक्तिशाली सेट नहीं है जेपुर में 20 किलोवाट का ट्रांसमीटर सेट है और एक के बजाय दो ट्रांसमीटर हैं।

सरकार केवल वास्तविक उपयोगकर्ताओं को चिकने कागज दे रही है किन्तु बहुत सी पत्रिकाएं बाद में आई हैं जो चिकने कागज से वंचित है। इस नीति में परिवर्तन किया जाना चाहिए और उन पत्रिकाओं को चिकने कागज दिए जाने चाहिए जिन्हें अभी तक चिकने कागज नहीं दिए गए हैं।

इन शब्दों के साथ मैं मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं ।

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : All India Radio is an effective medium of the expression of the aspirations of the nation, but the news broadcast from the A. I. R. since sometime past show that it has become propaganda machine of a particular political party. During elections, the Opposition parties are not given as much time on the radio for election propaganda as is given to the ruling party. In fact the A. I. R. has become the monopoly of the ruling party to propagate their ideology. Therefore in the interest of its clear working it is imperative that it should be converted into a corporation. Chanda Committee has also recommended it.

In the Panel for Spot Light Programme of A. I. R. journalists, economists and educationists from Delhi alone or nearby places are taken. It is not fair. People from outside Delhi should also be given a chance.

Hindi is not getting its due place in Bulletin broadcast by A. I. R. Bulletins are first read in English and then in Hindi.

The system of slow broadcasting of news should also be introduced in Hindi news as is being done in the case of English news.

The policy regarding the external broadcast is also not good. An Advisory Committee should be constituted to lay guidelines about this policy as has been recommended by the Chanda Committee. If necessary a powerful transmitter should be installed so that Indians living abroad may also benefit. It is all the more necessary from the point of view of counteracting the false propaganda made against our country by some countries.

There is a children film society. The Government provide funds for it but these funds are being misused. An enquiry should be made in this regard.

The functioning of Song and Drama division is most unsatisfactory. The Director of the Division is missing his powers. I would like to mention Shri S. N. Sinha's comments in this regard. He has said :

> "There have been consistent reports against Director Song and Drama Division alleging (1) misuse of the official position for monetry and other gratifications (2) Appointments and dismissal of staff artists according to whims and caprices without conforming to any news of the Government departments".
>
> He has also suggested that :
>
> "(a) Director, Song and Drama Division should be retired with immediate effect ;
>
> (b) The administration of the Division should be entrusted to a suitable man from the C. C. S. cadre and the distribution of work among Dy. Directors should be done more rationally.
>
> (c) Drawing and disbursement charge should be handed over to a suitable man from A. G. C. R. In spite of so many reports against him he is still sticking to his job. An enquiry is called for in this regard.

The Press Council should function properly. A lot of discussions has taken place on the newsprint. The policy about newsprint quota should be reviewed. The small journalists should be encouraged. Small newspapers should be given more advertisements. It has been seen that the pro-Government papers alone are given advertisements but those who do not play to the tune of the Government do not get any advertisement. Therefore this practice has got to be changed.

The Government should pay attention to the broadcast from M. P. and Rajasthan. There has been a persistent demand for establishing a radio station at Mandshar and Jagdalpur for which the state Government has also made its recommendation. There is no transmitter in the tribal area. I hope the Hon. Minister will keep that in view.

The films that are being exhibited through Television are harmful for children. Only good films should be exhibited through Television.

Hope the Hon. Minister will pay attention to the points raised by me.

श्री प्रियरंजन दास मुंशी (कलकत्ता-दक्षिण) : मैं सूचना और प्रसारण मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं तथा मन्त्रालय को उसकी उपलब्धियों के लिए बधाई देता हूं ।

बंगला देश संकट और भारत पाक युद्ध के दौरान इस मंत्रालय ने शानदार भूमिका निभाई थी । यहां तक कि मुक्तिवाहिनी ने भी यह स्वीकार किया है कि उन्होंने केवल शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व के कारण ही नहीं अपितु भारत जनता के निष्ठापूर्ण सहयोग से विजय प्राप्त की है । यह सहयोग आकाशवाणी और फिल्म डिवीज़न की न्यूज रील के प्रसारण में मिला है । इन चीजों से उन्हें काफी प्रेरणा मिली है । यह बड़े अफसोस की बात है कि विरोधी दल के एक भी सदस्य ने इसकी प्रशंसा में एक शब्द भी नहीं कहा है ।

मार्क्सवादी साम्यवादी दल के एक सदस्य ने प्रधान मंत्री को तानाशाह कहा है तथा आल इण्डिया रेडियों को आल इन्दिरा रेडियों कहा है । मैं विरोधी दल के सदस्यों को इस समय कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि इस समय यह दल शोक काल में है । हमारे हिन्दुओं में यह प्रथा है कि किसी की मृत्यु हो जाने पर कुछ दिनों तक शोक मनाया जाता है और दिनों के दौरान हर कोई व्यक्ति के निधन पर शोक प्रकट करता है चाहे उसे वह व्यक्ति अच्छा लगता हो या न । मार्क्सवादी साम्यवादी दल कभी पश्चिम बंगाल में प्रजातन्त्र का भागी रहा है वर्तमान चुनावों में असफलता पाने के शोक मना रहा है अत: ऐसी अवस्था में मैं उन्हें कुछ नहीं कहना चाहता समाचार पत्र, संगीत और फिल्में देश में तीन मुख्य प्रचार साधन हैं । जब हम समाजवाद की बात करते हैं तो हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि समाज को समाजवादी ढांचे में परिवर्तित करने में संसद सदस्यों, राजनीतिक दलों, पत्रकारों तथा समाचार पत्रों के मालिकों का बड़ा हाथ होता है । मध्यावधि चुनाव से पहले कई समाचार पत्रों ने हमारे दल की आलोचना की तथा हमारे उद्देश्यों को निन्दनीय बताया । किन्तु चुनाव में विजय प्राप्त होने के बाद उन्होंने हमारी नीतियों का समर्थन करना आरंभ कर दिया । वह जान गए हैं कि उनकी भलाई भी जनता की नीतियों के अनुरूप चलने में है ।

जहां तक कागज के कोटे के आवंटन का मामला है सरकार को बड़े एकाधिकारियों को उनकी इच्छानुसार अधिक पृष्ठ प्रकाशित करने और जितना वे कोटा चाहते हैं उतना देने की अनुमति उन्हें नहीं दी जानी चाहिए । छोटे समाचार पत्रों के हितों की सुरक्षा की जानी चाहिए इस सम्बन्ध में सरकार को एक विधान पेश करना करना चाहिए । भारतीय जनता की समाजवादी विचारधारा को प्रदर्शित करने के लिए किसी प्रकार के समाचार पक्ष को चालू करने के लिए समूचे देश में पत्रकार सहकारी संस्था बनाने की यदि कोई संभावना हो तो सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए ।

जहाँ तक विविधभारती कार्यक्रम का संबंध है मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को भारत की सभी प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारित किया जाना चाहिए न कि किसी एक विशेष भाषा में ।

जहां तक फिल्म विकास का सम्बन्ध है यह प्राय: राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और केन्द्र सरकार फिल्म वित्तीय निगम को इसके लिए धन का आवंटन करता है । आज देश प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है अत: यह आवश्यक है कि हम अपने दैनिक जीवन में सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दोनों क्षेत्रों में जो कुछ भी व्यक्ति करे वह सही हो तथा भारतीय जनता की संस्कृति एवं परम्परा के अनुकूल हो किन्तु खेद की बात है कि कुछ फिल्में जो विदेशों में और हमारे अपने देश में प्रदर्शित की जा रही हैं केवल धन कमाने के लिए ही प्रदर्शित की जा रही है और उनमें इस प्रकार की संस्कृति के चित्र दिखाए जा रहे जो कि हमारी संस्कृति के विरुद्ध हैं और हमारी सामाजिक विचारधारा के विपरीत हैं । ऐसे मामलों में फिल्म सेंसर बोर्ड को कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए । बोर्ड में प्रतिभाशाली लोग होने चाहिए जो जनता की गतिविधियों से परिचित हों और वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों, खेलकूद आदि में विशेष ध्यान रखते हों । विदेशों में फिल्में केवल धन कमाने के उद्देश्य से ही नहीं भेजी जातीं कई बार हम फिल्मों का निर्यात व्यापारिक समझौतों हेतु भी करते हैं अत: प्रदर्शित किए जाने वाले चलचित्रों में हमें कुछ दृश्यों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है । उदाहरणार्थ किसी शराबी द्वारा महात्मा गांधी या पंडित नेहरू के चित्र पर शीशे का गिलास फेंकता हुआ नहीं दिखाना चाहिए यद्यपि कई फिल्मों में शराबियों द्वारा ऐसी हरकते आम दिखाई जाती हैं ऐसा करना हमारे हितों के विरुद्ध है ।

फिल्म उद्योग अच्छी फिल्में प्रदर्शित नहीं कर रहा है । इस उद्योग की तकनीकी समस्याओं का पता लगाने के लिए सरकार को भारत के पूर्वी भाग में एक अध्ययन दल भेजना चाहिए । इस वर्ष स्वतन्त्रता का रजत जयंती समारोह मनाया जाएगा । मुझे प्रसन्नता है कि मन्त्रालय साथ-साथ अरविन्दों शताब्दी समारोह मनाने के लिए भी कार्यक्रम बना रहा है । मैं आशा करता हूं कि वह राजा राम मोहन राय की अर्द्ध-शताब्दी के उपलक्ष्य में भी कुछ न कुछ कार्यक्रम अवश्य आयोजित करेंगे । स्वतन्त्रता के रजत जयंती समारोह के सम्बन्ध में सरकार को आकाशवाणी से विशेष कार्यक्रम प्रसारित करने चाहिए और फिल्म डिवीजन को इस प्रकार की शिक्षाप्रद फिल्में प्रदर्शित करनी चाहिए जिनमें समूचा स्वतन्त्रता आन्दोलन प्रदर्शित किया जा सके ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : अन्य वक्ताओं की भांति मेरे लिए उठकर एकदम यह कह देना कि मैं इस मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं सम्भव नहीं है । यह खेद की बात है कि कुछ वर्षों से यह विभाग काँग्रेस दल की प्रचार शाखा बन गया है ।

प्रधान मंत्री स्वयं किसी समय सूचना और प्रसारण मन्त्री रही हैं और कुछ नीतियां जो उन्होंने स्वयं आरम्भ की थी आज उनका ही मंत्रिमण्डल उस पर अमल नहीं कर रहा । उन्होंने व्यवसायीकरण की एक प्रक्रिया आरम्भ की थी किन्तु गत कुछ वर्षों में समूची प्रक्रिया ही बदल गई है ।

उदाहरण के लिए चन्दा समिति के प्रतिवेदन को ही ले लीजिए इसने मुख्यत: दो सिफारिशें की हैं एक तो मंत्रालय से राजनीति को दूर रखा जाए दूसरे आकाशवाणी और टेलीविजन

को एक स्वायत्त निगम में बदल दिया जाए किन्तु सरकार ने इन सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं की है यद्यपि की सम्पूर्ण सत्ता उन्हीं के हाथों में केन्द्रित है। ज्ञान के प्रसार के लिए टेलीविजन बहुत विकसित माध्यम है। किन्तु इस देश में इसे आकाशवाणी के सहायक के रूप में समझा गया है और इस बात को न समझते हुए कि टेलीविज़न एक चाक्षुण माध्यम के रूप में बिल्कुल पृथक है या उसमें रेडियों से पूर्ण भिन्न विशेषज्ञता की आवश्यकता है, एक विभाग और अन्य विभागों के बीच संवर्गों की अदला-बदली की जाती है। गत कुछ वर्षों से आकाशवाणी देशी और विदेशी दोनों प्रकार की राजनीति में भाग लेने लगा है। देशी राजनीति में भाग लेने से सभी प्रकार के स्तरों में गिरावट आई है और विदेशी राजनीति में भाग लेने से अपनी काफी विश्वसनीयता कम कर दी है।

देश में सबसे भारी कर सूचना सम्बन्धी वस्तुओं पर लगे हुए हैं। रेडियो के प्रत्येक पुर्जे पर कर लगा हुआ है। उसके पश्चात् तैयार माल पर भी कर देना पड़ता है तत्पश्चात बिक्री कर और लाइसेन्स के रूप में भी कर लगे हुए हैं। 75 प्रतिशत अनपढ़ जनता वाले देश में शिक्षा के प्रसार के लिए अपेक्षाकृत सस्ते रेडियो सेट बनाए जाने चाहिए। यही बात टेलीविजन पर भी लागू होती है। वस्तुतः यदि बजट की समीक्षा की जाए तो पता चलेगा कि विज्ञापनों पर लगाए गए कर की वसूली रेडियो और टेलीविज़न के प्रचार हेतु बनाए गए बजट उपबन्धों से अधिक थी सरकार एक ओर तो सामाजिक परिवर्तन की बात करती है और दूसरी ओर प्रचार और शिक्षा पर अधिक व्यय करना नहीं चाहती। चौथी पंचवर्षीय योजना में रखी गई 23,000 करोड़ रुपये की राशि में से केवल 40 करोड़ रुपये की राशि प्रचार साधनों पर व्यय की जाएगी।

अखबारी कागज सम्बन्धी कोटा पद्धति नीति का एक हथियार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। इस कोटे पद्धति के कारण मुझे भी नुकसान हुआ है और इस सम्बन्ध में मैंने प्रधान मन्त्री तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री को कई बार लिखा है लेकिन मुझे कोई सन्तुष्टिजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ यदि मेरे जैसे व्यक्ति का यह हाल हो सकता है तो दूसरों का क्या होता होगा इसका आप आसानी से अन्दाजा लगा सकते हैं। यदि सरकार 5 करोड़ रुपये के मूल्य का अखबारी कागज़ आयात करती है तो प्रत्येक व्यक्ति की मांगों को पूरा किया जा सकता है। हम करोड़ों रुपये विदेशी मुद्रा पर व्यय करते हैं किन्तु जैसे ही अखबारी कागज़ के आयात का मामला सामने आता है हमें 5 करोड़ रुपये भी अधिक लगने लगते हैं और सब को बचत का ख्याल आता है।

समाचार पत्रों में 10 पृष्ठों की सीमा लगाने से आर्थिक तबाही होगी। क्या प्रधान एवं सूचना मन्त्री इन ऐसे छोटे या बड़े समाचार पत्रों को पढ़ते हैं जोकि उन्हें अपेक्षित समाचार एवं सूचना देते हैं। यह 10 पृष्ठ की नीति सरकार के 10 सूत्रीय कार्यक्रम की भांति ही है।

मेरे विचार में बड़े एवं छोटे समाचार पत्रों का प्रश्न एक वर्ग संघर्ष की भांति है सरकार काफी समय से राष्ट्र को विभाजित करने और समाज के विभिन्न स्तर को विभाजित करने के लिए इसका उपयोग करती रही है जहां तक समाचार पत्रों को मान्यता देने का प्रश्न है उन समाचार पत्रों को जो सरकार की नीतियों की प्रशंसा करते हैं मान्यता दे दी जाती है किन्तु अन्य को नहीं।

श्री सुबोध हंसदा (मिदनापुर) : भारत पाक संघर्ष तथा बंगला देश संकट के दौरान मंत्रालय की भूमिका सराहनीय रही है । मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी आकाशवाणी द्वारा ऐसी ही भूमिका अदा की जाएगी । मुझे खेद है कि आकाशवाणी द्वारा वह प्रेरणादायक गीत अब नहीं सुनाए जाते जो युद्ध के दिनों में सुनाए जाते थे । सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यक्रमों के आरम्भ में ही प्रतिदिन प्रेरणादायक गीत सुनाए जाएं । आकाशवाणी के 23 केन्द्र हैं जिनमें 93 बोलियों में आदिमजातीय कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं । कलकत्ता स्टेशन से सप्ताह में एक बार संभालो बोली में एक आदिमजातीय कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है जो कि 15 मिनट की अवधि का होता है । सप्ताह में एक बार केवल 15 मिनट का कार्यक्रम देने से कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं होता । इस कार्यक्रम का न तो आदिमजातीय लोगों की रीति रिवाज़ों पर और न ही संस्कृति पर कोई प्रभाव पड़ा है । लोगों को बार-बार नहीं गीत सुनाए जाते हैं नए गीत सुनाने की व्यवस्था की जानी चाहिए । इसके अतिरिक्त वार्ताएं ऐसे ढंग तथा उच्चारण के साथ दी जाती हैं कि मेरे जैसे संथाल भी उसे नहीं समझ पाते । इस बोली में प्रसारण के लिए केवल उन्हीं लोगों को चुना जाना चाहिए जो इस बोली को भली भांति जानते हों अन्यथा ऐसे प्रसारणों से कोई उद्देश्य हल नहीं होगा ।

जहां तक सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का प्रश्न है इस विभाग में आरक्षण बहुत ही कम है । प्रेस परिषद् तथा चल चित्र बिमा निगम जैसे कुछ संस्थानों में इन जातियों के लोगों का प्रतिनिधित्व बिलकुल नहीं है । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये ।

दिल्ली में बंगाली लोगों की संख्या तीसरे नम्बर पर हैं परन्तु दिल्ली केन्द्र से बंगालियों के लिए कोई कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया जाता है । मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

प्रेस आयोग की स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी । निगम ने एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह की थी कि प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया गैर सरकारी एजेंसी द्वारा नहीं चलायी जानी चाहिये अपितु सार्वजनिक निगम द्वारा चलायी जानी चाहिये । जब तक यह गैर सरकारी एजेन्सी द्वारा चलायी जाती है सरकार को इसका वित्तीय पोषण नहीं करना चाहिये । 17 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी इन सिफारिशों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है । इस बीच प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया को भवन निर्माण के लिए सरकार ने धन राशि दी है । कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों ने इस एजेन्सी को कुछ धन-राशियां दी हैं ।

पता नहीं, सरकार प्रेस आयोग की सिफारिशों को कार्यरूप देने में क्यों असमंजय में पड़ी हुई है । यदि सरकार कुछ दबावों के प्रभाव से ऐसा करना नहीं चाहती तो उन्हें प्रेस आयोग नियुक्त करने की क्या आवश्यकता थी । दूसरा प्रेस आयोग नियुक्त करने के बजाये सरकार को पहले आयोग की सिफारिशों को ही कार्यरूप देना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं मागों का समर्थन करता हूँ ।

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्र पाड़ा) : भारत पाक युद्ध के दौरान आकाशवाणी ने केवल समाचार सुनने वालों की इच्छा तृप्ति ही नहीं की अपितु देश भक्तिपूर्ण कार्यक्रमों से जनता का मनोबल भी ऊँचा किया ।

पंडित नेहरू से लेकर सत्य नारायण सिन्हा के समय तक सरकार आकाशवाणी को एक राज्य के एकाधिकार तथा राजनैतिक प्रभावों से मुक्त करने के लिये इसे एक प्रकार का निगम बनाने का वायदा करती रही है। परन्तु गत वर्ष इस विचार को पूर्णतया छोड़ दिया गया था। मंत्री महोदय ने विकेन्द्रीय करण का तथा प्रबन्धकों को स्वायत्तशासी बनाने का जो आश्वासन दिया था वह पूरा नहीं किया गया है।

प्रधानमंत्री ने परसों ही परामर्शदात्री समिति को बताया है कि महानिदेशक का सीधे मंत्री से सम्बन्ध स्थापित करके संगठन को स्वायत्तशासी बनाने पर विचार किया गया है। इससे पता चलता है कि स्वायत्ता को संचार मंत्री के सीधे नियंत्रण से समानता दी गई है। इससे आकाशवाणी को स्वायत्तशासी निगम बनाने का उद्देश्य जिसकी चन्दा समिति ने सिफारिश की थी, भंग हो जायेगा। स्वस्थ्य आधार शिलाओं पर आकाशवाणी का पुनर्गठन करने, मंत्रियों की तानाशाही से मुक्त करने के स्थान पर इसे पक्षपात करने तथा दबाव डालने की संस्था का रूप दे दिया गया है। अब तक आकाशवणी महानिदेशक के पद पर नियुक्त संघीय लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर की जाती थी। मंत्रालय का निर्णय था किसी भी आई० सी० एस० अधिकारी को आकाशवाणी का महानिदेशक नियुक्त नहीं किया जायेगा। इस वर्ष सरकार संघीय लोक सेवा आयोग की सिफारिश की चिन्ता न करके भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को इस पर नियुक्त किया है जबकि अधिक अनुभवी तथा कुशल व्यक्ति इसके लिए उपलब्ध थे। ऐसा किये जाने के क्या कारण हैं?

कार्यक्रमों में भाग लेने के लिये कुछ व्यक्तियों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिये।

आकाशवाणी केन्द्र कटक में वर्ष 1972-73 में बड़ा ट्रांसमीटर लगाने का आश्वासन दिया गया था, अब तक उसकी आधार शिला भी नहीं रखी गयी है। आश्वासनों को झुठलाया जाता है। इस आश्वासन को पूरा करने में सरकार के सम्मुख कौन सी कठिनाई थी।

आश्वासन दिया गया था कि क्षेत्रीय शिक्षा कार्यक्रम में उड़िया को सम्मलित किया जायेगा। यह आश्वासन भी पूरा नहीं किया गया है।

प्रतिवेदन से पता चलता है कि मीडियम वेव ट्रांसमिशन से टेलिविजन के कार्यक्रम देश की सम्पूर्ण जनता तक नहीं पहुँच पाते हैं। टेलीविजन के विस्तार को प्रायमिकता के बजाये हमें मीडियमवेव के प्रसारणों को समस्त देश में पहुँच सकने के प्रयत्न करने चाहिये।

प्रधान मंत्री के आश्वासन देने के पश्चात भी विरोधी राजनैतिक दलों को निर्वाचन प्रसारणों के लिये समय नहीं दिया जाता है। ऐसा इसलिये नहीं हो सका कि सत्तारूढ़ कांग्रेस अपने लिये अधिक समय चाहती थी। जब मंत्रियों को आकाशवणी पर इतना अधिक समय दिया जाता है तो विरोधी दलों को भी कुछ समय अवश्य दिया जाना चाहिये।

समाचार पत्रों की 10 पृष्ठ की सीमा बांधे जाने से राष्ट्रीय प्रेस छिन्न-भिन्न हो जायेगी और पत्रकारों की बड़े पैमाने पर छंटनी होगी तथा भविष्य में प्रेस के विस्तार में गतिरोध आ जायेगा। इससे न तो समाचार पत्रों के मूल्य कम होंगे और न ही एकाधिकार रोके जा सकेंगे।

पृष्टानुसार मूल्य अनिसूचि के लिये प्रस्तावित विधेयक प्रस्तुत क्यों नहीं किया जा रहा है ? कहा गया है कि सीमा निर्धारित करने से छोटे समाचार पत्रों को भी अखबारी कागज मिलने लगेगा। परन्तु मैं अपने अनुभव के आधार पर यह बताना चाहता हूँ कि संसाधनों के अभाव में छोटे समाचार पत्रों को मिलने वाला अखबारी कागज काले बाजार में बेचा जायेगा। **(व्यवधान)**

भारत-पकिस्तान युद्ध के दौरान मंत्रालय की कुछ उपलब्धियों को छोड़कर शेष कार्य निराशाजनक हैं अत: मैं इस मंत्रालय की अनुदानों की सभी मांगों का विरोध करता हूँ।

सभापति महोदय : श्री शशि भूशण।

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : मैं एक व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा होता हूँ। सदन की यह प्रक्रिया रही है कि अध्यक्षपीठ सदस्य को बुलाता है.....**(व्यवधान)**

सभापित महोदय : मैंने आपको देखा नहीं सका था इसी कारण मैंने आपका नाम नहीं पुकारा। **(व्यवधान)**

Shri Shashi Bhushan (South Delhi).: All India Radio and the Ministry of Information and Broadcasting deserve our compliments for the remarkable performance during the last year and particularly during the current year. Correspondents and journalists, even by endangered their lives, provided us correct and the latest news from Bangla Desh. Their commendable performance will be remembered in History.

The success of this Ministry can be assessed by how for it has propagated socialism—the objective of the nation. The Ministry should prove an effective instrument in achieving this goal.

There has been a long standing demand that the news agencies like PTI and UNI should be converted into a corporation.

[**श्रीमती शीला कौल पीठासीन हुई**
Shrimati Sheila Kaul *in the Chair*]

These agencies are in bad shape. There is exploitation and victimization of journalists there. These agencies are being managed by newspaper magnates. The Government should constitute a corporation so that the efficient journalist may run these agencies. Our reliance on foreign news agencies like Reuter will not prove helpful for the country.

There is an urgent need for establishing a national news agency. This agency should have contacts with socialist countries, African and Asian countries so that we may have informations of the developments in those countries.

I would like to request the Hon. Minister to pay his attention towards the condition of Class IV employees of All India Rodio. A number of artists in Song and Drama division of All India Radio are working on contract basis. Since they are not confirmed their future remain uncertain and this has a demoralizing effect on them. They should be made permanent so that some sort of security could be given to them.

Although the Government have appointed a committee to report on the control of certain monopolists over newspapers, it has not yet started its work. The Government should look into this, and take immediate steps. With these words I support the demands of this Ministry.

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : सरकार ने क्षेत्रीय भाषाओं तथा हिन्दी के समाचार पत्रों के पत्रकारों के विरूद्ध भेद-भाव की भावना पैदा की है । सूचना और प्रसारण मंत्रालय का विचार है कि जब समाचार एकत्र करने तथा किसी दौरे में समाचार एजेन्सियों तथा अंग्रेजी के समाचार पत्रों को सम्मलित किया जाता है तब वहाँ क्षेत्रीय अथवा देशी भाषा के संवाददाताओं को भेजने की आवश्यकता नहीं है । इन संवाददाताओं को महत्वपूर्ण विवरणों में सम्मिलित नहीं किया जाता है । भारत-पाक युद्ध के दौरान समाचार एजेन्सियों तथा अंग्रेजो समाचार पत्रों के संवाददाताओं की तरह इन पत्रकारों को सीमा तथा अन्य महत्वपूर्ण स्कूलों पर नहीं जाने दिया गया । विदेशों के दौरों पर अथवा महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ देश के किसी भाग के दौरे पर जाने के अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों को प्राथमिकता दी जाती है तथा देशी भाषायी पत्रकारों की उपेक्षा कर दी जाती है । सरकार जो छोटे समाचार पत्रों को सहायता देने की बात करती है वह व्यर्थ की बात है क्योंकि इस सहायता से बड़े समाचारपत्र ही लाभान्वित होते हैं । यदि सरकार निश्पक्ष ढंग से कार्य करना चाहती है तो उसे विवरणों के लिए दौरों पर तथा स्पाट लाईट तथा अन्य वार्ताओं के लिये प्रेस एसोशियेसन के सदस्यों की तरह समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों को बुलाना चाहिये ।

भारत में आज प्रेस सरकार से भयभीत हैं । उन्हें भय है कि उनका अखबारी कागज का कोटा समाप्त कर दिया जायेगा, उन्हें सरकारी विज्ञापन नहीं दिये जायेंगे । यह आशा की जाती है कि प्रेस सत्तारूढ़ दल के लिये कार्य करे । समाचार पत्रों में विरोधी दलों के नेताओं तथा उनके द्वारा की जाने वाली आलोचनाओं को कोई स्थान नहीं मिलता । खेद है कि कुछ समाचारपत्र अपनी निश्पक्षता की परम्परा को छोड़ रहे हैं । और इस प्रकार लोकतंत्र को हानि पहुँचा रहे हैं ।

समाचार पत्रों की पृष्ट संख्या दस तक सीमित कर देने से कर्मचारियों की छंटनी होगी । नयी भर्ती पर प्रतिबन्ध लगाये जाने की सम्भावना है । यही नहीं कर्मचारियों के वेतन स्थिर हो जायेंगे अथवा समाचार पत्रों के मालिक कर्मचारियों के वर्तमान वेतनमानों को कम कर देंगे । इसी कारण श्रम जीवी पत्रकार राष्ट्रीय संघ तक इण्डियन एन्ड इस्टर्न न्यूजपेपर्स सोसाइटी तथा अन्य लोगों ने सरकार की इस नीति का विरोध किया है ।

सत्तारूढ़ दल अपने हित के लिये अखबारी कागज का उपयोग करता है चाहे यह कागज समाचार पत्रों को मिले अथवा नहीं । गत निर्वाचनों के दौरान श्रीमती इन्दिरा गांधी की फोटों वाले पोस्टर देश के कोने कोने में लगाये गये । इस कागज पर लाखों रूपया व्यय हुआ यह कहाँ से प्राप्त हुआ? प्रगति तथा नाटक विभाग द्वारा जलियां वाला बाग के हत्याकांड से लेकर बंगला देश तक की घटनाओं को लेकर एक ध्वनि तथा प्रकाश कार्यक्रम तैयार किया गया। खेद की बात यह है कि इस कार्यक्रम में पंडित जवाहर लाल नेहरू तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी के अतिरिक्त महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चन्द्र बोस, मौलाना आजाद, श्री लाल बहादुर जैसे राष्ट्रीय नेताओं में से किसी की आवाज भी सुनाई नहीं पड़ती । मैं पूछना चाहता हूँ देश के स्वतंत्रता संग्राम में बैंकों का राष्ट्रीय करण प्रिवी पर्सेज का समाप्त करना तथा बंगला देश की स्वतंत्रता कहाँ से आ गये जो की इस कार्यक्रम में दिखाये गये हैं । यह सब सत्तारूढ़ दल के निर्वाचन प्रचार के लिए किया गया ।

मंत्रालय इस प्रकार से कार्य करता है जैसे यह सत्तारूढ़ दल का प्रचार विभाग हो । अतः आकाशवाणी को स्वायत्तशासी निगम बनाने के प्रस्ताव में बहुत औचित्य दिखाई पड़ता है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय (मुरेना) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय : घन्टी बजाई जा रही है.....

गणपूर्ति हो गई हैं, माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री के० एस० चावड़ा : आकाशवाणी के प्रसारणों के लिये भी विरोधी दलों के नेताओं को तथा उनके द्वारा की जाने वाली आलोचनाओं को कोई स्थान नहीं दिया जाता है। अतः मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदान की माँगों का विरोध करता हूँ।

श्री अनन्तराव पाटिल (खेड़ौं) : सूचना और प्रसारण मंत्रालय बहुत बड़ा मंत्रालय है। इसके अन्तर्गत बहुत से विभाग हैं। परन्तु मैं यहाँ प्रेस विभाग के एककों के विषय में कहना चाहता हूँ।

प्रेस सूचना ब्यूरो का कार्य सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों तथा गतिविधियों का प्रेस के माध्यम से जनता में प्रसार करना है। इसका दूसरा कार्य भारतीय प्रेस के स्वतंत्र तथा लोकतांत्रिक ढंग से कार्य करने की पद्धति में विकास करने में सहायता करना है। जहाँ तक इसके पहले कार्य का सम्बन्ध है, गत वर्ष प्रेस सूचना ब्योरो, आकाशवाणी तथा प्रकाशन विभाग ने अच्छा कार्य किया है। बंगला देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तथा भारत-पाक युद्ध के दौरान प्रेस सूचना के बहुत से कर्मचारी रात दिन कार्य करते रहे हैं, आकाशवाणी के संवाददाता मोर्चों पर गये और प्रकाशन विभाग प्रेस तथा जनता के लिये अच्छी सामग्री लाया।

1954 में जो प्रेस आयोग नियुक्त किया गया था उसने कुछ सिफारिशें की थीं। परन्तु उन्हें अभी तक कार्यरूप नहीं दिया गया है। जब तक इन सिफारिशों को कार्य रूप नहीं दिया जाता भारतीय प्रेस का विकास नहीं हो सकता। छोटे समाचार पत्र अभी तक छोटे हैं इसका कारण यह है कि बड़े समाचार पत्र इन्हें छोटा ही रहने देने के लिये बाध्य करते हैं। आयोग ने प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया के विषय में सिफारिश की थी। यद्यपि प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया को सरकार से 35 प्रतिशत शुल्क प्राप्त होता है फिर भी सरकार को उसके कार्य करण अथवा प्रबन्ध में कुछ कहने का अधिकार नहीं है। इसके गठन में परिवर्तन किये जाने आवश्यक हो गये हैं। इस संस्था को सार्वजनिक निगम का रूप दिया जाना चाहिये।

समाचार पत्रों की दस पृष्ट की संख्या निर्धारित किये जाने पर बड़े समाचार पत्रों ने बडी उछल-कूद मचायी। कहा गया कि इससे प्रेस की स्वतंत्रता भंग हो जाएगी। एक बार पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था "क्या ऐसा छोटा सा एक ग्रुप प्रेस की स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है" ? बड़े समाचार पत्र प्रेस को वैसी स्वतंत्रता प्रदान नहीं कर सकते जैसी जनना चाहती है।

Shri Hukam chaad Kachwai : I am sorry there is no quorum.

सभापति महोदय : घन्टी बजाइये —अब गणपूर्ति हो गयी है।

श्री अनन्तराव पाटिल : बड़े समाचार पत्रों का प्रेस वर्ग की स्वतंत्रता से तात्पर्य यह है कि

उनके समाचार पत्र में बहुत पृष्ट हों जिससे वे अधिकाधिक विज्ञापन प्रकाशित कर सकें तथा लाभ कमा सकें। बड़े समाचार पत्र प्रेस आयोग की इस सिफारिश पर ध्यान नहीं देते हैं कि समाचार पत्र में 60 प्रतिशत समाचार हों तथा 40 प्रतिशत विज्ञापन। प्रेस की स्वतंत्रता को बड़े समाचार पत्रों से सुरक्षित रखने की आवश्यकता है सरकार से नहीं।

इस कमियों को दूर करने के लिये समाचार पत्रों में विज्ञापन स्थान को कम किया जाये। प्रबन्ध में कर्मचारियों को भागा दिया जाये तथा वित्तीय पोषण का बीमा किया जाये। इस संस्था के गठन में सुधार किये जाने की आवश्यकता है। 60 प्रतिशत मालिकों के प्रतिनिधि तथा 40 प्रतिशत कर्मचारियों के प्रतिनिधि होने चाहिये। इसी प्रकार निदेशकों में भी 3:2 का अनुपात होना चाहिये। पृष्टवार मूल्य अनुसूची विधेयक किया जाना चाहिये। स्वामित्व का तथा निमन्तण का तथा विसरण किया जाना चाहिये। इसे कार्यरूप न देने से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरा पैदा हो गया है।

मंत्री महोदया ने एकाधिकार रोकने के सम्बध में एक राज्य सभा में एकाधिकार रोकने के सम्बन्ध में विधेयक लाने को कहा था। 3 अगस्त को कम्पनी अधिनियम में संशोधन करने का आश्वासन दिया गया था। इन आश्वासनों का क्या हुआ ? स्वामित्व के विसरण तथा प्रेस बिल निगम के सम्बन्ध में इसी सत्र के दौरान दो विधेयक लाये जाने चाहियें। जिससे छोटे समाचार पत्रों की सहायता की जा सके।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है मैंने उसे ध्यान पूर्वक सुना है। नैतिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से तुच्छ स्तर की फिल्मों के निर्माण को रोकने के सम्बन्ध में केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड की आलोचना की गई है। यद्यपि ऐसे उदाहरण अधिक नहीं तो भी यह मानना पड़ेगा कि ऐसी फिल्में बनी हैं। सेंसर बोर्ड की स्वीकृति के पश्चात् भी रिपोर्टों और शिकायतों के आधार पर सरकार ने फिल्में सेंसर की हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा होता हूँ। सदस्यों की पुस्तिका के पृष्ट 87 के सब पैरा 13 में कहा गया है कि कोई भी सदस्य सदन की पूर्वानुमति के प्राप्त किये बिना कोई भी सदस्य लिखित भाषण नहीं पढ़ सकता टिप्पणियों का संदर्भ दिया जा सकता है। सदन से न तो ऐसी अनुमति मांगी गयी है और न सदन ने अनुमति दी है। इन लिखित नियमों के संदर्भ में इस विषय पर मैं अपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय अपनी टिप्पणियां देख रहे हैं, पढ़ नहीं रहे।

श्री धर्मवीर सिंह : हमने फिल्म सेंसर के केन्द्रीय बोर्ड को कड़े अनुदेश दिए हैं कि सेंसर के मामले में अधिक सतर्कता बरते। सरकार खोसला आयोग की सिफारिशों के अनुसार बोर्ड के पुनर्गठन पर भी विचार कर रही है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रकिया सम्बन्धी नियमों का पालन किया जाये।

सभापति महोदय : हम इसका ध्यान रखेंगे।

श्री धर्मवीर सिंह : बंगला देश के स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान आकाशवाणी के कलाकारों द्वारा दिये गये योगदान पर उन्हें बधाई देता हूं ।

देश के भिन्न-भिन्न भागों के सदस्यों ने विभिन्न क्षेत्रों को समय दिए जाने की मांगे की हैं जिसे हम यथा सम्भव पूरा करने की चेष्टा करेंगे । कुछ ऐसे वर्ग हैं जिन्हें हम अभी समय नहीं दे पा रहे । उनको समय देने का हम पांचवीं योजना में यत्न करेंगे ।

आकाशवाणी के कार्यक्रमों में पर्याप्त गुणात्मक सुधार हुआ है ।

आकाशवाणी को अपने विविध प्रकार के श्रोताओं की असीम मांगों को पूरा करना होता है । इसके कार्यक्रम, 5, 10, 15, 20, 30 45, 60 मिनट के होते हैं जिनमें परिवर्तन होते रहते हैं । इसके निर्णय के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पांचवीं योजना में यत्न किये जायेंगे ।

अधिक व्यापक प्रशिक्षणों द्वारा और कर्मचारियों के सहयोग से हम नये केन्द्रों के कार्यक्रमों में श्रेष्ठता बनाये रखने की चेष्टा करेंगे ।

आकाशवाणी पर समाचारों सम्बन्धी आरोप प्रतिवर्ष लगाए जाते हैं । इस बार प्रधान मंत्री के संकेत पर समाचारों को दबाए जाने का नया आरोप लगाया गया है । मैं इसका खण्डन करता हूं ।

आकाशवाणी राजनीतिक दलों में निष्पक्षता बरतता है । इसे औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्र के प्रगतिशील कार्यक्रमों में बाधक तत्वों की चर्चा करनी होती है । परन्तु यह कहना, कि यह विरोधी पक्ष को नीचा दिखाने के लिये किया जाता है, ठीक नहीं । आकाशवाणी की यह रचनात्मक प्रवृत्ति नेतृत्व द्वारा प्रदत्त आधुनिक दृष्टिकोण के अनुरूप रचनात्मक कार्यवाही है ।

आरोप लगाया गया है कि आकाशवाणी जानबूझ कर विपक्ष से भेदभाव बरतता है । एक माननीय सदस्य ने तो यहां तक कहा है कि यह प्रधान मंत्री के निदेशों पर किया जा रहा है । इन निराधार आरोपों का हम खण्डन करते हैं ।

वास्तविकता यह है कि हमारी पार्टी के व्यक्ति ही उपेक्षित रह जाते हैं क्योंकि संसदीय प्रणाली की सरकार में विपक्ष जो कुछ कहता है वह समाचार बनता है परन्तु मेरी पार्टी के लोग जो कुछ कहते हैं वह उद्घोषणाएं बन जाती हैं ।

आकाशवाणी के स्टाफ कलाकारों के पुनरीक्षित वेतनों की आलोचना की गई है । प्रस्तावित सुधार अन्तिम नहीं है । अन्तिम निर्णय तो वेतन आयोग की रिपोर्ट के बाद लिया जायेगा ।

हमारे देश की शासन प्रणाली नेतृत्व पैदा करती है और आकाशवाणी संसद् द्वारा निर्मित तथा जनता द्वारा बनाये गये नेतृत्व से विमुख नहीं रह सकती ।

विधान सभा के चुनाव परिणामों के समय उपयोग की गई शब्दावली की भी निन्दा की गई है । परन्तु यही शब्द विदेशी रेडियो भी प्रयोग करते रहे हैं ।

*श्री था० किरुतिनन : (शिवगंज) पिछले 25 वर्षों में सूचना तथा प्रसारण विभाग प्रगति करता रहा है परन्तु यह प्रगति देश की जनता की आशाओं के अनुरूप नहीं रही है। यह विभाग राज्य की नीतियों कार्यक्रमों और योजनाओं का समुचित प्रचार नहीं करता अपितु केवल केन्द्रीय सरकार की नीतियों और उद्देश्यों का ही प्रसारण करता है।

विभाग के अधिकारियों के पास समाचारों के प्रसारण के भी पूरे अधिकार नहीं हैं। आकाशवाणी को एक स्वायत्त निगम बनाने की मांग चिरकाल से की जा रही है।

द्रु० मु० क० तमिलनाडु में सत्तारूढ़ है। उक्त दल यहां विपक्ष में है। तमिल समाचारों में संस्कृत मूलक तमिल शब्दों का उपयोग होता है। श्रियु तथा श्रियमती के स्थान पर हमारे पुनः पुनः कहने पर भी श्री और श्रीमती ही प्रयोग किये जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इस बारे में अनुदेश जारी करें।

वृत्त चित्रों के निर्माण में राज्य सरकारों के क्रियाकलापों को, विशेषतः तमिलनाडु राज्य की ओर ध्यान नहीं दिया जाता।

फिल्म वित्त निगम बम्बई में है फिल्म प्रतिष्ठान पूना में जोकि केवल हिन्दी फिल्मों की आवश्यकता की पूर्ती करते हैं। तमिलनाडु में हिन्दी चलचित्रों के बराबर ही फिल्में तैयार होती हैं परन्तु उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिल पाती।

तमिलनाडु में एक थियेटर कार्पोरेशन बनी हुई है जो ग्रामीण क्षेत्रों में थियेटरों के निर्माण में वित्तीय सहायता देती है। वास्तव में ग्रामीण समाज हमारे देश में सबसे अधिक उपेक्षित है। सभी राज्यों को तमिलनाडु के समान थियेटर कार्पोरेशन बनाने चाहिए।

चौथी योजना में पांच नगरों में टेलीविजन केन्द्र खोले जा रहे हैं। केवल तमिलनाडु सरकार ने इस उद्देश्य के लिए बिना मूल्य भूमि दी है। परन्तु वहां पर केन्द्र बनाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस ओर शीघ्र ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे करोड़ों लोग लाभान्वित होंगे।

देश के सभी बड़े समाचार पत्र एकाधिकार गृहों के पास पहुंच गए हैं। सरकार को समाचारपत्रों में पृष्ठ संख्या निर्धारित करने के स्थान पर एक समाचार पत्र वित्त आयोग की स्थापना करनी चाहिए जो छोटे क्षेत्रीय भाषाओं के पत्रों को वित्तीय सहायता दे सके।

चौथी योजनावधि में मिडियम वेव केन्द्रों द्वारा 80 प्रतिशत जनसंख्या को प्रसारण में लेने तथा 5 टेलीविजन केन्द्र खोलने की 40 करोड़ रु० की योजना है। परन्तु इस पर अभी केवल 10.80 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। वर्ष 1971-72 में भी सूचना और प्रसारण के लिये आवंटित निधि में से 11.36 लाख रुपए की बचत की गई है।

---

* तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarized translated version of English translation of speech delivered in Tamil.

मदुरै में प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम में यही प्रगति हुई है 1.05 करोड़ रुपये बिना व्यय किये छोड़ दिये गये हैं।

मैं आग्रह करता हूं कि आकाशवाणी को पूर्ण राष्ट्रीय संगठन बनाने के लिए समूचे देश की सेवा करनी चाहिए।

Shri Md. Jamilurrahman (Kishanganj) : Ample funds have not been provided for this Ministry of Information and Broadcasting. This Ministry together with the Ministry of Education deserves greater attention.

There is greatest freedom to the newspapers in this country. In this country the percentage of newspaper reading population is 37. Thus the need for Governmental Mess Media has become more important new.

All revolutions have taken place in this country not due to its intellectuals but because of Messes. I appreciate the sense of prepartion of A. I. R. It has given more coverage to the Members of Opposition than to our party.

The small newspapers which cannot purchase news from news agencies should be given due attention by the Government. The big newspapers can influence the public mind to a greater extent.

Shri Hukam Chand Kachwai : There is no quorum in the House.

Mr. Chairman : The quorum bell is ringing. There is quorum now.

Shri Md. Jamilurrahman : This country belongs to the poor people. We should establish a corporation like Film Finance Corporation for the small news papers. I cannot go without appreciating the working of the A. I. R. and P. I. B. These organisations have served very efficiently during the last war. The working of Delhi Station during war had been very good.

Mr. Chairman : In future we shall not allow reading of speeches. Please speak extempore.

Shri Md. Jamilurrahman : The misunderstandings created in the matter of Childrens Film Society should be soon removed. We should prepare at least 3-4 good films for children every year,

I appreciate the manner in which this Ministry has discharged it's responsibility.

श्री एम० एम० बनर्जी (कानपुर) : सर्व प्रथम मैं आकाशवाणी के कलाकारों और कर्मचारियों को 14 दिन के भारत पाक युद्ध में उनके कुशल कार्य के लिये बधाई देता हूं।

कहा गया है कि समाचार पत्रों के लिए दस पृष्ठ की सीमा नहीं रखी जानी चाहिए इससे समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता नष्ट होगी बड़े समाचार पत्रों को छोटे समाचार पत्रों को हानि पहुंचा कर न्यूजप्रिंट के कोटे नहीं दिए जाने चाहिए।

प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया को सार्वजनिक निगम बनाने का निर्णय लिया गया था। परन्तु खेद है कि उसे क्रियान्वित नहीं किया गया है।

पी० टी० आई० के महाप्रबन्धक द्वारा श्री बी० आर० वाटस को शिलांग स्थानान्तरण करना अनुचित है। सम्बद्ध मन्त्रियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

स्टाफ आर्टिस्टों के सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें कार्यान्वित की गई हैं जबकि कुछ व्यक्तियों को लाभ नहीं हुआ। श्रीमती नन्दिनी सत्पति ने बताया था कि किसी को हानि नहीं होगी। परन्तु मुझे पता चला है कि कुछ व्यक्तियों को हानि हुई है।

पी० टी० आई० के बारे में मेरा सुझाव है कि इसे अन्तर्राष्ट्रीय ऐजेन्सी बनाया जाये।

कानपुर में टेलीविजन केन्द्र के लिए मांग को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि वहां पर प्रतिभा का अभाव है। ऐसा आई० सी० एस० अधिकारियों ने अपने बच्चों को टेलीविजन में अवसर देने के लिए किया है। कानपुर में प्रतिभा का कतई अभाव नहीं है।

रसूलन बाई की गम्भीर बीमारी से हमें अत्यन्त दुःख है। ऐसे कलाकार युगों के बाद ही आते हैं। उन्हें समुचित सहायता दी जानी चाहिए।

आकाशवाणी में उर्दू कार्यक्रमों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

श्री के० बासप्पा (चित्रदुर्ग) : सभापति महोदय, मैं इस मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena): Mr. Speaker, there is no quorum in the House.

सभापति महोदय : घन्टी बज रही है। अब कोरम हो गया है।

श्री के० बासप्पा : न्यूज़प्रिंट तथा समाचार पत्रों में पृष्ठों की संख्या 10 तक सीमित करने सम्बन्धी सरकार की नीति का स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन इस से इस सदन तथा राज्य विधान सभाओं की कार्यवाही के लिये स्थान की कमी हुई है क्योंकि अधिकांश स्थान विज्ञापनों के लिये जाता है।

बंगलौर के रेडियो स्टेशन में भी शार्ट वेव ट्रान्समीटर नहीं है। मेरा अनुरोध है कि बंगलौर रेडियो स्टेशन में शार्ट वेव ट्रान्समीटर लगाया जाये। इसके अतिरिक्त बंगलौर में टेलिविजन का रिलेयिंग स्टेशन भी खोला जाये। दीवार के समाचार पत्र भी सभी क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित किये जाने चाहिए। बाल भारती का प्रकाशन सभी क्षेत्रीय भाषाओं में किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी चार या पांच जिलों के स्थान पर एक ही जिले के लिये होना चाहिए ताकि प्रचार कार्य प्रभावशाली ढंग से हो सके। गीत और नाटक डिविजन जिन कलाकारों को गीत गाने के लिये बुलाता है उन्हें कुल 50 रु० दिया जाता है जिसमें यात्रा भत्ता भी शामिल होता है। कलाकारों को दिये जाने वाली इस राशि में वृद्धि होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रकाशन विभाग का भी विकेन्द्रीकरण होना चाहिए तथा कन्नड़ में प्रकाशित पत्रिकाओं का प्रकाशन दिल्ली के स्थान पर बंगलौर से होना चाहिए।

Shri Vekaria (Junagadh): I support the demands of the Ministry of Information and Broadcasting.

I support the proposed 10 page restriction on the big newspapers. The advertisements should also be restricted to 40 per cent of the total space.

The advertisements of public undertakings like Food Corporation, A. T. C. etc. etc. should also be given to the local regional papers so that people in the interiors can read them P. T. I. and U. N. I. should be brought under corporation and the employees should be allowed to participate in the management. The A. I. R. should relay the educative programme regarding small scale indusries and availability of advances from the nationalised banks etc. etc. So that villagers can benifit from these schemes.

The Khosla Commission submitted its report a year ago but the same has not so far been implemented. What are the reasons for which the same is not being implemented.

Shri Sudhakar Pandey (Chandauli) : I support the demands of the Ministry of Information and Broadcasting. I congratulate the Ministry for restricting the number of pages of the papers. The readers are being exploited. They pay for the reading material and not advertisements. The Government has so far been protecting the interests of the papers by allowing too much of advertisements. There had been deginite increase since the years 1963, 1964 and 1965 in the rates and space of advertisements and also the price of the papers but the salary of the workers has not been raised proportionately. Even then they are being threatened with retrenchment due to 10 page restriction. Will the Government watch the scene silently ?

Our television needs to be Indianised and such films which neglect our traditions, history and culture should be televised. The Government should also protect the interests of radio and television artists.

Shri M. C. Daga (Pali) : Our newspapers have been projecting the image of capitalists by ignoring the farmer and his problems. These papers give preference to the things of western interest. Have you ever called people from backward ar d tribal areas to give their programmes on the radio ?

Big newspapers are owned by the capitalists. Common man particularly in the villages has not been made conscious of the various Government schemes like land ceiling etc. The A. I. R. has failed to awaken the masses in various walks of life. The publicity of the family planning programme is also not satisfactory. The problems of the villages do not find place in the publicity programme of the Government.

Character building should be our principle. The radio should give due time for publicing the punishment awarded to a blackmarketeer or a corrupt Minister. It should assume the role of uplifting the moral standard of the people.

डा० कैलास (बम्बई दक्षिण) : युद्ध के समय आकाशवाणी ने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया तथा वह अपने परीक्षण में खरी उतरी। विशेषकर आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र ने अहर्निश उत्साह से कार्य किया।

मैं श्रीमती नन्दिनी सत्पथी को बधाई देना चाहता हूं। जिन्होंने युद्ध के दौरान सामरिक प्रचार कार्य में व्यक्तिगत रूप से भाग लिया।

भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष आरम्भ होने से पूर्व प्रधान मन्त्री के विदेशों के दौरों पर उनके द्वारा दिये गये भाषणों का कार्यक्रम "इण्डिया स्पीक्स" अद्वितीय रहा।

बंगला देश के संकट तथा भारत-पाक युद्ध के दौरान आकाशवाणी द्वारा जो कार्य किया गया वह अत्यन्त ही सराहनीय था।

आकाशवाणी के कार्य में और अधिक सुधार करने के लिये इस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्रीमती नन्दिनी सत्पथी को आकाशवाणी के विशेषज्ञों के साथ सीधा सम्पर्क स्थापित करना चाहिए। प्रसारण (प्रोडक्शन) कर्मचारियों को मन्त्री महोदय के साथ महीने में एक बार अथवा दो महीने में एक बार चर्चा करनी चाहिए।

पन्द्रह दिन में एक बार संस्कृत अध्यापन के पांच मिनट के कार्यक्रम का प्रसारण करना हमारे देश की महान भाषा के प्रति अपमान है। संस्कृत में 5 मिनट का समाचार बुलेटिन आरम्भ किया जा सकता है और यदि वह कार्यक्रम सफल हो जाता है तो पाणिनी द्वारा संस्कृत में लिखित कुछ ग्रंथों और पंचतंत्र आदि का भी प्रसारण किया जा सकता है ताकि संस्कृत के विद्वान देश के राष्ट्रीय कल्याण कार्य में अपना कर्त्तव्य निभा सकें।

चौथी योजना में कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ, कानपुर में टेलीविजन केन्द्रों की स्थापना के लक्ष्य मन्त्री महोदय को व्यक्तिगत रुचि लेकर पूरे करने चाहिए।

आकाशवाणी को सामाजिक और आर्थिक विकास में सभी प्रकार की जागृति पैदा करने के लिये अपने 'आडिटोरियम' में नाटकों, सुगम संगीत तथा हास्य-नाटकों का प्रबन्ध करना चाहिये। वहां एक 'आडिटोरियम' था परन्तु उसे टेलीविजन स्टुडियो में परिणत कर दिया गया है अब संगीत और नाटक प्रभाग को इसे ढूंढ़ना पड़ रहा है। सरकार को धनाभाव के कारण आकाशवाणी के इस महत्वपूर्ण प्रभाग का बलिदान नहीं करना चाहिए।

"टाक्स एण्ड डिस्कशन टुडे" राष्ट्रीय कार्यक्रम का विस्तृत आधार होना चाहिये ताकि समूचे देश के सर्वोपरि व्यक्तियों को आकर्षित किया जा सके।

आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से कहा जाना चाहिये कि वे संगठनों तथा विश्वविद्यालयों से ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करें जिसे दिल्ली मुख्यालय में समन्वित की जा सके।

प्रोडक्शन कर्मचारियों के सेवाओं की सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए और कार्यक्रम में उनके वर्षों के अनुभव का पूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : मेरे सहयोगी श्री धर्मवीर सिंह माननीय सदस्यों के कुछ सुझावों का पहले ही उत्तर दे चुके हैं अतः मुझे उनके बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है।

1971-72 का वर्ष सभी स्तरों से विशेषकर इस जैसे मन्त्रालय के लिये महत्वपूर्ण रहा क्योंकि यह मन्त्रालय प्रचार करने तथा जनता को सरकार की नीतियों की पूरी जानकारी देने से सम्बद्ध है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि बंगला देश के स्वतन्त्रता संघर्ष के समय आकाशवाणी द्वारा किया गया कार्य प्रशंसनीय था, उस समय आकाशवाणी ने अपनी स्थिति का सही चित्रण करने में जो भूमिका अदा की वह प्रशंसनीय थी। इस कार्य का सबसे अधिक बोझ बंगला देश के पड़ोसी रेडियो केन्द्रों पर पड़ा। समाचार प्रभाग तथा विदेश सेवा प्रभाग भी इस

अवधि में किए गए कार्यों के लिये बधाई के पात्र हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो प्रेस को पूरी सूचना देता रहा तथा दिसम्बर में उसने भारतीय तथा विदेशी संवाददाताओं को युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी देने में अद्भुत कार्य किया।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKR *in the Chair*]

जनता ने हमें भारी बहुमत प्रदान किया है तथा दिसम्बर में लड़े गये युद्ध से भी अधिक कठिन लड़ाई 'गरीबी हटाओ' की है। इसके कार्य के लिए हमें अपने यूनिटों को कुशल बनाना होगा।

सरकार के प्रचार साधनों के यूनिट किसी एक राजनीतिक दल के कार्यक्रम के लिये वचनबद्ध नहीं है और न ही वे ऐसा सम्बन्ध सत्तारूढ़ दल के साथ रखते हैं। उन्हें सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए और आगे कार्यवाही के लिए मिलकर कार्य करना है। आगे आने वाली बड़े कार्य के लिये इन प्रचार साधन यूनिटों को उपयुक्त बनाने के लिए सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में हम अपनी भावी कार्यवाही के बारे में सोचते रहे हैं।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि मैं गत वर्ष इस सभा में की गई प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर रही हूं। यह सही नहीं है। हम आकाशवाणी को अधिक शक्तियां देने तथा संगठन के अन्तर्गत ही विकेन्द्रीकरण करने के बारे में गम्भीरता से विचार कर रहे हैं ताकि कार्यक्रमों में सुधार किया जा सके तथा व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि हो। ये उद्देश्य आकाशवाणी को एक सांविधिक निगम के रूप में परिणत करने मात्र से पूरे नहीं हो सकेंगे। हमने इस हल को अस्वीकार कर दिया है तथा इस समय हम कुछ ऐसे उपायों पर विस्तार से विचार कर रहे हैं जिनसे कार्यकलाप के विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक दक्षता बढ़ सके।

यह भी कहा गया है कि आकाशवाणी के कटक केन्द्र में ट्रांसमीटर भी नहीं लगाया गया है। इस कार्य के लिये जो भूमि विवादग्रस्त थी उसका पिछले दिसम्बर में ही अर्जन किया गया है। पहले वहां 20 किलोवाट का ट्रांसमीटर था अब वहां 100 किलोवाट का ट्रांसमीटर लगाया जायेगा। इसका कार्य आरम्भ हो चुका है।

जहाँ तक इस बात का सम्बन्ध है कि चुनाओं के दौरान आकाशवाणी का रवैया पक्षपात-पूर्ण रहा, जहाँ तक मुझे याद है, प्रसारणों में कोई ऐसी बात नहीं कही गई जिससे पक्षपातपूर्ण रवैये की झलक मिलती हो। जब मैं राज्य सभा में एक प्रश्न का उत्तर दे रही थी तो मैंने 1967 के चुनावों से सम्बन्धित समाचार बुलेटिन उद्धत किया था जिसमें कहा गया था कि दिल्ली में कांग्रेस हार गयी है।

इस वर्ष के अन्त तक बम्बई तथा श्रीनगर से टेलीविजन केन्द्र काम करना आरम्भ कर देंगे। अमृतसर से भी कार्यक्रम टेलीकास्ट किये जायेंगे यद्यपि वहां अभी कुछ समय कार्यक्रम दिखाने की व्यवस्था नहीं की जा सकेगी। कलकत्ता तथा मद्रास टेलीविजन केन्द्रों के निर्माण में काफी प्रगति हुई है। ये दोनों केन्द्र मार्च, 1974 तक कार्य आरम्भ कर देंगे।

चालू योजना में लखनऊ/कानपुर के लिये टेलीविजन परियोजना को क्रियान्वित किया जायेगा।

जहाँ तक इस बात का सम्बन्ध है कि कानपुर में प्रतिभावान व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है। लखनऊ/कानपुर टेलीविजन परियोजना से कानपुर पूरी तरह लाभान्वित होगा।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Will a TV station be commissioned at any of the important town Indore, Jabalpur, Bhopal or Gwalior in Madhya Pradesh ?

Shrimati Nandini Satpathy : Not at present. It will be examined in falire,

आगामी दो वर्षों में टेलीविजन केन्द्र के लगाने के साथ-साथ टेलीविजन कार्यक्रम के क्षेत्र में व्यवसायवादिता के विकास की योजना को चरणबद्ध करना है। पूना में फिल्म के भाग के रूप में एक टेलीविजन प्रशिक्षण प्रभाग ने तथा टेलीविजन प्रशिक्षण संस्थान ने पहले से ही दिल्ली में काम करना आरम्भ कर दिया है और जैसे ही पूना में भवन का निर्माण हो जायेगा तो इसे स्थानांतरित कर दिया जायेगा। यूनेस्को से मिल रही तकनीकी तथा वित्तीय सहायता के लिये सरकार उनकी आभारी है।

टेलीविजन में फिल्मों का बहुत उपयोग होता है और टेलीकास्ट के लिये 16 एम० एम० फिल्में बनाना आवश्यक है। यह क्षमता न केवल टेलीविजन स्टुडियों में लानी है वरन फिल्म डिवीजन में, बाल चलचित्र समिति तथा गैर-सरकारी फिल्म निर्माताओं में भी लानी है।

एक माननीय सदस्य ने बाल चलचित्र समिति के बारे में उन्हें प्राप्त एक पत्र के अंश को पढ़ा था जिसमें गंभीर आरोप लगाये हैं। जब यह बात इस मंत्रालय अथवा प्रधान मंत्री के ध्यान में लाई जायेगी तो सच बात का पता लगाने की कोशिश की जायेगी।

कुछ माननीय सदस्यों ने फिल्मों के सम्बन्ध में देश में व्याप्त भावना का उल्लेख किया है, जिससे हम अवगत हैं। कुछ असाधारण फिल्मों को छोड़कर अधिकांश फिल्में पैसे कमाने की दृष्टि से बनाई जाती हैं जिसमें सौन्दर्य तथा कलात्मक भावना को जागृत करने और सामाजिक उद्देश्य को पूरा करने का कोई उद्देश्य नहीं होता है। इस दृष्टिकोण के कारण काला धन तथा कर अपवंचन जैसी कई बुराइयों ने स्थान ले लिया है। फिल्मों के वितरण तथा प्रदर्शन का कार्य राज्यों का मामला है। फिल्म उद्योग के प्रयासों का समन्वय करने में फिल्म परिषद् को उच्च शक्ति प्राप्त परामर्शदात्री समिति के रूप में गठित करने की योजना सरकार के विचाराधीन है। परिषद् के निर्णय को सम्बन्धित पार्टियो को गृहण करना होगा।

मुझे इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड अपना कर्त्तव्य भली भांति नहीं निभा सका है अतः खोसला समिति की सिफारिशों के आधार पर इस बोर्ड का पुनर्गठन विचाराधीन है और यह कार्य इस वर्ष के अन्त तक हो जायेगा।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि खोसला समिति की सिफारिशों को लागू करने में विलम्ब क्यों हुआ तथा क्या उन सब सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है, विलम्ब तो इसलिये

हुआ है कि इस मामले पर राज्य सरकारों, फिल्म उद्योग के विभिन्न वर्गों, परामर्शदात्री समिति तथा इस मंत्रालय के साथ चर्चा करनी पड़ती है तथा सिफारिशों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया है ।

सेंसर बोर्ड आपत्तिजनक फिल्मों को दिखाये जाने से रोक सकता है, यद्यपि यह फिल्म के विषय में सुधार करने में सक्रिय भूमिका नहीं निभा सकता है । इस देश में प्रतिभावान तथा निष्ठावान फिल्म निर्माताओं की कोई कमी नहीं है । यदि उन्हें उचित अवसर तथा प्रोत्साहन दिया जाये तो वे उच्चकोटि की कलात्मक तथा सामाजिक फिल्में बना सकते हैं । उन्हें प्रोत्साहन तथा ऋण आदि देने के लिये फिल्म वित्त निगम बनाया गया है ।

इस समस्या का समाधान करने के लिये इस मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के बीच चर्चा हो रही है कि भारतीय फिल्मों के निर्यात: विदेशी फिल्मों के आयात के लिये और देश में उपयुक्त फिल्मों के निर्माण तथा वितरण और प्रदर्शन सुविधाएं प्रदान करने के लिये सरकारी क्षेत्र के संयुक्त उपक्रय की स्थापना की जाये ।

पश्चिम बंगाल में संकट ग्रस्त चलचित्र उद्योग का अध्ययन करने के लिये पूर्वी क्षेत्र में एक अध्ययन दल भेजने का प्रस्ताव है ।

प्रेस की स्वतन्त्रता के बारे में सरकार के रवैये को प्राय: गलत समझा जाता है । सरकार प्रेस की स्वतन्त्रता को प्रजातंत्र के आधारभूत सिद्धांत के रूप में मानती है । सरकार ने प्रेस को अधिकाधिक स्वतंत्र बनाने के लिये ही समय-समय पर चिंता अभिव्यक्त की है तथा प्रयास किये हैं । सरकार चाहती है कि प्रेस स्वतंत्रता से अपना दृष्टिकोण प्रकट करे परन्तु उस सीमा तक जिससे समाज की सुरक्षा को खतरा न पहुंचे । पं० जवाहरलाल नेहरू ने प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बोलते हुए एक बार कहा था कि प्रेस के मालिकों के समूह द्वारा अपने निजी हितों के लिये हस्तक्षेप होता है । यह स्वतंत्रता उन्हीं तक सीमित नहीं रहनी चाहिये अपितु अन्य व्यक्तियों को भी समाज रूप से अभिव्यक्ति का अधिकार होना चाहिये ।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि फिल्म उद्योग के दस लाख श्रमिकों के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा, श्रम मंत्रालय उनके हितों की देख-भाल कर रहा है ।

11 अप्रैल को सरकार ने अखबारी कागज के निमंत्रण सम्बन्धी नीति की घोषणा की थी परन्तु फिर भी यह आलोचना का विषय बनी हुई है । इस नीति की घोषणा करने का उद्देश्य विदेशी मुद्रा को बचाना है, इसलिये आयातित अखबारी कागज के प्रयोग पर नियंत्रण लगाया है साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि तथ्यों का निरूपण करने वाले निकाय के प्रतिवेदन मिलते ही इस वर्ष के दौरान नीति का पुनरीक्षण किया जायेगा । श्री बनर्जी ने वेतनमानों के पुनरीक्षण का उल्लेख करते हुये कहा है कि इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि इससे किसी की हानि न हो । इस सम्बन्ध में मैं यही कहना चाहती हूं कि आकाशवाणी के पास लगभग सम्पूर्ण देश में 2,400 स्टाफ आर्टिस्ट है और पुनरीक्षित वेतनमानों से उनमें से 2,000 कलाकारों को लाभ पहुंचेगा । जो शेष 400 कलाकार रह जायेंगे उन्हें भी किसी प्रकार की हानि होने वाली नहीं है । नियमों में इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई है कि यदि वह चाहें तो एक वर्ष के बाद पुनरीक्षित वेतनमानों के अन्तर्गत आ सकते हैं और उनका लाभ उठा सकते हैं ।

श्री बनर्जी द्वारा दूसरी बात पी० टी० आई० की निगम में परिवर्तित करने के बारे में कही गई है। इस सम्बन्ध में मैं पहले ही यह उल्लेख कर चुकी हूं कि मंत्रियों के एक औपचारिक दल द्वारा इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। श्री शशिभूषण द्वारा पी० टी० आई० के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच का मामला भी उठाया गया है। इस मामले का सम्बन्ध कम्पनी कानूनी विभाग से है और हमें पता चला है कि विभाग इसकी जांच कर रहा है।

माननीय मित्र, श्री पटनायक द्वारा उड़ीसा राज्य में आकाशवाणी के जयपुर केन्द्र का उल्लेख किया है। यह बात सदन में कई बार कही जा चुकी है कि चौथी योजना के दौरान वर्ष 1973-74 में इस केन्द्र की ओर आर्थिक शक्तिशाली बना दिया जायेगा।

श्री शशिभूषण ने संगीत तथा नाटक डिवीज़न के कलाकारों को दिये जाने वाले ठेके का उल्लेख करते हुये कहा कि उन्हें ठेका केवल एक एक वर्ष के लिए दिया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पहले उन्हें ठेका एक वर्ष के लिए ही दिया जाता है परन्तु फिर उनकी कार्यकरण को दृष्टिगत रखते हुये, यह ठेका पांच वर्ष तक के लिए दे दिया जाता है ·····(**व्यवधान**)

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : संगीत तथा नाटक डिवीज़न के निदेशक के बारे में आपने कुछ नहीं कहा।

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : संगीत तथा नाटक डिवीजन के निदेशक के विरुद्ध तो कोई विशेष आरोप नहीं है। वह एक योग्यतापूर्ण व्यक्ति है। हाल ही में बंगला देश के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में तो पुराने किले में जिस लाइट एण्ड साउंड कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, वह कार्यक्रम निदेशक महोदय द्वारा स्वयं तैयार किया गया था। संसद सदस्यों तथा अन्य सभी लोगों ने इस कार्यक्रम की सराहना की थी।

श्री नवल किशोर शर्मा : अखबारी कागज के कोटे में जो कमी की जा रही है उससे नियोजकों द्वारा कर्मचारियों की संख्या में कमी करने का भय भी उत्पन्न हो गया है। क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि कर्मचारियों की समस्या में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जायेगी ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : इस विषय पर काफी विस्तारपूर्वक बोलते हुये मैंने यह कहा था कि इससे किसी को किसी प्रकार की कोई हानि होने वाली नहीं है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।

All the cut motions were put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई।

The following Demands in respect of Ministry of Information and Broadcasting were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
1	2	3
		रुपये
55	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	28,70,000
56	प्रसारण	14,37,30,000
57	सूचना और प्रचार	7,72,82,000
121	सूचना और प्रसारण मंत्रालय पूंजी परिव्यय	10,40,13,000

विदेश मन्त्रालय

अध्यक्ष महोदय : अब सदन में विदेश मंत्रालय की मांग संख्या 9 और 10 पर विचार किया जायेगा। इस कार्य के लिए 6 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। जो उपस्थित माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं, वह मुझे भेज दें। कटौती प्रस्ताव कल प्रश्न काल तक स्वीकार किये जायेंगे।

वर्ष 1973 के लिये विदेश मन्त्रालय की मांगे प्रस्तुत की गई।

विदेश मन्त्रालय

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
1	2	3
9	वैदेशिक कार्य	28,50,94,000
10	विदेश मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	50,89,41,000

विदेश मन्त्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

मांग संख्या	क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
9	2.	श्री डी० देव	ब्रिटिश राष्ट्र मण्डल से अलग होने की आवश्यकता।	100 रुपया
,,	3.	,,	अमरीकी साम्राज्यवाद के विरुद्ध वियतनाम के लोगों के संघर्ष में उनका पूर्ण समर्थन करने की आवश्यकता।	,,

मांग संख्या	क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
9	4.	श्री डी० देव	दक्षिण वियतनाम की अन्तरिम क्रांतिकारी सरकार को तुरन्त मान्यता देने की आवश्यकता ।	100रुपया
,,	5.	,,	कोरियाई जनवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य के साथ पूर्ण राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने की आवश्यकता ।	,,
,,	6.	,,	जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के साथ पूर्ण राजनयिक सम्बम्ध स्थापित करने की आवश्यकता ।	,,
,,	7.	,,	समाजवादी क्यूबा के साथ व्यापार और अधिक निकट का सम्बन्ध पुनः स्थापित करने की आवश्यकता ।	,,
,,	8,	,,	चीन के साथ बातचीत से विवाद को निपटाने की आवश्यकता ।	,,
,,	9.	,,	सोवियत संघ तथा सभी समाजवादी देशों के साथ अधिक निकट का सम्बन्ध स्थापित करने की आवश्यकता ।	,,
,,	10.	,,	दक्षिण अफ्रीका और रोडेशिया की जातिवादी सरकारों और पुर्तगाली साम्राज्यवादी के विरुद्ध अफ्रीकी जनता के संघर्ष तथा अमरीकी साम्राज्यवाद के विरुद्ध लैटिन अमरीकी जनता के संघर्ष में उनका समर्थन करने की आवश्यकता ।	,,

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : हमारे दल को यह स्पष्ट हो गया है कि भारत सरकार और साम्राज्यवादी अमरीका के आपसी सम्बन्ध अच्छे नहीं है । अमरीकी अमरीका साम्राज्यवाद अब सम्पूर्ण विश्व के लिए एक खतरा बन गया है । बंगला देश के संघर्ष के समय अमरीका का साम्राज्यवाद खुले रूप से सामने आ चुका है । यह बात पूर्णतया प्रमाणित हो चुकी है कि अमरीका केवल हमें निर्भर बनाये रखने और हमारी राष्ट्रीय संसाधनों का शोषण करने के लिए ही आर्थिक सहायता देता रहा है । एक ओर हमें यदि अमरीका आर्थिक सहायता देता था तो दूसरी ओर पाकिस्तान को सशस्त्र दे दिया करता था । पाकिस्तान की सैन्य शक्ति को दृष्टिगत रखते हुये, हमें अपने रक्षा बजट पर 1,400 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष खर्च करना पड़ रहा है । अमरीका सरकार की दोहरी नीति को अभी भी हमारी सरकार पूरी तरह समझ नहीं पाई है । हमारी सरकार अभी भी अमरीका के

वास्तविक हथकंडों से अवगत नहीं हुई । जब पाकिस्तान के सैनिक शासकों के विरुद्ध हमारी सेनायें बंगला देश में संघर्ष कर रही थी जो अमरीका ने पाकिस्तान की सहायता के लिए अपना सातवां बेड़ा बंगाल की खाड़ी की ओर भेज दिया । उस समय अमरीका ने भारत को दी जाने वाली अपनी सारी सहायता बन्द कर दी । उस समय समाजवादी देशों में से केवल सोवियत संघ ने ही हमारा साथ दिया । अभी भी अमरीका एशिया उपमहाद्वीप में अपने सम्पूर्ण साम्राज्यवादी हथकंड़े अपनाने का प्रयत्न कर रहा है । सम्पूर्ण भारत चीन में स्थिति बहुत विस्फोटक है । अमरीका ने दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम, कम्बोडिया आदि पर आक्रमण आरम्भ कर दिया है ।

Mr. Speaker: Even after the quorum bell, there is no quorum. Now we adjourn and will assemble tomorrow.

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार 25 अप्रैल, 1972, 5 वैशाख, 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, the 25th April, 1972/Vaisakha 5, 1894 (Saka)

(Raja) Ram Kumar Press, Lucknow - 24-8-1972—490.